अष्टम माला, खंड 52, अंक 16

मंगलवार, 8 अगस्त, 1989
17 श्रावण, 1911 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

चौदहवां सत्र
(आठवीं लोक सभा)

(खंड 52 में अंक 11 से 22 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

मंगलवार, 8 अगस्त, 1989/17 श्रावण, 1911 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
30	11	शीर्षक में "पात" के स्थान पर "ताप" पढ़िये ।
49	नीचे से 11	प्रश्न संख्या "2558" के स्थान पर "2958" पढ़िये ।

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा ।]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 52, चौदहवां सत्र, 1989/1911 (शक)

अंक 16, मंगलवार, 8 अगस्त, 1989, 17 श्रावण, 1911 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—22
*तारांकित प्रश्न संख्या : 303, 304, 308 से 311, 313 और 315	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	22—170
तारांकित प्रश्न संख्या : 305 से 307, 312, 314 और 316 से 322	22—34
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2932 से 3124 और 3126 से 3132	34—164
सभा पटल पर रखे गए पत्र	170—173
राज्य सभा से सन्देश	173—174
लोक लेखा समिति	174
174वां, 175वां, 176वां और 177वां प्रतिवेदन	
लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति	174
9वां प्रतिवेदन	
नियम 377 के अधीन मामले	175—178
(एक) उत्तर प्रदेश सरकार को आगरा डिवीजन में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
श्री गंगा राम	175
(दो) तमिलनाडु से हथकरघा उत्पादों का निर्यात सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री आर० जीवरत्नम	175

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

(तीन) बिहार में बरियाडीह में एक आयुध कारखाना स्थापित किए जाने के बारे में शीघ्र निर्णय लिए जाने की आवश्यकता

श्री तिलकधारी सिंह 176

(चार) सोनीपत (हरियाणा) में रेल फाटकों पर ऊपरी पुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री धर्मपाल सिंह मलिक 176

(पांच) "सिनेरारिया मारीतिमा सकस" नामक आंख में डालने वाली होम्योपैथिक दवाई की प्रभावकारिता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि 176

(छः) उन बेरोजगार युवकों को, जिनके मामले जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा अनुशंसित किए गए हैं, ऋण मंजूर किए जाने की आवश्यकता

श्री बनवारी लाल पुरोहित 177

(सात) सरकारी कार्यालयों और सरकारी उपक्रमों में कार्यरत प्रादेशिक सेना कर्मियों को प्रशिक्षण और अभ्यास हेतु कार्य-मुक्त किए जाने की आवश्यकता

श्री उत्तम राठौड़ 177

नियम 66 के परन्तुक के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव 178

संविधान (चौसठवां संशोधन) विधेयक 178—185 और 190—246
और

संविधान (पैंसठवां संशोधन) विधेयक

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री राजीव गांधी 178

प्रो० एन० जी० रंगा 179

श्री आर० एस० स्पैरो 190

श्री पी० सेलवेन्द्रन 193

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी 196

श्री भोलानाथ सेन 199

श्री श्रीपति मिश्र 203

श्री हुसैन दलवाई 206

विषय	पृष्ठ
श्री अब्दुल रशीद काबुली	207
श्री डी० पी० यादव	209
श्री राम प्यारे पनिका	213
श्री बृजमोहन महन्ती	216
श्री काली प्रसाद पांडेय	219
श्री पी० ए० एन्टनी	221
श्री हरुभाई मेहता	223
श्री के० कुन्जम्बु	227
श्री कमला प्रसाद सिंह	228
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी	230
श्री के० एस० राव	238
श्री बापूलाल मालवीय	242
श्री गिरधारी लाल व्यास	243
गांधी शांति प्रतिष्ठान तथा सम्बद्ध संगठनों के कार्यकलापों की जांच करने के लिए गठित कुदाल जांच आयोग के चौथे, पांचवे, छठे अन्तरिम प्रतिवेदनों और अन्तिम प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य	185—189
श्री पी० चिदम्बरम	185
सदस्य द्वारा त्यागपत्र	246

———

लोक सभा

मंगलवार, 8 अगस्त, 1989/17 श्रावण, 1911 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

हाजिरा-बिजयपुर-जगदीशपुर पाइपलाइन को सौराष्ट्र से ले जाना

[अनुवाद]

*303. **डा० दिग्विजय सिंह** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाजिरा-बिजयपुर-जगदीशपुर की दो पाइपलाइनों को मध्य प्रदेश में जोड़े जाने से पहले इनमें से एक पाइपलाइन को सौराष्ट्र में पीपावाव के रास्ते से ले जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई संभाव्यता रिपोर्ट तैयार की गई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिया जाएगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) एच० बी० जे० पाइपलाइन को सौराष्ट्र में पीपावव से ले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

डा० दिग्विजय सिंह : महोदय, आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि सम्भवतः सम्पूर्ण भारत में कोई भी क्षेत्र ऊर्जा स्रोतों से इतना अलग थलग और दूर नहीं है। देश के पश्चिमी छोर पर सौराष्ट्र का यह प्रायदीप सभी स्रोतों, चाहे कोयला हो, चाहे गैस या पनबिजली हो, से बहुत दूर है। इसीलिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है। यह केन्द्र द्वारा स्वीकार कर लिया गया है या नहीं यह एक अलग बात है किन्तु राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है कि एच० बी० जे० पाइपलाइन का एक भाग हाजिरा ले जाया जाय और दूसरा पीपावव में क्योंकि पीपावव में पहले ही 600 मेगावाट का एक विद्युत संयंत्र तैयार हो रहा है और इसे सरकार की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। इसलिए किसी भी स्थिति में ताप विद्युत संयंत्र के लिए ताप्ती हाई से गैस पीपावव लानी होगी। इसलिए क्यों न पीपावव आने वाली आधी एच० बी० जे० पाइपलाइन सौराष्ट्र से होकर आए और दूसरी आधी हाजिरा जाए, दोनों गुजरात में पंचमहल में मिल जाएं और आगे जगदीशपुर जाएं ? इसलिए यह प्रस्ताव है। गुजरात सरकार से यह प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और गुजरात के प्रत्येक कोने से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। सरकार यह बात स्वीकार क्यों नहीं करती कि गुजरात के एक भाग बल्कि भारत के एक भाग सौराष्ट्र में ऊर्जा की अत्यन्त कमी है। इसलिए हम गुजरात राज्य से प्राप्त इस प्रस्ताव पर विचार क्यों न करें ?

श्री ब्रह्म दत्त : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूरी तरह सहमत हूं···माननीय सदस्य मुझे खेद है। वे यहां पर राज्य मंत्री थे।

यह प्रश्न कुछ भ्रामक है। हजीरा बिजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन हजीरा से बिजयपुर तथा जगदीशपुर तथा अब दिल्ली तक है। किन्तु हमें सौराष्ट्र की जरूरत की जानकारी है और मेरे पास यहां पर नक्शा है। सौभाग्यवश सौराष्ट्र के दक्षिण में तथा पीपावव के दक्षिण में इस तापती गैस क्षेत्र का पता चला है। अब हमारे पास इस गैस क्षेत्र को विकसित करने का प्रस्ताव हैं और लाईन इस तापती गैस क्षेत्र से सीधे पीपावव ले जाई जाएगी। वहां पर एक गैस संयंत्र की स्थापना की जानी है। हम इसे गैस सप्लाई करेंगे तथा परियोजना का ब्यौरा विद्युत विभाग या राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जाएगा जो इसे कार्यान्वित करेगी। हमारे पास इसे विकसित करने तथा तापती से पीपावव तक सीधे पाइपलाइन डालने का प्रस्ताव है। सौराष्ट्र को गुजरात के अन्य भागों से जोड़ना काफी महंगा पड़ेगा किन्तु हमारे पास एक ग्रिड के जरिए कलोल को अंकलेश्वर से जोड़ने का एक अन्य प्रस्ताव है जो अधिक उपयोगी होगा और इसके माध्यम से गैस का ईष्टतम उपयोग सम्भव होगा। मैं इस प्रश्न भी भावना से पूर्णतः सहमत हूं किन्तु एच० बी० जे० पाइप लाइन केवल एच० बी० जे० पाइप लाइन ही रहेगी।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पंजाबी में एक कहावत है "पंचा दा आख्या सिर माथे परनाला आथे ही बिरेगा।"

श्री ब्रह्म दत्त : परनाला पिपावां में गिर रहा है, उनका आग्रह सौराष्ट्र मे आग्रह से है, उससे मैं एकी करता हूं।

[अनुवाद]

डा० दिग्विजय सिंह : महोदय, मंत्री जी ने अंकलेश्वर से कलोल के बारे में बताया, यह पूर्णतः सौराष्ट्र प्रायःद्वीप से बाहर होगा। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि 600 मेगावाट के विद्युत केन्द्र के लिए पीपावव को तापती हाई से गैस भेजी जाएगी। तो इसे एच० बी० जे० पाइपलाईन का ही भाग क्यों नहीं माना जा सकता जो दिल्ली से आगे कहीं भी जा सकती है। एच० बी० जे० पाईप लाइन आधी हजीरा में तथा शेष आधी पीपावव में डाली जा सकती है ताकि दोनों गुजरात में मिल सकें और वहां पर जगदीशपुर या दिल्ली जा सकती है। इसलिए, क्या सरकार इस प्रस्ताव की गहराई से जांच करेगी और इसकी कमियों का पता लगाने के लिए इसकी व्यावहारिकता का अध्ययन करेगी ?

श्री ब्रह्म दत्त : महोदय, मुझे यह बात समझ नहीं आती कि एच० बी० जे० पाइपलाइन को किस प्रकार बांटा जा सकता है ? मैंने पहले ही यह निवेदन किया है कि हम तापती से पीपावव तक एक पाइपलाइन डाल रहे हैं और इसे तापती गैस क्षेत्र, जो कि अधिक उत्पादक है, में उपलब्ध गैस के अनुसार सौराष्ट्र में विकसित किया जाएगा। हमें सौराष्ट्र की कठिनाइयों की जानकारी है। किन्तु मैं वित्तीय सक्षमता और कम लागत से अधिकतम लाभ के बारे में बात कर रहा हूं।

डा० दिग्विजय सिंह : क्या इस प्रस्ताव की जांच की जा सकती है ?

श्री ब्रह्म दत्त : गुजरात सरकार तथा अन्य एजेंसियों द्वारा भेजे गए सभी प्रस्तावों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

श्री सी० पी० ठाकुर : महोदय, हाल ही में हुई एक बैठक में प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की है कि गैस पाइपलाइन को बिहार तक बढ़ाया जाएगा। विद्युत और उर्वरक की सप्लाई कम है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अगला प्रश्न।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों द्वारा सामूहिक छुट्टी

*304. **श्री एस० जी० घोलप** :

श्री राम प्यारे पनिका :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी 11 जुलाई, 1988 को सामूहिक अवकाश पर थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कितने व्यक्ति सामूहिक अवकाश पर थे;

(ग) उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की धमकी दी है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० बेंगल राव) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

यह सूचना मिली है कि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अनेक अधिकारी दिनांक 11 जुलाई, 1989 को सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर गए थे। वे केन्द्रीय महंगाई भत्ता पैटर्न अपनाने वाले 69 सरकारी उद्यमों में, जो उच्चाधिकार वेतन समिति की अनुशंसाओं के शीघ्र कार्यान्वयन की मांग कर रहे थे। इन अधिकारियों के केन्द्रीय महंगाई भत्ते के साथ-साथ यह भी मांग की थी कि उन्हें उच्चाधिकार वेतन समिति द्वारा सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों के लिए अनुशंसित अनुलाभ भी दिए जाएं। सरकार उच्चाधिकार वेतन समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। अब तक औद्योगिक महंगाई भत्ता फार्मूला अपनाने वाले उद्यमों के अधिकारियों/कार्यपालकों के वेतन संशोधन के सम्बन्ध में भी निर्णय किया जाएगा। सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि अधिकारियों द्वारा प्रबन्धन को अनिश्चितकालीन हड़ताल की कोई सूचना दी गई है या नहीं।

वस्तुतः सामूहिक अवकाश पर जाने वाले कार्यपालकों की संख्या के सम्बन्ध में जानकारी सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

श्री एस० पी० घोलप : महोदय, जहां यह स्वीकार किया गया है कि अधिकारीगण 11 जुलाई को सामूहिक छुट्टी पर गये थे, परन्तु इसमें शामिल होने वालों की संख्या नहीं दी गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आंकड़े मांगे गये थे और यदि हां, तो हमें वे उपलब्ध क्यों नहीं कराये

गये। कितने प्रतिशत लोगों ने सामूहिक अवकाश लिया ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह 69 निगमों तक ही सीमित था या इसमें और भी निगम थे।

श्री जे० बेंगल राव : 235 सार्वजनिक उपक्रम हैं और देश भर में सभी से आंकड़े एकत्र करना कैसे सम्भव है। वास्तविक प्रश्न को गई कार्यवाही के बारे में है। उस दिन 'काम नहीं, वेतन नहीं' वाला सिद्धान्त लागू किया गया था।

श्री एस० जी० घोलप : जब यह रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई, क्या कार्यवाही की गई है ? सरकार कब तक निर्णय ले लेगी ?

श्री जे० बेंगल राव : जैसाकि मैंने निवेदन किया है, केवल यही कार्यवाही की गई है कि 'काम नहीं तो वेतन नहीं'। उस हिसाब से कोई दण्ड नहीं दिया गया। केवल उस दिन का वेतन नहीं मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बहुत ही कैजुअल-वे में उत्तर दिया है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जिसमें 90 हजार करोड़ देश का रुपया लगा हुआ हो, इस तरह का उत्तर हम कुछ नहीं समझते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जो इन्फ्रा-स्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज हैं, उनमें तो आपका ठीक-ठीक है लेकिन स्वयं आपका मैनजमैंट और एग्जीक्यूटिव्ज हड़तालों को प्रोत्साहन देते हैं। इसलिए नीचे के कर्मचारियों में स्ट्राइक की भावना हो जाती है। आज इन्होंने आटोनामी के नाम पर मैनेजमैंट को इतना छूट दे दिया है कि वे लोग पुराने जमाने के राजेमहाराजे हो गये हैं, उनका रहन-सहन, खर्चा सारा देश का जा रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो लिस्ट नहीं दी है कि कितने लोग हड़ताल पर हैं, तो क्या वह उनको बचाने की साजिश कर रहे हैं अथवा पब्लिक सैक्टर इंडस्ट्री को सुधारने के लिए जो भी कल्प्रिट किसी भी तरह के हों, क्या उनको सजा देने का इरादा है ?

[अनुवाद]

श्री जे० बेंगल राव : महोदय 235 सार्वजनिक उपक्रम हैं और उनमें 22.21 लाख कर्मचारी हैं। इसमें से 19.81 लाख औद्योगिक क्षेत्र में हैं···

श्री राम प्यारे पनिका : हम जानना चाहते हैं कि अब तक उन्होंने क्या कार्यवाही की है। आंकड़ों के बारे में बताने का कोई फायदा नहीं है। सामूहिक अवकाश लेने वालों के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है ?

श्री जे० बेंगल राव : मैं कार्यवाही के बारे में आपको स्पष्ट बता चुका हूं। वह दिन 'काम नहीं तो वेतन नहीं' था।

श्री राम प्यारे पनिका : आखिरकार, वे भी प्रबन्ध का एक हिस्सा हैं, वे सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर नहीं जा सकते। मैं मंत्री जी द्वारा दिये गये उत्तर से सहमत नहीं हूं क्योंकि···

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका जवाब नहीं चाहता।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मंत्री जी के पास आंकड़े नहीं हैं। परन्तु मंत्री जी को

आंकड़े मैं दे रही हूं। 11 जुलाई को 50,000 से भी अधिक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी काम पर नहीं आये। क्योंकि उनकी मांग बहुत सही है, सरकार ने उच्च शक्ति प्राप्त वेतन समिति गठित की थी। उन्होंने महंगाई भत्ते के उचित कार्यान्वियन की सिफारिश की थी, जैसा कि मंत्री जी पहले ही कह चुके हैं, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की भांति महंगाई भत्ता नियमित रूप से दिया जाये। माननीय मंत्री ने अपने जवाब में कहा है कि उन्होंने उच्च राशि प्राप्त वेतन समिति द्वारा सिफारिश किये गये लाभ देने की मांग की है जिसमें अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भी केन्द्र सरकार को दिये जाने वाला महंगाई भत्ता भी शामिल है। उच्च शक्ति प्राप्त वेतन समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। सरकार पहले ही यह कह चुकी है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहती हूं कि सरकार केन्द्र सरकार से सम्बन्धित इस समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालयों में कब लागू करने जा रही है ?

श्री बे० बेंगल राव : सबसे पहले मैं यह निवेदन कर दूं कि मैं माननीय सदस्य द्वारा दिये गये आंकड़ों से सहमत नहीं हूं।

कुमारी ममता बनर्जी : आप इन आंकड़ों से सहमत क्यों नहीं हैं। आपके पास तो कोई आंकड़े नहीं हैं ?

श्री बे० बेंगल राव : दूसरे अनुपूरक प्रश्न के बारे में में मेरा जवाब यह है कि फिलहाल यह मामला उच्चतम न्यायालय के पास है। विद्वान अतिरिक्त महान्यायवादी श्री दत्ता द्वारा किये गये आवेदन पर इस मामले को 25 अगस्त, 1989 तक स्थगित कर दिया गया है और उन्होंने लिखित में निर्देशों की एक प्रति भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय में सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के अतिरिक्त सचिव को दे दी है। उन्हें यह पूर्णतया स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि 25 अगस्त, 1989 तक निर्णय नहीं लिया गया और यदि वह सरकार के निर्णय की सूचना न्यायालय को नहीं देते हैं तो किसी भी आधार पर स्थगन आदेश नहीं दिया जायेगा और न्यायालय अपना निर्णय देने के लिए स्वतन्त्र होगा।

कुमारी ममता बनर्जी : मंत्री जी का जवाब क्या है ? यह कोई जवाब नहीं है। क्या यह मंत्री जी का जवाब है ? यदि आप कहते हैं कि मेरे आंकड़े गलत हैं तो आप मुझे सही आंकड़े दीजिए।

श्री जगन्नाथ पटनायक : माननीय मंत्री ने इसे हल्के से लिया है।

श्री राम प्यारे पनिका : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

श्री जगन्नाथ पटनायक : इस पर आधे घन्टे की चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

पटपड़गंज, दिल्ली में औद्योगिक भूखंडों का आबंटन

[हिन्दी]

*308. **श्री मदन पांडे** : क्या **उद्योग मंत्री** पटपड़गंज, दिल्ली में औद्योगिक भूखंडों के आबंटन के बारे में 11 अप्रैल, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5690 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के पटपड़गंज क्षेत्र में औद्योगिक भूखंडों के आबंटन के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की इस बीच जांच कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए निकाले जाने वाले ड्रा कितने आवेदन पत्र शामिल किए गए हैं और कितने अस्वीकार किए गए हैं;

(ग) कितनी महिला उद्यमियों के आवेदन पत्र स्वीकार किए गए हैं और कितनों के अस्वीकार किए गए हैं; और

(घ) ड्रा निकालने और अस्वीकृत आवेदन पत्रों की जमानत राशि की वापसी के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है ?

[अनुवाद]

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि पटपड़गंज क्षेत्र में औद्योगिक भूखण्डों के आबंटन के लिए आवेदनों की अब जांच कर ली गयी है। ड्रा में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित आवेदनों की संख्या 25,652 है । ऐसे आवेदनों की संख्या, जिन्हें पात्र नहीं पाया गया अथवा वापिस ले लिया गया, 305 है ।

महिला उद्यमियों से 6010 आवेदन प्राप्त हुए हैं । इसमें से 56 आवेदन अयोग्य पाये गये हैं । महिला उद्यमियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण है । इस प्रकार 500 भूखण्डों में से केवल 50 भूखण्ड महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित हैं । अतः दिल्ली प्रशासन ने सामान्य वर्ग के आवेदनों के साथ महिला उद्यमियों के आवेदनों को शामिल करने का निर्णय लिया है ताकि और अधिक महिलाओं द्वारा भूखण्ड पाने की सम्भावना को बढ़ाया जा सके । तथापि, यदि ड्रा में सफल महिला उद्यमियों की संख्या किसी भी कार्यात्मक वर्गों में उनके लिए आरक्षित संख्या से कम रह जाती है, इस कमी को दिल्ली प्रशासन द्वारा बाद के ड्रा में पूरा कर लिया जायेगा ।

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश के कारण ड्रा की तारीख निश्चित नहीं की जा सकी है । अयोग्य पाये गये कुछ आवेदनों के बैंक ड्राफ्ट लौटाये जा चुके हैं और बाकी को लौटाने की कार्रवाई हो रही है ।

[हिन्दी]

श्री मदन पांडे : अध्यक्ष जी, जो मंत्री जी ने जवाब दिया है, उसमें यह है कि पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट आवंटन के लिए जो दरख्वास्तें मांगी थीं, उसमें 25,652 दरख्वास्तें प्राप्त हुईं और 305 अयोग्य घोषित की गईं और उनको उन्होंने वापस कर दिया । महिला उद्यमियों की भी 6010 दरख्वास्तें प्राप्त हुईं और उसमें 56 अयोग्य घोषित हुईं, लेकिन किन कारणों से अब तक इनका बंटवारा नहीं हुआ है, यह बताएं ?

दूसरी बात यह है कि जब विज्ञापन में छः महीने की अवधि दी गई है और उस छः महीने की अवधि के भीतर आबंटन नहीं हुआ, तो उस जमा धनराशि पर सूद देने की कोई प्रक्रिया है

जिससे जिन लोगों का पैसा जमा है, उनको क्षति न पहुंचे, क्या इस पर कोई विचार हुआ है ?

[अनुवाद]

श्री एम० अरुणाचलम : आबंटन की तिथि अन्तिम रूप से निश्चित नहीं हो पायी क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय में एक सिविल रिट याचिका लम्बित है, जहां इस बात का अनुरोध किया गया है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए भी प्लॉट आरक्षित किये जाने चाहिए। दिल्ली प्रशासन यह मुकदमा लड़ रहा है। इस मुकदमे की आगामी सुनवाई 15-9-1989 को होगी। इस बीच उच्च न्यायालय ने आबंटन के सम्बन्ध में एक स्थगन आदेश जारी कर दिया है।

[हिन्दी]

श्री मदन पांडे : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न तो ठीक है, लेकिन मुझे जवाब ठीक प्राप्त नहीं हुआ है। जो विलम्ब हुआ है और हो रहा है वह चाहे हाईकोर्ट के कारण हो या किसी के कारण हो, जो उन्होंने आबंटन शर्तें उसमें दी हुई थीं उनके अनुसार जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा, यह था, लेकिन छः महीने के अन्दर प्लॉट आबंटन कर दिए जाएंगे, यह भी लिखा था, लेकिन अब 17-18 महीने होने जा रहे हैं, अभी तक आबंटन नहीं हुआ है। जिन्होंने दरख्वास्तें दी थीं, उनका पैसा जमा है और अभी तक उस पर कोई ब्याज देने की बात नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि ऐसे आबंटियों को, जो बहुत बड़ी संख्या में हैं, उनकी जमा राशि पर कोई ब्याज देने की कोई योजना विचाराधीन है या नहीं ?

[अनुवाद]

श्री एम० अरुणाचलम : महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वासन नहीं दे सकता हूं। लेकिन दिल्ली प्रशासन द्वारा उनके अनुरोध पर विचार किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी : आप लेने का आश्वासन देते हैं, तो देने का क्यों नहीं देते ?

कोल इण्डिया लि० का आधुनिकीकरण

*309. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोल इंडिया लि० का आधुनिकीकरण करने और इसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) जी, हां। आठवीं पंचवर्षीय योजना की अन्तिम अवधि (वर्ष 1994-95) तक कोल इण्डिया लि० की खानों से कोयले का उत्पादन लगभग 270 मि० टन तक बढ़ जाएगा, जिसमें से लगभग 80 प्रतिशत उत्पादन यांत्रिकृत रूप में उच्चतम सुधरी हुई खानों से और आधुनिकतम तथा तेजी से उत्पादन करने वाले परिष्कृत खनन उपकरणों को लगाकर प्राप्त किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण प्रताप सिंह : मैं मन्त्री महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि कोल इंडिया का आधुनिकीकरण करने के लिए आपने एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। 1994-95 तक जो 270 मिलियन टन उत्पादन बढ़ाने की योजना आप बना रहे हैं और उनमें आधुनिकतम संयंत्र लगाने वाले हैं, वे विदेशी हैं या किसी देश से आप मगा रहे हैं या पूरे संयंत्र आप अपने देश में ही तैयार कर रहे हैं।

श्री वसंत साठे : इसमें से काफी संयंत्र अब अपने देश में ही बनने लगे हैं। यह जरूरी है कि ओपन कास्ट माइन या अंडरग्राउन्ड माईन में ही प्रयोग के लिए कुछ आधुनिक संयंत्र शुरू में बाहर से मंगाने पड़े और खास तौर से जिन देशों के साथ हमारा सहयोग रहा, कोलेबोरेशन रहा जैसे सोवियत रूस, जर्मनी और इंग्लैंड आदि देशों से डम्पर्स, ड्रैगलाइन जैसे इक्विपमैंट मंगाने पड़े। परन्तु अब इनमें से काफी संयंत्र अपने देश में ही बनने लगे हैं और हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा संयंत्र अपने देश में ही बनाएं और उनका इस्तेमाल करें।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह : आपने आठवीं पंचवर्षीय योजना में जोकि 1994-95 तक है, उसके प्रथम वर्ष 1990-91 में आप इसमें से कितनी राशि खर्च करेंगे और तब तक कितना उत्पादन बढ़ेगा ?

श्री वसंत साठे : अध्यक्ष जी, हमने आज तक 10,302 करोड़ रुपया लगाया और जिसका इस प्लान में सैंक्शन 8,826 करोड़ का था, उसमें से 4,334 करोड़ रुपया हमने प्लांट और इक्विपमैंट के ऊपर लगाया और आने वाली आठवीं पंचवर्षीय योजना में 270 मिलियन टन का जो टारगैट हमने दिया है, उसमें से भी हम 13,946 करोड़ रुपये की लागत जो लगाएंगे, उसमें सत्तर प्रतिशत हमारे औजारों के लिए लगेगा। इस साल में कितनी लागत आई, यदि आप यह पूछना चाहते हैं तो इसके लिए मैं जानकारी हासिल करके माननीय सदस्य को भेज दूंगा।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि बहुत ही परिष्कृत मशीनें और उपकरण बहुत अधिक लागत पर खरीदी जाती हैं। विदेशों से इन अत्यधिक परिष्कृत मशीनों और उपकरणों को प्राप्त करने में हजारों-करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं और इनका सभी जगह उपयोग किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इस कारण सरकार ने यह निश्चित किया है कि आठवीं योजना में खानों से निकाले जाने वाले कुल कोयले का लगभग 80 प्रतिशत आधुनिक सुविधाओं से लैस खानों से निकाला जायेगा। किस प्रकार से यह इस देश के श्रमिकों पर प्रभाव डालेगा ? जैसा कि आप जानते हैं कि बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की बहुत ही गंभीर समस्या बनी हुई है। यह एक गंभीर समस्या है। यह इस समस्या पर किस प्रकार प्रभाव डालता है ? दूसरे, इस प्रकार के मशीनों और औजारों का कोई अनुकूलतम उपयोग नहीं है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि इन मशीनों और औजारों का अनुकूलतम उपयोग नहीं किया जा रहा है और इस कारण इन कम्पनियों द्वारा भारी नुकसान उठाया गया है। कभी-कभी अतिरिक्त पुर्जों और अन्य सुविधाओं की भी समस्या है। सरकार और विभिन्न कोयला कम्पनियों द्वारा इस सन्दर्भ में क्या कार्रवाई की गयी है ?

श्री वसंत साठे : महोदय, यह सच है कि मशीनीकरण से और विशेष रूप से खुली खदानों में डम्पर, शोवल, ड्रैगलाइन्स आदि औजारों का उपयोग कोयले के खानों में काम के अत्यधिक बोझ को दूर करने के लिए किया जाता है और इसमें मजदूरों के रोजगार की अधिक गुंजाइश नहीं रहती है। लेकिन मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारे इस मशीनीकरण कार्यक्रम से यहां काम कर रहा एक भी श्रमिक प्रभावित नहीं होगा और उन्हें हटाया नहीं जायेगा।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : यह कैसे हो सकता है ?

श्री वसंत साठे : क्योंकि आज जो लोग काम पर लगे हुए हैं वह काम पर बने रहेंगे। यह सिर्फ विस्तार कार्य हेतु है और विस्तार कार्य में वे काम पर बने रहेंगे···(**व्यवधान**)

श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या उन्हें आगे रोजगार मिलेगा ?

श्री वसंत साठे : जी हां। हमें यह तथ्य छिपाना नहीं चाहिए। कम्पनी की आवश्यकतानुसार आगे रोजगार दी जायेगी। यदि खुले खदान में आगे रोजगार देने का विचार माननीय सदस्यों का हो, मान लें कि एक खान में मशीनों और औजारों के संचालन के लिए 200 लोगों की आवश्यकता हो और कोई कहता है कि आप 2000 लोगों को रोजगार दीजिए, यदि ऐसा कार्य लोकमत के नाम पर हो रहा हो तो यह आत्मघाती होगा। हमें यह बात स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए कि यदि हम इन खानों का कार्य किफायती ढंग से चलाना चाहते हैं तो हमें यह बात निश्चित कर लेनी चाहिए कि वहां आवश्यकता से अधिक रोजगार प्रदान न किए जाएं। मैं माननीय सदस्य की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि इन उपकरणों का पूरी तरह से उपयोग किया जाना चाहिए। उनकी उचित रूप से देखभाल की जानी चाहिए और मुझे यह बात स्वीकार करनी चाहिए कि वर्तमान प्रवृत्ति यह है कि उनकी क्षमता के अनुसार उनका उचित उपयोग नहीं होता है क्योंकि इन उपकरणों का उचित रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है। हम इस बात पर विशेष ध्यान दे रहे हैं।

बंगाल की खाड़ी में तेल और गैस

*310. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** :

श्री अतीश चन्द्र सिन्हा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आठवीं योजनावधि में बंगाल की खाड़ी के बेसिन में गहन तेल खोज कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि के दौरान बंगाल बेसिन में तेल की खोज के लिए निर्धारित किए गए स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए कुल कितनी धनराशि व्यय की जाएगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) अपटीय बंगाल बेसिन में तेल की खोज के कार्य को 8वीं योजना में जारी रखने की परिकल्पना की गई है।

(ख) और (ग) 8वीं योजनावधि में अपटीय बंगाल बेसिन में कोंटाई दक्षिण में लगभग

18 मीटर की गहराई तक जल के क्षेत्र में अन्वेषण कराने की योजना बनाई गई है। 8वीं योजना के दौरान तेल की खोज पर निवेश की कुल मात्रा का पता 9वीं योजना को अन्तिम रूप देने के बाद ही चल सकेगा।

श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह वाडियर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने आठवीं योजनावधि में कोंटाई के दक्षिण में तेल अन्वेषण कार्यक्रम शुरू किए जाने का जिक्र किया है। लेकिन यह सच है कि कावेरी बेसिन और बंगाल की खाड़ी के अपतटीय महानदी और गोदावरी बेसिन में भी भारी मात्रा में तेल के भंडार होने का पता चला है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय आठवीं योजना के दौरान महानदी, गोदावरी और कावेरी बेसिन में भी तेल का अन्वेषण किए जाने पर विचार करेंगे।

श्री ब्रह्म दत्त : बंगाल की खाड़ी और कोंटाई के दक्षिण में अपतटीय कावेरी बेसिन, अपतटीय गोदावरी बेसिन और अपतटीय महानदी बेसिन में हम पहले ही तेल का अन्वेषण करने का कार्यक्रम बना चुके हैं। हम यह कार्य स्वयं कर रहे हैं और हमने कुछ खंडों का कार्य अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों को भी सौंपा है। नौ अपतटीय खंडों का कार्य पांच अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों को सौंपा गया है। वे भूकम्पीय सर्वेक्षण का कार्य कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि खुदाई का कार्य बहुत शीघ्र ही शुरू हो जाएगा।

श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर : मन्त्री महोदय ने कहा है कि पांच अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों को अन्वेषण का ठेका दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस योजनावधि के दौरान बंगाल की खाड़ी बेसिन में अन्वेषण का कार्य जिन पांच कम्पनियों को सौंपा गया है, वे कम्पनियां कौन-कौन-सी हैं और कथित क्षेत्र में तेल अन्वेषण के लिए इन कम्पनियों द्वारा कितना पूंजी निवेश किए जाने का प्रस्ताव है।

श्री ब्रह्म दत्त : मैंने यह कहा है कि अपतटीय खंड को कावेरी-गोदावरी बेसिन में रखा गया है, वह एक अलग बेसिन है। गोदावरी बेसिन उत्तर में है और उसके विपरीत महानदी क्षेत्र को हम महानदी बेसिन कहते हैं। बंगाल बेसिन में हमने किसी विदेशी कम्पनी को यह कार्य करने की अनुमति नहीं दी है। हम तटीय अन्वेषण कार्य स्वयं कर रहे हैं। हम यह काम सोवियत रूस की सहायता से कर रहे हैं।

श्री अतीश चन्द्र सिन्हा : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि कोंटाई प्रदेश में अपतटीय बंगाल बेसिन में यह अन्वेषण कार्य 18 मीटर की गहराई तक जल के क्षेत्र तक ही क्यों किया जा रहा है और यह अन्वेषण इससे अधिक गहराई तक के क्षेत्र में क्यों नहीं किया जा रहा है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि 7वीं पंचवर्षीय योजनावधि में बंगाल बेसिन के अपतटीय क्षेत्र में इस अन्वेषण के लिए कुल कितना धन खर्च करने की योजना बनाई गई है और इस अन्वेषण का क्या परिणाम होगा।

श्री ब्रह्म दत्त : हमें कई बार ऐसा बताया गया है कि बंगाल में बहुत तेल है। 5वें दशक के अन्तिम वर्षों में कुछ विदेशी कम्पनियों द्वारा अन्वेषण कार्य शुरू किया गया था और हमने उनके सहयोग से यह कार्य पूरा किया। तटीय और अपतटीय दोनों क्षेत्रों में अनेक कुओं की खुदाई की गई। लेकिन इसका ढांचा इतना जटिल है कि हमें अब तक हाइड्रो-कार्बन का पता नहीं चला है।

हमें आशा है कि 8वीं योजनावधि के दौरान 200 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। हम इसका प्रस्ताव कर रहे हैं। लेकिन मैं निश्चित तौर पर ऐसा नहीं कह सकता। यह योजना को अन्तिम रूप दिए जाने पर ही निर्भर होगा। हम शुरूआत 18 मीटर तक जल की गहराई से कर रहे हैं लेकिन यदि हमें इसमें सफलता मिली तो इसे आगे और जारी रखा जाएया। हम अपने कार्य इस तरह से पूरे कर रहे हैं।

पंजाब में कृषि पर आधारित उद्योग

*311. **श्री प्रकाश चन्द्र :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ग्रामीण युवकों को रोजगार देने और आतंकवाद पर काबू पाने के लिए पंजाब के गांवों में कृषि पर आधारित और अधिक उद्योगों की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अण्णाचलम) : (क) से (ग) कृषि पर आधारित उद्योग अधिकांशत: लाइसेंसमुक्त क्षेत्र में है। यद्यपि केन्द्रीय क्षेत्र में कृषि पर आधारित उद्यगों लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, फिर भी सरकार लाइसेंस देने प्रौद्योगिकी के उदारीकृत आयात और आवश्यक पूंजीगत माल के सम्बन्ध में प्राथमिकता देकर पंजाब में ऐसे उद्योगों की स्थापना का प्रबल समर्थन करती है।

1987, 1988 और 1989 में मंजूर किए गए आशय पत्रों की एक सूची संलग्न विवरण के रूप में सभा पटल पर रखी जाती है।

विवरण

अनुसूचित उद्योग सं० 25, 26, 27 और 28 के अधीन पंजाब में कृषि पर आधारित एककों को जारी पत्रों की सूची

क्र० सं	उपक्रम का नाम और एकक का स्थापना स्थल	वस्तु एवं क्षमता	लाइसेंस संख्या एवं तारीख
1	2	3	4
	1987		
1.	फूड स्पेशियलिटीज लि० (जिला मोगा, पंजाब)	बाल आहार तथा अन्य दूध उत्पाद —23,000 मी० टन	197/87 दिनांक 24-4-87
2.	पंजाब स्टेट को-आप्ट सप्लाई एण्ड मार्केटिंग फेडरेशन लि० (जिला कपूरथला, पंजाब)	रेपसीड तथा सरसों के तेल की पिराई —25,000 मी० टन	159/87 दिनांक 10-4-87

1	2	3	4
3.	जगजीत शुगर मिल्स कं० लि० (जिला संगरूर, पंजाब)	चीनी —25000 मी० टन	239/87 दिनांक 12-5-87
4.	मालवा शुगर मिल्स कं० लि० (जिला संगरूर, पंजाब)	—वही—	231/87 दिनांक 12-5-87
5.	दि दोआबा को-आप्ट शुगर मिल्स लि० (जिला जालंधर, पंजाब)	सफेद क्रिस्टल की चीनी —2500 मी० टन	257/87 दिनांक 8-6-87
6.	पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लि० (जिला जालंधर, पंजाब)	वोदका रेक्टीफाएड स्प्रिट —96,60,000 लीटर	362/87 दिनांक 11-9-87
7.	दि जगरॉव को-आप्ट शुगर मिल्स (जिला लुधियाना, पंजाब)	चीनी —2500 मी० टन	503/87 दिनांक 11-9-87
8.	अमृतसर को-आप्ट शुगर मिल्स लि० (जिला अमृतसर, पंजाब)	—वही—	504/87 दिनांक 11-9-87
9.	फरीदकोट को-आप्ट सुगर मिल्स लि० (जिला फरीदकोट, पंजाब)	चीनी —2500 मी० टन	एल० ओ० आई० 505/87 दिनांक 11-9-87
10.	बुधलाडा को-आप्ट शुगर मिल्स लि० (जिला भटिंडा, पंजाब)	—वही—	506/87 दिनांक 11-9-87
11.	मोरिन्डा को-आप्ट शुगर मिल्स लि० (जिला मोरिन्डा, पंजाब)	चीनी —3500 मी० टन	760/87 दिनांक 31-12-87
1988			
1.	फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट को-आप्ट मिल्क प्रो० यूनियन लि० (जिला फिरोजपुर, पंजाब)	दुग्ध उत्पाद —11,650 मी० टन	एल० ओ० आई० 209/88 दिनांक 9-5-88
2.	मार्क वनस्पति एण्ड सम्बद्ध उद्योग (जिला लुधियाना, पंजाब)	वनस्पति —3000 मी० टन	362/88 दिनांक 29-6-88
3.	पंजाब एग्रो इंड० कार लि० (जिला होशियारपुर, पंजाब)	मृदु पेय सांद्रण, संसाधित फल व वनस्पति उत्पाद —40,000 टन	558/88 दिनांक 19-9-88

1	2	3	4
4.	पंजाब स्टेट इंड० डिवलपमेंट कार० (जिला पटियाला, पंजाब)	मांस उत्पादन और अधिक प्रोटीन युक्त खाद्य —15,000 टन	630/88 दिनांक 17-10-88
5.	पंजाब स्टेट इंड० डिवलपमेंट कार० (जिला लुधियाना, पंजाब)	खाद्य तेल और डि-आइल्ड केक —90,000 टन	718/88 दिनांक 24-11-88
6.	जगतजीत इंड० लि० (जिला कपूर थला, पंजाब)	माल्ट युक्त दुग्ध —8,400 मी० टन	798/88 दिनांक 9-12-88
1989 (अप्रैल तक)			
1.	ओसवाल एग्रो मिल्स लि० (जिला कपूरथला, पंजाब)	चीनी —2500 मी० टन	70/89 दिनांक 9-3-89
2.	मैक्स इंडिया लि० (जिला होशियारपुर, पंजाब)	एसीलेस रेंज आफ कैटेलिस्ट 150 सी० आर० यूनिट्स	195/89 दिनांक 31-3-89
3.	पंजाब एग्रो इंड० कार० लि० (जिला लुधियाना, पंजाब)	वनस्पति —30,000 टन	194/89 दिनांक 20-3-89
4.	एग्रो टेक इंडिया लि० (जिला लुधियाना, पंजाब)	खाद्य वनस्पति तेल 7,500 मी० टन	233/89 दिनांक 4-4-89

श्री प्रकाश चन्द्र : राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहायता प्राप्त कृषि पर आधारित उद्योगों द्वारा वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान क्षमता उपयोग की जो राज्यवार स्थिति बताई गई है उससे पता चलता है कि बिहार राज्य में राष्ट्रीय सरकारी विकास निगम के अंतर्गत कोई भी तेल कामप्लेक्स इकाइयां या चीनी कारखाने अथवा डेरी या पशुधन संबधी इकाइयां या एफ० और बी० इकाइयां काम नहीं कर रही हैं। इस संबंध में केन्द्र सरकार के पास भी बहुत से आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि बिहार राज्य के साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। क्या मंत्री महोदय भविष्य में इस ओर ध्यान देंगे ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : प्रश्न पंजाब के बारे में है; लेकिन वह बिहार की बात कर रहे हैं।

श्री प्रकाश चन्द्र : ऐसा सभी के साथ है। यह प्रश्न कृषि पर आधारित उद्योगों के संबंध में है। यह प्रश्न हर बार किया जाता है। आपको भी इस ओर ध्यान देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इधर देखिए, जैसा प्रश्न है,

[हिन्दी]

उसी हिसाब से चलेगा।

श्री प्रकाश चन्द्र : यह एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पर क्वेश्चन है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या बिहार में नहीं है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या सरकार का विचार पंजाब के गांवों में कृषि पर आधारित और उद्योग स्थापित करने का है। वह केवल पंजाब के बारे में उत्तर दे सकते हैं।

श्री प्रकाश चन्द्र : उन्होंने समूचे भारत के संबंध में जवाब दिया है। उन्होंने इसे केवल पंजाब से नहीं जोड़ा है, उन्होंने सभी राज्यों के सम्बन्ध में जवाब दिया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : चूंकि इसमें पंजाब का जिक्र है···

श्री प्रकाश चन्द्र : इसके उत्तर में इन्होंने पूरे देश का जिक्र किया है, केवल पंजाब का जिक्र नहीं किया है सर। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बिहार का और दे दीजिए, मैं एडमिट कर लूंगा। वह देंगे, उसे एडमिट कर लूंगा।

श्री सी० पी० ठाकुर : आप कॉलिंग एटेंशन दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप देंगे, तो बात करेंगे। ऐसे थोड़े ही होता है। वाइल्ड गूज चेज।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रकाश चन्द्र : महोदय, मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि 1979 की मूल्यांकन रिपोर्ट में योजना आयोग ने यह कहा है कि कृषि मंत्रालय द्वारा 1971-72 में आरम्भ की गई कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना सम्बन्धी योजना के कार्यान्वयन में पूरे दिल से काम नहीं किया गया। यदि हां तो कृषि सेवा केन्द्रों और उनसे सम्बद्ध कृषि उद्यमियों की स्थिति और कार्य-निष्पादन कैसा रहा; यदि इन केन्द्रों का कार्य-निष्पादन संतोषजनक नहीं रहा तो उसके क्या कारण हैं।

श्री जे० वेंगल राव : महोदय, आप यह निर्धारित कीजिए कि क्या यह अनुपूरक प्रश्न संगत हैं अथवा नहीं।

श्री प्रकाश चन्द्र : महोदय, यह ग्रामीण युवकों के रोजगार से सम्बद्ध है, आप प्रश्न देख सकते हैं यह सभी ग्रामीण युवकों की रोजगार सम्बन्धी योजना से सम्बद्ध है। यह उन्हें टाल रहे हैं। महोदय, आप यह देख सकते हैं। यह प्रश्न पूरी तरह से ग्रामीण युवकों को रोजगार प्रदान करने के बारे में है। यह केन्द्र इसी उद्देश्य से चलाए जा रहे हैं। उन्होंने जो उत्तर दिया है उसमें भी उन्होंने इसका उल्लेख किया है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिए, प्रकाश जी सिम्पल स्टेट आपने लिखा है। मैं इसमें क्या करूं।

श्री प्रकाश चन्द्र : इन्होंने अपने जवाब में इस बात का जिक्र किया है।

अध्यक्ष महोदय : आप क्वैश्चन पढ़िए।

(व्यवधान)

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : उन्होंने कहा—एग्रो सैन्टर पंजाब का।

अध्यक्ष महोदय : पंजाब की बात है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रकाश चन्द्र : उन्होंने इस संबंध में उत्तर दे दिया है। अब वह कुछ भी नहीं कह रहे हैं। महोदय, आप उत्तर देख सकते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कैसे काम चलेगा, ऐसा नही करते हैं।

श्री प्रकाश चन्द्र : इन्होंने अपने जवाब में कहा है और उसके बाद ये मुकर रहे हैं। तो कैसे चलेगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा मत करो।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जे० बेंगल राव : कृषि केन्द्र हमारे मंत्रालय से संबद्ध नहीं हैं। वे कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं।

श्री प्रकाश चन्द्र : महोदय, बिहार के लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। महोदय, इस समय आप पीठासीन हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बिहार का करवा दें, किसने रोका है। मैंने आपको रोका है। प्रश्न पंजाब का है और आप बात कर रहे हैं बिहार की।

श्री प्रकाश चन्द्र : पंजाब का क्या हाल है, उस पर बता दें।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं एग्री नहीं करता हूं। आप सवाल पढ़िए क्या है।

(व्यवधान)

श्री प्रकाश चन्द्र : जो इवेल्यूएशन रिपोर्ट है, वह पंजाब से रिलेटेड है। आप पंजाब के बारे में ही कुछ बदला दें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : माननीय सदस्य ने पंजाब में कृषि सेवा केन्द्रों के बारे में सीधा प्रश्न पूछा है, उसके बारे में यह उत्तर दे सकते हैं।

श्री जे० बेंगल राव : महोदय, ये कृषि केन्द्र कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत आते हैं। हमारे मंत्रालय के अन्तर्गत नहीं। (व्यवधान)

श्री प्रकाश चन्द्र : महोदय, इसका उल्लेख पहले ही प्रश्न में किया गया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं।

श्री एम० अरुणाचलम : माननीय सदस्य, यह प्रश्न कृषि मंत्रालय से पूछ सकते हैं। (व्यवधान)

श्री प्रकाश चन्द्र : नहीं महोदय, उसका उल्लेख पहले ही प्रश्न में किया गया है।

[हिन्दी]

यह तो पदाधिकारियों को देखना है कि प्रश्न किस मिनिस्ट्री से रिलेटड है। यह हम कैसे बता सकते हैं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसे गाड़ी नहीं चलती है।

(व्यवधान),

[अनुवाद]

एक माननीय सदस्य : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के दौरान कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। अगला प्रश्न।

भगवान जगन्नाथ के रथयात्रा उत्सव का सीधा प्रसारण

*313. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रथयात्रा उत्सव का सीधा प्रसारण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा के किन्हीं उत्सवों का सीधा प्रसारण किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार पुरी में भगवान जगन्नाथ के रथयात्रा उत्सव के किसी समारोह अथवा इसके किसी भाग का सीधा प्रसारण करने पर विचार कर रही है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ङ) वर्तमान नीति के अनुसार, दूरदर्शन से सीधा प्रसारण गणतंत्र दिवस परेड, स्वतंत्रता दिवस, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिताओं आदि जैसे राष्ट्रव्यापी महत्व की घटनाओं तक सीमित है। अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक-सांस्कृतिक समारोहों के संबंध में दूरदर्शन पर बाद में प्रसारण के लिए टी० वी० रिपोर्टें तैयार की जाती हैं। रथयात्रा सहित उड़ीसा के उत्सव इसी प्रकार उपयुक्त ढंग से प्रसारित किये जाते हैं।

श्री बृजमोहन महन्ती : क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि उनका 'आदि' शब्द से क्या तात्पर्य है। शब्द 'आदि' उत्तर में लिखा हुआ है। उन्हें स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि उनका 'आदि' से क्या मतलब है? मैं जानना चाहूंगा कि कौन-सी ऐजेन्सी राष्ट्रव्यापी महत्व की

घटनाओं के प्रश्न पर गौर करती है। क्या उस एजेन्सी ने कभी पुरी के रथ यात्रा उत्सव पर विचार किया है ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री एच० के० एल० भगत : मार्ग निर्देश स्वयं मेरे उत्तर में दिये हैं। यह एजेन्सी दूरदर्शन है। जहां तक उड़ीसा के उत्सव के सीधे प्रसारण की बात है, माननीय सदस्य और उड़ीसा के अन्य सदस्यों ने मुझसे कहा था। मैंने अधिकारियों से इस पर गौर करने के लिए कहा था। यह समझा गया कि रथ यात्रा उत्सव का सीधा प्रसारण सम्भव नहीं है क्योंकि हमारे देश में काफी अधिक संख्या में उत्सव होते हैं और दूसरे, पुरी का उत्सव पूरे एक दिन चलता है और 1988 में शायद इसमें दो दिन लगे थे। इसलिए यह फैसला किया गया कि उत्सव के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं का ही शामिल किया जाये। इस समय हमने इसे दिखाने में विशेष मेहनत की थी। इसे एक ही दिन में उड़ीसा के साथ-साथ राष्ट्रीय नेट वर्क पर बहुत अच्छी तरह दिखाया गया। बाद में मुझे राज्य के सूचना मंत्री से एक पत्र मिला जो कि उन्होंने मुझे उड़ीसा के लोगों की ओर से लिखा था। वह कहते हैं "मैं आपको और आपके मंत्रालय के सभी सदस्यों को 5-8-1988 को पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के अच्छे प्रसारण के लिए दार्दिक बधाई देता हूं। भविष्य में भी आपके सहयोग की आशा के साथ मेरी शुभकामनायें"...इसलिए महोदय उसी दिन पहले कटक से उड़ीसा के लिए और फिर राष्ट्रीय प्रसारण पर इसको बहुत अच्छे ढंग से दिखाया गया था। इसे अच्छे ढंग से, पूरी तरह से दिखाया गया था और मंत्री महोदय और अन्य लोगों के द्वारा भी इसकी सराहना की गयी थी। हमारे देश में बहुत से उत्सव होते हैं। उदाहरण के लिए कुंभ मेले को लीजिए। यह काफी बड़ा उत्सव है। उसका भी सीधा प्रसारण नहीं किया जाता है। इसमें कतिपय समस्यायें हैं। इस प्रश्न पर राष्ट्रीय एकता परिषद में भी विचार किया गया था जहां यह राय जाहिर की गई थी कि धार्मिक कार्यक्रम बहुत अधिक दिखाए जाते हैं। इसलिए हम विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं को ही दिखाते हैं और यह पुरी का उत्सव, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, का बहुत अच्छा प्रसारण किया गया था। इसका इतना अच्छा प्रसारण माननीय सदस्य और अन्य सदस्यों तथा उड़ीसा सरकार के प्रयासों की वजह से हो पाया। उन्होंने हमसे सम्पर्क किया और हमने इस संबंध में कदम उठाये।

श्री बृजमोहन महन्ती : महोदय, श्री भगत एक बुद्धिवान मंत्री हैं। प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है। लेकिन उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि यहां कई बुद्धिवान सदस्य भी हैं। वह एक बात भूल जाते हैं। मेरा प्रश्न, सीधे प्रसारण के बारे में है और उन्होंने उड़ीसा के सूचना मंत्री का पत्र पढ़ दिया जोकि प्रासंगिक नहीं है। उन्हें स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि यह एक धार्मिक उत्सव है और इसी वजह से इसका सीधा प्रसारण नहीं हो सकता है। यह मैं समझ सकता हूं। आप भले ही यह रवैया अपनाए लेकिन आप तो यह कहते हैं कि इसमें दो दिन लगे। चाहे इसमें दो दिन लगें लेकिन पहले दिन तो आप सीधा प्रसारण कर सकते हैं। इतना भेदभाव मत रखिए। आप केरल में वल्लमकली उत्सव का तो प्रसारण कर रहे हैं। भगत जी आप बुर्जुग हैं...

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं। ऐसा नहीं कहें। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन महन्ती : वह एक बुजुर्ग तथा होशियार आदमी हैं। उन्हें उड़ीसा के लोगों की आस्था का पूरा ध्यान रखना चाहिए।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : उनके एक भी सफेद बाल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह तो विशेषाधिकार का गंभीर प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष महोदय, इस मामले पर हाफ-एन-आवर डिसकशन करा दीजिए।

[अनुवाद]

श्री बृजमोहन महन्ती : मैंने कहा है कि वह एक बुजुर्ग और होशियार आदमी हैं।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं कि उन्होंने कई मुद्दे उठाये हैं।

आपने मुझे उत्तर देने का निदेश दिया है। मैंने इसे स्वयं अपने मूल उत्तर में बहुत स्पष्ट किया है कि देश में कई धार्मिक उत्सव होते हैं और सभी को दिखाना असम्भव हो जाता है। अतः हम धार्मिक उत्सवों के केवल सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू को ही ले रहे हैं ताकि हम उन्हें दिखा सकें। यही हम कर रहे हैं।

जैसे मैंने कहा था यह सच है कि यह प्रश्न राष्ट्रीय एकता परिषद में उठाया गया था। वहां यह कहा गया था कि टेलीविजन पर धार्मिक कार्यक्रम बहुत अधिक दिखाये जाते हैं। इसी तरह अन्य लोगों के अनुरोध भी हैं। इस देश में कई धर्म हैं। धार्मिक उत्सवों का सीधा प्रसारण असंभव हो जाता है। इस देश में सबसे अधिक धार्मिक उत्सव हैं। मैं भी आस्था रखता हूं। मैं पुरी के मंदिर में दो बार गया लेकिन वह अलग बात है। अतः मैंने नीति स्पष्ट कर दी है। जैसे कि मैंने कहा था इसका प्रसारण उनके प्रयासों की वजह से बहुत अच्छा हुआ है।

जहां तक यह बात है कि मैं बुजुर्ग हूं या नहीं, यह तो अपने-अपने दिल की बात है। उसके लिए मैं समझता हूं कि आप सबसे अच्छे निर्णायक हैं। मुझे इसका सभा में खुलासा नहीं करना चाहिए।

श्री बृजमोहन महन्ती : महोदय, यदि माननीय मंत्री समझते हैं कि वह जवान है तो मैं माफी मांगता हूं।

श्री रणजीत सिंह गायकवाड : महोदय, हमारे नौजवान सूचना और प्रसारण मंत्री ने हमें बताया है कि धार्मिक उत्सवों को दूरदर्शन पर अधिक प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए। विभिन्न धार्मिक उत्सव हमारी अपनी भारतीय संस्कृति के अभिन्न तथा महत्वपूर्ण अंग हैं। हमारे देश के भिन्न-भिन्न भागों के लोगों को यह सिखाने के लिए कि दूसरे भागों के लोग कैसे रहते हैं उनकी क्या संस्कृति है—उनका क्या धर्म है, मैं समझता हूं कि हमारे देश में जो विभिन्न धार्मिक पहलू हैं उन्हें दिखाना बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए गुजरात में आदिवासी मेला होता है जिसे कभी भी प्रसारित नहीं किया गया है। मैं टेलीविजन पर पहले से बनाई गई फिल्म को दिखाने का बुरा नहीं मानता हूं। गुजरात और देश के अन्य भागों में जहां ताजिया निकाला है, यह भिन्न-भिन्न तरह से निकाला जाता है। यह भी दिखाया जाना चाहिए। इसीलिए मैं अपने नौजवान मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि धार्मिक समारोहों को दिखाने में आपत्ति क्यों है। यह तो हमारे जीवन और संस्कृति के हिस्से हैं।

श्री एच० के० एल० भगत : माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उठाया है। जहां तक देश के

सांस्कृतिक पहलुओं की बात है विभिन्न धर्म संस्कृति को चित्रित करते हैं और हम इस सांस्कृतिक पहलू को चित्रित करते हैं। हम धार्मिक कर्मकाण्ड को चित्रित नहीं करते हैं। शायद आप यह समझते हैं कि धार्मिक कर्मकाण्ड स्वयं संस्कृति का भाग हैं।

जैसे कि मैंने कहा था हमारे यहां कई धर्म हैं। हमने इस देश को धर्मनिरपेक्ष देश बनाया है। हमारा देश धार्मिक आस्थाओं का देश है। परन्तु हम इस बात को नहीं मानते हैं कि देश का अपना कोई विशेष धर्म है।

यहां कई धर्म हैं और कितने ही धार्मिक कर्मकाण्ड हैं। इसलिए वार्षिक अनुष्ठानों को नहीं दिखाया जाता है। हम इन चीजों को सामाजिक और सांस्कृतिक घटनाओं के रूप में दिखा रहे हैं।

मैं इस बात पर पूरी तरह से उनके साथ हूं कि सभी सांस्कृतिक घटनाओं—विशेष रूप से आदिवासियों से सम्बद्ध—को दिखाया जाना चाहिए बशर्ते कि इनके लिए समय उपलब्ध हो। मैंने दूरदर्शन को जितना अधिक हो सके इन चीजों पर ध्यान देने के लिए कहा है। इन पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि गुजरात से कोई विशेष समारोह है तो वह इसे मेरे ध्यान में ला सकते हैं। सैद्धान्तिक रूप में हम धार्मिक अनुष्ठानों को नहीं दिखाते हैं लेकिन हम उनके सामाजिक तथा सांस्कृतिक पहलुओं को उभारते हैं।

मैं यह कहते हुए समाप्त करना चाहता हूं कि पिछले चार वर्षों के दौरान इस इलेक्ट्रानिक माध्यम के जरिये तथा राष्ट्रीय उत्सवों और अन्तर्राष्ट्रीय उत्सवों के जरिये भारतीय संस्कृति को पहले से कहीं अधिक उजागर किया गया है।

जम्मू और काश्मीर में जल विद्युत परियोजना की स्थापना

*315. **श्री पी० एम० सईद**: क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर राज्य में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए झेलम और सिन्धु नदियों के बेसिनों में जल विद्युत उत्पादन क्षमता का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं की रूपरेखा तथा अन्य ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पर कुल कितनी लागत आने का अनुमान है और परियोजनाएं कब तक पूरी हो जायेंगी; और

(घ) इस प्रकार से पैदा की जाने वाली बिजली से किन-किन राज्यों को लाभ पहुंचेगा ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रमुख जल विद्युत स्कीमों के बारे में किए गए अध्ययनों के अनुसार सिन्धु तथा झेलम बेसिन में 60% भार अनुपात पर क्रमशः 1205 मे०वा० और 1632 मे०वा० की जल विद्युत शक्यता उपलब्ध होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) और (ग) जम्मू और काश्मीर के सिन्धु तथा झेलम बेसिन में पांच प्रमुख जल विद्युत स्कीमें हैं जिनमें 155 मेगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता प्रचालनाधीन है। जम्मू और कश्मीर के सिन्धु तथा झेलम बेसिन में निर्माणाधीन/स्वीकृत जल विद्युत स्कीमों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

परियोजना का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (करोड़ रु०)	चालू करने की संभावित तारीख/ अद्यतन स्थिति
सिन्धु बेसिन			
कारगिल	3 × 1.25	13.37	1990-91
झेलम बेसिन			
अपर सिन्ध चरण-दो	2 × 35	148.82	1990-91
पहलगांव	2 × 1.5	10.48	1993-94
उड़ी	4 × 120	753.98	8वीं योजना के बाद
कारनाह	2 × 1	12.33	1989-90
अपर सिन्ध चरण-2 (विस्तार)	1 × 35	20.69	8वीं योजना

*केन्द्र क्षेत्र की परियोजना।

जम्मू और कश्मीर के सिन्धु तथा झेलम बेसिन में उन जल विद्युत स्कीमों, जिनकी जांच की जा रही है और अन्वेषण कार्य किये जा रहे हैं, का ब्यौरा इस प्रकार है :—

बेसिन	जांच की जा रही है		अन्वेषण	
	स्कीमों की संख्या	क्षमता (मे०वा०)	स्कीमों की संख्या	क्षमता (मे०वाट)
सिन्धु	1	3.00	1	30.00
झेलम	5	159.10	8	907 00

(घ) केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत क्रियान्वित परियोजनाओं से उत्तरी क्षेत्र के विभिन्न राज्यों को लाभ, इस प्रकार की परियोजनाओं की विद्युत में हिस्सेदारी के लिए निर्धारित केन्द्रीय फार्मूले के अनुसार प्राप्त होंगे।

श्री पी० एम० सईद : महोदय, माननीय मंत्री ने काफी विस्तारपूर्वक ब्यौरा दिया है। मैं समझता हूं कि कुछ भी शेष नहीं रह गया है। फिर भी मुझे उन द्वारा दिए गए आंकड़ों तथा 2 जुलाई को 'हिन्दू' समाचारपत्र में प्रकाशित आंकड़ों पर सन्देह है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी कथन यह है कि 6000 करोड़ रुपये तक का निवेश होगा और उन्होंने इसका ब्यौरा भी दिया है। उन्होंने 8वीं योजना में ही संभावित योजनाओं का पता लगाया है और वे 4000 करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं। यह तो सरकारी कथन है जिसे अधिकारियों ने कहा और 'हिन्दू' समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ। क्या यह सच है कि इस समय चल रही योजनाओं तथा अगली योजना में मंजूर

योजनाओं पर 4000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे ? यह तो काफी महत्वकांक्षी तथा अत्यधिक राशि है। मैं नहीं जानता कि यह संभव अथवा व्यवहार्य होगा। क्या माननीय मंत्री यह स्पष्ट करेंगे कि क्या समाचारपत्र द्वारा कही गई बात ठीक है या उन द्वारा दूसरे भाग भाग (ख) और (ग) में दिया गया उत्तर ठीक है ?

उर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : थोड़ी भ्रान्ति हुई है। माननीय सदस्य का प्रश्न जम्मू और कश्मीर क्षेत्र तक सीमित था जिसके तहत वह केवल सिन्धु बेसिन के बारे में जानकारी चाहते थे। लेकिन यदि आप चेनाव नदी को भी लें तो परियोजनाएं काफी बड़ी हैं तथा जम्मू और काश्मीर के लिए प्रासंगिक भी हैं। इसके अलावा, उत्तर क्षेत्र में चमेरा जैसी कुछ परियोजनाओं से जम्मू और कश्मीर क्षेत्र को परोक्ष रूप में भी लाभ मिलता है। माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित रिपोर्ट के बारे में मैं कुछ नहीं जानता और न ही मैंने इसे पढ़ा है। लेकिन यदि हम बागेहर, सावनकोट, सलार 2, चेनाव 2 और 3 तथा नई राजौरी जैसी परियोजनाओं को लें तो इनसे लगभग 1500 मेगावाट तक विद्युत प्राप्त होती है। इन परियोजनाओं जिनका मैंने उल्लेख किया है, की लागत 2000 करोड़ लगभग रुपये होगी। इस प्रकार यदि आप सम्पूर्ण क्षेत्र को लें तो निवेश काफी होगा और भी काफी है। इन परियोजनाओं की शिनाख्त हो चुकी है और हम इन परियोजनाओं पर संभावित क्षमता 8वीं और 9वीं योजनाओं में कार्यवाही करना चाहते हैं।

श्री पी० एम० सईद : जहां तक केन्द्रीय जल आयोग की जांच का सम्बन्ध है, यह बताया गया था कि दस हजार मेगावाट जल-विद्युत पैदा की जाएगी और 6000 करोड़ रुपये व्यय होंगे जैसा कि मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं। इतनी बड़ी राशि निवेश करने के बाद क्या जम्मू और कश्मीर क्षेत्र की मांग पूरी हो जाएगी ? उन्हें 8वी योजना के अन्त तक कुल कितने यूनिट विद्युत चाहिए ? इन योजनाओं के पूरा होने के बाद उनके पास विद्युत में अधिकता अथवा कमी कितनी होगी ? यदि अतिरिक्त विद्युत होगी तो इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर किन राज्यों को यह उर्जा मिलेगी।

श्री वसन्त साठे : जहां तक जम्मू और कश्मीर क्षेत्र, विशेषकर कश्मीर घाटी का सम्बन्ध है, 8वीं योजना के अन्त तक इसे इसकी आवश्यकता के अनुसार पूरी बिजली मिलेगी। मैं जानबूझकर जम्मू और काश्मीर घाटी को अलग कर रहा हूं घाटी में वास्तविक कठिनाई इसलिए हो रही है क्योंकि किशनगंज से दुलहस्ती की ट्रांसमिशन लाइन निर्माणाधीन है। हम इसे पूर्णतया तैयार करने के लिए एक सोवियत दल को पहले ही ठेका दे चुके हैं और हम इसे पहले पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। सामान्यत: यह 1992 तक पूरी हो जाएगी लेकिन हम यह प्रयास कर रहे हैं कि यह इससे भी पहले पूरी हो जाए। आज घाटी में अधिकतम मांग के समय भी लगभग 300 मेगावाट की जरूरत पड़ती है। इस लाइन का निर्माण पूरा होते तक यह माग बढ़ कर 400 मेगावाट हो जाएगी। सलाल से घाटी को संचारित होने वाली विद्युत 700 मेगावाट से अधिक होगी। इस प्रकार घाटी की आवश्यकता पूर्ण हो जाएगी और वास्तव में अतिरिक्त विद्युत होगी।

उड़ी परियोजना पर कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। हमें आशा है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष तक अथवा सम्भवत: 8वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उड़ी परियोजना पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार घाटी के निकट ही 500 मेगावाट विद्युत उपलब्ध हो जाएगी। इन दोनों ट्रांसमिशन लाइनों—एक तो सलाल से आने वाली और दूसरी उड़ी से आने वाली—से सप्लाई इतनी अधिक होगी कि घाटी में इसकी खपत पूर्णतया नहीं हो सकेगी और पंजाब, दूसरी हरियाणा

राजस्थान, दिल्ली, इत्यादि अन्य उत्तरी राज्यों को देना पड़ेगा। यह विद्युत इन राज्यों में वितरित होगी। इसकी क्षमता काफी अधिक है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : इस समस्या के दो पहलू हैं; एक तो लघु अवधि की आवश्यकताएं और दूसरा दीर्घ अवधि की आवश्यकताएं। दीर्घ अवधि की आवश्यकताओं के बारे में माननीय मंत्री की अपनी विचारधारा है और वह अच्छा कार्य कर रहे हैं। जहां तक दीर्घ अवधि की परियोजनाओं का सम्बन्ध है।

[हिन्दी]

मैं एक शायर का शेर सुनाता हूं "कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक।"

[अनुवाद]

लेकिन मैं लघु अवधि की आवश्यकताओं के प्रति अधिक चिंतित हूं। अध्यक्ष महोदय, फिलहाल स्थिति यह है कि हमारे यहां विद्युत नहीं है। माननीय मंत्री ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि इस समय घरेलू खपत 300 मेगावाट है। इसी से भविष्य अंधकारमय प्रतीत होता है। हम उद्योग मंत्रालय को पहले ही परियोजनाएं दे चुके हैं। हम वहां पर लघु उद्योग चाहते हैं। इसलिए हमारी आवश्यकताएं 300 मेगावाट से अधिक हो जाएगी। हमारे यहां विद्युत उत्पादन की काफी क्षमता है, आपको केवल यह कार्य करना है कि इसका उपयोग करें। हम जानते हैं कि वहां पर ट्रांसमिशन लाइन नहीं है, इसलिए कश्मीर घाटी के लोग सलाल से उत्पन्न बिजली का लाभ नहीं ले सके। इस समय, कश्मीर घाटी विद्युत की गंभीरतम कमी का सामना कर रही है। सर्दी आ रही है और हम जानते हैं कि तब भी ऐसा ही होगा। जहां तक उड़ी का सम्बन्ध है, यह दुलहस्ती का रूप धारण कर रहा है क्योंकि इसकी प्रगति बहुत धीमी है। इसलिए उड़ी परियोजना के सम्बन्ध में आप हमें क्या आश्वासन दे सकते हैं?

श्री बसंत साठे : जवाब भी देने दो नहीं तो आपकी जुल्फ भी वह हो जायेगी, मैं तो चाहता हूं कि आप जीते रहो। फौरन प्रॉबलम साल्व करने के लिए गैस बेस प्रोजेक्ट जो है हम आपको अक्तूबर में करीब 75 मेगावाट देने जा रहे हैं। इस वक्त आपको विंटर में कोई तकलीफ नहीं होगी। 100 मेगावाट के लगा रहे हैं जिसमें से 50 मेगावाट आपको अगले विंटर में मिल जायेगा और अगले दिसम्बर में आपको हम बाकी पचास यानि 100 मेगावाट के देंगे जिससे आने वाली सर्दियों में वहां लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में गलियों में बत्ती लगाना

[हिन्दी]

*305. **श्री भरत सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में गलियों में बत्ती लगाने की व्यवस्था करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो नांगलोई से टीकरी बोर्डर तक, नांगलोई से ढांसा बार्डर तक, नजफगढ़

से उत्तम नगर तक और मंगोलपुर से कुतुबगढ़ तक सड़कों पर बत्ती लगाने की व्यवस्था कब तक दी जाएगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान, संबंधित विभाग/सड़क स्वामित्व वाले अभिकरणों के विशेष अनुरोध पर लागत की पूर्ण अदायगी करने पर सड़क रोशनी उपलब्ध करवाता है। नांगलोई से टीकरी बार्डर तक सड़क के लिए सड़क रोशनी स्कीम को लोक निर्माण विभाग, दिल्ली प्रशासन से पूर्ण अदायगी प्राप्त होने पर निष्पादित किया जाएगा।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने उत्तम नगर तथा नजफगढ़ के मध्य सड़क पर सड़क रोशनी उपलब्ध करवाने के लिए एक स्कीम भी तैयार की है जिसका प्रयोजन तथा वित्त पोषण दिल्ली नगर नियम द्वारा किया जाना है। कार्य के मार्च, 1990 तक पूरा हो जाने की संभावना है, बशर्ते दिल्ली नगर निगम सड़क के कुछ भागों पर सैंट्रल वर्ज का निर्माण कर दें।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को नांगलोई से ढासा बार्डर तथा मंगोलपुर से कुतुबगढ़ तक सड़क रोशनियां उपलब्ध करवाने के लिए संबंधित प्राधिकारियों से कोई भी अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

घटिया किस्म के जूते-चप्पलों का निर्माण

[अनुवाद]

*306. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में भारी संख्या में प्लास्टिक निर्माता घटिया किस्म के जूते चप्पलों का उत्पादन करके जनता को लूट रहे है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन पर गुणवत्ता नियंत्रण उपबंध लागू करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० बेंगल राव) : (क) से (ग) भिन्न-भिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए भिन्न-भिन्न मूल्य/क्वालिटी के प्लास्टिक जूते-चप्पल बनाये जाते हैं, अत: ये अलग-अलग क्वालिटी के होते हैं।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कर्मचारियों की बिजली का करंट लगने से मृत्यु

*307. **श्रीमती प्रभावती गुप्त** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कितने कर्मचारियों की बिजली का करंट लगने से मृत्यु हुई;

(ख) इस प्रकार की घटनाओं के कारण क्या हैं;

(ग) मरने वालों के परिवारों को अब तक कितनी राशि का मुआवजा तथा अन्य लाभ दिए गए हैं; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं।

ऊर्जा मंत्रालय के विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) विगत दो वर्षों के दौरान मुख्यत: पैनलों में फ्लैश-ओवर, बैक-फीड सप्लाई/भार पथांतरण, अथवा गलती से विद्युन्मय पुर्जों को छू लेने के परिणामस्वरूप दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के 12 कर्मचारियों का बिजली करंट से निधन हुआ है।

(ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के मृतक कर्मचारियों को दी गई मुआवजे की राशि वर्कमैन मुआवजे के रूप में लगभग 51,000 रुपये से 73,000 रुपये तक भिन्न-भिन्न है, इसके अलावा जनता वैयक्तिक दुर्घटना बीमा स्कीम के अंतर्गत 15,000 रुपए की राशि का लाभ भी दिया गया है। यह मुआवजा सामान्य पैंशन सम्बन्धी लाभों से अतिरिक्त रूप में दिया गया है, यह भी प्रावधान है कि मृतक कर्मचारी के आश्रितों में से एक पात्र सदस्य को अनुरोध करने पर अनुकम्पा आधार पर नौकरी दे दी जाती है।

(घ) दि० वि० प्र० संस्थान पर्याप्त संख्या में गार्ड उपलब्ध करवा कर, वितरण प्रणाली में अगर कोई कमजोर बिन्दू हो उसे हटाकर तथा वैद्युत प्रतिष्ठानों आदि के भू-संपर्कन की जांच करके विद्यमान शिरोपरि प्रणाली की सुरक्षा कर रहा है। सुरक्षा-संहिता का अनुपालन करने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं। लाइन स्टाक को उन्हें ड्यूटी के दौरान बरती जाने वाली सुरक्षा सावधानियों से अवगत करवाने के लिए प्रशिक्षण/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं।

एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों का भरा जाना

*3:2. **श्री हरेन भूमिज :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद भर लिए गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो 1 जुलाई, 1989 को स्थिति के अनुसार उक्त प्रत्येक कम्पनी में श्रेणीवार कितने पद खाली पड़े थे; और

(ग) आरक्षित पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कुछ रिक्तियां, इन समुदायों से उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण भरी नहीं जा सकी।

(ख) 1 जुलाई, 1989 की स्थिति के अनुसार, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स में आरक्षित रिक्तियों, जिन्हें भरा नहीं जा सका, की संख्या, श्रेणीवार दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) पिछले आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स दोनों ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को लेने के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू किये हैं। रोजगार कार्यालयों को रिक्तियां भेजी गई हैं और अधिक प्रचार देने की

दृष्टि से समाचार-पत्रों में विशेष विज्ञापन दिए गए हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संबंधित क्षेत्रों में विशेष दल भी भेजे गए हैं। ऐसे क्षेत्रों में जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों ने पर्याप्त संख्या में विज्ञापनों के आधार पर आवेदन किया है वहां पर परीक्षाएं/साक्षात्कार भी किए जा रहे हैं।

विवरण

1 जुलाई, 1989 की स्थिति के अनुसार एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स में खाली आरक्षित पद

क्र०सं०	पद की श्रेणी	खाली आरक्षित पद	
		अनु० जा०	अनु० जनजाति
1	2	3	4
	(क) एअर इण्डिया		
1.	प्रणाली इंजीनियर	—	4
2.	उप-मैनेजर	1	—
3.	अनुरक्षण इंजीनियर	—	1
4.	को-पायलट	10	5
5.	जूनियर सिमुलेटर अनुरक्षण	—	1
6.	विमानचालक प्रशिक्षणार्थी	—	2
7.	सहायक लेखा अधिकारी	2	1
8.	स्टेशन मैनेजर	1	—
9.	मैनेजमेंट ट्रैनी	—	1
10.	कनिष्ठ तकनीकी आफीसर (ट्रैनी)	10	8
11.	कनिष्ठ तकनीकी आफीसर	1	2
12.	सहायक अनुरक्षण इंजीनियर-III	5	2
13.	आशुलिपिक	1	3
14.	स्टोर कीपर	—	3
15.	टाइपिस्ट/क्लर्क	1	1
16.	एकाउन्ट क्लर्क	—	1
17.	कैटरिंग सहायक	—	1
18.	जूनियर सिक्योरिटी सहायक	—	1
19.	फार्मिस्ट	1	—
20.	एयरक्राफ्ट तकनीशियन	2	1

1 2	3	4
21. ट्रेनी तकनीशियन	4	3
22. एप्रेन सुपरवाइसर	1	—
23. जूनियर आपरेटर	—	1
24. ड्राईवर	1	1
25. सहायक कुक	—	1
26. वेंडर	1	—
27. क्लीनर	2	2
28. सिक्युरिटी गार्ड	—	1
29. लोडर	—	5
30. इंस्पेक्टर	—	1
जोड़	44	53
(ख) इन्डियन एयरलाइन्स		
1. कार्मिक आफीसर	1	—
2. यायातात आफीसर	4	2
3. योजना आफीसर	1	—
4. लेखा/लेखा परीक्षा	3	2
5. भण्डार और क्रय अधिकारी	1	—
6. ट्रांसपोर्ट अधिकारी	—	1
7. चिकित्सा अधिकारी	—	1
8. सहायक एयर क्राफ्ट इंजीनियर	9	4
9. तकनीकी अधिकारी	5	3
10. ट्रैनिंग आफीसर (तकनीशियन)	3	1
11. सहायक सिविल इंजीनियर	—	1
12. एफ० एस० एम० ई०	—	1
13. सहायक संयंत्र इंजीनियर	4	5
14. सहायक तकनीकी अधिकारी	4	4
15. कम्प्यूटर अधिकारी (तकनीकी)	5	2

1	2	3	4
16.	औद्योगिक इंजीनियर	1	1
17.	फर्स्ट आफीसर	31	16
18.	वरिष्ठ दिक्चालन अनुदेशक	2	1
19.	दिकचालन निष्पादन और मानक/सिन/ उड़ान प्रशिक्षण अनुदेशक	1	—
20.	वरिष्ठ तकनीकी अनुदेशक	2	1
21.	विमान परिचालिका	—	11
22.	उड़ान पर्सर	7	5
23.	तकनीशियन (सभी ट्रैड)	76	75
24.	प्रशिक्षु तकनीशियन	5	22
25.	तकनीकी सहायक	—	4
26.	संयंत्र तकनीशियन (सभी ट्रैड)	1	10
27.	एम० टी० मैकेनिक (सभी ट्रैड)	3	3
28.	बढ़ई/दर्जी/नल साज	—	1
29.	ओवरसीयर/अनुवादक	—	4
30.	आशुलिपिक (इंगलिश/हिन्दी)	7	4
31.	आफिस सहायक/टाइपिस्ट (हिन्दी/ इंगलिश)	5	9
32.	लेखा/लेखा परीक्षा सहायक	2	2
33.	यातायात सहायक	5	20
34.	भण्डार और क्रय सहायक	2	7
35.	परिचालन ससायक	1	2
36.	ग्रुप ई (सेक०/ट्रांसपोर्ट/कैटरिंग सहायक/ टेलीफोन आपरेटर	2	10
37.	ग्रुप एफ (फार्मासिस्ट/लायब्रेरी सहायक/ रिसेपशनिस्ट/नक्शा नवीज)	3	3
38.	जूनियर आपरेटर	12	6
39.	ड्राईवर	—	7

1	2	3	4
40.	लोडर	2	9
41.	सिक्यूरिटी गार्ड	—	4
42.	दफ्तरी/डुप्लीकेटिंग आपरेटर	—	1
43.	चपरासी/फराश	2	3
44.	हेल्पर (इंजीनियरी)	—	3
45.	हेल्पर (भण्डारण)	1	—
46.	हेल्पर (एम०टी०)	1	4
47.	हेल्पर (कैटरिंग)	1	2
	कुल	221	277

मध्य प्रदेश में होटलों का निर्माण

*314. **श्री परसराम भारद्वाज :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के कितने होटलों का निर्माण किया गया;

(ख) क्या सरकार का मध्य प्रदेश में और अधिक होटलों, यूथ होस्टलों तथा यात्री निवासों का निर्माण करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) भारत पर्यटन विकास निगम ने पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में अपना कोई नया होटल नहीं बनाया है। तथापि, 19-11-1972 को मध्य प्रदेश में खजुराहो में भारत पर्यटन विकास निगम के एक 3 सितारा होटल को स्थापित/चालू किया गया था। इस समय भारत पर्यटन विकास निगम भोपाल में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के सहयोग 47 कमरों वाला एक 3 सितारा संयुक्त उद्यम होटल का निर्माण कर रहा है। इस होटल के इसी वर्ष चालू हो जाने की आशा है।

भारत पर्यटन विकास निगम की 1989-90 की वार्षिक योजना में देश में किसी नए होटल निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

इस समय मध्य प्रदेश राज्य में यात्री निवास के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केन्द्रीय युवा कार्य एवं खेल विभाग ने 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को 4 यूथ होस्टलों का आबंटन किया है। इन यूथ होस्टलों के निर्माण हेतु धन की स्वीकृति राज्य सरकार को भोपाल में इन यूथ होस्टलों का प्रशासकीय नियंत्रण केन्द्रीय युवा

कार्य और खेल विभाग को अन्तरित करने के पश्चात तथा राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक यूथ होस्टल के लिए 2 से 3 एकड़ उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराए जाने के बाद की जाएगी।

पेट्रोल में सीसे की मात्रा

*316. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न तेल शोधक कारखानों द्वारा पेट्रोल में मिलाए जाने वाले सीसे की मात्रा में अत्यधिक अन्तर रहता है जिसके कारण प्रयोक्ताओं के लिए स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का पेट्रोल में सीसे के योगिकों का मिलाना तत्काल बंद करने का विचार है जैसा कि अनेक विकसित देशों में किया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) विभिन्न रिफाइनरियों में मोटर स्प्रिट में सीसे की मात्रा में वृद्धि हाई आक्टेन ब्लेण्डिंग उपकरणों की उपलब्धता और क्षेत्र में होने वाली मांग पर निर्भर करती है। तथापि मोटर स्प्रिट में सीसे की मात्रा 0.56 ग्राम प्रति लीटर की अधिकतम वर्तमान बी० आई० एस० विशिष्टता के अन्दर ही है। वस्तुत: कुछ रिफाइनरियों में सीसे की मात्रा 0.2 ग्राम प्रति लीटर से कम है। यह भी निर्णय लिया गया है कि मोटर स्प्रिट में सीसे की विशिष्टता को सितम्बर, 1992 से घटाकर अधिक से अधिक 0.15 ग्राम प्रति लीटर कर दिया जाएगा।

सोवियत संघ द्वारा अशोधित तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई

*317. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने सोवियत संघ से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अशोधित तेल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई की मात्रा बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो सोवियत संघ भारत को इनकी कितनी अतिरिक्त मात्रा सप्लाई करने के लिए सहमत हो गया है;

(ग) क्या सोवियत संघ ने भारत से करनाल और मंगलूर तेलशोधक कारखानों को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) क्या देश में मांग को पूरा करने के लिए कोई वैकल्पिक प्रबन्ध भी किए गए हैं; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) सोवियत संघ और भारत के बीच 1988 के लिए वार्षिक व्यापार योजना में 4.00 मिलियन टन कच्चे तेल और 2.5 मिलियन टन पेट्रोलियम उत्पादों के आयात की व्यवस्था थी। सोवियत संघ की सरकार के साथ बातचीत के फलस्वरूप 1989 के लिए वार्षिक व्यापार योजना में कच्चे तेल

की मात्रा को बढ़ाकर 4.5 मिलियन टन और पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा को 2.85 मिलियन टन कर दिया गया ।

(ग) और (घ) केवल करनाल रिफाइनरी परियोजना के लिए ही सोवियत सहायता का प्रस्ताव है तथा मंगलूर रिफाइनरी में सोवियत संघ को शामिल करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है । भारत और सोवियत संघ की सरकार के बीच अंतर-सरकारी करार के अनुसरण में सोवियत संगठन मैसर्स टैकमाशी इम्पोर्ट ने करनाल रिफाइनरी के लिए टर्नकी आधार पर संशोधित पेशकश प्रस्तुत की थी। इस पेशकश पर सोवियत पक्ष के साथ आगे बातचीत की जानी है ।

(ङ) कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की मांग और घरेलू उत्पादन के बीच अंतर को पूरा करने के लिए सोवियत संघ सहित विभिन्न साधनों से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 17.96 मिलियन टन कच्चा तेल और 6.64 मिलियन टन पेट्रोलियम उत्पादों के आयात का प्रस्ताव है ।

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि० की ताप विद्युत उत्पादन योजना का विस्तार

*318. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि० की ताप विद्युत उत्पादन योजना का और अधिक विस्तार करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की थर्मल पावर स्टेशन-II की विस्तार किए जाने की परियोजना, जिसमें प्रत्येक 210 मे० वा० की 4 यूनिटों को जोड़कर जिसकी 630 मे० वाट की क्षमता को 1470 मे० वाट बढ़ा दिया जाएगा, विचाराधीन है । इस परियोजना की स्वीकृत पूंजी लागत 1016.80 करोड़ रुपए है । इस परियोजना की पहली यूनिट के नवम्बर, 1990 में चालू हो जाने और बाद की यूनिटों के इसके बाद 9 महीने के अंतराल से चालू हो जाने की संभावना है ।

थर्मल पावर स्टेशन-II चरण-I (शून्यांकन यूनिट) में जोड़े जाने वाली 210 मे० वाट की एक अतिरिक्त यूनिट को 397.26 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत पर स्वीकृत दे दी गई है । इस यूनिट के वर्ष 1992 में चालू हो जाने की संभावना है ।

नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की भविष्य की योजनाओं में निम्नलिखित नई विद्युत परियोजनाएं शामिल हैं :

परियोजना का नाम	क्षमता	वर्तमान अनुमानित लागत
तमिलनाडु, नेयवेली में प्रथम थर्मल पावर स्टेशन में 2 × 210 मे० वा० की यूनिटों की वृद्धि	2 × 210 मे० वा०	रु० 732 करोड़
राजस्थान के बीकानेर जिले में बारसिंघसर थर्मल पावर स्टेशन	2 × 120 मे० वा०	रु० 496 करोड़
तमिलनाडु नेयवेली में तीसरा थर्मल पावर स्टेशन	3 × 500 मे० वाट०	रु० 2254 करोड़

क्षय रोग-रोधी औषधियों से संबंधित मसलों की जांच के लिए उच्च शक्ति प्राप्त समिति

*319. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षयरोग-रोधी औषधियों से संबंधित मसलों की जांच करने के लिए औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो के सदस्य (वित्त) की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं तथा इसके निर्देश पद क्या हैं; और

(ग) इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी तथा प्रत्येक निर्देश पद के मामले में इसके क्या निष्कर्ष हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, हां।

(ख) समिति के सदस्य निम्नलिखित थे :

1. श्री एस० एन० चट्टोपाध्याय, सदस्य (वित्त), बी० आई० सी० पी० — अध्यक्ष
2. श्री एल० के० मल्होत्रा, निदेशक (पी० आई), रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग — सदस्य-संयोजक
3. श्री के० वेंकटरामनन, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक' आई० डी० पी एल०। — सदस्य
4. डा० आर० वी० रेड्डी, मुख्य महाप्रबन्धक, राज्य व्यापार निगम — सदस्य

इसके विचारार्थ विषय रिफाम्पिसिन के मूल्य निर्धारण के बारे में सरकार को प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करना था।

(ग) इस समिति ने मई, 1989 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने सरकार से सिफारिश की वह बी० आई० सी० पी० की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए रिफाम्पिसिन प्रपुंज औषध के संशोधित मूल्य निर्धारित करे।

भाखड़ा, पोंग तथा धौन बांधों को क्षति

*320. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1988 के अन्तिम सप्ताह में भारी वर्षा और बाढ़ के कारण भाखड़ा, पोंग तथा धौन बांधों को कोई क्षति पहुंचने की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में हुई क्षति का ब्यौरा क्या है और उनकी मरम्मत पर विचार व्यय करना पड़ेगा;

(ग) क्या इन बांधों के संबंध में सभी सुरक्षा विनियमों और अपेक्षाओं का पालन किया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और प्रत्येक मामले में इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) सितम्बर, 1988 की भारी वर्षा तथा बाढ़ के कारण भाखड़ा तथा पोंग बांधों की संरचना को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। थीन बांध की संरचना का अभी तक निर्माण ही नहीं हुआ है। अतः सितम्बर, 1988 की भारी वर्षा तथा बाढ़ के कारण क्षति का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रम की उपलब्धियों का मूल्यांकन

*321. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्ष के दौरान राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सौहार्द उत्पन्न करने तथा राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में जागरूकता पैदा करने की दिशा में दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रम की उपलब्धियों का मूल्यांकन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस विषय पर कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि 15 अगस्त, 1982 से राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारम्भ किए जाने के बाद तीन वर्षों में तीन बड़े राष्ट्रीय सर्वेक्षण किए गये। जून, 1983 में किए गए ऐसे एक सर्वेक्षण से पता चला कि दर्शकों के विचार में "राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रारम्भ किया जाना राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्व-पूर्ण कदम है।"

रिफेम्पिसिन फार्म्यूलेशन की बिक्री पर निर्दिष्ट से अधिक लाभ

*322. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सन 1979 से 1983 की अवधि के दौरान कई औषध कम्पनियों के रिफेम्पि-सिन फार्म्यूलेशन की बिक्री पर निर्दिष्ट से अधिक लाभ कमाया था;

(ख) क्या सरकार ने उनसे इस धन को जमा कराने के लिए कहा है;

(ग) यदि हां, तो इन कम्पनियों की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) इस धन को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जहां तक जानकारी उपलब्ध है, डी० पी० सी०

ओ०, 1979 के पैरा 7(2) के अन्तर्गत वसूली योग्य राशियों और उनसे प्राप्त राशियां संलग्न विवरण में दी जाती हैं।

(ख) इन कम्पनियों को 1984-87 की अवधि के दौरान नोटिस जारी किये गये थे।

(ग) निर्धारण के विरुद्ध सूत्रयोग निर्माताओं की ओर से निम्नलिखित दलीलें संक्षेप में पेश की गई हैं :—

1. 1984 के पश्चात् औषधों की कीमतों में हुई वृद्धि को गणना में नहीं लिया गया था।
2. कम दरों पर सूत्रयोगों की बिक्री द्वारा उपभोक्ताओं को दिए जा चुके लाभ की तुलना में क्षतिपूर्ति।
3. काफी लम्बी अवधि तक औषधों के मूल्यों में संशोधन न किये जाने से हुई हानि के लिए क्षतिपूर्ति।
4. पैकिंग सामग्री आदि के मूल्यों में वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति दी जाये।
5. डी० पी० सी० ओ०, 1979 के पैरा 7 की वैधता को चुनौती दी जाती है।

(घ) सरकार ने एक दल का गठन किया था जिसने विभिन्न औषध विनिर्माताओं या औषध उद्योग संघों से सरकार को प्राप्त अभ्यावेदनों की जांच करने के पश्चात् डी० पी० सी० ओ०, 1979 के पैरा 7(2) के अन्तर्गत सूत्रयोग विनिर्माताओं के विरुद्ध उत्पन्न होने वाले दावों के मामले में समान रूप से लागू होने वाले सुझाव सरकार को दिये। इस वसूली के लिए आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही इन सिफारिशों की जांच के पश्चात् की जायेंगी।

विवरण

डी० पी० सी० ओ०, 1979 के पैरा 7(2) के अन्तर्गत देय एवं अस्थाई रूप से निर्धारित की गई राशियों के ब्यौरे

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	अंतर्ग्रस्त अवधि	अस्थाई रूप से निर्धारित की गई राशि (लाख रु० में)	प्राप्त की गई राशि (लाख रु०)
1	2	3	4	5
	रिफाम्पिसिन			
1.	बायोकेम फार्मास्यूटिकल्स	3/79 से 3/84	34.28	—
2.	लायका लैब्स	4/79 से 3/84	57.57	5.70
3.	अल्ट्रा आई० डी०एल० लि०	82-83 से 5/84	24.11	2.41
4.	माइक्रो लैब्स	79-80 से 82-83	2.24	—

1	2	3	4	5
5.	थेमिस केमिकल्स लि०	82-83 से 83-84	36.31	—
6.	एलेम्बिक केम लैब्स	81-82 से 83-84	38.73	3.80
7.	बोम्बे ड्रग हाउस	80-81 से 83-84	1.73	—
8.	फार्मेड प्रा० लि०	79-80 से 83-84	66.01	—
9.	डोल्फिन लैब्स	1979 से 1983	18.11	—
10.	अल्बर्ट डेविड लि०	11/81 से 9/83	3.91	—
11.	फार्मा एण्ड केम इंड०	80-81 से 82-83	87.99	—
12.	केडिला लैब्स प्रा० लि०	79-80 से 83-84	76.52	7.50
13.	साराभाई केमिकल्स	82-83 से 83-84	4.14	2.00
14.	लूपिन लैब्स	8/80 से 3/84	215.89	21.60
15.	रैनबैक्सी लैब्स	4/79 से 6/84	36.23	3.63
16.	बेलेक फार्मास्युटिकल्स	4/82 से 2/84	2.82	—
17.	एथिको ड्रग एण्ड केम० मेग० कोल.	5/82 से 3/84	140.98	—
18.	मै० इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०	12/80 से 1/86	2.18	—
19.	मै हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लिमिटेड	81/82 से 83/84	36.66	—

पेंसिलिन और स्ट्रप्टोमाइसिन तथा इसके सम्मिश्रण की कमी

2932. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ भागों में पेंसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन तथा इसके सम्मिश्रण जैसी कुछ जीवन रक्षक औषधों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं कि देश में ऐसी जीवन रक्षक औषधियां आसानी से उपलब्ध हो सकें ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उद्योग मन्त्रालय में रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० नामग्याल) : (क) से (ग) यह मंत्रालय राज्य औषध नियंत्रकों से प्राप्त सावधिक रिपोर्टों के आधार पर जीवन रक्षक औषधों की उपलब्धता को नियमित रूप से मानीटर करता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जहां कहीं कमी की सूचना मिलती है वह किसी ब्राण्ड विशेष के लिए, स्थानीय और अस्थाई होती है। ऐसे क्षेत्रों में शीघ्र माल भेजने के लिए सम्बद्ध कम्पनियों को निदेश दिए जाते हैं।

कर्नाटक में यात्रा परिपथ (ट्रैवल सर्किट)

2933. श्री एच० बी० पाटिल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में यात्रा परिपथों का पता लगा लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक में केन्द्रीय सरकार द्वारा पता लगाये गए परिपथों के नाम और उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु इन यात्रा परिपथों का विकास करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) कर्नाटक राज्य में दो यात्रा परिपथों का पता लगाया गया है, यथा :—

1. बेलगांव—बीजापुर—बदामी—पट्टाडकल—अइहोल—होसपेट—हम्पी—बेलगांव (गोआ)

2. बंगलौर—मैसूर—बांदीपुर—नागरहोल—हसन—(बेलूर, हालेबिड और श्रवण-बेलगोला)—मर्कारा—मंगलौर और पश्चिमी समुद्रतट ।

(ग) उपरोक्त परिपथों में आने वाले इन केन्द्रों पर निम्नलिखित स्कीमें शुरू की गई हैं :—

1985-86

1. हालेबिड में होयसाल सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण ।

2. बदामी, पट्टाडकल, हम्पी और बीजापुर में (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के माध्यम से) टायलेट और पेय जल सुविधाओं की व्यवस्था ।

1986-87

बेलगांव में मार्गरथ सुविधाएं ।

1987-88

गोलगुम्बज, बीजापुर में प्रकाश-पुंज व्यवस्था ।

1988-89

1. श्रीरंगपटनम में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के पास रेस्तरां का निर्माण ।

2. निम्नलिखित का निर्माण

(क) पर्यटक विश्राम गृह

(ख) कैन्टीन ब्लाक, और

(ग) बेलूर, हसन जिला, कर्नाटक में पर्यटन विभाग के लिए पर्यटक शयनागार (24 बैड्स) का निर्माण।

3. मैसूर में यात्री निवास।

गैर सरकारी क्षेत्र सड़क निर्माण परियोजनाओं को एकाधिकार और अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम से अलग रखना

2934. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्दन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क निर्माण परियोजनाओं में लगी गैर सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को एकाधिकार और अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम की धारा 22 से अलग रखने का विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 22क के अन्तर्गत पथकर आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण वाले एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार कम्पनियों के मामलों को छूट देने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

निदेशक मंडलों का गठन

2935. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी कम्पनियों और/अथवा उनकी सहायक कंपनियों तथा अन्य स्वतन्त्र प्राधिकरणों के निदेशक मंडलों का गठन किस प्रकार किया जाता है, उनके लिए अभिदत पूंजी तथा चेयरमैन एवं प्रबन्ध निदेशकों सहित निदेशकों के कार्यकाल का ब्यौरा क्या है;

(ख) घाटे में तथा लाभ में चल रही कंपनियों/प्राधिकरणों के क्या-क्या नाम हैं और यदि कोई कम्पनी घाटे में चल रही है तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनके प्रबन्ध ढांचे का दर्जा बढ़ाने तथा करोबार को लाभप्रद बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पेट्रोल/डीजल से चलने वाले वाहनों को प्राकृतिक गैस के दबाव से चलने वाले वाहनों में बदलना

2936. **श्री मोहनभाई पटेल** :

डा० बी० एल० शैलेश :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने परम्परागत रूप से पेट्रोल/डीजल से चलाये

जाने वाले वाहनों को प्राकृतिक गैस के दबाव चलाये जाने वाले वाहनों में बदलने की प्रौद्योगिकी विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस प्रौद्योगिकी का वाणिज्यिक उपयोग किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (घ) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने आयातित किट की सहायता से मैसोलिन और डीजल के वाहनों में संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी० एन० जी०) का प्रयोग करने के लिए परिवर्तन किया है। गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम की कुछ बसों को सी० एन० जी० से चलाने के लिए उनमें परिवर्तन करने का भी उनका प्रस्ताव है। जी०एस० आर०टी०सी० के वाहनों में परिवर्तन करने के लिए तेल उद्योग विकास बोर्ड ने तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को 28 लाख रुपए का अनुदान दिया है। ये केवल प्रायोगिक अध्ययन है और अभी तक सी० एन० जी० के वाणिज्यिक प्रयोग को हाथ में नहीं लिया गया है।

क्षेत्रीय भाषा के कार्यक्रम का प्रसारणों

2937. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रमों को उनके हिन्दी अनुवाद सहित प्रसारित करने का विचार है ताकि हमारे देश की संस्कृति के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी मिल सके;

(ख) अब तक जिन क्षेत्रीय भाषाओं में दूरदर्शन के कार्यक्रम प्रसारित नहीं किए जाते हैं उनमें दूरदर्शन कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं; और

(ग) इस समय कितनी भाषाओं में दूरदर्शन कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के०के० तिवारी): (क) विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में जो कार्यक्रम मुख्यतः प्रसारित किए जाते हैं, वे केन्द्र के कवरेज क्षेत्र के दर्शकों तथा उस विशेष भाषा भाषियों के लिए होते हैं। अतः इन कार्यक्रमों को हिन्दी अनुवाद के साथ प्रसारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) दूरदर्शन द्वारा विभिन्न केन्द्रों से संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में पहले से ही कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा प्रमुख बोलियों में भी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

दूरदर्शन का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि क्षेत्रीय भाषाओं में पर्याप्त कार्यक्रम प्रसारित किए जाएं।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के विनियमनों को सरल बनाया जाना

2938. **डा० बी० एल० शंखेश :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने आयोग के विनियमनों को कारगर और सरल बनाने की कार्यवाही आरम्भ की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने उपभोक्ता संगठनों द्वारा दिए गए सुझावों, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 में समय-समय पर किए गए संशोधनों तथा अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के विनियमों को कारगर और सरल बनाने की कार्यवाही आरम्भ कर दी है।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग एक न्यायिककल्प निकाय है और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के उपबन्धों के अन्तर्गत आयोग को अधिनियम के अन्तर्गत अपने कार्यों का कुशलतापूर्वक निष्पादन करने के लिए विनियम बनाने हेतु शक्तियां प्राप्त हैं।

हीलियम गैस की खोज

2939. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन स्थानों पर हीलियम गैस पायी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में और इसका उपयोग किस तरह से किया जा रहा है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) राजस्थान में प्राकृतिक गैस के 0.02 से 0.12 प्रतिशत तक हीलियम की मात्रा पायी गई है। राजस्थान में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के गैस क्षेत्रों से हीलियम को निकालने के लिए पर्याप्त भण्डारों का अभी निश्चित रूप से पता लगाया जाना है।

ऊर्जा उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

2940. **श्री बनवारी लाल बेरवा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 सितम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार (1) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (2) केन्द्रीय विद्युत बोर्ड (3) दामोदर घाटी निगम (4) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (5) ऊर्जा वित्त निगम लिमिटेड में श्रेणी-एक, श्रेणी-दो, श्रेणी-तीन और श्रेणी-चार के कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी थी और उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी थी;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्नि श्रेणियों में (उपक्रमवार) कुल कितने कर्मचारियों की भर्ती/पदोन्नति की गई, इसमें से कितने पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षित थे, कितने आरक्षित पद भरे गए, कितने आरक्षित पद अनारक्षित किए गए, कितने आरक्षित पद व्यपगत हो गए और 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के

अनुसार उपरोक्त उपक्रमों में विभिन्न श्रेणियों/ग्रेडों में आरक्षित बकाया पदों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा पदों को अनारक्षित किए जाने को रोकने और बकाया पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दूरदर्शन द्वारा समाचार एकत्र करने सम्बन्धी व्यवस्था

2941. **श्री शांताराम नायक** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने गत एक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर समाचार एकत्र करने संबंधी अपनी व्यवस्था में कोई सुधार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दूरदर्शन द्वारा प्रति वर्ष अन्तराष्ट्रीय समाचार एकत्रित करने पर कितनी धनराशि खर्च करनी पड़ती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) जी, हां। दूरदर्शन का लगातार यह प्रयास करता है कि उसके समाचार संग्रह तंत्र में सुधार किया जाए। इस समय समाचार स्थानीय रिपोर्टिंग, पी० टी० आई०, यू० एन० आई० जैसी समाचार एजेंसियों, पत्र सूचना कार्यालय इत्यादि और आकाशवाणी समाचार पूल की प्रति सहित विभिन्न संगठनों द्वारा जारी किए गए प्रेस नोटों और हैंड आउटों से प्राप्त होते हैं। दृश्य कवरेज की व्यवस्था दिल्ली और प्रादेशिक केन्द्रों के दूरदर्शन कैमरा यूनिटों और फुटकर कैमरा मैनों तथा निजी टी० वी० समाचार एजेंसियों द्वारा की जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के दृश्य प्रतिदिन अलग उपग्रह पैकेजों के माध्यम से मैसर्स एशिया विजन न्यूज एक्सचेंज प्रोग्राम और मैसर्स विज न्यूज, लंदन से प्राप्त होते हैं। हाल ही में दूरदर्शन ने विभिन्न केन्द्रों के समाचार कक्षों में तैनात किए जाने के लिए टी० वी० पत्रकार भी भर्ती किए हैं।

(ग) इस समय दूरदर्शन अन्तर्राष्ट्रीय समाचारों के संग्रह के लिए प्रति वर्ष 2,75,80 अमरीकी डालर खर्च कर रहा है।

महत्वपूर्ण बल्क औषधियों का आयात

2942. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले अनेक महीनों से महत्वपूर्ण बल्क औषधियों जैसे टेट्रासाइक्लीस, हाइड्रोक्लोराइड, आक्सीटेट्रासाइक्लीन, रिफैम्पीसिन, विटामिन बी-1 और विटामिन बी-2 की व्यापक रूप से कमी रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार खुला सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत इन बल्क औषधियों के वास्तविक प्रयोक्ताओं को इनके आयात की अनुमति देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० नामग्याल) : (क) से (घ) कोई स्थायी कमी नहीं है। जब कभी अस्थायी कमी सूचना मिलती है तो आयात और निर्यात नीति के उपबन्धों के अनुसार सामग्री के आवश्यक आयात की अनुमति दी जाती है।

क्षेत्रीय गैस ग्रिड

2943. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय गैस ग्रिड स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) अन्तर राज्यीय क्षेत्रीय गैस ग्रिड स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। अभी तक बनायी गई केवल एक ही अन्तर राज्यीय पाइप लाइन है वह है एच० बी० जे० पाइपलाइन।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कन्याकुमारी में हवाई अड्डा

2944. **श्री एन० डेनिस** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तमिलनाडु में कन्याकुमारी में एक बड़ा हवाई अड्डा स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध मे कोई अध्ययन किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बिहार में विद्युत परियोजना के नए प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान किया जाना

2945. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार को नई विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के कौने-कौने से नए प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) इस परियोजनाओं की स्वीकृति में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब स्वीकृत किए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) नई विद्युत

परियोजनाएं स्थापित किए जाने के बारे में चालू वित्त वर्ष के दौरान केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु बिहार सरकार से कोई नए प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली में प्लास्टिक उद्योग

2946. **श्री राम समुझावन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में प्लास्टिक की बड़ी और छोटी औद्योगिक इकाइयों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ख) वे किन-किन स्थानों पर स्थित हैं ?

संसदीय कार्यमंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० नामग्याल) : (क) और (ख) दिल्ली में मुख्यत: वजीरपुर, ओखला, कीर्तिनगर, मायापुरी, उद्योग नगर, नारायणा, लारेंस रोड, नजफगढ़ रोड और झिलमिल ताहिरपुर आदि औद्योगिक क्षेत्रों में अनेक लघु और वृहत आकार के प्लास्टिक एकक पी० वी० सी० पाइपों, पालिथीन बैगों, जूतों, वेल्टों, भण्डारण टंकियों, टीवी केबिनेटों और अन्य सम्बद्ध घरेलू उपयोग की वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं।

लघु फार्मास्यूटिकल फारमूलेटर्स की समस्याएं

2947. **चौधरी सुन्दर सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लघु फार्मास्यूटिकल फारमूलेटर्स की विषणन समस्याओं की जानकारी है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने यह बात सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाये हैं कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों के उपक्रम खरीद करते समय लघु फार्मास्यूटिकल फारमूलेटर्स को बड़े क्षेत्र के फार्मास्यूटिकल फारमूलेटर्स की तुलना में वरीयता है; और

(ग) क्या मूल बल्क औषध निर्माताओं, जिनके पास अपने फारमूलेशन एकक हैं, को प्राथमिकता दी जाती है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और लघु फार्मास्यूटिकल फारमूलेटर्स पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० नामग्याल) : (क) से (ग) भारत सरकार की नीति यह है कि बड़े एककों के साथ प्रतिस्पर्धा में भेषज क्षेत्र के उद्योगों सहित सभी लघु उद्योगों को खरीद में 15% तक वरीयता दी जाय।

आनन्दपुर साहिब पन-बिजली परियोजना, नांगल के लिए नियुक्त कर्मचारी

2948. **श्री कमल चौधरी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985, 1986, 1987, 1988 और 1989 (30 जून तक) के दौरान वर्षवार आनन्दपुर साहिब पन-बिजली परियोजना के लिए नियुक्त कितने कर्मचारियों को सेवा मुक्त घोषित किय गया;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान वर्षवार उनमें से कितने कर्मचारियों को पंजाब थीन बांध, रोपड़ ताप विद्युत परियोजना, मुकेरियन पन-बिजली परियोजना, समतल सम्पर्क नहर, आदि जैसी अन्य परियोजनाओं में खपाया गया अथवा खपाए जाने की सम्भावना है;

(ग) आनन्दपुर साहिब पन बिजली परियोजना के लिए नियुक्त कर्मचारियों की वर्तमान संख्या कितनी है और उनमें से कितनों को सेवामुक्त/फालतू घोषित किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) पहले सेवामुक्त किए गए बेरोजगार कर्मचारियों को खपाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) आनन्दपुर साहिब जल विद्युत परियोजना के पूरा होने पर, निर्माण-कार्यों के लिये नियुक्त 6547 कर्मचारियों को फालतू घोषित कर दिया गया था। इनमें से 5346 कर्मचारियों की सेवाएं, पूर्ण सेवा समाप्ति लाभों का भुगतान करने के बाद समाप्त कर दी गई थीं। 1985-86 से 30-6-1989 तक घोषित फालतू दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी थीं, का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	फालतू घोषित कर्मचारियों की कुल संख्या	कर्मचारियों की कुल संख्या जिनकी सेवाएं, सेवा-समाप्ति लाभों सहित समाप्त कर दी गई थीं
1985	5400	5150
1986	1147	196
1987	शून्य	शून्य
1988	शून्य	शून्य
1989 (30-6-1989 तक)	शून्य	शून्य
जोड़	6547	5346

(ख) 1985-86 से 30-6-1989 तक पंजाब में थीन बांध, रोपड़ ताप विद्युत संयंत्र, एम० एच० पी०, सतलुज यमुना लिंक जैसी अन्य परियोजनाओं में नियुक्त किए गए अथवा जिन्हें नियुक्त किए जाने की संभावना है, उन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	थीन बांध	एम० एच० पी०	एस० वाई० एल०	रोपड़ ता० वि० संयंत्र	जोड़
1985	544	46	—	—	590
1986	181	100	—	—	281
1987	108	—	—	—	108
1988	—	—	—	—	—
1989 (30-6-89 तक)	—	—	—	—	—
जोड़	833	146	—	—	979

(ग) 30-6-1989 की स्थिति के अनुसार, आनन्दपुर साहिब जब विद्युत परियोजना में इस समय कुल 786 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कार्यरत हैं जिनमें 489 कर्मचारियों को सेवा-मुक्त किए जाने/फालतू घोषित किए जाने की संभावना है।

(घ) दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को खपाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-एफ के प्रावधानों के अनुसार पुनः नियुक्ति के मामले में थीन बांध एवं मुकेरियां जल विद्युत परियोजना जैसी अन्य परियोजनाओं में खपाए जाने के मामले में छंटनी किए गए कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाती है और पंजाब सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर अन्य परियोजनाओं में उन्हें खपाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

पर्यटन की दृष्टि से कोवलम समुद्र तट का विकास

2949. **श्री टी० बशीर :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोवलम समुद्र-तट पर पर्यटन की दृष्टि से किए जा रहे विकास कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस पूरी परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है;

(ग) क्या विकास कार्य शुरू हो गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ङ) सम्पूर्ण परियोजना के कब तक पूरी होने की सम्भावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम अपने मौजूदा पांच सितारा होटल "कोवलम अशोक बीच रिपोर्ट" का, उसमें 72 अतिथि कमरों तथा 500 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाले एक समागम केन्द्र को जोड़कर विकास कर रहा है।

(ख) समूची परियोजना की अनुमानित लागत 473.00 लाख रुपए है।

(ग) अतिथि-कक्ष खण्ड और समागम केन्द्र के लिए सिविल कार्य सौंप दिया गया है तथा चट्टान काटने का काम पूरा हो गया है। बिजली और वातानुकूलन जैसे अन्य सम्बद्ध कार्य योजना के अग्रिम चरण में हैं।

(घ) अभी तक लगभग 25 लाख रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है।

(ङ) अनुमानित लागत के अनुसार निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए सम्पूर्ण परियोजना के मार्च, 1991 तक पूरा हो जाने की आशा है।

दिल्ली में खाना बनाने की गैस के सिलेंडरों में कम गैस होने की शिकायतें

[हिन्दी]

2950. **श्री सरफराज अहमद :**
डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पिछले छः महीनों के दौरान खाना बनाने की गैस के सिलेंडरों में कम गैस होने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा सम्बन्धित डीलरों के नामों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन शिकायतों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जनवरी, 1989 से जून, 1989 की अवधि के दौरान कम वजन वाले गैस सिलिण्डरों के सम्बन्ध में दिल्ली में 12 शिकायतें प्राप्त हुई। सम्बन्धित वितरण केन्द्रों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) ऐसी शिकायतों की तत्काल जांच की जाती है और जहां कहीं आवश्यक होता है, दोषी वितरकों के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशा निर्देशों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाती है। यदि सिलिण्डर में गैस का कम होना साबित हो जाता है तो कम भरे सिलिण्डिरों को मुफ्त में बदल दिया जाता है

विवरण

क्रम संख्या	वितरण केन्द्र का नाम
1	2
1.	मैसर्स लकी गैस एजेंसी
2.	मैसर्स वरुण गैस सर्विस
3.	मैसर्स स्मार्ट ड्राईक्लीनर्स
4.	मैसर्स नोबल ट्रेडर्स
5.	मैसर्स गंगा एन्टरप्राईज
6.	मैसर्स रिलायन्स ट्रेडर्स

1	2
7. मैसर्स कंवल गैस	
8. मैसर्स दीक्षित गैस	
9. मैसर्स एस० एण्ड पी० एन्टरप्राईजेज	
10. मैसर्स साऊथ दिल्ली गैस	
11. मैसर्स सागर एन्टरप्राईजेज	

जोधपुर और जैसलमेर रोड़ पर पेट्रोल/डीजल का खुदरा बिक्री केन्द्र

[अनुवाद]

2951. **श्री अनूपचन्द शाह :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोखरन के निकट जोधपुर-जैसलमेर रोड़ पर पेट्रोल/डीजल का एक खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने की सम्भावना के बारे में अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पोखरन के लिए पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र आवंटित करने का निर्णय ले लिया गया है; और

(ग) यह खुदरा बिक्री केन्द्र कब से कार्य करना प्रारम्भ कर देगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) लिए गए सम्भाव्यता अध्ययन से पता लगा है कि पोखरन के पास जोधपुर-जैसलमेर रोड़ पर एक खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल/डीजल) खोलना न्यायसंगत है तथा इसको तेल उद्योग की भावी वार्षिक खुदरा विपणन योजना(ओं)के अन्तर्गत शामिल किया जाएगा। खुदरा बिक्री केन्द्र को चालू करने से पूर्व उठाये जाने वाले विभिन्न कदमों को देखते हुए यह कहना सम्भव नहीं है कि यह कब चालू हो जाएगा।

तंजावुर जिले में तेल की खोज

2952. **श्री एस० सिंगरावडीवेल :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तंजावुर जिले में कावेरी बेसिन में तेल और गैस की खोज के कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या सम्भावनाएं बहुत अच्छी हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस क्षेत्र में उपलब्ध तेल और गैस की वाणिज्यिक खोज के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) कावेरी बेसिन के तंजावुर जिले में करांयकल, कोविल कलप्पल, नारीमनम और नन्नीलम हाइड्रो-

कार्बन क्षेत्रों में तेल और गैस की खोज में सफलता मिली है। इन स्थानों का चिन्हांकन/मूल्यांकन किया जा रहा है और उनका वाणिज्यिक उत्पादन इन प्रयासों के परिणाम पर निर्भर करेगा। नारीमनम और कोविल कलप्पल नामक दो स्थानों पर उनकी उत्पादन क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए शीघ्र उत्पादन प्रणाली आरम्भ की गई है।

सलेमपुर (उ० प्र०) में पेट्रो-रसायन परिसर

[हिन्दी]

2953. **श्रीमती ऊषा रानी तोमर :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में सलेमपुर में स्थापित किए जाने वाले पेट्रो-रसायन परिसर की नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस परियोजना के निर्माण हेतु कोई आशय-पत्र जारी किया गया है, यदि हां, तो उस कम्पनी का नाम तथा सम्बद्ध देश का नाम क्या है, जिसके सहयोग से यह कम्पनी इस कार्य को आरम्भ करेगी;

(ग) इस परिसर के लिए कुल कितनी एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी तथा इस परियोजना को पूरा करने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है और यदि कोई विलम्ब हुआ है तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है तथा इसमें कुल कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जाएगा; और

(ङ) इस परियोजना में किन मदों का उत्पादन किया जाएगा ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० नामग्याल) : (क) से (ङ) मे० जे० के० सिन्थेटिक्स लि० को निम्नलिखित वस्तुओं के निर्माण के लिए 23-5-1989 को एक आशयपत्र दिया गया है :

उत्पाद	क्षमता (टी० पी० ए० में)
1. बेंजीन	30,000
2. ओरथोक्सीलिन	30,000
3. पेराक्सीलिन	1,03,000 (केप्टिव उपयोग के लिए)
4. प्यूरिफाइड टेरेफथैलिक एसिड	1,50,000

इस परियोजना की स्थापना के लिए यू० एस० ए०, जापान, यू० के० और फ्रांस के प्रमुख प्रोसेस लाइसेंसदाताओं के साथ विदेशी सहयोग करने की परिकल्पना की गई है। इस काम्पलेक्स के लिए लगभग 1,000 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। इस परियोजना को 1992 के अन्त तक पूरा करने का कार्यक्रम है। इस काम्पलेक्स पर लगभग 850 करोड़ की लागत आने का अनुमान है। इस काम्पलेक्स से लगभग 1,500 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा।

गैस पीड़ितों के लिए औद्योगिक परियोजना

2954. श्री के० एन० प्रधान : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार ने गैस पीड़ितों के लिए केन्द्रीय सरकार को स्वीकृति हेतु कोई विशेष औद्योगिक परियोजना भेजी थी;

(ख) इसकी आधार-शिला किसके द्वारा और कब रखी गई थी;

(ग) इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई है; और

(घ) क्या इस परियोजना के वास्ते वित्तीय सहायता प्रदान करने के बारे में केन्द्रीय सरकार ने कोई निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (घ) मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने भोपाल गैस पीड़ितों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने हेतु विशेष औद्योगिक क्षेत्र का विकास नामक एक योजना तैयार की थी। इस औद्योगिक क्षेत्र का शिलान्यास 5 नवम्बर, 1987 को केन्द्रीय उद्योग मन्त्री द्वारा किया गया था। राज्य सरकार ने अनुरोध किया कि इस विशेष औद्योगिक क्षेत्र को "उद्योग विहीन जिला" पर लागू वित्तीय प्रोत्साहनों के लिए पात्र बनाया जाये। इसके पश्चात उन्होंने इस परियोजना हेतु गैस पीड़ितों के लिए दीर्घावधि कार्य-योजना के अन्तर्गत सहायता की मांग की। हमने यह निर्णय लिया है कि इस परियोजना को केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत शामिल करना सम्भव नहीं है और राज्य सरकार द्वारा इसे स्वयं ही कार्यान्वित किया जाये।

विद्युत सर्वेक्षण समिति का गठन

[अनुवाद]

2955. श्री एच० जी० रामुलु : क्या ऊर्जा मंत्री क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विद्युत क्षेत्र के लिए आठवीं योजना के प्रस्ताव को ध्यान में रखकर विद्युत की मांग को विस्तार से समीक्षा करने के लिए 14वीं विद्युत सर्वेक्षण समिति का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और यह समिति सरकार को अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत करेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां। 14वीं विद्युत सर्वेक्षण समिति फरवरी, 1989 में गठित की गई है।

(ख) समिति के संघटन के बारे में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 1990 तक प्रस्तुत कर दिए जाने की सम्भावना है।

विवरण

14वीं विद्युत सर्वेक्षण समिति का संघटन

1. अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	अध्य
2. अध्यक्ष, उत्तरी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड	सदस्य
3. अध्यक्ष, पश्चिमी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड	सदस्य
4. अध्यक्ष, दक्षिणी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड	सदस्य
5. अध्यक्ष, पूर्वी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड	सदस्य
6. सचिव, उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड	सदस्य
7. सलाहकार (ऊर्जा), योजना आयोग	सदस्य
8. सलाहकार (संदर्शी आयोजना), योजना आयोग	सदस्य
9. सदस्य (योजना), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरश	सदस्य
10. संयुक्त सचिव (योजना), विद्युत विभाग	सदस्य
11. संयुक्त सचिव (आयोजना वित्त), वित्त मन्त्रालय	सदस्य
12. मुख्य अभियन्ता (योजना), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	सदस्य
13. उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) का प्रतिनिधि	सदस्य
14. जल संसाधन मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य
15. कोयला विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
16. सांख्यिकी विभाग/केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य
17. सलाहकार (आर्थिक नीति और आयोजना), पेट्रोलियम विभाग	सदस्य
18. सलाहकार (विद्युत इंजीनियरी), रेलवे बोर्ड	सदस्य
19. मुख्य अभियन्ता (भार सम्बन्धी पूर्व सूचना) के० वि० प्रा०	सदस्य
20. डा० आर० के० पचौरी, निदेश, टाटा ऊर्जा अनुसन्धान संस्थान	सदस्य
21. निदेशक (वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण), के० वि० प्राधिकरण	सदस्य-सचिव

राजकोट हवाई अड्डे को किसी अन्य स्थान पर ले जाना

2956. श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकोट हवाई अड्डा शहर के बीच स्थित है;

(ख) क्या इस हवाई अड्डे को राजकोट नगर से दूर किसी अन्य स्थान पर ले जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीलंका में विदेश प्रसारण सेवा

2957. **श्री उत्तम राठौड़ :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि श्रीलंका ने अपना भारत विरोधी प्रचार अभियान तेज करने के लिए भारत को लक्ष्य बनाकर हाल में अपनी विदेश प्रसारण सेवा प्रारम्भ की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) जी, हां। श्रीलंका ने 4.45 बजे अपराह्न से 6.45 बजे अपराह्न (भा० मा० स०) तक तमिल में दो घण्टे का एक कार्यक्रम शुरू किया है। इस सेवा में भक्ति और संगीत के अतिरिक्त 5 बजे अपराह्न और 6.35 बजे अपराह्न पांच-पांच मिनट के दो समाचार बुलेटिन शामिल होते हैं।

आकाशवाणी द्वारा मात्र श्रीलंका के लिए 12 घण्टे और 15 मिनट की सेवा प्रसारित की जाती है।

राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण और भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण का विलय

2558. **श्री एम० वी० सिवनाल :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण और राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण का विलय करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह किस हद तक लाभदायक होगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के प्रस्ताव

2959. **श्री विजय एन० पाटिल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कानूनों में परिवर्तन करने सम्बन्धी अपने आर्थिक विशेषज्ञों के प्रस्ताव की जांच कर ली है, जिससे भारतीय कम्पनियां यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों में स्थित एककों को खरीद सकें;

(ख) क्या सरकार को इस आशय की जानकारी है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय यूरोप में व्यापार प्रयोजनों के लिए वर्ष 1992 तक एकमात्र संस्था होगी; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार का इस एकीकृत यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ व्यापार के लिए भारतीय कम्पनियों को किस तरह सहायता करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) उद्योग मंत्रालय में कम्पनी कार्य विभाग को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) चूंकि यूरोपियन कौंसिल द्वारा अभी बहुत से प्रस्तावों को अंगीकृत किया जाना है, अतः हमारे व्यापार पर पड़े इनके स्पष्ट प्रभाव का इस अवस्था में, सही-सही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। अभी हाल ही में, प्रधानमंत्री जी के निर्देशों के अन्तर्गत नियुक्त की गए राजदूतों की समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और इस रिपोर्ट को समन्वित करने तथा इस पर अनुगामी कार्यवाही करने के लिए वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में एक अन्त-मंत्रालयीय समिति गठित की गई है, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण मन्त्रालयों/विभागों के सचिव भी शामिल किए गए हैं।

इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया के मंडलों में परिवर्तन

2960. **श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के वर्तमान मंडलों में कोई परिवर्तन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परिवर्तनों से इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया की दक्षता में सुधार लाने में कितनी सहायता मिली है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया के पूर्ववर्ती निदेशक मण्डल के निम्नलिखित सदस्यों को 1-7-89 से प्रभावी दोनों एयरलाइनों के पुनर्गठित निदेशक मंडलों में शामिल नहीं किया गया है।

एअर इंडिया	इंडियन एयरलाइंस
1. उप प्रबंध निदेशक, इंडियन एयरलाइंस	1. उपप्रबंध निदेशक, इंडियन एयरलाइंस
2. श्री गौतम खन्ना, होटल उद्यमी	2. श्री अजित केरकर, प्रबंध निदेशक, इंडियन होटल्स लि०
3. श्री साइरस गजदर, भूतपूर्व अध्यक्ष, भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ट्रैवल ट्रेड	3. श्री कृष्ण आमला, अवैतनिक सचिव, पाटा
4. श्री तरन दास, महानिदेशक, फेडरेशन ऑफ. इंजी. इंडस्ट्री	4. श्रीमती शर्मिला टैगोर
	5. एअर मार्शल सी० के० एस० राजे, अध्यक्ष, राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ।

(ग) इन बोर्डों में किये गये परिवर्तनों के प्रभाव के बारे में अभी बताना सम्भव नहीं होगा ।

महाबोधी मंदिर के निकट पर्यटन सुविधायें

2961. **श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बौद्ध गया स्थित महाबोधी मंदिर के निकट पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां । केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने बोध गया में महाबोधी मन्दिर के पास गौतम वन के विकास के लिए 40.00 लाख रुपये मंजूर किये हैं । इसके अतिरिक्त भारत पर्यटन विकास निगम ने हाल में अपने मौजूदा पर्यटक बंगले का 3 सितारा सुविधायें उपलब्ध कराने वाले होटल के रूप में विस्तार किया है ।

केरल को मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए मिट्टी के तेल का आबंटन

2962. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल को चालू वर्ष के दौरान मात्स्यिकी क्षेत्र के लिये मिट्टी के तेल का, महीनेवार, अब तक कितना आबंटन किया गया है;

(ख) क्या इस आबंटन में वृद्धि करने की मांग की गई है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) राज्य में मत्स्य उद्योग क्षेत्र के प्रयोग के लिए केरल को प्रतिमाह 1000 कि० लि० मिट्टी के तेल का आबंटन किया गया है।

(ख) और (ग) केरल सरकार के मत्स्य उद्योग के लिये 3000 कि० लि० प्रतिमास के हिसाब से आबंटन में वृद्धि करने का अनुरोध किया है, परन्तु उपलब्धता की स्थिति आदि को देखते हुए उसे पूरा करना सम्भव नहीं हुआ है। राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वे राज्य को दिये अग्रम आबंटन में से अतिरिक्त मांग को पूरा कर लें जिसमें समय-समय पर वर्तमान नीति के अंतर्गत वृद्धि की जाती है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की वेतन संबंधी मांगें

2963. **श्री जी० एस० बासवराजू** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की वेतन सम्बन्धी मांग स्वीकार कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कर्नाटक में कितने उपक्रमों ने वर्तमान वेतनमानों को कार्यान्वित कर रखा है; और

(घ) इस बारे में अंतिम समझौता कब तक लिया जायेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री बी० वेंगल राव) : (क) और (ख) औद्योगिक महंगाई भत्ता अपनाने वाले केन्द्र सरकारी क्षेत्र के उपक्रम सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद अपने कार्यपालकेतर कर्मचारियों के साथ कम्पनीवार या कभी-कभी एककवार मंजूरी समझौता करते हैं। सरकारी क्षेत्र के अनेक उपक्रमों में जिनमें करीब 12 लाख कर्मचारी शामिल हैं, विगत हाल ही में ऐसे समझौते संपन्न किए हैं, जैसाकि संलग्न विवरण में दिया गया।

(ग) और (घ) कर्नाटक में स्थित पांच प्रमुख उपक्रमों और उनके मुख्यालयों ने विगत हाल ही में ऐसे मजूरी समझौते सम्पन्न किए हैं। कुल मिलाकर इनमें कर्नाटक के लगभग सभी प्रमुख उपक्रम शामिल हैं।

विवरण

क्रम संख्या	उद्यम	अवधि	
		से	तक
1	2	3	4
1.	इंडियन आयल कारपोरेशन	1-5-86	30-6-90
2.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०	1-1-89	31-12-91
3.	हिन्दुस्तान जिंक लि०	1-1-89	30-6-92
4.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०	1-9-86	31-12-91
5.	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन	1-1-87	31-12-91

1	2	3	4
6.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स	1-1-87	31-12-91
7.	भारत इलैक्ट्रानिक्स लि०	1-1-87	31-12-91
8.	भारत अर्थ मूवर्स लि०	1-1-87	31-12-91
9.	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि०	1-1-87	31-12-91
10.	कोल इंडिया लि०	1-1-87	30-6-91
11.	तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	1-4-87	31-12-91
12.	इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि०	1-1-87	31-12-91
13.	इंडियन एयरलाइन्स	1-10-85	31-8-90
14.	एयर इंडिया	1-10-85	31-8-90

पोंग बांध में आग के कारणों के बारे में केंद्रीय बिजली प्राधिकरण की रिपोर्ट

[हिन्दी]

2964. **श्री बलवंत सिंह रामूवालिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोंग बांध में लगी आग के कारणों का पता लगाने हेतु केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण द्वारा गठित की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु सरकार ने क्या प्रभावशाली कदम उठाये हैं;

(ग) इस समिति ने आग लगने के क्या मुख्य कारण बताये हैं; और

(घ) समिति ने इस अग्निकांड के फलस्वरूप कुल कितनी हानि होने का अनुमान लगाया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) पोंग बांध के प्रचालन एवं अनुरक्षण से सम्बन्धित भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड को सलाह दी गई है कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा गठित समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाये। इन सिफारिशों के अनुसार 11 के० वी० विद्युत केबलों को केवल दीर्घा (केबल गैलरी) में से निकाल दिया गया है। विद्युत और नियंत्रण केबलों के स्थान पर अग्नि मंदक न्यून धुआं केबल (फायर रिटार्डेन्ट लो स्मोक केबल्स) लगाये गये हैं। डी-सी केबलों को अलग रैक में बिछाया गया है। 25 एम० वी० ए०, 262/66/11 के० वी० ट्रांसफार्मर की तृतीयक बांइडिंग निकासी (टैर्पिग आफ टर्शियरी वाइंडिंग) सम्बन्धी प्रक्रिया को बंद कर दिया गया है। विद्युत केन्द्रों के समीप एक अग्नि-शमन केन्द्र स्थापित किया गया है, जिसमें सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध हैं और इसकी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।

(ग) समिति ने आग का कारण, विद्युत केबिल में सम्भावित रूप से बंध (ज्वांइट) में

संभावित दोष होना अथवा केबिल रोधी (इन्सुलेशन) का कार्य न करना बताया है।

(घ) समिति ने उपर्युक्त आग के परिणामस्वरूप कुल तीन करोड़ रुपये की हानि होने का अनुमान लगाया है।

टिहरी बांध का निर्माण

2965. **श्री हरीश रावत** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टिहरी बांध का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है;

(ख) इस बांध के निर्माण के फलस्वरूप कितने परिवार बेघर हो जायेंगे; और

(ग) क्या इन परिवारों के पुनर्वास की कोई योजना तैयार की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) टिहरी बांध के निर्माण के फलस्वरूप लगभग 13,300 परिवार प्रभावित होंगे।

(ग) जी, हां।

ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस संयंत्रों को लोकप्रिय बनाना

[अनुवाद]

2966. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस संयंत्रों को बढ़ावा देने तथा उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

(ख) विभिन्न राज्यों में इस योजना के बारे में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न विकास योजनाओं के अधीन लाभ उठाने वाले कुछ व्यक्तियों को, जिन्होंने उड़ीसा में गोबर गैस संयंत्र स्थापित किये हैं, आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इन लाभार्थियों की सहायता के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) वर्ष 1981-82 में शुरू की गई बायो गैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना (एन० पी० बी० डी०) सातवीं योजना अवधि के दौरान भी जारी है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस (गोबर गैस) संयंत्रों को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रौद्योगिकी विकास, मिस्त्रियों और उपयोगकर्त्ताओं के लिए प्रशिक्षण और स्टाफ सहायता, बायोगैस खाद की उपयोगिता पर क्षेत्र प्रदर्शनों, क्षेत्रीय बायोगैस विकास और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना, मानीटरिंग और मूल्यांकन आदि के लिए केंद्रीय आर्थिक सहायता टर्न-की जॉब फी, संवर्द्धनात्मक नकद प्रोत्साहन, मरम्मत प्रभारों, सेवा प्रभारों के रूप में वित्तीय सहायता सहित कई कदम उठाए हैं।

(ख) इस कार्यक्रम पर लगभग सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में बहुत अच्छी प्रतिक्रिया हुई है। वर्ष 1988-89 के दौरान कुल 1.67 लाख बायोगैस संयंत्र लगाए गए जबकि लक्ष्य 1.50 लाख संयंत्रों का था और इस प्रकार यह उपलब्धि लक्ष्यों से 11.3% अधिक रही।

(ग) और (घ) राज्य सरकार की उड़ीसा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी (ओरेडा), जो कि राज्य में बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेन्सी

है, को लाभार्थियों के आर्थिक सहायता के वितरण के दावों को निपटाने में कुछ अस्थाई परेशानी हुई। उड़ीसा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी ने आर्थिक सहायता के दावों को निपटाना शुरू कर दिया है।

नेशनल फेडरेशन आफ इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव्ज के कर्मचारियों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण

2967. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ महीनों के दौरान नेशनल फेडरेशन आफ कोआपरेटिव्ज के कर्मचारियों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किया गया है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे स्थानांतरणों के विरुद्ध कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) नैशनल फैडरेशन ऑफ इण्डस्ट्रियल कोओपरेटिव्स लिमिटेड से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 6 महीनों में प्रशासनिक कारणों से नैशनल फैडेरेशन ऑफ इण्डस्ट्रियल कोओपरेटिव्स के 11 कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया है।

(ग) इस प्रकार के स्थानांतरणों के विरुद्ध मन्त्रालय में कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है।

असम राज्य बिजली बोर्ड को रियायती दरों पर ईंधन देना

2968. **श्री अब्दुल हमीद** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने मई, 1986 में असम राज्य बिजली बोर्ड को रियायती दरों पर अपेक्षित मात्रा में ईंधन सप्लाई करने का अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया; और

(ग) यदि कोई निर्णय नहीं लिया गया तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) 1986 में असम सरकार ने असम राज्य बिजली बोर्ड को कुछ रियायती दरों पर प्राकृतिक गैस और एल० एच० एस०/एस० ओ० सप्लाई करने का अनुरोध किया था।

(ख) 30-1-87 को सरकार ने प्राकृतिक गैस की निम्नलिखित कीमतें निर्धारित की थीं :—

(1) लैंडफाल पाइन्स पर अपतट गैस और तटवर्ती गैस 1400 रुपए प्रति हजार घन मीटर।

(2) एच० बी० जे० पाइप लाइन से गैस के लिए 2250 रुपए प्रति हजार घन मीटर।

(3) असम राज्य सहित उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में गैस के लिए 1000 रुपए प्रति हजार

घन मीटर (500 रुपए प्रति 1000 घन मीटर की छूट की व्यवस्था के साथ) असम राज्य बिजली बोर्ड को 500 रुपए प्रति 1000 घन मीटर की अधिकतम छूट दी गई थी।

इन कीमतों में रायल्टी, स्थानीय शुल्क आदि शामिल नहीं हैं और ये कीमतें अभी भी ली जा रही हैं।

एल० एस० एच० एस०/एफ० ओ० के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने असम राज्य विद्युत बोर्ड को नवम्बर, 1986 में सूचित किया था कि :—

(1) इसके सी० पी० पी० को 1-3-86 से सप्लाई किए जाने वाले एल० एस० एच० एस०/एफ० ओ० के आरम्भिक 30,000 टन के लिए 872 रुपए प्रति टन की अस्थायी रियायती कीमत ली जाएगी; और

(2) उपलब्ध होने पर 55,000 टन प्रतिवर्ष की अधिकतम अतिरिक्त मात्रा के लिए अनन्तिम कीमत एल० एस० एच० एस०/एफ० ओ० की लागू कीमत में क्रमशः 400 रुपए प्रति टन और 200 रुपए प्रति टन की कमी करके ली जाएगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नागपुर हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण

2969. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण का कार्य आरम्भ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो नागपुर हवाई अड्डे पर स्थापित किए गए/किए जाने वाले आधुनिक उपकरणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) आधुनिकीकरण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) एक लम्बी दूरी का विमान मार्ग निगरानी राडार इस समय संस्थापित किया जा रहा है और एक स्वचालित संदेश स्विचिंग प्रणाली शीघ्र ही संस्थापित की जानी है। विमान मार्ग निगरानी राडार का संस्थापन कार्य जून, 1990 तक पूरा होने की आशा है और स्वचालित संदेश स्विचिंग प्रणाली के दिसम्बर, 1989 तक संस्थापित किये जाने की आशा है।

उड़ीसा में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग

2970. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के उपयोग की किसी योजना पर कार्यान्वयन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय इन स्रोतों से कितनी ऊर्जा पैदा की जा रही है; और

(घ) आगामी वर्षों में शुरू की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सौर एवं पवन ऊर्जा के उपयोग के लिए, उड़ीसा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी और उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड के संयोजन से अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा एक विस्तृत कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। सौर तापीय कार्यक्रम के अन्तर्गत 1771 वर्ग मीटर के कुल संग्राहक क्षेत्र में 57 सौर जल तापन प्रणालियां, एक वायु तापन प्रणाली और 278 सौर स्टिल्स की स्थापना की जा चुकी है। 843 से भी अधिक सौर कुकरों की बिक्री भी की जा चुकी है। ये सौर तापीय युक्तियां प्रतिवर्ष 1.35 मिलियन किलोवाट घंटा ताप के बराबर ऊर्जा उत्पादन करने में सक्षम हैं। चालू वर्ष में विभिन्न सौर तापीय युक्तियों के लिए, राज्य एजेन्सी को 350 वर्ग मीटर के संग्राहक क्षेत्र की स्थापना का लक्ष्य दिया गया है।

सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम के अन्तर्गत, उड़ीसा के 10 जिलों में 300 सौर सड़क बत्तियों, 64 सौर प्रकाश वोल्टीय जल पम्पन प्रणालियों और 25 सौर सामुदायिक टेलीविजन रोशनी प्रणालियों की स्थापना की जा चुकी है। लुलुंग के वन आवास को विद्युत प्रदान करने हेतु, एक 25 किलोवाट विद्युत का सौर प्रकाशवोल्टीय संयंत्र स्थापनाधीन है। पवन जनित्र सहित, दूसरा 2 किलोवाट विद्युत क्षमता का सौर प्रकाश वोल्टीय विद्युत संयंत्र भी पुरी जिले के रामचंडी स्थान में स्थापनाधीन है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इन स्थापित प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों से प्रति वर्ष लगभग 75,000 किलोवाट घंटा विद्युत का उत्पादन किया गया।

राष्ट्रीय पवन पम्प प्रदर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 301 जल पम्पन पवन चक्कियों की स्थापना की जा चुकी है। पुरी में 1.1 मेगावाट क्षमता की एक पवन फार्म परियोजना कार्य कर रही है। राज्य विद्युत ग्रिड को अब तक 9.6 लाख यूनिट से भी अधिक विद्युत दी जा चुकी है। डेनमार्क की सहायता से कैपादर में 90 किलोवाट के एक पवन विद्युत जनित्र की स्थापना की जा चुकी है। राज्य में 4 किलोवाट के दो पवन बैट्री चार्जरों की स्थापना की जा चुकी है और एक अन्य स्थापनाधीन है। पवन ऊर्जा संसाधनों का अनुमान लगाने के लिए, राज्य के विभिन्न स्थानों में ऊंचे मस्तूलों की स्थापना के द्वारा, पवन गति आदि को जानने के लिए परियोजना को शुरू कर दिया गया है।

उपरोक्त के अलावा, उड़ीसा राज्य में वर्ष 1974-75 से 1988-89 के दौरान 31,845 परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है। इन संयन्त्रों से प्रतिवर्ष कुल लगभग 32×10^6 घन मीटर गैस के उत्पादन करने का अनुमान है जोकि प्रतिवर्ष 150×10 किलोवाट घंटा के बराबर है। वर्ष 1989-90 के लिए, 3000 परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्नत प्रकार के चूल्हों के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत भी दिसम्बर, 83 से मार्च, 1989 तक 1,84,320 उन्नत प्रकार के चूल्हों की स्थापना की जा चुकी है। ऐसी आशा की जाती है कि इससे लगभग 1.29 लाख टन जलावन लकड़ी के बराबर बचत होगी।

वित्तीय संसाधनों के उपलब्ध होने पर इन कार्यक्रमों को जारी रखा जाएगा।

जबलपुर में हवाई पट्टी के निर्माण कार्य में विलम्ब

[हिन्दी]

2971. **श्री एम० एल० शिकराम** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर हवाई अड्डे में हवाई पट्टी का निर्माण कार्य निर्धारित समय सारिणी के अनुसार चल रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जाने का विचार है; और

(घ) यहां पर वायुदूत के अतिरिक्त अन्य विमान सेवाएं कब तक उपलब्ध करा दी जायेंगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) जबलपुर में अति विस्फोटक आयुध डिपो के निकटस्थ होने से रक्षा प्राधिकारियों द्वारा विमान के परिचालनों पर प्रतिबन्ध होने के कारण धावनपथ के विस्तार सहित जबलपुर हवाई अड्डे का उन्नयन नहीं किया जा सका है। रक्षा प्राधिकारियों को आपत्ति बरकरार है और अन्य कोई समाधान निकालने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(घ) इण्डियन एयरलाइन्स तहाई अड्डे की सुविधाओं में उन्नयन होने के पश्चात् जबलपुर के लिए बोइंग-737 सेवाओं के परिचालन पर विचार-विमर्श करेगी।

ताप एवं जल विद्युत संयंत्रों को पूरा किया जाना

[अनुवाद]

2972. **श्री अमरसिंह राठवा** :

श्री मोहन भाई पटेल :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निर्माणाधीन ताप एवं जल विद्युत संयंत्रों की संख्या कितनी है और ये कहां-कहां स्थित हैं तथा प्रत्येक संयंत्र की उत्पादन क्षमता कितनी-कितनी है;

(ख) क्या संयंत्रों के निर्माण कार्य की गति बहुत धीमी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इनको निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) नये ताप एवं जल-विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु कितने प्रस्ताव विचाराधीन हैं; और

(ङ) स्वीकृति कब तक दे दी जायेगी तथा स्थापना कार्य कब से प्रारम्भ हो जायेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में जगन्नाथ कोयला खानें बन्द करना

2973. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में जगन्नाथ कोयला खानें बन्द कर दी गई हैं;

(ख) क्या इस खानों के बन्द होने के कारण तलचर स्थित ताप विद्युत संयंत्र को होने वाले कायले की सप्लाई से बाधा पड़ी है;

(ग) यदि हां, तो इन कोयला खानों के बन्द होने के क्या कारण हैं; और

(घ) ये कोयला खानें पुनः खोलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (घ) उड़ीसा में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स की जगन्नाथ ओपनकास्ट खान को बन्द नहीं किया गया है। किन्तु समीप्य बालंदा गांव के गांववासियों के अवरोधों के कारण उक्त खान के क्रियाकलापों में 3-7-1989 से 7-7-1989 तक की अवधि में रुकावट आयी।

जगन्नाथ कोलियरी में रखे गए कोयले के स्टाक से तालचर स्थित ताप विद्युत संयंत्र को कोयले की सप्लाई को जारी रखा गया।

पर्यटकों हेतु समुद्र के निकट होटल

2974. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना अवधि के दौरान छोटे और मध्यम श्रेणी पर्यटकों के लिए समुद्र तट पर राज्य पर्यटन विकास निगमों के सहयोग से होटलों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा के समुद्र तट पर ऐसे कितने होटलों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उड़ीसा में किन-किन स्थानों पर ऐसे होटलों का निर्माण किये जाने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही है। तथापि, फिलहाल सरकार का उड़ीसा राज्य सहित देश में समुद्र तटों पर किसी होटल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गुजरात में विद्युत की मांग

[हिन्दी]

2975. **श्री सी डी० गामित** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान गुजरात में बिजली की मांग कितनी है और इस योजना के अन्त तक राज्य में कुल कितनी बिजली पैदा की जा सकेगी;

(ख) गुजरात में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए उठाए जा रहे अथवा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजनावधि में अब तक किन-किन स्थानों पर नए ताप विद्युत केन्द्र स्थापित

किये जाने थे और उनमें से किन-किन स्थानों पर विद्युत केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) सातवीं योजना के अंत तक (अर्थात 1989-90) गुजरात में प्रत्याशित ऊर्जा की आवश्यकता 20690 मिलियन यूनिट होगी जबकि इसकी तुलना में उपलब्धता लगभग 20191 मिलियन यूनिट होगी।

(ख) इस राज्य में विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं जिनमें ये सम्मिलित हैं—नई क्षमता का तेजी से प्रचालन, विद्यमान क्षमता का इष्टतम उपयोग, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी लाना तथा गांधी नगर, ध्रुवरान और उकई ताप विद्युत केन्द्रों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित नवीकरण तथा आधुनिकीकरण स्कीम को लागू करना। संभव सीमा तक, इस क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र के केन्द्रों से तथा इसके साथ-साथ निकटवर्ती प्रणालियों में गुजरात को सहायता भी उपलब्ध करवाई जाती है।

(ग) नीचे दिये गये विवरण अनुसार, सातवीं योजना अवधि के दौरान गुजरात में कुल 960 मेगावाट ताप विद्युत क्षमता संवर्धन ता कार्यक्रम था। इसमें से 750 मेगावाट क्षमता पहले ही प्रचालित की जा चुकी है तथा शेष 210 मेगावाट को 1989-90 के दौरान प्रचालित करने की प्रत्याशा है :—

केन्द्र का नाम	क्षमता (मेगावाट)	लक्ष्य
1. सिक्का विस्थापन	120	प्रचालित
2. वानकबोरी विस्तार	630	प्रचालित
3. गांधीनगर विस्तार	210	1989-90
	जोड़ 960	

पांच सितारा होटलों का निर्माण

[अनुवाद]

2976. **डा० पी० वल्लल पेरुमल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अगले तीन वर्षों के दौरान देश में तथा विदेश में पांच सितारा होटलों के निर्माण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी होगी तथा इनका किन-किन स्थानों पर निर्माण किया जाएगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम और भारतीय होटल निगम केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में होटल

चला रहे हैं। इन निगमों का 1989-90 के दौरान कोई नया 5-स्टार होटल बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जहां तक अगले दो वर्षों का संबंध है, आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-91, 1995-96) तैयार की जा रही है।

धार्मिक स्थानों को विमान सेवाएं

2977. **श्री राम भगत पासवान** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में स्थित किन्हीं धार्मिक स्थानों को विमान सेवाओं से जोड़ा जा रहा है;

(ख) क्या बद्रीनाथ और केदारनाथ इस प्रस्ताव में शामिल हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इन स्थानों की अधिक ऊंचाई और विमान पट्टी की अनुपलब्धता के कारण बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए विमान सेवाएं आरम्भ करना सम्भव नहीं हो सकता।

कोकराझार, असम को वायुदूत सेवा से जोड़ा जाना

2978. **श्री समर ब्रह्म चौधरी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के कोकराझार जिला मुख्यालय को वायुदूत सेवा के द्वारा देश के अन्य भागों से जोड़ने का विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर कब तक अंतिम निर्णय लिये जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं ;

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कोकराझार में परिचालनात्मक विमान क्षेत्र न होने तथा वायुदूत के पास संसाधनों की कठिनाई के कारण वायुदूत की तत्काल विस्तार योजना में इस स्टेशन को शामिल करना संभव नहीं है।

उड़ीसा के पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना

2979. **श्री हरिहर सोरन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की सातवीं योजना की शेष अवधि में तथा आठवीं योजना के दौरान उड़ीसा के पिछड़े और आदिवासी जिलों में कुछ उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) क्या उड़ीसा के क्योंझर, मयूरभंज और सुन्दरगढ़ जिलों में उद्योग स्थापित किए जाएंगे; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार के प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान उड़ीसा में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के और अधिक एकक स्थापित किए जाने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। आठवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

आठवी योजना अवधि के दौरान प्राकृतिक गैस उत्पादन का लक्ष्य

[हिन्दी]

2980. **श्री केशवराम पारधी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने आठवीं योजना अवधि के दौरान प्राकृतिक गैस का उत्पादन बढ़ाने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) यह प्रत्याशा की गई है कि आठवीं योजना के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा प्राकृतिक गैस के उत्पादन में वृद्धि होगी। मात्रा खपत योजना आदि के ब्यौरे को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

औषधियों के मूल्यों में वृद्धि के लिए आवेदन

[अनुवाद]

2981. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन दवा/औषधि निर्माता कम्पनियों ने अपनी औषधियों के मूल्य में वृद्धि करने के लिए आवेदन किया है और उन दवाओं तथा औषधियों के ट्रेड-नाम क्या है;

(ख) उन आवेदन पत्रों का ब्यौरा क्या है जिन पर निर्णय ले लिया गया है;

(ग) कितने आवेदन पत्र निर्णय के लिए सरकार के विचाराधीन हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन आवेदन पत्रों को निपटाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० नामग्याल) : (क) से (ग) अपेक्षित ब्यौरे, जो भी उपलब्ध होंगे, एकत्र किये जायेंगे और लोक सभा पटल पर रख दिए जायेंगे।

(घ) और (ङ) आवेदनों का यथाशीघ्र निपटान करने के लिए प्रयास किए जाते हैं।

उद्योगों की विकास दर

2982. **डा० फूलरेणु गुहा :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में उद्योगों के विकास की दर क्या रही;

(ख) इस अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में उद्योगों के विकास की दर क्या रही; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश और पश्चिम बंगाल में उद्योगों की विकास दर कितनी होने की आशा है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सी० एस० ओ० औद्योगिक उत्पादन की राज्य वार सूची संकलित नहीं करता। तथापि, कुल मिलाकर देश के औद्योगिक उत्पादन की सम्पूर्ण सूची के अनुसार, 1987-88 तथा 1988-89 के दौरान विकास दरें क्रमशः 7.3% और 8.8% थीं।

(ग) कुल मिलाकर देश में योजना अवधि के दौरान, औद्योगिक क्षेत्र में सातवीं योजना (1985-90) में विकास की औसत वार्षिक दर की परिकल्पना 8% से अधिक है।

आठवीं योजना में विद्युत उत्पादन के लिए कोयले की मांग

2983. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विद्युत उत्पादन के लिए कोयले की बढ़ती मांग को पूरा करने की स्थिति में है; और

(ख) यदि हां, तो आठवीं योजना के दौरान इस मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) कोयला कम्पनियों द्वारा कोयले के उत्पादन का आयोजन तथा कोल इंडिया लि० में पिट-हैड स्टाक के कोयले की प्रतिपूर्ति, विद्यमान तथा ऐसे स्वीकृत किए गए थर्मल पावर स्टेशनों की विद्युत उत्पादन करने के लिए कोयले की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप में पूरा करने की स्थिति में है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोयले की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन में वृद्धि किए जाने के उद्देश्य से उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं : नई कोयला खनन परियोजनाओं का अन्वेषण और कार्यान्वयन करना, विद्यमान खानों में उत्पादन और उत्पादकता में सुधार लाए जाने के लिए कोयला खनन में आधुनिक संकल्पनाओं, तकनीकों और प्रौद्योगिकी की शुरूआत करना, विद्यमान खानों की क्षमता में वृद्धि करना और बड़ी ओपेन-कास्ट खानों का खोला जाना।

बिहार में दरभंगा स्थित अशोक पेपर मिल को पुनः चलाना

[हिन्दी]

2984. **श्री चन्द्र किशोर पाठक :**
श्री राम भगत पासवान :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में दरभंगा स्थित अशोक पेपर मिल गत अनेक वर्षों से बंद पड़ी है;

(ख) इस मिल में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और क्या उन्हें कोई मुआवजा दिया गया है;

(ग) क्या बिहार सरकार ने इसे पुनः चालू करने के लिए केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां। अशोक पेपर मिल्स का बिहार एकक अक्तूबर, 1982 से बन्द पड़ा है।

(ख) इस एकक के बन्द हो जाने के फलस्वरूप लगभग 800 कर्मचारी उत्पादन में नहीं लगाए जा रहे हैं। अगस्त, 1987 में बिहार सरकार से मिली सूचना के अनुसार, राज्य सरकार ने अनुकम्पा के आधार पर मजदूरों की बकाया मजदूरी के एवज उनके 22 महीनों की वेतन पेशगी का भुगतान कर दिया था।

(ग) बिहार सरकार ने अशोक पेपर मिल्स को शीघ्र चालू करने तथा पुनः खोलने की उत्सुकता प्रकट की है।

(घ) केन्द्र सरकार, बिहार तथा असम राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थाएं अशोक पेपर मिल्स को चलाने तथा इसे पुनः खोलने के तरीकों का पता लगाती रही हैं। कम्पनी द्वारा जून, 1987 में दिए गए पत्र के आधार पर, औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने अशोक पेपर मिल्स को रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के अनुसार एक रुग्ण औद्योगिक कम्पनी घोषित कर दिया है और उक्त अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई कर दी है।

जर्मन संघीय गणराज्य के सहयोग से असम में विकास केन्द्र की स्थापना

[अनुवाद]

2985. **श्री अब्दुल हमीद :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जर्मन संघीय गणराज्य के सहयोग से असम में एक औद्योगिक विकास केन्द्र की स्थापना का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय गैस प्राधिकरण के कार्यालय को बड़ोदरा से अन्यत्र ले जाना

2986. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड के केन्द्रीय कार्यालय को बड़ोदरा से अन्यत्र ले जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) जी, नहीं। गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड का केन्द्रीय कार्यालय दिल्ली में है और इस कार्यालय को दिल्ली से किसी अन्य स्थान पर भेजने का कोई प्रस्ताव नहीं है। एच० बी० जे० पाइपलाइन के निर्माण के दौरान गैस ने बड़ोदरा में एक अस्थायी निर्माण कार्यालय खोला था। एच० बी० जे० परियोजना के पूरा हो जाने के बाद गैल ने इस कार्यालय को बन्द करने का निर्णय लिया है। बड़ोदरा में एक अनुरक्षण कार्यालय होगा।

त्रिची, मदुरै और रामेश्वरम् के लिए वायुदूत सेवा

2987. **डा० बी० राजेश्वरन :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के तीर्थ स्थल त्रिची, मदुरै और रामेश्वरम को वायुदूत या हैली-काप्टर सेवा से जोड़ने का विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को वाणिज्यिक विमान चालक का प्रशिक्षण देने हेतु छात्रवृति योजना

2988. **श्री हरभाई मेहता :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को वाणिज्यिक विमान चालक का प्रशिक्षण देने के लिए छात्रवृति देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के कितने विमान चालकों ने प्रशिक्षण लिया;

(ग) उन संस्थाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें उन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त किया; और

(घ) छात्रवृति योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के और अधिक विमान चालकों को प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

औद्योगिक विकास सम्बन्धी सर्वेक्षण

2989. **प्रो० सैफुद्दीन सोज :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक असन्तुलन का आंकलन करने के लिए देश में औद्योगिक विकास सम्बन्धी सर्वेक्षण कराये जाने की आवश्यकता है;

(ख) क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है, यदि हां, इस सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रकार का सर्वेक्षण कब तक कराये जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) देश के विभिन्न भागों में औद्योगीकरण के असन्तुलन का आंकलन करने हेतु कोई सर्वेक्षण नहीं किया जाता है। विकास और औद्योगीकरण का राज्यवार स्तर राज्यों के वार्षिक आय के अनुमानों के जरिये प्रकट किए जाते हैं जिनका प्रयोग औद्योगीकरण की सीमा के बारे में निष्कर्ष निकाले जाने हेतु किया जा सकता है।

राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति

2990. **श्री वाई० एस० महाजन :**
श्री एच० वी० पाटिल :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण बिना निदेशक मंडलों और संगठन के प्रमुखों के कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन संगठनों के निदेशक मंडलों और नियमित अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक की नियुक्ति में विलम्ब किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन सरकारी उद्यमों में निदेशक मण्डल और नियमित तथा पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण दोनों ही बोर्ड के सदस्यों के साथ कार्य कर रहे हैं। भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद पर 27 मार्च, 1989 को पिछले अध्यक्ष द्वारा कार्यभार से मुक्त होने के पश्चात नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति होने तक, सरकार ने एक कार्यवाहक संगठनात्मक प्रमुख के अधीन इसके कार्य निष्पादन के लिए व्यवस्था की है। पहले ही अनुमोदित अवधि के 17 मई, 1989 को समाप्त होने के पश्चात् अध्यक्ष पद के लिए औपचारिक नियुक्ति होने तक सरकार ने राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कार्य निष्पादन के लिए भी इसकी व्यवस्था संगठनात्मक प्रमुख के अधीन की है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए, दोनों संगठनों के बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति में देरी का प्रश्न ही नहीं उठता है। भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष की नियमित/औपचारिक नियुक्ति करने की कार्रवाई चल रही है।

जबलपुर हवाई अड्डे पर कंट्रोल टावर और यात्री विश्राम-गृह का निर्माण

2991. **श्री अजय मुशरान :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जबलपुर हवाई अड्डे पर कंट्रोल टावर और यात्री विश्राम गृह का निर्माण कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है; और

(ख) इस हवाई अड्डे पर रात्रि के विमान उतारने और उड़ान भरने सम्बन्धी सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराई जाएंगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जबलपुर हवाई अड्डे पर नियन्त्रण टावर और यात्री लॉज के निर्माण से सम्बन्धित कार्य सितम्बर, 1989 तक पूरा हो जाने की आशा है।

(ख) निधियों की उपलब्धता के आधार पर आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में जबलपुर हवाई अड्डे पर रात्रि अवतरण सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है।

लोअर पेरियर जल-विद्युत परियोजना का निर्माण

2992. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोअर पेरियर जल-विद्युत परियोजना में सुरंग बनाने का कार्य ठेके में स्वीकृत मानदंडों के अनुसार पूरा किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद और दिल्ली के बीच वायुदूत विमान सेवा

[हिन्दी]

2993. **श्री निर्मल खत्री :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष फैजाबाद और दिल्ली के बीच वायुदूत विमान सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) विमान क्षमता की उपलब्धता, परिचालनात्मक विमानपट्टी और परिचालनों की आर्थिक साध्यता के आधार पर, वायुदूत की इस वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य में फैजाबाद को विमान सेवा से जोड़ने की योजना है।

औद्योगिक विकास के लिए विशेष वित्तीय प्रोत्साहन

[अनुवाद]

2994. **श्री गोपाल के० टन्डेल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास में तेजी लाने हेतु विशेष वित्तीय प्रोत्साहन देने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो दिए जाने वाले प्रस्तावित प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है और यह नई नीति किस तारीख से लागू की जाएगी ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नया रसोई गैस बाटलिंग संयंत्र

2995. **श्री राधाकांत डिगाल :**
श्री आर० जीवरत्नम :
श्री टी० बशीर :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान देश में नये रसोई गैस बाटलिंग संयंत्र स्थापित करने की योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) ये बाटलिंग संयंत्र किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे तथा इनमें से प्रत्येक की उत्पादन क्षमता कितनी है; और

(ग) इनके चालू होने की अनुमानित तिथि क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) 1989-90 के दौरान 11 बाटलिंग संयंत्र खोलने की योजना है जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र० सं०	स्थान	क्षमता (एम० टी० पी० ए०)	चालू होने की प्रत्याशित तिथि
1	2	3	4
1.	वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	25,000	निर्धारित की जानी है।
2.	हरीद्वार (उत्तर प्रदेश)	8,000	मई, 1989 में चालू किया गया
3.	टिकडीकलां फेज III (दिल्ली)	25,000	अगस्त, 1989
4.	मिराज (महाराष्ट्र)	12,500	अगस्त, 1989
5.	दाहा-होशियारपुर (पंजाब)	5,000	अगस्त, 1989

1	2	3	4
6.	गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)	5,000	मार्च, 1990
7.	कासना (उत्तर प्रदेश)	5,000	दिसम्बर, 1989
8.	उन्नाव/कन्नौज (उत्तर प्रदेश)	5,000	नवम्बर, 1989
9.	गांधीनगर (गुजरात)	5,000	अक्तूबर, 1989
10.	उरान (महाराष्ट्र)	75,000	मार्च, 1990
11.	त्रिवेन्द्रम (केरल)	12,500	दिसम्बर, 1989

विमानों के लिए कम्प्यूटरीकृत भार/तोलन मशीन और लदान पर्चा

2996. **श्री प्रतापराव बी० भोंसले :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया का देश में कुछ हवाई अड्डों पर विमानों के लिए कम्प्यूटरीकृत भार/तोलन मशीन और लदान पर्चा प्रणाली आरम्भ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज बी० पाटिल) : (क) से (ग) जी, हां। एयर इंडिया की दिल्ली, तिरुअनंतपुरम, कलकत्ता और मद्रास हवाई हड्डों पर अपनी उड़ानों के लिए कम्प्यूटरीकृत भार और तोलन मशीन प्रणाली आरम्भ करने का प्रस्ताव है। जुलाई, 1989 से बम्बई हवाई अड्डे पर यह प्रणाली पहले ही चल रही है और अन्य हवाई अड्डों को इस प्रणाली से धीरे-धीरे जोड़ दिया जाएगा।

बागडोगरा हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण

2997. **श्रीमती डी० के० भंडारी :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागडोगरा हवाई हड्डे के आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज बी० पाटिल) : (क) से (ग) बागडोगरा हवाई अड्डा भारतीय वायु सेना का है, जहां राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण एक सिविल एन्क्लेव का रख-रखाव करता है। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा यात्री हैंडलिंग सुविधाओं के लिए एक टर्मिनल भवन की व्यवस्था की गई है और यह वर्तमान यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। यातायात में वृद्धि को ध्यान में रखकर, प्राधिकरण की आठवीं योजना अवधि में वर्तमान टर्मिनल भवन में विस्तार की योजना है। चिकित्सा सेवाओं में वृद्धि करने के लिए बागडोदरा पर एक बी० ओ० आर० प्रदान करने की योजना है।

मैसर्स बाटा इण्डिया लिमिटेड का निर्यात दायित्व

2998. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाटा इंडिया लिमिटेड सरकार से ए० डी० आई० डी० ए० एस० के साथ विदेशी सहयोग करने की अनुमति प्राप्त करने के संबंध में निर्यात करने संबंधी अपने दायित्व को पूरा कर रही है;

(ख) मैसर्स बाटा इंडिया लिमिटेड को निर्यात में और कटौती करने की अनुमति नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में क्या प्रयास किये गये हैं;

(ग) क्या सरकार के अनुमति पत्र, जिसे कम्पनी द्वारा बिना शर्त स्वीकार किया था, में यह शर्त रखी गई थी;

(घ) क्या कम्पनी निर्यात में और कटौती करने हेतु दबाव डाल रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) मैं बाटा इंडिया लिमिटेड से ए० डी० आई० डी० ए० एस० से किए गए विदेशी सहयोग के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिए जाने की सूचना नहीं दी है। निर्यात दायित्व पूरा करने का प्रश्न उक्त वस्तुओं का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर देने के बाद ही उठेगा।

(ख) और (घ) कम्पनी ने निर्यात दायित्व में और कमी करने के लिए आवेदन नहीं किया है।

(ग) जी, हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

औषधों को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश से छूट

2999. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निर्मित औषधों को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1987 से छूट देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० नामग्याल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कवास (गुजरात) में गैस पर आधारित विद्युत परियोजनाएं

3000. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के साथ मिलकर इसके नियंत्रणाधीन 600 मेगावाट क्षमता की गैस पर आधारित विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए जिन विदेशी कंपनियों

ने अपनी निविदायें भेजी थीं, क्या उन्होंने और आगे रियायतें देने से मना कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम फ्रांस की मैसर्स एल्सथाम कंपनी से प्रौद्योगिकी प्राप्त करके इसे "टर्न-की आधार" पर करने और उसके द्वारा पूरा कराने का इच्छुक है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) निविदायें भेजने वाली अन्य कंपनियों से सहायता प्राप्त करने के लिए आगे क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(च) परियोजना के लिए निविदायें भेजने वाली कंपनियों तथा उनके प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) गुजरात के कवास नामक स्थान पर स्थित गैस-आधारित विद्युत परियोजना को क्रियान्वित करने के लिये राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने विभिन्न पार्टियों से प्रस्ताव आमंत्रित किये। मैसर्स अल्सथाम, फ्रांस जिसके प्रस्ताव को सर्वाधिक कम आंका गया था, कीमतों में और कमी लाने के लिये सहमत नहीं हुआ।

(ग) मैसर्स अल्सथाम द्वारा कार्य पूरा किये जाने में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का कोई विशिष्ट हित नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) ठेका देने के सम्बन्ध में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

होटल उद्योग में अग्नि सुरक्षा उपाय

3001. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अग्नि सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन करने के लिए गैर सरकारी और सरकारी दोनों क्षेत्रों के होटल उद्योग को दिशा-निर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकांश होटलों में अब भी उचित अग्नि सुरक्षा उपायों की व्यवस्था नहीं की गई है और होटलों में भी अग्नि-रोधक दरवाजों का प्रयोग नहीं होता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) होटल भवनों, विशेष रूप से बहुमंजिले होटलों के भवनों में अग्नि रोधक दरवाजे लगाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ङ) अग्नि संकट से संलंधित प्रश्न/मामला राज्य सरकानों एवं संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों के

कार्यक्षेत्र में पड़ता है और इसलिए अग्नि-सुरक्षा के उपायों के कार्यान्वयन संबंधी स्तर तथा मानकों का निर्धारण उनके द्वारा ही किया जाता है और वे ही उन्हें लागू करते हैं। तथापि, पर्यटन विभाग ने सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को लिखा है कि वे सभी होटलों के लिए यह अनिवार्य कर दें कि वे राज्यों में संबंधित अधिकारियों अर्थात अग्नि सेवा विभाग से "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" प्राप्त करें। ऐसा इस उद्देश्य से किया गया है ताकि होटलों में समुचित अग्नि सुरक्षा उपायों का प्रबंध सुनिश्चित हो सके।

हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) में लघु उद्योग सेवा संस्थान, सोलन की शाखा

3002. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) में लघु उद्योग सेवा संस्थान, सोलन की एक शाखा खोलने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है; और

(ग) यदि अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है तो यह निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) चालू योजना के दौरान कोई नयी शाखा खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

गैर-इलैक्ट्रानिक प्रसार माध्यम को सुदृढ़ बनाना

3003. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना अवधि के दौरान सरकार ने राष्ट्रीय लक्ष्यों, नीतियों और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए गैर-इलैक्ट्रानिक प्रसार माध्यम, जैसे विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, गीत और नाटक प्रभाग, क्षेत्र प्रचार निदेशालत, प्रकाशन प्रभाग आदि को सुदृढ़ बनाने तथा बुनियादी स्तर के आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो छठी और सातवीं योजना के दौरान ऐसी संस्थाओं को कितनी धनराशि आवंटित की गई तथा दूरदर्शन, आकाशवाणी और फिल्म प्रभाग जैसी संस्थाओं को कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि गैर-इलैक्ट्रानिक प्रसार माध्यम से सम्बद्ध संस्थाओं को धनाभाव के कारण कोई कठिनाई न उठानी पड़ी, क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार किया गया है तथा सातवीं योजना के अंतिम वर्ष के दौरान ऐसी प्रत्येक संस्था को कितनी धनराशि वास्तव में आवंटित की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) छठी और सातवीं योजना तथा सातवीं योजना के अंतिम वर्ष प्रत्येक ऐसी

संस्था को किये गये आबंटन की विवरण संलग्न है। धनराशियों और अन्य साधनों के रूप में गैर-इलैक्ट्रानिक माध्यमों और अन्य माध्यमों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखा गया है।

विवरण

छठी योजना, सातवीं योजना और सातवीं योजना के अंतिम वर्ष के दौरान धनराशियों का आबंटन

माध्यम एकक		छठी योजना के वास्तविक आबंटन	सातवीं योजना का आबंटन	सातवीं योजना के अंतिम वर्ष (1989-90) में आबंटन
1		2	3	4
				(करोड़ रुपये)
इलैक्ट्रानिक माध्यम				
आकाशवाणी		85.21	700.00	189.50
दूरदर्शन		138.83	753.29	189.50
	योग	224.04	1453.29	379.00
सूचना माध्यम				
पत्र सूचना कार्यालय		0.70	3.90	2.04
प्रकाशन विभाग		0.56	0.60	0.22
गवेषणा और संदर्भ प्रभाग		0.13	0.25	0.05
विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय		1.62	1.80	0.65
गीत और नाटक प्रभाग		0.68	1.40	0.40
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय		2.67	9.60	1.10
फोटो प्रभाग		0.32	1.00	0.20
भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यालय		—	0.35	0.14
भारतीय जन संचार संस्थान		1.39	3.10	0.80
मूल्यांकन अध्ययन		0.44	1.00	0.18
	योग	8.51	23.00	5.78

1	2	3	4
फिल्म माध्यम			
फिल्म प्रभाग	8.61	14.00	3.97
भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय	2.90	3.50	0.86
भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान	6.14	2.00	0.43
बालचित्र समिति भारत	1.94	4.00	1.25
फिल्म समारोह निदेशालय	0.70	4.71	2.76
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	2.44	13.00	3.00
योग	22.73	41.21	12.27

पोलीथिलीन विर्माण एकक

3004. **श्री चिन्तामणि जेना : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन औद्योगिक एककों के नाम क्या हैं जो पोलीथिलीन का निर्माण कर रहे हैं;

(ख) इसका उपभोक्ताओं को किस प्रकार वितरण किया जाता है;

(ग) पोलीथिलीन का निर्माण करने के लिए ये एकक कहां से कच्चा माल प्राप्त कर रहे हैं;

(घ) क्या पोलीथिलीन का निर्माण करने वाले यूनियन कारबाइड के एककों को बन्द कर दिया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार इन्हें पुन: प्रारम्भ करने अथवा इन एककों का अधिग्रहण करने पर विचार कर रही है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० नामग्याल) : (क) निम्नलिखित पार्टियां पोलीथिलीन का निर्माण कर रही हैं :—

क्र०सं०	पार्टी का नाम	निर्माण की वस्तुत
1.	मे० इंडियन पेट्रो केमिकल्स कार्पो० लि०	एल० डी० पी० ई०
2.	मे० विन्दल एग्रो मिल्स लि०	एल० डी० पी० ई०
3.	मे० पोलिओलिफिन्स इन्डस्ट्रीज लि०	एच० डी० पी० ई०

(ख) कुल मिलाकर उपभोक्ताओं द्वारा पिछली कुल खरीद के आधार पर उत्पादकों द्वारा पौलिथिलीन का विवरण किया जाता है ।

(ग) मे० इंडियन पेट्रो केमिकल्स कारपोरेशन लि० नैप्था से एल० डी० पी० ई० का उत्पादन कर रहे हैं जिससे इथाइलीन प्राप्त करने के लिए तोड़ा जा रहा है ।

मे० किन्दल एग्रो मिल्स लि० त्रल्कोहल पर आधारित एल० डी० पी० ई० का उत्पादन कर रहे हैं। मे० पॉलिऑलिफिन उद्योग लि० कच्चे माल जैसे इथाइलीन को मे० नेशनल आर्गेनिक एंड केमिकल्स इंडस्ट्रीज लि० से प्राप्त कर रहे हैं।

(घ) मे० यूनियन कार्बाइड इंडिया लि० का चेम्बूर एकक सामान्य रखरखाव कार्य आदि करने के लिए अप्रैल, 1986 में बन्द कर दिया गया था।

(ङ) मे० यूनियप कार्बाइड इंडिया लि० ने इस एकक की बिक्री के लिए 12-10-88 को मे० ओसवाल एग्रो मिल्स लि० के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। यह समझौता ज्ञापन अनेक सांविधिक और अन्य स्वीकृतियों के अधीन है। सभी अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त करने के बाद इस एकक में एल० डी० पी० ई० का निर्माण आरंभ होने की आशा है।

पश्चिम बंगाल में अतिरिक्त विद्युत संयंत्र की स्थापना

3005. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में विद्युत उत्पादन की कमी को दूर करने हेतु राज्य में अतिरिक्त विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए पूंजी निवेश करने का है;

(ख) क्या नए संयंत्रों की स्थापना के लिए स्थानों का निर्धारण कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मंजूरी दे दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) आठवीं योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र के केन्द्रों के रूप में पश्चिम बंगाल में फरक्का सुपर ताप विद्युत परियोजना के चरण-दो (2 × 500 मे० वा०) तथा चरण-तीन (1 × 500 मे० वाट) की स्थापना का प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ) परियोजना का चरण दो क्रियान्वयनाधीन है। चरण-तीन को सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है तथा सरकार के अनुमोदन हेतु कार्रवाई की जा रही है।

एयर बस ए-320 का क्षतिग्रस्त हो जाना

3006. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक माह के दौरान, बम्बई में पहले एक पक्षी के टकरा जाने के कारण तथा बाद में एक सीढ़ी के टूट जाने के कारण नई खरीदी गई एयरबस ए-320 गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो वह कितनी क्षतिग्रस्त हुई है;

(ग) क्या इन घटनाओं के बारे में कोई जांच-पड़ताल के आदेश दिये गये थे;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) इस संबंध में कौन-कौन से सुरक्षा उपाय किये जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) स्टैप लैंडर के कारण दो और पक्षी टकराने के कारण एक दुर्घटना घटी।

(ख) पक्षी से टकराने के कारण कोई क्षति नहीं हुई। लैंडर घटना में एक मामले में दरवाजे की बाहरी परत फट गई जबकि दूसरे मामले में विमान में एक छेद हो गया।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) प्रारंभिक जांच पड़ताल के आधार पर, इंडियन एयरलाइंस ने संरचनात्मक सुदृढ़ता के लिए सभी ए-320 विमानों के स्टेप लैंडरों की जांच के आदेश दिये हैं।

तटवूर तेल की खोज के लिए विदेशी कम्पनियां

3007. **श्री एच० वी० पाटिल :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान तटवूर तेल की खोज के लिए चौथे दौर की बोली लगाने के लिए हाल ही में विदेशी तेल कम्पनियों को आमंत्रित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो बोली के जरिए कंपनियों के चयन करने के कार्यक्रम सहित तत्संबंधी प्रक्रिया और नीति का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) इस बात का निर्णय करने के लिए क्या तेल की खोज करने वाली विदेशी कम्पनियों की खोज के लिए कुछ और क्षेत्रों की पेशकश की जा सकती है। कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

भारत में फीचर फिल्में बनाने के लिए विदेशियों को अनुमति देना

3008. **श्री परस राम भारद्वाज :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन विदेशियों को भारत में फीचर फिल्में बनाने की अनुमति दी गई;

(ख) उन्होंने कितनी फिल्मों का निर्माण किया; और

(ग) किन शर्तों पर अनुमति दी गई थी और उन्हें दी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान (1-1-1986 से 31-12-1988 तक) जिन विदेशियों/विदेशी कम्पनियों को भारत में फीचर फिल्में बनाने की अनुमति दी गयी थी। उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार सात फिल्में पूरी हो गई हैं।

(ग) विदेशियों को भारत में फिल्मों की सूटिंग करने की सामान्य शर्तें और उन्हें दी जाने वाली सुविधाएं संलग्न विवरण-2 में दी गई हैं।

विवरण-1

क्र०सं०	विदेशी व्यक्ति/कम्पनी का नाम
1	2
	1986
1.	यूनी फिल्म कनैक्शंस, कैलीफोर्निया, अमरीका
2.	स्कवेयर प्रोडक्शन्स, पेरिस, फ्रांस
3.	ग्रिफिन प्रोडक्शन्स, लंदन, यू० के०
4.	एरियन प्रोडक्शन्स, पेरिस, फ्रांस
5.	सोसायट फ्रांससाइज डी० प्रोडक्शन, पेरिस, फ्रांस
6.	वलर्ड वाइड पिक्चर्स एम्सटर्डडम, हालैंड
7.	लामेगा पिक्चर्स, लास एंजेलस, अमरीका मै० मैट्रो फिल्म कार्पो० मद्रास के सहयोग से।
8.	तिमोथी फोरडर, यू० के०
	1987
9.	क्वीन प्रोडक्शन्स, लंदन, यू० के०
10.	लव फिल्म्स इन्टरनेशनल, ढाका, बंगलादेश
11.	राठौड प्रोडक्शन्स सनफ्रांसिस्को, अमरीका
12.	यूनी फिल्म कनेक्शन्स, केलीफोर्निया, अमरीका
13.	एफ० पी० सी० प्रोडक्शन्स, पेरिस, फ्रांस
14.	कुलवन्त केम्बो फिल्म, लंदन, यू० के० मै० जयश्री एण्टरप्राइसिस, शिरमोगा के सहयोग से
15.	हारमोनी गोल्ड, लास एंजेल्स और अमृतराज प्रोडक्शन्स, स्टूडियो सिटी, कैलीफोर्निया, अमरीका मै० मैट्रो फिल्म कार्पो० मद्रास के सहयोग से
16.	मीरा बाई फिल्म, न्यूयार्क राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम बम्बई के सहयोग से
17.	ओमेगा पिक्चर्स, लास एंजेलस, अमरीका मै० मैट्रो फिल्म कार्पो० मद्रास के सहयोग से

1	2

18. मै० ब्रबीता मूवीज, ढाका, बंगलादेश मै० स्लोगन समबाया समिति लि० कलकत्ता के सहयोग से।

19. सोचिन फिल्म तथा गोर्की फिल्म स्टूडियो सोवियत संघ मै० फिल्म बालास, बम्बई के सहयोग से।

20. मै० रिजवी मूवीज, ढाका, बंगलादेश।

1988

21. मैं० टू ब्ल्यू फिल्म्स, कनाडा

22. मि० एंथनी मेयर, दि फिल्म मैनेजमेंट कंपनी, लंदन

23. मि० मार्क पीपल, अर्डबुरी लिमिटेड, लंदन

24. डा० विलियम राथमेन, दि हरवर्ड फिल्म आर्कीइब्ज मसचुस्टे

25. मि० एलेन कोरमेन. अलाइंस फिल्म ईटी, कम्युनिकेशन पेरिस।

26. मै० अग्रवाल इम्पेक्स प्रा० लि० मै० अबटान आफ लास एंजेल्स के सहयोग से।

27. मै० अग्रवाल इम्पेक्स प्रा० लि० मै० कैप्टीकान फिल्म्स, पेरिस के सहयोग से।

विवरण-2

विदेशियों को अनुमोदित स्क्रिप्ट के आधार पर भारत में फीचर फिल्मों की सूटिंग करने की अनुमति दी जाती है। फिल्म टीम के साथ एक संपर्क अधिकारी तैनात किया जाता है जो स्थानीय अनुमति प्राप्त करने में फिल्म टीम की मदद करने के अलावा यह सुनिश्चित करता है कि सूटिंग सरकार द्वारा अनुमोदित स्क्रिप्ट के अनुसार की जाए। फिल्म तैयार हो जाने के बाद इसे संसार में कहीं भी रिलीज करने से पहले, भारत या विदेश में स्थित भारत सरकार के प्रतिनिधि से मंजूरी लेनी होती है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत में सूटिंग के लिए विदेशियों को, उपकरणों इत्यादि के आयात करने के लिए विदेश मंत्रालय सिनेमा दल के सदस्यों को वीजा दिए जाने के लिए गृह मंत्रालय को किसी भी प्रकार की रक्षा सहायता के लिए रक्षा मंत्रालय को और शूटिंग की अनुमति तथा अन्य सामान्य सुविधाएं देने के लिए अन्य संबंधित विभागों और राज्य सरकारों को उनके मामलों की सिफारिशें करने की सुविधाएं प्रदान करता है।

सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना

3009. डा० दिग्विजय सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने 40 मैगावाट क्षमता के दो सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा एक संयंत्र राजस्थान में स्थापित करने का विचार किया गया है;

(ग) दूसरा संयंत्र कब तक स्थापित किया जायेगा; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि का नियतन किया गया है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (घ) 30 मेगावाट क्षमता का एक क्षेत्र तापीय विद्युत संयन्त्र का डिजाइन तैयार किया गया है और इस प्रकार के संयंत्रों के लिए राजस्थान, पंजाब और गुजरात के राज्यों में स्थल का चुनाव किया जा चुका है। इन प्रस्तावों पर निरापत्ति के लिए इन्हें योजना आयोग भेजा जा चुका है।

"स्टेण्डिग कमेटी आन पब्लिक एन्टरप्राइजिज" (स्कोप) काम्प्लेक्स

3010. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की विभिन्न कम्पनियों/निगमों को स्थान देने के लिए नई दिल्ली/दिल्ली क्षेत्रों में निर्मित बहुमंजिले भवनों सहित स्टेण्डिग कमेटी आन पब्लिक एन्टरप्राइजिज (स्कोप) काम्प्लेक्सों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कुल कितने परिसरों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है, उससे कितना लाभ अथवा हानि हुई; और इससे कितने संगठनों को स्थान दिया गया है;

(ग) क्या इन काम्प्लेक्सों में अग्नि शमन दरवाजों की व्यवस्था सहित अग्नि सुरक्षा उपाय किए गये हैं,

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश के अन्य शहरों और नगरों का ब्यौरा क्या है जहां पर अभी और ऐसे काम्प्लेक्स बनाए जायेंगे ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) लोदी रोड स्थित स्कोप काम्प्लेक्स पूरा कर लिया गया है। लक्ष्मी नगर में दूसरा स्कोप काम्पलेक्स निर्माणाधीन है।

(ख) लोदी रोड स्थित स्कोप काम्प्लेक्स की जमीन का कुल क्षेत्रफल 14862 वर्गमीटर है। इसका निर्मित क्षेत्र 99964 वर्गमीटर है। लोदी रोड स्थित स्कोप काम्प्लेक्स में सरकारी क्षेत्र के 28 उपक्रमों की जगह दी गई है। सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त इसमें 880 लाइनों के इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज की 32 लिफ्ट तथा एक पूर्ण सज्जित श्रोताकक्ष आदि की व्यवस्था है। स्कोप काम्प्लेक्स का निर्माण "न लाभ न हानि" के आधार पर किया जाता है।

(ग) जी हां,। दिल्ली अग्निशमक सेवा द्वारा अग्नि सुरक्षा के उपायों को विधिवत मान्यता दी गई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) देश के किसी अन्य शहर या नगर में स्कोप काम्प्लेक्स से निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

संगठन का नाम

1. इण्डियन आयल कारपोरेशन
2. खनिज एवं धातु व्यापार निगम
3. नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन
4. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि०
5. ग्राम विद्युतीकरण निगम
6. औद्योगिक वित्त निगम
7. नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन
8. भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण
9. सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया
10. नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०
11. भारतीय पर्यटन विकास निगम
12. भारत एल्युमिनियम कं० लि०
13. आई० बी० पी० कं० लि०
14. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम
15. तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग
16. इण्डियन रोड कंस्ट्रक्शन कारपो०
17. हिन्दुस्तान इनसेक्टिसाइड्स लि०
18. इन्स्ट्रूमेंटेशन लि०
19. इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि०
20. भारत इलैक्ट्रानिक्स लि०
21. कोल इंडिया लि०
22. भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वेसेल्स लि०
23. मैंगजीन ओर (इंडिया) लि०
24. हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि०
25. हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि०
26. काउन्सिल आफ स्टेट इंडस्ट्रीयल डवेलपमेंट एण्ड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन

27. हिन्दुस्तान जिंक लि०

28. हिन्दुस्तान एण्टिबायोटिक्स लि०

उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों का प्रबंध

3011. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या उद्योग मंत्री उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के प्रबन्ध के बारे में 28 मार्च, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3595 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक कम्पनी में इस समय प्रबंध निदेशकों/निदेशकों के रिक्त पदों और एकत्रित की गई सूचनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन कम्पनियों का उपयुक्त प्रबन्धकीय सहायता देने के लिये अन्य क्या प्रयास किए गए ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण-1 और विवरण-2 में प्रस्तुत की जाती है।

विवरण-1

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	31-3-88 को अभिदत्त पूंजी (लाख रुपयों में)	निदेशक मण्डल का गठन	लाभ/हानि की स्थिति (1987-88)	हानि के कारण	प्रारम्भ की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5	6	7
1.	इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०	10291	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा 6 निदेशक	हानि	बिजली में कटौती, बिजली में अनियमित आपूर्ति, कच्चे माल का अभाव	इस कम्पनी की उत्पादन क्षमता एवं बिक्री में सुधार लाए जाने का प्रयत्न किए जा रहे हैं।
2.	हिन्दुस्तान एण्टिबायोटिक्स लि०	3644	प्रबन्ध निदेशक और 3 निदेशक	लाभ	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
3.	स्मिथ स्टैनिस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि०	471	प्रबन्ध निदेशक (रिक्त) तीन निदेशक	हानि	—	एक पुनर्वास योजना तैयार की जा रही है।
4.	बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०	1055	प्रबन्ध निदेशक और तीन निदेशक	हानि	—	—तदैव—
5.	बंगाल इम्युनिटि लि०	1174	प्रबन्ध निदेशक तथा 2 निदेशक	हानि	विधि का अभाव तथा कार्यकारी पूंजी की कमी	एक पुनर्वास योजना तैयार की जा रही है।
6.	हिन्स्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि०	4935	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा 5 निदेशक	लाभ	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

2	3	4	5	6	7
7. हिन्दुस्तान इनसैक्टीसाइड्स लि०	3243	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा 6 निदेशक	लाभ	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
8. इण्डियन पैट्रो-केमिकल्स कारपो० लि०	18600	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा 5 निदेशक	लाभ	—तदैव—	—तदैव—
9. हिन्दुस्तान पेपर कारपो० लि०	45233	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा 8 निदेशक	हानि	विद्युत की कमी, ब्याज का भार, कच्चे माल की समस्या आदि	—
10. हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि०	8158	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक एवं 9 निदेशक	हानि	विद्युत की कमी, ब्याज का भार, कच्चे माल की समस्या आदि	—
11. नागालैंड पल्प एण्ड पेपर लि०	4665	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक एवं 10 निदेशक	हानि	कोयला चालित वायलरों का दोषपूर्ण कार्य, पर्याप्त ग्रिड शक्ति की अनुपलब्धता, बोल्टेज में उतार-चढ़ाव, कुशल श्रम-शक्ति की अनुपलब्धता, अवस्थिति के कारण हानि आदि	एक बी० आई० सी० पी० विशेषज्ञ दल ने इस कम्पनी को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए कुछ सिफारिशें की हैं। ये कार्यान्वयनाधीन हैं।

1	2	3	4	5	6	7
12.	माण्डया नेशनल पेपर मिल्स लि०	1512	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा 6 निदेशक	हानि	विद्युत की कमी, वोल्टेज में उतार-चढ़ाव तथा जल की कमी के कारण कम उत्पादन	एक पुनर्वास और आधुनिकीकरण योजना प्रारंभ की गई है।
13.	स्कूटर्स इंडिया लि०	781	अध्यक्ष तथा 4 निदेशक	हानि	अभीष्ट से कम उत्पादन तथा क्षमता का कम उपयोग, नगदी का कम होना, पुराना संयंत्र एवं मशीन तथा अपर्याप्त तकनीकी सहायता।	—
14.	नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लि०	4652	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा 9 निदेशक	लाभ	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
15.	सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	24773	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा 9 निदेशक	हानि	बिजली में कटौती के कारण कम उत्पादन, प्रमुख निवेश-सामग्रियों, जैसे कोयला, विद्युत आदि के मूल्य में भारी वृद्धि, वेतन,	निवारक अनुरक्षण द्वारा व्यवधान में कमी करना ऊर्जा संरक्षण, लागत घटाने संबंधी कार्यक्रम आधुनिकीकरण, कम्प्यूटरीकरण आदि।

1	2	3	4	5	6	7
					मजूरी तथा रेल भाड़ा में वृद्धि। गैर-महसूल सीमेंट की बिक्री दर निवेश के सामग्री के मूल्यों में वृद्धि के अनुरूप नहीं है।	
16.	टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	1468	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा 6 निदेशक	हानि	यह निगम जीर्ण-शीर्ण संयंत्र एवं मशीनरी तथा पुरानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाले दो रुग्ण एककों को अधिग्रहित करने के लिए स्थापित किया गया था।	आधुनिकीकरण/पुनर्वास योजना प्रारंभ की गई।
17.	दामोदर सीमेंट एण्ड स्लैग लि०	748	प्रबन्ध निदेशक तथा 7 निदेशक	—	पूर्णतः स्थापित नहीं हो पाया है।	
18.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लि०	800	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (स्थानापन्न) तथा 4 निदेशक	हानि	विदेशी ग्राहकों के कठोर रुख के कारण तथा ईराक में युद्ध की	कम्पनी के भविष्य के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

1	2	3	4	5	6	7
					स्थिति के कारण काम में व्यवधान । ब्याज का भारी बोझ के कारण	
19.	उद्योग पुनर्स्थापना निगम लि०	426	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा 5 निदेशक	हानि	यह निगम पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए किया गया था । अधिकतर एकक बिना तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन के ही प्रारंभ कर दिए गये थे ।	इसकी आर्थिक क्षमता में सुधार करने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रबन्धन को सुदृढ़ किया जा रहा है ।
20.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०	24476	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा 10 निदेशक	लाभ	—	—
21.	एच० एम० टी० लि०	4356	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा 10 निदेशक	लाभ	—	—
22.	एच० एम० टी० (इन्टरनेशनल) लि०	6	अध्यक्ष तथा 4 निदेशक	लाभ	—	—
23.	एच० एम० टी० (बियरिंग्स) लि०	295	अध्यक्ष तथा 4 निदेशक	हानि	—	—

1	2	3	4	5	6	7
24.	प्रागा टूल्स लि०	1224	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा 8 निदेशक	लाभ	—	—
25.	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि०	72	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा 3 निदेशक	लाभ	—	—
26.	मारूति उद्योग लि०	8939	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा 7 निदेशक	लाभ	—	—
27.	भारत लेदर कारपो०	494	अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक तथा 3 निदेशक	हानि	बाजार में तीव्र प्रतिस्पर्द्धा, कम कुल बिक्री।	कम्पनी की विपणन नीति की निरन्तर समीक्षा की जा रही है।
28.	टेनरी एण्ड फुटवियर कारपो० आफ इण्डिया लि०	1416	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा 5 निदेशक	हानि	कामगारों की निम्न उत्पादकता, प्रति कर्मचारी निम्न मूल्य योग, ब्याज की भारी देनदारी, अलाभकारी मूल्य संरचना।	अप्रचलित मशीनरी के आधुनिकीकरण, पुनर्नवीकरण तथा प्रतिस्थापन के लिए कदम उठाए गए हैं।
29.	एण्ड्रयू यूले एण्ड कं० लि०	1026	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा 11 निदेशक	लाभ	—	—
30.	नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि०	468	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा 5 निदेशक	हानि	प्रतिरक्षा मदों के मामले में क्षमता का कम उपयोग	उत्पादों को अन्य सम्बन्धित क्षेत्रों में विविधिकृत करने के लिए उपाय

1	2	3	4	5	6	7
						किए गए हैं। प्रबन्धन को सुदृढ़ किया जा रहा है तथा श्रमशक्ति को घटाने के लिए स्वैच्छिक निवृत्ति योजना को लागू किया जा रहा है।
31.	इन्स्ट्रूमेंटेशन लि०	1278	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा 8 निदेशक	लाभ	—	—
32.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यु० कं० लि०	6173	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा 11 निदेशक	लाभ	—	—
33.	राजस्थान इलैक्ट्रानिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेंटेशन लि०	40	अध्यक्ष एवं 4 निदेशक	लाभ	—	—
34.	हिन्दुस्तान केबल्स लि०	4584	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा 11 निदेशक	लाभ	—	—
35.	भारत आर्थ्थैल्मिक ग्लास लि०	596	प्रबन्ध निदेशक (स्थानापन्न) तथा 5 निदेशक	हानि	अप्रचलित प्रौद्योगिकी के कारण क्षमता का कम उपयोग, कामगारों की निम्न-उत्पादकता	प्रौद्योगिकी का आयात, स्वचालित कार्य संचालन को लागू करना, प्रबन्धन का सुदृढ़ीकरण स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना को लागू करना।

1	2	3	4	5	6	7
36.	हैवी इंजीनियरिंग कारपो०	17965	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा 8 निदेशक	हानि	पुरानी मशीनरी, शक्ति की अधिकता, अपर्याप्त एवं अलाभकारी आदेश, विक्षुब्ध औद्योगिक सम्बन्ध, नगदी की कमी।	कम्पनी की प्रबन्ध-संरचना का पुनर्नवीनीकरण
37.	माइनिंग एण्ड एसाइड मशीनरी कारपो०	3071	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा 9 निदेशक	हानि	अपर्याप्त एवं अनियमित आदेश, तीव्र प्रतिस्पर्द्धा के कारण आदेशों को प्राप्त करने और उसे पूरा करने सम्बन्धी अक्षमता।	इसके पुनरुद्धार की योजना पर विचार किया जा रहा है।
38.	साइकिल कारपो० आफ इंडिया लि०	1187	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा 4 निदेशक	हानि	पुरानी एवं अप्रचलित मशीनरी, श्रम शक्ति का आधिक्य, नगदी की कमी, उत्पादन की अधिक लागत।	
39.	नेशनल बाइसिकल कारपो० आफ इंडिया लि०	553	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (रिक्त) तथा 4 निदेशक	हानि	—तदैव—	—तदैव—

1	2	3	4	5	6	7
40.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि०	239	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा 5 निदेशक	हानि	उपरिभार में अधिक वृद्धि, मजूरी में वृद्धि के अनुरूप बाजार मूल्य में वृद्धि नहीं हुई है।	—
41.	सांभर साल्ट्स लि०	100	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा 6 निदेशक	हानि	—तदैव—	—
42.	भारत यंत्र निगम लि०	7022	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (स्थानापन्न) एवं 9 निदेशक	लाभ	—	—
43.	भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वेसेल्स लि०	2380	अध्यक्ष (अंशकालिक) प्रबन्ध निदेशक एवं 3 निदेशक	लाभ	—	—
44.	ब्रिज एण्ड रूफ कं० लि०	754	अध्यक्ष (अंशकालिक) प्रबन्ध निदेशक एवं 2 निदेशक	लाभ	—	—
45.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि०	300	अध्यक्ष (अंशकालिक) प्रबन्ध निदेशक एवं 4 निदेशक	हानि	आदेश की खराब स्थिति, माल सूची का जमा होना, ब्याज का भार।	उत्पादकता संबंधी एक विस्तृत योजना तैयार की गई है। मालसूची नियंत्रित करने तथा

1	2	3	4	5	6	7
						लागत घटाने के लिए विशेष दल गठित किया गया है।
46.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०	750	अध्यक्ष (अंशकालिक) प्रबन्ध निदेशक एवं 4 निदेशक	हानि	—तदैव—	—तदैव—
47.	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लि०	1194	अध्यक्ष (अंशकालिक) प्रबंध निदेशक एवं 2 निदेशक	हानि	—तदैव—	—तदैव—
48.	भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेशर्स लि०	1935	अध्यक्ष (अंशकालिक) प्रबन्ध निदेशक एवं 1 निदेशक	हानि	—तदैव—	—तदैव—
49.	भारत भारी उद्योग निगम लि०	8970	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा 8 निदेशक	लाभ	—	—
50.	भारत वैगन एण्ड इंजी० कं० लि०	622	अध्यक्ष (अंशकालिक) प्रबन्ध निदेशक एवं 2 निदेशक	लाभ	—	—
51.	बर्न स्टैण्डर्ड कं० लि०	3239	अध्यक्ष (अंशकालिक) प्रबन्ध निदेशक तथा 4 निदेशक	हानि	रुग्ण अधिग्रहित एकक, आदेशों की कमी,	प्रबन्धन का पुनर्नवीकरण, श्रमशक्ति नियोजन,

1	2	3	4	5	6	7
52.	भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लि०	360	अध्यक्ष (अंशकालिक) तथा प्रबन्ध निदेशक	हानि	श्रम शक्ति की अधिकता, रोजगार	वित्तीय पुनर्गठन, अतिरिक्त पूंजी का
53.	भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजी० लि०	384	अध्यक्ष (अंशकालिक) प्रबन्ध निदेशक (रिक्त) तथा 2 निदेशक	हानि	में अधिक खर्च, कार्यकारी पूंजी की कमी,	प्रबंध, रेलवे वेगन को समन्वित करना तथा युक्तियुक्त
54.	लगन जूट मशीनरी कं० लि०	48	अध्यक्ष (अंशकालिक) तथा प्रबन्ध निदेशक	हानि	कम योगदान करने वाले उत्पाद	बनाना, उत्पाद को युक्तियुक्त
55.	जेसप एण्ड कं० लि०	3263	अध्यक्ष (अंशकालिक) प्रबन्ध निदेशक तथा 3 निदेशक	हानि		बनाना, प्रौद्योगिकी समुन्नयन उत्पाद विविधिकरण
56.	ब्रेथवेट एण्ड कं० लि०	1432	अध्यक्ष (अंशकालिक) प्रबन्ध निदेशक एवं 4 निदेशक	हानि		तथा क्षमता उपयोग में सुधार
57.	बी० बी० जे० कंस्ट्रक्शन कं० लि०	71	अध्यक्ष (अंशकालिक)	हानि		
58.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि०	3099	अध्यक्ष तथा 9 निदेशक	लाभ	—	—

नियुक्ति की शर्तें :

(1) मुख्य कार्यपालक तथा कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति 5 वर्ष की अवधिके लिए अथवा उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक, इनमें से जो भी पहले हो, की जाती है।

(2) अंशकालिक सरकारी निदेशक अपने सम्बद्ध मंत्रालय/विभाग में पद धारण किए रहने की तिथि तक नियुक्त किए जाते हैं।

(3) अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं।

विवरण-2

उद्योग मंत्रालय के अधीन सरकारी उद्यमों में मुख्य कार्यपालकों/कार्यकारी निदेशकों के रिक्त स्थान

1. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि०
2. प्रबंध निदेशक, मणिपुर ड्रग्स एण्ड केमिकल्स लि०
3. प्रबंध निदेशक, भारत हेवी प्लेट्स एण्ड वेसेल्स लि०
4. प्रबंध निदेशक, स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मेस्यूटिकल्स लि०
5. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नेशनल बाईसाइकिल कारपोरेशन लि०
6. निदेशक (कार्मिक), एन्ड्रयू यूले एन्ड कम्पनी लि०
7. निदेशक (विपणन), आई० डी० पी० एल०
8. निदेशक (वित्त), जेसप एण्ड कम्पनी लि०
9. निदेशक (विपणन), माइनिंग एन्ड एलायड मशीनरी कारपोरेशन लि०
10. डायरेक्टर (एफ० एफ० पी०), एच० ई० सी०
11. निदेशक (परिचालन एवं परियोजना), एच० पी० सी०
12. निदेशक (कार्मिक), हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि०

टिप्पणी : प्रास्थगित पदों को शामिल नहीं किया गया है ।

हवाई अड्डे पर एयरबस ए-320 के रख-रखाव के लिए सुविधायें

3012. **श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयरबस ए-320 के नियमित रख-रखाव के लिए किन-किन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है;

(ख) एयरबस ए-320 के लिए विमान कर्मशाला के निर्माण पर कुल कितनी लागत आयेगी;

(ग) क्या एयरबस ए-320 को उतारने के लिए कुछ हवाई अड्डों का दर्जा बढ़ाने का विचार है;

(घ) प्रारम्भ में किन-किन हवाई अड्डों पर एयरबस ए-320 विमान उतारे जा सकेंगे; और

(ङ) क्या एयरबस ए-320 के उतरने के लिए कालीकट हवाई अड्डे पर सुविधाएं उपलब्ध हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क)

और (ख) एयरबस ए-320 विमानों के नियमित संधारण के लिए इंडियन एयरलाइन्स द्वारा विकसित की जा रही सुविधाएं और इसमें निहित लागत निम्न प्रकार है :—

सुविधाएं	लागत
	(करोड़ रुपये)
1. टर्मेट, टैक्सी पथ सहित संधारण कार्यशाला के लिन 3 हैंगरों और 4 अनुषंगी भवनों का निर्माण	8.72
2. औद्योगिक कैंटीन, चिकित्सा केन्द्र और अन्य प्रशासनिक सुविधाओं सहित ओवरहॉल/मरम्मत कार्यशाला का निर्माण	9.2457

(ग) एयरबस ए-320 विमानों के साथ परिचालन केवल उन्हीं हवाई अड्डों से संभव है जो बी-737 परिचालनों के लिए उपयुक्त हैं। केवल एयरबस ए-320 विमान परिचालनों के लिए किसी भी अतिरिक्त हवाई अड्डे उन्नयन की राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की कोई योजना नहीं है।

(घ) इंडियन एयरलाइन्स ने दिल्ली, बम्बई, बंगलौर, हैदराबाद, श्रीनगर, लखनऊ, अहमदाबाद और कलकत्ता से पहले ही एयरबस ए-320 विमान सेवाएं आरंभ कर दी हैं। 11-8-89 से गुवाहाटी से भी एयरबस ए-320 सेवाएं आरंभ कर दी जायेंगी।

(ङ) जी, हां।

इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के पायलटों द्वारा नौकरी छोड़ा जाना

3013. **श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 और वर्ष 1989 के प्रथम छः महीनों के दौरान इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के कुल कितने पायलटों ने अपनी नौकरी छोड़ी; और

(ख) इन पायलटों ने किस-किस मुख्य आधार पर नौकरी छोड़ी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) वर्ष 1988 के दौरान तथा 1989 के प्रथक छः महीनों के दौरान (30-6-89 तक) इंडियन एयरलाइन्स और एयर इन्डिया से त्यागपत्र देने वाले विमान चालकों की संख्या के संबंध में ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

	1988	1989 (30-6-89 तक)
इंडियन एयरलाइन्स	5	18
एयर इंडिया	2	—

जबकि इंडियन एयरलाइन्स के तीन विमान चालकों ने त्यागपत्र स्वीकृत किए जा चुके हैं, शेष 19 विमान चालकों के त्यागपत्र स्वीकृत नहीं किए गए हैं। एक विमान चालक को बरखास्त कर दिया गया है।

(ख) विमान चालकों ने व्यक्तिगत कारणों से अपनी सेवा से त्यागपत्र दिये हैं।

विज्ञापनों में यौन आकर्षक का दुरुपयोग

3014. **श्री पी० आर कुमारमंगलम :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि समाचारपत्रों तथा दूरदर्शन के प्रसारणों दोनों में ही विज्ञापनों में यौन आकर्षण का व्यापक दुपरुयोग किया जा रहा है; और

(ख) क्या सरकार का विचार उस प्रकार के सभी विज्ञापनों के प्रदर्शन को शीघ्रातिशीघ्र रोकने/इन पर प्रतिबंध लगाने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) सरकार को वस्तुओं की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए विज्ञापनों में माडलों के उपयोग की जानकारी है। तथापि, दूरदर्शन पर विज्ञापनों में यौन आकर्षण का दुरूपयोग नहीं होता है। दूरदर्शन पर ऐसे विज्ञापन अनुमोदित मार्गनिर्देशों के अनुसार स्वीकार किये जाते हैं।

(ख) सरकार, विज्ञापनों में यौन आकर्षण के उपयोग के विरुद्ध है। लेकिन चूंकि समाचार पत्र सरकार के नियंत्रणाधीन नहीं है इसलिए ऐसी प्रवृतियों को रोकने के लिए लोकमत तैयार करना होता है या समाचार पत्र स्वयं ऐसे विज्ञापनों को स्वीकार न करने के बारे में निर्णय ले सकते हैं।

"स्प्रेडर' परियोजना की सप्लाई के लिए अतिरिक्त भुगतान

3015. **डा० वी० वेंकटेश :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि० ने "स्प्रेडर" परियोजना के लिए अपने सप्लायरों को कुछ अतिरिक्त भुगतान किया है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मेसर्स मान-जी० एच० एच० और उसके भारतीय सहयोगकर्त्ताओं को परियोजना के लिए अब तक कुल कितना भुगतान किया गया ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जून, 1989 तक की अवधि के लिए निम्नलिखित राशि की अदायगी की गई :—

मान-जी०एच०एच	—	47.32 डी० एम० मिलियन
डब्लू० एम० आई० क्रेनस लि०	—	रू० 2,361.18 लाख

मोतीहारी (बिहार) में दूरदर्शन के कार्यक्रमों में रुकावट

3016. **श्रीमती प्रभावती गुप्त :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र वीरगंज का उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर बिहार स्थिति मोतीहारी में दूरदर्शन के कार्यक्रमों में रुकावट डालता है जहां हाल ही में कम शक्ति वाला ट्रांसमीटर लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो दूरदर्शन के प्रसारणों में ऐसी रुकावट को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) मोतीहारी में यू० एच० एफ० बैण्ड में चैनल 31 पर कार्य कर रहे अल्प शक्ति ट्रांसमीटर के प्रसारण की इसके सेवा क्षेत्र के भीतर जांच की गई है और इसे संतोषजनक पाया गया। जबकि काठमाण्डू (नेपाल) में स्थित वी० एच० एफ० बैण्ड में चैनल 5 पर कार्य कर रहे टी० वी० ट्रांसमीटर से मोतीहारी सहित बिहार के उत्तरी भागों में सिग्नल प्राप्त होते हैं लेकिन इससे मोतीहारी दूरदर्शन ट्रांसमीटर के प्रसारण में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होती है।

राजस्थान में लिग्नाइट भंडार

[हिन्दी]

3017. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के बाड़मेर जिले में कपूरदी तथा जालेपा क्षेत्रों में करोड़ों टन के लिग्नाइट के भंडार पाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उसके बारे में कोई परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उस लिग्नाइट का इस्तेमाल ताप विद्युत उत्पादन के लिए किया जायेगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) खनिज समन्वेषण निगम द्वारा राजस्थान के बाड़मेर जिले में किए गए अन्वेषण के आधार पर, कपूरदी क्षेत्र में लगभग 150 मि० टन और जालेपा क्षेत्र में 233 मि० टन लिग्नाइट के भंडारों को विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) कपूरदी के एक "शाफ्ट सैंक" से इकट्ठे किये गए बड़ी मात्रा में नमूनों को, पारम्परिक और गैर-पारम्परिक जैसे "फ्लूडाईस्ड बैड कम्बयूसन" प्रणालियों को प्रयोग करके

विद्युत पैदा करने में प्रयोग लाए जाने के लिए लिग्नाइट को जांच के लिए, केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान को भेज दिए गए हैं।

सामान्य बिक्री एजेंटों की नियुक्ति

[अनुवाद]

3018. **श्री के० एस० राव :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सामान्य बिक्री एजेंटों को 31 नगरों में अपना कारोबार चलाने के लिए लाइसेंस दिया गया है, जहां मार्ग पर पड़ने वाले हवाई अड्डों पर बुकिंग कार्यालय विद्यमान हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को सामान्य बिक्री एजेंट प्रणाली के विरुद्ध अखिल भारतीय विदेशी एयरलाइंस कर्मचारी संघ से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) क्या देश में सामान्य बिक्री एजेंटों की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाने पर विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) "आयटा" नियमों के अंतर्गत एक विमान कम्पनी हवाई यात्री/माल परिवहन की बिक्री के लिए अपने "आन-लाइन" स्टेशनों के नगरों में सामान्य विक्रय एजेंट नियुक्त कर सकती है।

(ग) और (घ) अखिल भारतीय विदेशी एयरलाइन कर्मचारी फेडरेशन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, एक विमान कम्पनी से अधिक के कर्मचारियों के संगठन ने श्रम न्यायालय में आपत्ति उठाई है और विमान कम्पनी द्वारा सामान्य विक्रय एजेंटों की नियुक्ति को रोकने के लिए अंतरिम सहायता चाही है। विमान कम्पनियों ने उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की। उच्चतम न्यायालय ने, एयरलाइंस द्वारा यह वचन दिए जाने पर कि किसी भी कर्मचारी की सेवा शर्तों को समाप्त नही किया जाएगा या उसमें कोई संशोधन नहीं किया जाएगा, अंतरिम राहत दलील का निपटान किया।

(ङ) जी, नहीं।

राजस्थान में भूरे कोयले की खुदाई के लिए पूर्व तथा पश्चिम जर्मनी की पेशकश

[हिन्दी]

3019. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व और पश्चिम जर्मनी ने राजस्थान में भूरे कोयले की खुदाई तथा विद्युत उत्पादन कार्यक्रम में सहायता देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर विचार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है और यदि नहीं, तो इस बारे में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) राजस्थान के बीकानेर जिले के बारसिंघसर स्थान पर 1.7 मि० टन प्रति वर्ष क्षमता की लिग्नाइट खान का विकास किए जाने/(2 × 120 मे० वाट) के एक पिट हैड विद्युत केन्द्र का निर्माण किए जाने के लिए कई देशों से, जिसमें पूर्व जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी शामिल हैं, से बजटीय प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में निर्णय बजटीय प्रस्तावों के तकनीकी और वाणिज्यिक मूल्यांकन के पूर्ण होने और परियोजना को स्वीकृति मिल जाने के बाद लिया जाएगा।

कम्पनियों के तुलन-पत्रों की जांच को सरल बनाने हेतु पड़ताल-सूची

[अनुवाद]

3020. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कम्पनियों से अपने तुलन-पत्रों की तकनीकी जांच को सरल बनाने तथा कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1988 के उपम्धों के अनुरूप उसके अनुपालन पर स्वयं निगरानी रखने के लिए एक पड़ताल-सूची रखने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो पड़ताल-सूची से अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन में कहां तक सहायता मिलेगी ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) कम्पनी रजिस्ट्रारों के पास तुलन पत्रों को दायर करते समय संलग्न किए जाने वाले तुलन पत्रों की जांच सूची के लिए प्रोफार्मा तैयार करने हेतु कुछ वाणिज्य तथा उद्योग मंडलों आदि से सुझाव मांगे गये थे ताकि कम्पनी रजिस्ट्रारों द्वारा उनकी तकनीकी संवीक्षा में सुधार किया जा सके। इस सम्बन्ध में दिये गये सुझावों पर विचार करने के पश्चात इस विषय में निर्णय किया जायेगा।

पेटेन्ट कानूनों के बारे में राष्ट्रीय संगोष्ठी

3021. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में नेशनल वर्किंग ग्रुप ऑन पैटेन्ट्स ने पेटेन्ट कानूनों के बारे में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो इस संगोष्ठी में कौन-कौन-सी सिफारिशें की गईं; और

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और यदि हां, तो इन पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) दि नेशनल वर्किंग ग्रुप ऑन पेटेन्ट लाज ने 22 नवम्बर, 1988 को नई दिल्ली में पेटेन्ट कानून सम्बन्धी एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया था। संगोष्ठी ने यह स्पष्ट किया कि भारतीय पेटेन्ट अधिनियम, 1970 अपने कार्यक्षेत्र तथा प्रयोजन की दृष्टि से, भारतीय हितों का प्रतिनिधित्व करता आ रहा है और इसमें कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है।

(ग) भारतीय पेटेन्ट अधिनियम, 1970 में संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

लक्षद्वीप में उद्योगों की स्थापना

3022. **श्री एन० डेनिस** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप में उद्योग स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या सरकार को वहां उद्योग खोलने हेतु गैर-सरकारी क्षेत्र से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) 1. लक्षद्वीप समूह को औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया है।

2. खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग बोर्ड की स्थापना की जा रही है।

3. लघु उद्योग सेवा संस्थान का एक लक्ष स्थापित कर दिया गया है।

4. 26 उद्योगों के सम्बन्ध में संभाव्यता रिपोर्ट तैयार कर दी गयी हैं।

5. सहकारी क्षेत्र में टी० वी० बनाने का एक एकक लगाये जाने का प्रस्ताव है।

6. शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्व-रोजगार योजना के तहत बैंकों द्वारा 1987-88 के दौरान स्वीकृत आवेदनों की संख्या 9 (0.75 लाख रु० के ऋण हेतु) और 1988-89 में यह संख्या 8 (1.80 लाख रु० के ऋण के लिए) है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खान मुहानों से सड़क-मार्ग द्वारा गुजरात को कोयले की ढुलाई पर रोक

3023. **डा० दिग्विजय सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान-मुहानों से सड़क-मार्ग द्वारा गुजरात राज्य को कोयले की ढुलाई पर कोई रोक लगाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि० द्वारा पिट-हैड से सड़क-मार्ग से गुजरात राज्य को कोयले की आपूर्ति किए जाने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। कोल इंडिया लि० की वर्तमान नीति के अनुसार, संयोजित औद्योगिक उपभोक्ताओं को सड़क मार्ग द्वारा कोयले की आपूर्ति रेलवे द्वारा आपूर्ति में हुई कमी तथा मूल्यांकित की गई मात्रा के अन्तर एवज में और राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा 50% नजदीकी स्टाकयार्ड से तथा 50% संयोजित स्रोतों के आधार पर की जाती है। ईंट-भट्टा उद्योगों को सड़क-मार्ग द्वारा कोयले की आपूर्ति कोल इंडिया लि० द्वारा प्रति वर्ष आधार पर राज्यवार आबंटन में से प्रयोजित प्राधिकारियों की सिफारिश पर की जाती है।

औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन

3024. **डा० दिग्विजय सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ क्षेत्रों को औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के लिए संशोधित नीति के अनुसार पहले ही पिछड़ा क्षेत्र घोषित किए गए जिलों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या नये घोषित पिछड़े क्षेत्रों को नई नीति के अनुसार प्रोत्साहन दिया जा रहा है; और

(ग) नये पिछड़े क्षेत्र घोषित होने तक, पुराने प्रोत्साहन जारी न रखे जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) माननीय सदस्य स्पष्ट रूप से (1) केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना तथा (2) नई योजना के अन्तर्गत विकास केन्द्रों की स्थापना करने का उल्लेख कर रहे हैं। केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना को 1-10-88 से समाप्त कर दिया गया है। तथापि, राज्य सरकारों, विभिन्न वाणिज्य मंडलों तथा उद्यमियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात सरकार ने अभी हाल में राज्य सरकारों को यह सलाह दी है कि उनके द्वारा 30-9-1989 तक गैर-विनिर्माणकारी कार्यकलापों के लिए तथा 31-12-89 तक निर्माणकारी कार्यकलापों के लिए वितरित की जाने वाली राजसहायता, केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति पाने के पात्र होगी बशर्ते कि परियोजनाओं को अनुमोदन समिति, अर्थात राज्य स्तर समिति या जिला स्तर समिति द्वारा, जो भी हो, 30 सितम्बर, 1988 को या उससे पूर्व अर्थात केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना की वैधता अवधि के दौरान अनुमोदन कर दिया गया हो।

सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगीकरण, विकास केन्द्र अवधारणा के माध्यम से किया जाएगा। इस ध्येय को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि अगले पांच वर्षों में या इसके आस-पास देश भर में 100 विकास केन्द्र स्थापित किए जायेंगे। प्रथम चरण में 61 विकास केन्द्र खोले जाएंगे। ये विकास केन्द्र, जो कि उद्योगों को पिछड़े क्षेत्रों में आकर्षित करने के लिए चुम्बक का कार्य करेंगे, विशेष रूप से विद्युत, जल, दूरसंचार तथा बैंकिंग के क्षेत्र में देश में उपलब्ध सर्वोत्तम मूल संरचनात्मक सुविधाओं के समान सुविधा सम्पन्न बनाए जाएंगे। प्रत्येक विकास केन्द्र को उच्च कोटि की मूल संरचनात्मक सुविधाओं का सृजन करने के लिए 25-30 करोड़ रु० की निधियां प्रदान की जाएंगी।

प्राकृतिक गैस का उत्पादन

3025. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का विचार वर्ष 1989-90 के दौरान प्राकृतिक गैस का उत्पादन बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा इस बारे में क्या योजना बनाई गई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या विभिन्न कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) विभिन्न तटवर्ती और अपतटीय क्षेत्रों से कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि होने से सम्बद्ध गैस के उत्पादन में भी वृद्धि होती है। उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार ही तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा मुक्त गैस का उत्पादन किया जाता है। वर्ष 1989-90 के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के लिए 8636 मिलियन घन मीटर गैस की सप्लाई का लक्ष्य रखा गया है जबकि 1988-89 के दौरान वास्तविक सप्लाई 6976 मिलियन घन मीटर की थी।

(ग) कुछ उपभोक्ताओं को गैस की सप्लाई के लिए वचन दिए गए हैं जब भी इन उपभोक्ताओं को आवश्यकता होती है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग गैस के परिवहन/सप्लाई के लिए आवश्यक कदम उठाता है।

कर्नाटक में कोडासल्ली पनबिजली परियोजना के लिए हाइड्रो-जेनरेटिंग यूनिटों की सप्लाई

3026. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में कोडासल्ली पनबिजली परियोजना के लिए 40 मेगावाट के तीन हाइड्रो-जेनरेटिंग यूनिटों की सप्लाई करने के आर्डर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो ये आर्डर किस कम्पनी को दिए गए हैं और इन जेनरेटिंग यूनिटों की कब तक सप्लाई की जा सकेगी; और

(ग) इन तीनों पन-बिजली उत्पादक एककों की लागत का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) कर्नाटक पावर कारपोरेशन ने कर्नाटक में कोडासल्ली जल विद्युत परियोजना के लिए 40-40 मेगावाट के तीन जल विद्युत उत्पादन यूनिटों की सप्लाई के लिए जून, 1989 में मांग-पत्र प्रस्तुत किया है। मैसर्ज भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा सभी विद्युत उत्पादन यूनिटों की सितम्बर, 1991 तक आपूर्ति कर दी जायेगी। तीन विद्युत उत्पादन यूनिटों की एकमुश्त रेल पर्यन्त निःशुल्क (एफ० ओ० आर०) गन्तव्य लागत लगभग 15.70 करोड़ रुपये (कर रहित) है।

असम मे खोराघाट में तेल की खोज

3027. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के निकट खोराघाट में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बड़े तेल भण्डारों का पता लगाया है जैसा कि 14 जुलाई, 1989 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन तेल भण्डारों से कितनी मात्रा में तेल प्राप्त होने की सम्भावना है; और

(घ) तेल निकालने का कार्य कब तक शुरू किया जायेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी हां।

(ख) असम के गोलाघाट जिले के खोराघाट क्षेत्र में एक कुएं में तेल मिला है।

(ग) खोराघाट क्षेत्र से उत्पादन किए जाने वाले सम्भावित तेल की मात्रा का पता चिन्हांकन ड्रिलिंग के बाद ही चल सकेगा।

(घ) खोज का काम पहले ही चल रहा है।

इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर टायरों का घोटाला

3028. **श्री प्रकाश चन्द्र :**
श्री बनवारी लाल पुरोहित :
श्री कमल नाथ :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर हाल ही में टायरों के घोटाले का एक प्रमुख मामला पकड़ा गया है, जिसमें इंडियन एयरलाइन्स के वरिष्ठ अधिकारियों का हाथ होने का आरोप है, जैसाकि हिन्दुस्तान टाइम्स में 13 जुलाई, 1989 को प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस घोटाले के लिए कौन-कौन अधिकारी उत्तरदायी अथवा सम्बद्ध पाए गए हैं, तथा उनके और अन्य दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही करने का विचार किया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी०पाटिल) : (क) से (ग) "टायरों का घोटाला" शीर्षक से एक समाचार "हिन्दुस्तान टाइम्स" (दिल्ला संस्करण) में 13 जुलाई, 1989 को छपा था। यह बताया गया है कि 11 जुलाई, 88 को 900 × 20 माप के 12 और 590 × 15 माप के 6 टायर गायब थे। प्रारम्भिक जांच के परिणामस्वरूप सितम्बर, 1988 में हवाई अड्डा पुलिस में एक मामला दर्ज कराया गया था, परन्तु 1989 मार्च में, पुलिस ने सूचित किया कि मामलों को "पता न चल सका" करार दे दिया गया था। इंडियन एयरलाइंस द्वारा विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं और पूरे ब्यौरे जांच पूरी हो जाने तथा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद पता चल सकेंगे।

जीवन रक्षक औषधों की कमी

3029. **श्री प्रकाश चन्द्र :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में जीवन रक्षक औषधों की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ग) राजधानी में किन-किन औषधों की कम सप्लाई है; और

(घ) सरकार ने इन जीवन रक्षक औषधों को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० नामग्याल) : (क) से (घ) राज्य औषध नियंत्रकों की सांविधिक रिपोर्टों के आधार पर यह मंत्रालय जीवन रक्षक औषधों की उपलब्धता को मानीटर करता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार मानव रक्त से निर्मित रक्त उत्पादों को छोड़कर राजधानी में जीवन रक्षक औषधों की भारी कमी नहीं है। जिन औषधों की कमी की रिपोर्ट की गई है वह ब्रांड प्रकृति की और अस्थायी हैं। सम्बन्धित कंपनियों को तार भेजे गए हैं कि इस मंत्रालय को सूचित करते हुए स्टाक भेजें। "मानव रक्त से निर्मित रक्त उत्पादों" की कमी के बारे में मामला औषध नियंत्रक (भारत) के कार्यालय में विचाराधीन है क्योंकि पाजिटिव एड्स वायरस की सम्भावनाओं के कारण इसका निर्माण रोक दिया गया था।

अन्तर्राष्ट्रीय मैचों का आकाशवाणी पर आंखों देखा हाल प्रसारित करना और दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण करना

3030. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपने देश में अथवा विदेशों में खेले जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय मैचों, जिनमें भारतीय टीमें भी भाग लेती हैं, के संबंध में आकाशवाणी पर आंखों देखा हाल प्रसारित करने अथवा दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण करने के बारे में आकाशवाणी और दूरदर्शन की क्या नीति है; और

(ख) क्या भारतीय और विदेशी खेलों का आकाशवाणी पर आंखों देखा हाल प्रसारित करने तथा दूरदर्शन पर उनका सीधा प्रसारण करने के बारे में क्या मार्ग निर्देश जारी किये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों अन्य बातों के साथ-साथ खेलों के महत्व, खेल की लोकप्रियता, श्रोताओं/दर्शकों की रुचि, तकनीकी सभाव्यता और समय इत्यादि की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय मैचों का आंखों देखा हाल प्रसारित करने/इनके सीधे प्रसारण की व्यवस्था करते हैं।

बम्बई हवाई अड्डे पर बोइंग विमानों का अति निकट से होकर गुजरना

3031. **श्री पी० एम० सईद** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 जुलाई, 1989 के इंडियन एक्सप्रेस में "आई० ए० बोइंग कम क्लोज टू डिसेस्टर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली-गोआ उड़ान (आई० सी० 467) और बम्बई-मंगलूर उड़ान (आई० सी० 159) एक दूसरे से केवल 50 से 60 मीटर के फासले से जिस परिस्थितियों से गुजरे, उनके बारे में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं और इन खतरनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) आई० ए० सी० 467 की उसी दिशा में उड़ान की ओर ध्यान दिए बिना आई० ए० सी० 159 को क्लीयरैंस देने के लिए ड्यूटी पर तैनात विमान यातायात नियंत्रक ने चूक की। इस घटना के बाद, विमान यातायात नियन्त्रक को विमान यातायात ड्यूटी से हटा लिया गया है। उसकी विमान यातायात नियंत्रण रेटिंग को तब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है जब वह सुधारात्मक प्रशिक्षण नहीं पा लेता।

बम्बई हवाई अड्डे पर हवाई यातायात नियन्त्रण प्रणाली के आधुनिकीकरण और गौण निगरानी राडार के संस्थापन की एक योजना शुरू कर दी गई है।

वायुदूत के लिए विमानों की खरीद

3032. **श्री पी० एम० सईद :**
श्री अमर सिंह राठवा :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुदूत के वर्तमान बेड़े को बढ़ाने तथा पुराने विमानों के स्थान पर नये विमान चलाने के लिए विमानों की खरीद का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय किया है; और

(ग) ये विमान किन देशों से खरीदे जायेंगे, इन पर कुल कितनी लागत आयेगी और इन विमानों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) चूंकि इस सम्बन्ध में निर्धारण/मूल्यांकन और बातचीत चल रही है, अतः इन ब्यौरों को निश्चित रूप नहीं दिया गया है।

पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में चीन के साथ संयुक्त उद्यम

3033. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग, व्यापार और संयुक्त उद्यम लगाने के बारे में सहमत हो गया है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चीनी शिष्टमण्डल भारत आया था और उसने इस सम्बन्ध में बातचीत की थी; और

(घ) यदि हां, तो उक्त वार्ता का ब्यौरा क्या है और वार्ता के क्या निष्कर्ष निकले ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० नामग्याल) : (क) और (ख) जी, हां। चीन के सिनोपेक और इण्डियन पेट्रो-केमिकल्स कार्पोरेशन लि० द्वारा हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं जिसमें पेट्रो-रसायनों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के अन्तरण, अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण और व्यापार आदि के क्षेत्रों में सहयोग की व्यवस्था है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा सोवियत संघ में होटल उद्योग में निवेश

3034. **श्री एस० बी० सिदनाल :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोवियत संघ में होटल उद्योग में निवेश की संभावना का पता लगाने के लिए सोवियत संघ की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रतिनिधि मंडल की सोवियत संघ के अधिकारियों के साथ अनेक वार्ताएं हुई थीं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किये गये; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) मई, 1989 में भारत पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों के दल ने मास्को की यात्रा की। इन्होंने सोवियत अधिकारियों के साथ मास्को में एक होटल परियोजना सहित सोवियत भारत व्यापार केन्द्र संयुक्त उद्यम में भागीदारी करने के लिए विचार-विमर्श किया तथा निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए 31 मई, 1989 को एक परियोजना रिपोर्ट सहित अपनी पेशकश (बिड) प्रस्तुत की—

1. लगभग 295 कमरों/सूट्स वाले एक होटल का निर्माण।
2. एक व्यापार केन्द्र जिनमें विभिन्न आकार के 29 सम्मेलन कक्ष होंगे।
3. 100 यूनिटों के लिए व्यवसाय कार्यालय स्थान।
4. 50 आवासीय क्वार्टर्स, इसके अलावा प्रदर्शनी हाल के रूप में प्रयोग होने वाले एक मौजूदा चर्च का पुनरुद्धार।

श्रीनगर हवाई अड्डे पर खान-पान का ठेका

3035. **प्रो० सैफुद्दीन सोज :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर खान-पान सेवाओं के लिए नया ठेका दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पुराना ठेकेदार अभी भी कार्य कर रहा है और उसके ठेके का कार्य समाप्त होने के बाद उसने विमानपत्तन प्राधिकारियों को कोई किराया भी नहीं दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उससे किराए के भुगतान की क्षति की वसूली करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां। प्रस्तुत किये गए उच्चतम टेंडर के आधार पर, 8 अप्रैल, 1983 को 15,027 रुपए प्रति महीने पर ठेका दिया गया था। लेकिन न्यायालय से भूतपूर्व लाइसेंसधारी द्वारा प्राप्त किए गए व्यादेश के कारण पंचाटकर्ता कब्जा नहीं कर सका।

(ग) और (घ) पुराना लाइसेंसधारी, विभिन्न न्यायालयों में 1983 से लम्बी मुकदमेबाजी में प्राधिकरण को लगातार उलझाये हुए हैं। जिला न्यायालय बडगाम, श्रीनगर में सम्पदा कार्यालय द्वारा पारित दिनांक 12-9-88 के निष्कासन आदेश के विरुद्ध भूतपूर्व लाइसेंसधारी द्वारा दायर अपील पर आदेश 21-8-89 के लिए तय किया गया है।

अप्राधिकृत कब्जे के कारण निर्धारित क्षति के एवज में उसने 19-11-82 से 31-1-88 तक की अवधि के लिए अभी तक 1,49,760 रुपए का भुगतान किया है। शेष राशि की वसूली के लिए प्रक्रिया चल रही है।

डीजल में पानी मिलाये जाने की शिकायतें

3036. **श्री टी० बशीर :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन को केरल राज्य परिवहन निगम से डीजल में पानी मिलाये जाने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) केरल राज्य परिवहन निगम ने भी चेंगानूर थाने में शिकायत दर्ज करवायी है, पुलिस प्राधिकारियों ने मामला दर्ज किया है और उत्पाद लदा हुआ टैंक ट्रक पकड़ा है। बाद में पुलिस द्वारा टैंक ट्रक को छोड़ने पर इसको आई० ओ० सी० के डिपो में ले जाया गया और इसकी जांच की गई। इसमें कोई पानी नहीं पाया गया। यह उत्पाद विनिर्देशनों के अनुसार पाया गया और इसे आई० ओ० सी० के डिपो में भंडारण टैंक में डाल दिया गया।

बालासोर, उड़ीसा में शक्ति वाले दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र को हुई क्षति

3037. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 मई, 1989 को आये तूफान के कारण उड़ीसा राज्य के बालसोर स्थित कम शक्ति वाले दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र को भारी क्षति पहुंची थी;

(ख) यदि हां, तो क्षति का और इस केन्द्र को चालू करने योग्य बनाने हेतु की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मरम्मत कार्य के बावजूद केन्द्र से 1 कि० मी० से अधिक दूरी पर दर्शक कार्यक्रम नहीं देख पा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) से (घ) बालासोर में वी० एच० एफ० बैंड में चैनल-12 पर कार्य कर रहे अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर का स्तम्भ (मास्ट), दिनांक 26 मई, 1989 को आए तूफान के दौरान गिर गया था और स्तम्भ के शिखर पर लगे प्रसारण एन्टिना को इतनी हानि हुई कि उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती। सेवा में रुकावट की अवधि को कम से कम करने के उद्देश्य से एक चैनल-9 एन्टिना शीघ्र ही बालसोर भेजा गया और 3 से 40 फुट ऊंचे अस्थायी स्तंभ (मास्ट) पर लगाया गया। यद्यपि प्रसारण इस प्रकार पुनः आरम्भ कर दिया गया तथापि स्तम्भ की कम ऊंचाई तथा अनुपयुक्त एन्टिना के कारण सेवा क्षेत्र काफी कम हो गया है, अब एक नया 100 फुट स्तम्भ तैयार करने तथा लगाने का ठेका दे दिया है। इस बीच कवरेज में सुधार लाने के उद्देश्य से बालासोर के अल्प शक्ति रिले केन्द्र को वर्तमान चैनल-9 एन्टिना के स्थान पर चैनल-12 एन्टिना सप्लाई कर दिया गया है।

पुरस्कृत गैर-फीचर फिल्मों का दूरदर्शन पर प्रसारण

3038. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 36 वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए गैर-फीचर फिल्मों के अधिनिर्णायक (जूरी) ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त सभी गैर-फीचर फिल्मों को दूरदर्शन पर प्रसारित करने की सिफारिश की है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है;

(ग) यदि हां, तो इन फिल्मों को दूरदर्शन पर किस तारीख से प्रसारित किया जाएगा और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में किस तारीख तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) मौजूदा नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अन्तर्गत दूरदर्शन पहले ही सभी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फीचर फिल्मों और गैर फीचर फिल्मों को दूरदर्शन पर प्रसारित करने पर विचार कर रहा है। यहां तक कि पुरस्कार न जीतने वाली गैर फीचर फिल्मों के प्रसारण पर भी विचार किया जाता है। जब कभी निर्माताओं/अधिकार धारकों से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं इन फिल्मों को

प्रसारित करने पर विचार किया जाता है। तथापि दूरदर्शन केवल उन्हीं फिल्मों को प्रसारित कर सकता है जो दूरदर्शन पर प्रसारण के लिए उपयुक्त पाई जाएं और समसामयिक रूप से प्रसंगानुकूल हों।

सहकारी विद्युत वितरण समितियों का गठन

3039. **श्रीमती किशोरी सिंह :**
श्रीमती जयन्ती पटनायक :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई प्रबन्ध के लिए सहकारी विद्युत वितरण समितियों का गठन करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन सहकारी समितियों के गठन हेतु एक केंद्र की स्थापना की जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा प्रोन्नत एवं वित्त पोषित कुछ ग्राम वितरण संघों को देश में प्रतिष्ठापित किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नही उठता।

गैस पर आधारित विद्युत संयंत्रों हेतु विश्व बैंक सहायता

3040. **श्री चिन्तामणि जेना :**
श्री मोहनभाई पटेल :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने गैस पर आधारित कुछ विद्युत संयंत्रों का वित्त-पोषण करने पर अपनी सहमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो कितने ऋण की पेशकश की गई है; और

(ग) गैस पर आधारित इन विद्युत संयंत्रों के निर्माण का कार्य कब शुरू होगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) विश्व बैंक ने राजस्थान में अंटा, उत्तर प्रदेश मे औरैया तथा गुजरात में कवास तीन गैस पर आधारित विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए 485 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता प्रदान की है। अंटा की गैस टरबाइन यूनिट को प्रचालित कर दिया गया है तथा वाष्प टरबाइन यूनिट के 1990-91 में प्रचालित हो जाने की प्रत्याशा है। औरैया की दो गैस टरबाइन यूनिटें प्रचालित कर दी गई हैं, शेष दो गैस टरबाइन यूनिटों तथा दो वाष्प टरबाइन यूनिटों की क्रमशः 1989-90 तथा 1990-91 में प्रचालित हो जाने की प्रत्याशा है। तथापि, कवास परियोजना के सम्बन्ध में

मुख्य संयंत्र के आदेश टर्न-की करार पर नहीं दिये गये हैं, तथापि, अवसंरचनात्मक विकास निर्माण-कार्य चल रहे हैं।

भारतीय तेल निगम के कर्मचारियों के साथ वेतन समझौता

3041. **श्री अब्दुल हमीद :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने अपने कर्मचारियों के साथ वेतन आदि के बारे में उनकी दीर्घकालीन मांग के संबंध में कोई समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) दीर्घावधिक समझौते की मुख्य बातें ये हैं—

(i) यह समझौता 1-5-86 से 30-6-90 तक प्रभावी रहेगा (चार वर्ष और दो महीने);

(ii) सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा परिचारित दिशा निर्देशों के अधीन 1-5-86 से कर्मियों को दिये गये अंतिम राहत, मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ते की राशि को इन समझौतों के फलस्वरूप देय बकाया राशि के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।

(iii) मजदूरी ढांचा :—

—अखिल भारतीय उपभोक्ता कीमत सूचकांक 607 पर वर्तमान निर्धारित महंगाई भत्ता और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ना।

—60 रुपये का फिटमेंट लाभ और एक वेतन वृद्धि।

—उपभोक्ता कीमत सूचकांक 607 पर न्यूनतम मजदूरी 1180 रुपये बैठेगी।

महाराष्ट्र की ताप विद्युत योजनाओं को सरकार की स्वीकृति

3042. **श्री धनवारी लाल पुरोहित :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र की ताप विद्युत योजनाओं की अनेक परियोजना रिपोर्टें स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) ये योजनाएं कब से लम्बित पड़ी हैं; और

(घ) सरकार का इन योजनाओं को स्वीकृति के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) महाराष्ट्र के संबंध में ताप विद्युत उत्पादन स्कीमों की स्थापना करने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में अन्य संबंधित अभिकरणों के परामर्श से परीक्षण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

क्रम सं०	स्कीम एवं क्षमता का नाम	प्रस्ताव के प्राप्त होने की तारीख
1.	पारली "ग" ता० वि० केन्द्र यूनिट 6 व 7— 2×210 मेवा०	14-3-1986
2.	पश्चिमी महाराष्ट्र ता० वि० केन्द्र — 2 × 250 मेगावाट (बी० एस० ई० एस० लिमिटेड)	18-8-1988
3.	डभोल जी० टी० संयुक्त साइकल—760 मेगावाट	13-3-1989
4.	ट्राम्बे जी० टी० संयुक्त साइकल—180 मेगावाट (टाटा इलैक्ट्रिक क० लि०)	1-3-1989

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में स्कीमों को मूल्यांकित किए जाने के पहले ईंधन लिंकेज पर्यावरण विभाग राज्य प्रदूषण बोर्ड, राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण एवं अनुपालना द्वारा विद्युत आपूर्ति ऐक्ट 1948 की धारा 44 की उपधारा 29 के तहत स्वीकृतियों जैसे कुछ आवश्यक निवेशों को सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

चन्द्रपुर यूनिट-7 के प्रस्ताव को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकित कर लिया गया है और वन तथा पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

सौर ऊर्जा के माध्यम से पर्वतीय क्षेत्रों का विद्युतीकरण

[हिन्दी]

3043. **श्री हरीश रावत :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सौर ऊर्जा के माध्यम से देश के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित सभी दूरदराज के गांवों का विद्युतीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) देश के पहाड़ी क्षेत्रों के दूर-दराज के गांवों में सड़क रोशनी, घरेलू रोशनी, सामुदायिक रोशनी और सामुदायकि टेलीविजनों के लिए सौर प्रकाश-वोल्टीय प्रणालियां उपलब्ध कराई गई है। अभी तक उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, तमिलनाडु, मेघालय आदि राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रारम्भिक विद्युतीकरण के द्वारा 300 से भी अधिक गांवों में ये प्रणालियां उपलब्ध कराई गई हैं। पहाड़ी क्षेत्रों के अन्य सभी अविद्युतीकृत गांवों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल करने के लिए इस कार्यक्रम का विस्तार निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

पर्वतीय क्षेत्रों में आकाशवाणी केन्द्र

3044. **श्री हरीश रावत :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना अवधि के दौरान देश के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले सभी आकाशवाणी केन्द्रों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है;

(ख) स्वीकृति किये गये उन आकाशवाणी केन्द्रों के नाम क्या हैं जहां निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है;

(ग) क्या सरकार का इन केन्द्रों का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने हेतु कोई विशेष कार्य योजना तैयार करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से वैकल्पिक उपाय किये जाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) जी, नहीं। तथापि देश के पर्वतीय क्षेत्रों के कई स्थानों पर जहां सातवीं योजना के दौरान नये आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं, कई निर्माण कार्य आरंभ हो गये हैं।

(ख) पर्वतीय क्षेत्रों में जीरो, तवांग, तेजपुर, धर्मशाला, किन्नौर, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला, कारगिल, जम्मू, जोवई, लुंगलेह, गोपेश्वर (चमोली), पौडी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, मसूरी, कोडईकनाल, कुर्सियांग, नासिक, इड्डकी, और कालीकट में आकाशवाणी केन्द्रों का निर्माण कार्य अभी आरम्भ नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) इन स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए यथासम्भव सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में माइक्रो जल-विद्युत परियोजनाएं

3045. **श्री हरीश रावत** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सातवीं योजना अवधि के अन्त तक उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों की कौन-कौन-सी "माइक्रो' जल-विद्युत परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ हो जाएगा या वे पूरी हो जाएंगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : अपेक्षित सूचना उत्तर प्रदेश मे आनी शेष है, क्योंकि 5 करोड़ रुपये की पूंजी लागत से कम लागत की सूक्ष्म/लघु पन-बिजली परियोजनाएं राज्य सरकार द्वारा बिना केन्द्र सरकार की अनापत्ति प्राप्त किये, प्रारम्भ की जा सकती हैं।

यह सूचना जब प्राप्त हो जायेगी तो सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन सुविधाओं के सर्वेक्षण हेतु अध्ययन दल

3046. **श्री हरीश रावत** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार की संभावनाओं का पता लगाने तथा इस प्रयोजनार्थ पूंजी-निवेश करने के लिए कोई अध्ययन दल भेजने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन दल को वहां कब तक भेजने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन क्षेत्रों में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार हेतु आठवीं योजना के दौरान कौन-सी नीति अपनाई जाएगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री(श्री शिवराज वी०पाटिल) : (क)और (ख) हाल में ही उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा एक पर्यटन संभाव्यता सर्वेक्षण किया गया।

(ग) पर्यटन आधार संरचना को सुदृढ़ करना एक सतत प्रक्रिया है और केन्द्रीय पर्यटन विभाग राज्य सरकारों को इस प्रयोजन के लिए, निधियों की उपलब्धता और प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाथ में ली गई स्कीमों में, विभिन्न पर्यटन स्थलों पर आवास एककों का निर्माण, जोशीमठ के निकट औली में पर्वतारोहण एवं ट्रेकिंग सुविधाओं की व्यवस्था, जार्ज एवरेस्ट हाऊस (मसूरी के निकट), कार्बेट नेशनल पार्क, मल्सी डीयर पार्क एवं झारीपानी का विकास और मसूरी के निकट उपग्रह स्थलों का सौन्दर्यकरण आदि शामिल हैं।

इब घाटी ताप विद्युत परियोजना हेतु उपकरण

[अनुवाद]

3047. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में प्रस्तावित इब घाटी ताप विद्युत परियोजना हेतु उपकरणों की खरीद के लिए उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन उपकरणों के लिए सरकारी क्षेत्रों के किन उपक्रमों को ठेका दिया गया है;

(ग) उड़ीसा विद्युत उत्पादन निगम को इस प्रयोजन के लिए उपकरण की सप्लाई किस तिथि तक की जायेगी;

(घ) इन उपकरणों की लागत क्या है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ङ) 210-210 मेगावाट के चार यूनिटों वाली इब ताप विद्युत परियोजना को योजना आयोग द्वारा अप्रैल, 1987 में स्वीकृत किया गया था। प्रथम दो यूनिटों के लिए बॉयलर तथा टर्बो जनरेटर उपस्कर एवं सम्बद्ध सहायक उपस्करों की सप्लाई के लिए 220 करोड़ रु० की कुल कीमत पर दिनांक 8-12-1988 को मैसर्स "भेल" को मांग पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। ठेके के अनुसार, उपस्करों की आपूर्ति क्रमशः मार्च, 1992 तक सितम्बर, 1992 तक पूरी कीजानी है। मैसर्स उड़ीसा पावर जनरेशन कारपोरेशन द्वारा "भेल" को 10% ब्याज-मुक्त-अग्रिम के रूप में 22 करोड़ रु० की अग्रिम राशि का भुगतान पहले की किया जा चुका है। यूनिट-1 तथा 2 को क्रमशः सितम्बर, 1992 तथा मार्च, 1993 तक चालू किए जाने की संभावना है।

विमान दुर्घटनाएं

3048. **श्री एन० डेनिस :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान भारत में विदेशी एयरलाइनों की विमान दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन विमान दुर्घटनाओं में हुई जानमाल की हानि का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) 1-8-87 से 31-7-89 की अवधि में भारत में विदेशी विमान दुर्घटना की एक घटना घटी थी।

(ख) कोई जन-हानि नहीं हुई। तथापि, विमान को पर्याप्त क्षति पहुंची और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का लोकलाइजर एंटीना पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के विशेष सेवा केन्द्र

3049. **श्री एन० डेनिस :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड (घड़ी का निर्माण करने वाली डिवीजन) ने देश में तथा विदेशों में विशेष सेवा केन्द्र स्थापित किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० बेंगल राव) : (क) और (ख) एच० एम० टी० ने देश भर में एच० एम० टी० घड़ियों के लिए 419 बिक्री उपरान्त सेवा केन्द्रों की स्थापना की है। एच० एम० टी० द्वारा विदेशी में अभी तक ऐसा कोई बिक्री उपरान्त सेवा केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है।

लक्षद्वीप में विद्युतीकरण

3050. **श्री एन० डेनिस :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्षद्वीप में सभी द्वीपों का विद्युतीकरण कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इन द्वीपों का विद्युतीकरण कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ग) अब तक कुल कितने कनेक्शन दिए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) लक्षद्वीप के सभी आबाद द्वीपों और एक गैर-आबाद द्वीप, बंगाराम जो कि पर्यटन स्थल है, को विद्युतीकृत किया जा चुका है। विद्युत के कुल कनैक्शनों की संख्या लगभग 11000 है (1-8-1989 की स्थिति के अनुसार)।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटल

[हिन्दी]

3051. **श्री एम० एल० शिकराम :**

श्री विजय एन० पाटिल :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम के होटल देश में तथा विदेशों में कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) उन होटलों के नाम क्या हैं, जिनसे भारत पर्यटन विकास निगम को घाटा हो रहा है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में तथा विदेशों में भारत पर्यटन विकास निगम के और अधिक होटलों के निर्माण का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इन होटलों की स्थापना के स्थानों का तथा वर्गीकरण का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

(ग) जी, नहीं। चालू वर्ष के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम की वार्षिक योजना 1989-90 में देश में एवं देश के बाहर नए होटलों की स्थापना करने की कोई व्यवस्था सम्मिलित नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-1

क्र०सं०	एकक का नाम	अवस्थिति
1	2	3
	1. होटल पाटलीपुत्र अशोक	पटना, बिहार
	2. होटल बोधगया अशोक	बोधगया, बिहार
		दिल्ली, संघशासित क्षेत्र
	3. अशोक होटल	नई दिल्ली
	4. होटल सम्राट	नई दिल्ली
	5. कुतुब होटल	नई दिल्ली
	6. कनिष्क होटल	नई दिल्ली
	7. जनपथ होटल	नई दिल्ली
	8. लोधी होटल	नई दिल्ली
	9. रणजीत होटल	नई दिल्ली
	10. अशोक यात्री निवास	नई दिल्ली
	11. होटल जम्मू अशोक	जम्मू, जम्मू और कश्मीर
	12. होटल अशोक	बंगलौर, कर्नाटक

1	2	3
13.	होटल हसन अशोक	हसन, कर्नाटक
14.	ललिता महल पैलेस होटल	मैसूर, कर्नाटक
15.	कोवलम अशोक बीच रिसार्ट	कोवलम, केरल
16.	होटल औरंगाबाद अशोक	औरंगाबाद, महाराष्ट्र
17.	होटल खजुराहो अशोक	खजुराहो, मध्य प्रदेश
18.	होटल कलिंग अशोक	भुवनेश्वर, उड़ीसा
19.	होटल जयपुर अशोक	जयपुर, राजस्थान
20.	लक्ष्मी विलास पैलेस होटल	उदयपुर, राजस्थान
21.	होटल मदुरै अशोक	मदुरै, तमिलनाडु
22.	टेम्पल बे अशोक बीच रिसार्ट	मामल्लापुरम, तमिलनाडु
23.	होटल आगरा अशोक	आगरा, उत्तर प्रदेश
24.	होटल वाराणसी अशोक	वाराणसी, उत्तर प्रदेश
25.	होटल एयरपोर्ट अशोक	कलकत्ता, पश्चिमी बंगाल

नोट : वर्तमान में भारत पर्यटन विकास निगम देश से बाहर कोई होटल नहीं चला रहा है ।

विवरण-2

क्र०सं०	होटलों का नाम	घाटे का कारण
1	2	3
1.	रणजीत होटल, नई दिल्ली	
2.	होटल जम्मू अशोक, जम्मू	
3.	होटल औरंगाबाद अशोक, औरंगाबाद	
4.	होटल खजुराहो अशोक, खजुराहो	इन होटलों में हानि होने के मुख्य कारण कम अधिभोग/पर्यटक आगमन, अन्य होटलों से प्रतिस्पर्धा, अतिरिक्त होटल आवास का निर्माण, भारी मूल्यह्रास एवं ब्याज का प्रभाव, सम्पत्तियों की
5.	टेम्पल बे अशोक बीच रिसार्ट, मामल्लापुरम	
6.	होटल वाराणसी अशोक, वाराणसी	

1	2	3
	7. होटल पाटलीपुत्र अशोक, पटना	सुदूर अवस्थिति और पर्यटन के संवर्धन के लिए उनका परिचालन।
	8. होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर	
	9. होटल सम्राट, नई दिल्ली	
	10. होटल आगरा अशोक, आगरा	
	11. होटल बोधगया अशोक, बोधगया	

राज्य विद्युत बोर्डों को पदोन्नति के बारे में केन्द्रीय दिशानिर्देश

[अनुवाद]

3052. **डा० वी० वेंकटेश :**

श्री अतीश चन्द्र सिन्हा :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य विद्युत बोर्डों/राज्य सरकारों को विद्युत बोर्डों में तकनीकी पदों पर पदोन्नति के बारे में कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जूनियर इंजीनियरों के पदों पर टैक्नीशियनों की पदोन्नति के बारे में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा इन दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के टैक्नीशियनों द्वारा आन्दोलन का मार्ग अपनाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को इस बात पर जोर दे रही है कि वे राज्य बिजली बोर्डों में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित तकनीकी जनशक्ति रखें ताकि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें तथा बिजली उत्पादन एवं आपूर्ति में अधिक कुशलता के लिए जनशक्ति को प्रेरित करने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन देना चाहिए। तथापि सरकार ने बोर्डों में तकनीकी पदों को बढ़ाने के संबंध में राज्य बिजली बोर्डों के लिए कोई निर्देशक सिद्धान्त नहीं जारी किया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

खादी और ग्रामोद्योग का कार्यक्षेत्र

3053. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं योजनावधि के दौरान खादी और ग्रामोद्योग के कार्यक्षेत्र की कोई समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या सरकार का आठवीं योजना के दौरान खादी और ग्रामोद्योग का कार्यक्षेत्र बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में विभिन्न राज्यों को क्या अनुदेश दिये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री(श्री एम०अरुणाचलम):(क)से(ग) जी, हां । 8-7-1989 को नई दिल्ली में हुए अखिल भारतीय उद्योग मंत्री सम्मेलन में खादी तथा ग्रामोद्योगों के कार्य क्षेत्र की समीक्षा की गई । इसके कार्यक्षेत्र में 1988-89 तक 2.10 लाख गांवों को शामिल कर लिया गया है जबकि सातवीं योजना में इस कार्यक्षेत्र में 1.50 लाख गांवों से बढ़ा कर 2.00 लाख गांव करने का था ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) राज्य सरकारों को (1) उद्योगों की संख्या की विविधता जिन्हें राज्य में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/संस्थाओं द्वारा उपयुक्त रूप से लिया जा सकता है; (2) सामूहिक प्रयास करके यदि आवश्यक हो, अधिक ग्रामों को कार्यक्षेत्र में शामिल करने के लिए सलाह दी गई हैं ।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के साथ किया गया समझौता ज्ञापन

3054. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के साथ ऐसे दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए थे जिनके अनुसार निगम को वर्ष 1989-90 के दौरान निश्चित उत्पादन और वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है;

(ख) यदि हां, तो इस उपक्रम के साथ किए गए समझौता ज्ञापनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह उपक्रम वर्ष 1989-90 में किस हद तक लक्ष्य प्राप्त करने पर सहमत हुआ है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के किए गए समझौते ज्ञापन में वर्ष 1989-90 के लिए निम्नलिखित उत्पादन तथा वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं :—

(1) उत्पादन लक्ष्य	...	37300 मिलियन यूनिट
(2) वित्तीय लक्ष्य		
विक्रय निष्पति	...	1782.00 करोड़ रुपए
लाभ (कर से पूर्व)	...	207.64 करोड़ रुपए

(ग) रा० ता० वि० निगम उपर्युक्त लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सहमत हो गया है बशर्ते

ईंधन सप्लाई में कोई गम्भीर बाधा न आये, ग्रिड प्रतिबन्धों के कारण तथा विभिन्न विद्युत केन्द्रों से विद्युत के अपने आबंटित हिस्से के आहरण के लिए विभिन्न राज्य/संघ शासित क्षेत्र पीछे न छूट जाएं।

मारुति उद्योग लिमिटेड के साथ समझौता

3055. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मारुति उद्योग लिमिटेड के साथ वर्ष 1989-90 के दौरान उत्पादन और वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करने के सम्बन्ध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त उपक्रम के साथ किए गए समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) मारुति उद्योग लिमिटेड वर्ष 1989-90 के दौरान उक्त दोनों लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किस सीमा तक सहमत हो गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मारुति उद्योग लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन हुआ है जिसमें 1989-90 के लिए निम्नलिखित सहमत उत्पादन और वित्तीय लक्ष्य रखे गए हैं :—

(1) कारोबार	—	115,000 वाहन
(2) कर पूर्व लाभ	—	25.00 करोड़ रुपए

सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड में कोयले का उत्पादन

3056. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड ने वर्ष 1989-90 के दौरान एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो इस कम्पनी द्वारा उत्पादित कोयले से कर्नाटक में कोयले की कमी किस हद तक दूर होगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ): (क) और (ख) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० में वर्ष 1988-89 में हुए 18.60 मि० टन के वास्तविक उत्पादन की तुलना में वर्ष 1989-90 की अवधि के दौरान कोयले के उत्पादन के लक्ष्य को 21.5 मि० टन निर्धारित किया गया है। सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० के कोयले के उत्पादन का मुख्य अंश को आपूर्ति महत्वपूर्ण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को, जैसे थर्मल विद्युत केन्द्रों, सीमेंट संयंत्रों, आदि को की जा रही है। रायचूर थर्मल विद्युत केन्द्र और कर्नाटक के कुछ सीमेंट संयंत्रों को सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० से कोयले की आपूर्ति जारी रखी जाएगी किन्तु कंपनी वर्तमान में कर्नाटक के गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को कोयले की सप्लाई में वृद्धि किए जाने की स्थिति में नहीं है। फिर भी, कोल इंडिया लि० कर्नाटक की कुछ मांग को पूरा कर रही है और सिंगरेनी कोलियरीज से उपलब्ध कोयले की आपूर्ति से प्रतिपूर्ति की जा रही है।

केरल राज्य विद्युत बोर्ड के लिए विश्व बैंक से ऋण

3057. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने विश्व बैंक से 1988-89 के दौरान केरल राज्य विद्युत बोर्ड के लिए ऋण मंजूर करने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988-89 के दौरान विश्व बैंक द्वारा केरल राज्य विद्युत बोर्ड को कितनी राशि का ऋण दिया गया;

(ग) क्या केरल राज्य विद्युत बोर्ड ने उक्त राशि का प्रस्तावित प्रयोजन के लिए उपयोग किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस मामले में क्या कमियां रहीं तथा इसका उपयोग न किए जाने के कारण, क्या स्थिति बनी ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

जैसलमेर, राजस्थान में बिजली घर

[हिन्दी]

3058. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के जैसलमेर जिले में अब तक उपलब्ध गैस से कितनी मेगावाट क्षमता का बिजली घर स्थापित किया जा सकता है;

(ख) क्या जैसलमेर जिले में रामगढ़ में स्थापित गैस पर आधारित विद्युत परियोजना की क्षमता को 3 मेगावाट से बढ़ाकर 15 मेगावाट करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) मानहेरा टिब्बा क्षेत्र से गैस के फ्री-फ्लो के समुपयोजन के आधार पर 1984 में राजस्थान के जैसलमेर जिले में 1 × 3 मेगावाट गैस टरबाइन विद्युत संयन्त्र की स्थापना को अनुमोदित किया गया था।

(ख) इस संबंध में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड से अभी तक कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वाणिज्यिक विमानों (एयरक्राफ्ट) का निर्माण

[अनुवाद]

3059. **श्री विजय एन० पाटिल :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक विमानों का निर्माण देश में ही करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में ऐसे विमान कम खर्चे पर तथा प्रभावी रूप से निर्माण करने का व्यावहारिकता के बारे में एक अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) इस बारे में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ङ) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड पहले से ही डोनियर 228 विमान का निर्माण कर रहा है। गैर-सरकारी क्षेत्र को 5700 किलोग्राम तक के भार के साथ विमान के निर्माण की अनुमति है। कुछ आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनकी जांच की जा रही है। योजना आयोग द्वारा गठित एक दल इस समय देश में सिविल विमानों के निर्माण के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रहा है।

कागज का मूल्य

3050. **श्री बलवंत सिंह रामूवालिया :**

श्री एच० जी० रामुलु :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान लिखने के कागज के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो अप्रैल, 1988 को खुले बाजार में साधारण कागज के मूल्य क्या थे और अप्रैल, 1989 में इसका मूल्य क्या था;

(ग) क्या इस समय कागज पर देय सभी सरकारी कर इसकी वास्तविक लागत की तुलना में अधिक हैं;

(घ) यदि हां, तो कागज के मूल्य सभी सरकारी करों, उत्पादन शुल्क, केन्द्रीय और राज्य द्वारा लगाये गये कर और रेल भाड़ा के कारण कितने प्रतिशत बढ़ जाते हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार कागज के मूल्य कम करने के लिये कच्चा माल उपलब्ध कराने और करों में कटौती करने का है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) भारतीय कागज निर्माता संघ द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार साधारण किस्म के लिखाई और छपाई के कागज (क्रीम-वूव-60 जी० एस० एम०) का प्रति टन मिल-बाह्य मूल्य, जिसमें उत्पाद शुल्क और व्यापार छूट सम्मिलित है, 15-3-1988 की स्थिति के अनुसार 11,690 रु० से बढ़कर 13-3-89 को 16,200 रु० हो गया है।

(ग) और (घ) अलग-अलग किस्म के कागज के वास्तविक उत्पादन लागत के अनुपात के रूप में सरकारी करों की स्थिति प्रत्येक मिल के संबंध में अलग-अलग होती है। तथापि, शुल्क

योग्य लिखाई के कागज पर औसत उत्पादन शुल्क मूल्यानुसार 20% है और लगभग 8% मोडवेट ऋण सहित यह मूल्यानुसार 12% बनता है जिसे बहुत अधिक नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा, ऐसे कागज के लिए पूरे उत्पाद शुल्क की रियायतें उपलब्ध हैं जिसमें खोई अथवा जूट से निर्मित लुगदी का भार 75% से कम नहीं होता है। पूर्ण छूट प्राप्त कागज और शुल्क कागज के मूल्य को ध्यान में रखते हुए, लिखाई के कागज पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की औसत स्थिति अभी भी कम है।

(ङ) कागज उद्योग को निम्नलिखित राहतें एवं रियायतें प्रदान की गयी हैं—

(1) 1-4-79 और 31-3-90 के बीच चालू एककों को उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए 50% तक उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त हैं।

(2) कम-से-कम 50% अपरंपरागत कच्ची सामग्री का प्रयोग करने वाले बड़े/मझौले/छोटे कागज मिलों द्वारा बनाये गये कागज और गत्ते पर रियायती दरों पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है।

(3) लघु कागज मिलों को 1-4-1985 से आनुक्रमिक स्लैबों के लिए वृद्धिशील आधार पर उत्पाद शुल्क के भुगतान की सुविधा दी गयी है।

(4) कागज जिसमें खोई कच्चे पटसन और मेस्टा से बनी लुगदी का भार कम-से-कम 75% हो, उत्पाद शुल्क से मुक्त होता है।

(5) काष्ठ लुगदी, रद्दी कागज, काष्ठ चिप्स और लट्ठों के आयात को खुले सामान्य लाइसेंस के तहत रखा गया है।

दिल्ली में बिजली उत्पादन में वृद्धि

[हिन्दी]

3061. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाजिरा-विजयपुर-जगदीशपुर गैस पाईप लाइन परियोजना पूरी होने पर और दिल्ली को प्राकृतिक गैस की सप्लाई किये जाने पर दिल्ली में बिजली के उत्पादन में वृद्धि हो जायेगी;

(ख) यदि हां, तो बिजली के उत्पादन में अनुमानतः कितनी वृद्धि होगी; और

(ग) यह अतिरिक्त बिजली उपभोक्ताओं को कब तक सप्लाई किए जाने की संभावना है?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) डेसू के अनुसार, दिल्ली तक विस्तृत हाजिरा-विजयपुर-जगदीशपुर पाइप लाइन के माध्यम से आपूर्त प्राकृतिक गैस को नैफ्था के बदले प्रयोग करने के परिणामस्वरूप, उनके विद्यमान 6×30 मे०वा० गैस टर्बाइनों के विद्युत उत्पादन में लगभग 3.7 मे० वा० की सीमान्त वृद्धि होगी।

(ग) प्राकृतिक गैस से एक यूनिट का प्रचालन पहले ही 31-7-1989 को शुरू किया जा चुका है। शेष 5 यूनिटों को चालू किए जाने का कार्य प्रगति पर है। ये यूनिटें मुख्यतः दिल्ली की व्यस्तर कालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हैं।

साइकिल पुर्जों का निर्माण

3062. **श्री बलवंत सिंह रामूवालिया :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साइकिल के कुछ पुर्जे जिनके निर्माण की अनुमति पहले केवल लघु उद्योग क्षेत्र को थी अब उनके निर्माण की अनुमति लघु क्षेत्र को देनी बन्द कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या लघु उद्योग क्षेत्र में साइकिल-पुर्जे निर्मताओं ने ऐसे पुर्जों का निर्माण केवल लघु उद्योग क्षेत्र में ही कराने की अनुमति देने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) केवल लघु क्षेत्र के विनिर्माताओं के लिए आरक्षित वस्तुओं की सूची से कुछ साइकिल पुर्जों का अनारक्षण और नाम में परिवर्तन किया गया है जो मुख्यतया सरलता से अधुनिक प्रौद्योगिकी को खपाने, गुणवत्ता में सुधार और निर्यात में वृद्धि करने हेतु किया गया है। अधिकांश साइकिल पुर्जे केवल लघु क्षेत्र में विनिर्माण हेतु आरक्षित हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) ऐसे अभ्यावेदनों के आधार पर और संगत अन्य पहलुओं पर विचार करके "हब्स और कप्स" जिन्हें मार्च, 1989 में अनारक्षित कर दिया गया था, को 27 जून, 1989 के प्रेस नोट के तहत फिर से आरक्षित कर दिया गया है। केवल लघु क्षेत्र में विनिर्माण करने के लिए वस्तुओं का आरक्षण/अनारक्षण करना एक निरंतर चलती रहने वाली प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है।

खेल सामान उद्योग की समस्यायें

3063. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 जून, 1989 की "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में "लेबर, रॉ-मैटीरियल हिट आउटपुट, एक्सपोर्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) सरकार द्वारा खेल सामान उद्योग की समस्याओं को दूर करने हेतु क्या उठाए गए हैं या उठाने का विचार है; और

(घ) पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष खेल के सामान के निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सरकार ने 9 जून, 1989 के फाइनैन्शियल एक्सप्रैस में "लेबर रॉ मैटीरियल हिट आउटपुट, एक्सपोर्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार को देखा है। देश से खेल कूद सामान का निर्यात

1986-87 के 28.38 लाख रु० से बढ़कर 1988-89 में 37.69 लाख रु० हो गया है, इस प्रकार इसमें प्रतिवर्ष औसत विकास 11% हुआ है।

(ग) उद्योग के संवर्धन के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं—

(i) खेल कूद सामान उद्योग के लिए जालंधर में एक डिजाइन एवं विकास केन्द्र की स्थापना,

(ii) सिंथेटिक चमड़ा, बेंत शहतूत व विलो लकड़ी सहित कच्चे माल की आपूर्ति के लिए एक सामग्री बैंक खोलना,

(iii) शहतूत के वृक्ष लगाने में वृद्धि। पिछले आठ वर्षों में पंजाब में ही 13 लाख वृक्ष लगाए गए हैं,

(iv) विलो/एश/बीच वुड, केन, कार्क बाटम स्ट्रिंग्स, पी० यू० लैदर इत्यादि सहित विभिन्न कच्चे माल का सीमा शुल्क के बिना आयात करने की अनुमति देना।

(घ) वर्ष 1988-89 में खेल कूद सामान के निर्यात का लक्ष्य 45 करोड़ रुपये था। चालू वित्तीय वर्ष में खेल कूद सामान के निर्यात लक्ष्य को अन्तिम रूप दिया जाना है।

दस शीर्ष बड़े घरानों की परिसम्पत्तियां

[अनुवाद]

3064. **श्री राम भगत पासवान** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 में दस शीर्ष घरानों की कुल परिसम्पत्तियां क्या हैं और वर्ष 1979 में इनकी कुल परिसम्पत्तियां कितनी थीं;

(ख) क्या सरकार का बड़े घरानों के एकाधिकार के विस्तार को रोकने हेतु कुछ और कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) 1989 के लिए सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि सभी तुलन पत्र अभी तक देय नहीं हुए हैं। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत और 1987-88 में उनकी परिसंपत्तियों के अनुसार श्रेणीबद्ध 10 सबसे बड़े घरानों से संबंधित कंपनियों की (वर्ष 1987-88) अप्रैल, 1987 से मार्च, 1988 को समाप्त लेखा वर्ष तथा 1979 में परिसंपत्तियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के संबंधित उपबंधों के अनुसार पर्याप्त विस्तार, नई इकाईयों की स्थापना, विलयन समामेलन, अधिग्रहण आदि के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार कंपनियों के प्रस्तावों की जांच के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि बड़े औद्योगिक घरानों तथा प्रमुख उपक्रमों की परिसंपत्तियों में हुई वृद्धि से साधारण जनहित को नुकसान नहीं होता।

विवरण

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत

पंजीकृत और 1987-88 में उनकी परिसंपतियों के अनुसार श्रेणीबद्ध 10 सबसे बड़े घरानों से संबंधित कंपनियों का 1987-88 (अप्रैल, 1987 से मार्च, 1988 को समाप्त वर्ष) तथा 1979 के दौरान उनकी परिसंपत्तियां—

क्र०सं०	बड़े घराने का नाम	परिसंपत्तियां (रु० करोड़ों में)	
		1987-88	1979
1.	बिरला	5564.37	1309.99
2.	टाटा	5558.56	1309.38
3.	रिलायन्स	2033.15	119.95
4.	जे० के० सिंघानिया	1566.41	352.53
5.	थापर	1317.10	291.01
6.	मफतलाल	1131.18	371.06
7.	बजाज	953.68	168.61
8.	लारसेन एण्ड ट्यूबरो	931.28	185.48
9.	मोदी	902.52	177.08
10.	एम० ए० चिदाम्बरम	866.56*	40.53

* इसमें सदर्न केमिकल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड भी शामिल है जो 1985 में एम० ए० चिदम्बरम समूह में शामिल हो गई है।

दिल्ली/बम्बई हवाई अड्डों पर श्रमिकों का ठेका

3065. **श्री राम भगत पासवान :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और बम्बई हवाई अड्डों पर सामान ले जाने के लिए कुछ गैर-सरकारी एजेंसियों को श्रमिकों के ठेके दिये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस ठेके को देने के लिए क्या मानदंड अपनाये जाते हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार किन-किन कम्पनियों को यह ठेका दिया गया ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) स्वयं द्वारा चलाये जाने वाली ट्रालियों को आरंभ करने से दिल्ली और बम्बई हवाई अड्डों पर समान के वहन के लिए श्रमिकों को ठेके पर लगाने की प्रणाली समाप्त हो गई। तथापि, अगस्त, 1986 से वृद्ध पुरुषों, विकलांग बच्चों और महिला यात्रियों को निःशुल्क कुली सेवा प्रदान की जा रही है। उन एजेंसियों के नाम नीचे दिए गए हैं जिन्हें पिछले 3 वर्षों में इसके ठेके दिए गए हैं—

एजेंसी का नाम	ठेके की अवधि
दिल्ली हवाई अड्डा	
(1) मैसर्स एक्स-सर्विसमैन एयरलिंक ट्रांसपोर्ट सर्विस	अगस्त, 1986 से
बम्बई हवाई अड्डा	
(1) मैसर्स एक्सक्यूसिट सर्विसेज	अगस्त, 1986 से मार्च, 1987 तक
(2) मैसर्स सेडान एक्स-आर्गेनाइजेशन	अप्रैल, 1987 से अक्तूबर, 1988 तक
(3) मैसर्स डी० एम० टैंबेडे एण्ड का०	नवम्बर, 1988 से मार्च, 1989 तक
(4) मैसर्स एक्स-सर्विसमैन एयरलिंक ट्रांसपोर्ट सर्विस	अप्रैल, 1989 से

मैसर्स एक्स-सर्विसमैन एयरलिंक ट्रांसपोर्ट सर्विस के मामले को छोड़कर, जिन्हें एक्स-सर्विसमैन संगठन होने के नाते समझौते के माध्यम से कार्य सौंपा गया था, अन्य ठेके निविदाएं मंगवाकर दिए गए हैं।

केमिकलों और पेट्रो केमिकलों का निर्यात

[हिन्दी]

3066. **श्री राम भगत पासवान :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार कितने मूल्य के केमिकलों तथा पेट्रो केमिकलों का निर्यात किया गया;

(ख) क्या आठवीं योजना के दौरान निर्यात बढ़ाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में रसायन तथा पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० नामग्याल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान लगभग निम्नलिखित मूल्य के रसायनों और पेट्रो-रसायनों का निर्यात हुआ था—

वर्ष	निर्यात (रुपए/करोड़ में)
1986-87	620
1987-88	860
1988-89	1400

(ख) और (ग) निर्यात-लक्ष्य वर्षानुवर्ष के आधार पर निर्धारित किये जा रहे हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं।

अधिक औद्योगिक उत्पादन और रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के लिए उपाय

[अनुवाद]

3067. **श्री टी० बशीर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अधिक औद्योगिक उत्पादन करने तथा रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के लिए वर्ष 1989 के दौरान किए गये महत्वपूर्ण औद्योगिक नीतिगत उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन उपायों के करने से कितनी सफलता मिली है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

अधिक औद्योगिक विकास तथा रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के लिए 1989 के दौरान निम्नलिखित उपाय किए गए थे :—

(1) "ग्राउंड सैटलाइट अर्थ स्टेशन टर्मिनल और उसके हिस्से" के रूप में जाने वाले उपक्रम संचार उपकरों "सफेद वस्तुएं" जिनमें घरेलू रैफरीजरेटर, डीप फ्रीजर्स, वाशिंग मशीनें (प्रोग्रामेबल टाइप), डिश वाशर्स और वैकम्म क्लीनर्स, कितनी भी चौड़ाई के हॉट रोल्ड/कोल्ड रोल्ड स्टील स्ट्रिप । शीट और ग्लास फाइबर शामिल हैं, के विलद-वर्गीकरण को और व्यापक बनाना।

(2) स्थापना-स्थल सम्बन्धी छूट-अचल परिसम्पत्तियों (भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी) में 5 करोड़ रु० तक निवेश वाली परियोजनाएं कुछ शर्तों के अधीन दिनांक 30-6-1988 की अधिसूचना द्वारा दी गई लाइसेंस लेने से छूट की सुविधा का लाभ उठा सकती हैं, भले ही वे उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट दूरी सम्बन्धी सीमा के भीतर आती हों।

(3) लघु क्षेत्र के लिए आरक्षण-प्लास्टिक केन, सल्फेटर से पोटेशियम नाइट्रेट और बिजली के बल्ब, बजर, साइकिल के हबों और कबों का उत्पादन लघु उद्योगों के लिए आरक्षित किया गया है।

(4) डिब्बा बन्द फलों, वनस्पति उत्पादों, प्रोटीन और तैयार खाद्यों तथा दूध छुड़ाने के लिए वनस्पति पर आधारित खाद्यों, समुद्री उत्पादों और पशु-चारे का उत्पादन करने वाले एककों को श्रेणी "क" के पिछड़े जिलों में स्थापित करने के लिए एम० आर० टी० पी० और फेरा कम्पनियों को दी गई लाइसेंस-मुक्त करने की सुविधा अब श्रेणी "ख" और "ग" के पिछड़े जिलों के लिए भी दे दी गई है।

(5) सातवीं योजना अवधि के लिए चीनी लाइसेंसीकरण नीति को थोड़ा शिथिल किया गया है। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में सहकारी और सरकारी क्षेत्रों में नई चीनी कारखाने लगाने के लिए लाइसेंस कुछ शर्तों के अधीन 1,750 टी० सी० डी०

की प्रारम्भिक क्षमता हेतु दिए जाएंगे। कुछ शर्तों के अधीन स्थानिक दूरी 40 किलोमीटर से घटाकर 25 किलोमीटर कर दी गई है।

(6) ऑटो-टायर उद्योग को लाइसेंस मुक्त करना।

(7) बियर में नई क्षमता-प्रत्येक एकक को 5000 किलोलीटर प्रति माह न्यूनतम क्षमता के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। एम० आर० टी० पी०/फेरा कम्पनियों को कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, जब तक यह उपक्रम निर्धारित निर्यात दायित्व नहीं लेता है।

(8) यह निर्णय किया गया है कि 30 जून, 1988 द्वारा दी गई लाइसेंस लेने से छूट की सुविधा निम्नलिखित को भी दी जाए :—

(क) दिनांक 30 जून, 1988 की अधिसूचना के अधीन छूट अनुसूची-3 में निर्दिष्ट लघु एककों के लिए आरक्षित सभी वस्तुएं।

(ख) 50 व्यक्तियों से कम को नियोजित करने वाले सभी बुनाई एकक।

(ग) दूरसंचार उपकरण औद्योगिक नियंत्रण इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम, कम्प्यूटर पेरिफेरल इत्यादि के अन्तर्गत आने वाली वस्तुएं।

(9) (क) मिश्रित एककों को जिन्हें हॉट रोल्ड स्ट्रिपों/शीटों का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस दिया गया है, उन्नत एकीकरण (फावर्ड इंटेगरेशन) के रूप में अपने हॉट रोल्ड स्ट्रिपों/शीटों के उत्पादन के आधार पर कोल्ड रोल्ड स्टील स्ट्रिपों/शीटों का उत्पादन करने की अनुमति दी जाएगी। कम और अधिक चौड़ाई वाली हॉट रोल्ड स्टील स्ट्रिपों/शीटों और कोल्ड:रोल्ड स्टील स्ट्रिपों/शीटों के उत्पादन को विशद्-वर्गीकृत (ब्रांड बेंडेड) किया जाएगा तथा लाइसेंस प्राप्त एकक अपनी मौजूदा लाइसेंस प्राप्त क्षमता के भीतर किसी भी चौड़ाई की स्ट्रिपों/शीटों का उत्पादन करने के लिए स्वतन्त्र होंगे। एच० आर० शीटों/स्ट्रिपों का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त एककों, जो इन वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए स्टील स्लैब प्राप्त करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं, को इलैक्ट्रिक आर्क भट्टी और कंटिन्यूअस स्लैब कास्टिंग रूट पर आधारित बैकवर्ड इंटेगरेशन के रूप में आन्तरिक (कैपिटव) स्टील बनाने की क्षमताओं की अनुमति देने का भी निर्णय किया गया है।

(ख) लाइसेंस मुक्त करने की इन सुविधाओं का उद्देश्य यह है कि उद्योगपति औद्योगिक लाइसेंसों के लिए आवेदन किए बिना ही उद्योग प्रारम्भ कर सकें। यह पर्याप्त है यदि वे लाइसेंस-मुक्त करने की योजना के अधीन पंजीकरण प्राप्त कर लेते हैं, जोकि औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय द्वारा बिना विलम्ब के दिया जाता है। जहां तक सम्भव है इसके कार्यविधि सम्बन्धी विभिन्न क्लीयरेंस निहित नहीं है।

(10) उत्पादकों को सम्बद्ध पुर्जों की बिक्री की अनुमति दी गई है और कुछ शर्तों के अधीन लाइसेंस प्राप्त उत्पादक उपकरणों के हिस्से बेच सकते हैं।

व्यापारिक घरानों का समाचार पत्रों पर प्रभुत्व समाप्त करना

3068. **श्री टी० बशीर** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार-पत्र आयोग ने व्यापारिक घरानों का समाचार पत्रों पर प्रभुत्व समाप्त करने की सिफारिश की है तथा इस बात पर बल दिया है कि समाचारपत्रों पर प्रभुत्व, अधिकार और नियन्त्रण कुछ ही चरानों और हाथों में न रहे; और

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) द्वितीय प्रेस आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट दिनांक 18-7-86 को सभा पटल पर रख दी गई थी। आयोग ने समाचार पत्रों को अन्य व्यापारिक हितों के प्रभुत्व से अलग करने की आवश्यकता पर बल दिया है ताकि वे स्वतन्त्र विचारों और अभिव्यक्ति का माध्यम बन सकें। आयोग ने समाचार पत्रों के स्वामित्व को व्यापार घरानों से मुक्त करने का सुझाव दिया तथा समाचारपत्रों के नियन्त्रण और स्वामित्व का विस्तार करने की आवश्यकता पर बल दिया है। यद्यपि सरकार आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में की गई सिफारिशों को भलीभांति समझती है तथापि कानूनी, संवैधानिक तथा अन्य अन्तर्निहित जटिलताओं के कारण इस समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा है।

कोकराझार में कम शक्ति का ट्रांसमीटर

3069. **श्री समर ब्रह्म चौधरी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में कोकराझार में कम शक्ति का दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इसके कब तक चालू होने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) से (ग) असम के कोकराझार में 27 मार्च, 1989 से एक अन्य शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर कार्य कर रहा है।

कोकराझार (असम) में आकाशवाणी केन्द्र

3070. **श्री समर ब्रह्म चौधरी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोकराझार (असम) में एक आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने के लिए भवन निर्माण का कार्य निर्धारित समय के अनुसार चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित आकाशवाणी केन्द्र के कब तक चालू हो जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) बोडो आन्दोलन के कारण कोकराझार के आकाशवाणी केन्द्र के भवन का निर्माण कार्य निर्धारित

कार्यक्रम से बहुत पीछे है। मौजूदा परिस्थितियों में इसे चालू करने की तारीख का ठीक-ठीक बताया जाना सम्भव नहीं है।

उड़ीसा में सीमेंट संयंत्रों की स्थापना

3071. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के सीमेंट संयंत्रों की उत्पादन क्षमता का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का उड़ीसा में कुछ सीमेंट संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो सातवीं योजना की शेष अवधि के दौरान उड़ीसा में कितने सीमेंट संयंत्र स्थापित करने का विचार किया गया है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) सरकार देश में सीमेंट की अतिरिक्त क्षमताओं को बढ़ावा देना पंसद करेगी। उड़ीसा में सीमेंट के उत्पादन के लिए 7.37 लाख मी० टन क्षमता कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत की गई है। इस क्षमता में पर्याप्त विस्तार करने के लिए उड़ीसा सरकार के एक उपक्रम को मंजूर किया गया आशय पत्र शामिल है।

इन क्षमताओं को अगली योजना अवधि में ही कार्यरूप दिया जा सकेगा।

महाराष्ट्र की ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए कोयला उपलब्ध कराना

[हिन्दी]

3072. **श्री केशवराव पारधी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र की कम से कम पांच ताप विद्युत उत्पादन परियोजनाएं, वहां कोयला उपलब्ध न होने के कारण लम्बे समय से मंजूरी हेतु लम्बित पड़ी हैं; और

(ख) क्या सरकार का महाराष्ट्र में बिजली की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए आठवीं योजना के दौरान इन परियाजनाओं के लिए कोयला उपलब्ध कराने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) स्थायी लिंकेज समिति (दीर्घकालीन) द्वारा निम्नलिखित परियोजनाओं के सम्बन्ध में कोयला लिंकेज के बारे में अभी निर्णय नहीं लिया गया है—

1. पारली "ग"	2 × 210 मेगावाट
2. भुसावल "ख"	4 × 500 मेगावाट
3. डभोल ता० वि० केन्द्र	5 × 210 मेगावाट
4. उमरेड ता० वि० केन्द्र	2 × 210 मेगावाट
5. उज्जैनी ता० वि० केन्द्र चरण-1	2 × 210 मगावाट

तथापि, महाराष्ट्र की निम्नलिखित ताप विद्युत परियोजनाओं जिनसे आठवीं योजना के दौरान लाभ प्राप्त होने की सम्भावना है, के लिए कोयला लिंकेज उपलब्ध करा दिया गया है—

1. चन्द्रपुर यूनिट 5 तथा 6 (2 × 500 मेगावाट)
2. बी० एच० ई० एस० ता० वि० केन्द्र (दहानू में) 2 × 250 मेगावाट
3. चन्द्रपुर यूनिट-7 (500 मेगावाट)
4. खापरखेड़ा यूनिट 3 तथा 4 (2 × 210 मेगावाट)

औषध कम्पनियों द्वारा अधिक मूल्य लेना

[अनुवाद]

3073. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन औषध/औषधि निर्माता कम्पनियों के नाम क्या हैं जो औषधियों और औषधों का अधिक मूल्य लेते हुए पाए गए है;

(ख) सरकार द्वारा इन औषधों/औषधियों का क्या मूल्य निर्धारित किया गया है और इन कम्पनियों द्वारा इनका कितना मूल्य लिया जाता है;

(ग) क्या सरकार ने इन कम्पनियों को अधिक मूल्य लेने के लिए दण्डित करने हेतु कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० नामग्याल) : (क) से (घ) अपेक्षित ब्यौरे, जहां तक उपलब्ध होंगे, एकत्र किए जायेंगे और सभा पटल पर रख दिए जायेंगे ।

सांची में पर्यटकों को आकर्षित करना

3074. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांची पर्यटन स्थल के प्रति आकर्षण, विशेषकर भारत की मात्रा पर आने वाले विदेशी पर्यटकों में, निरन्तर कम होता जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सांची के प्रति पर्यटकों का आकर्षक कम न हो इसके लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) गत तीन वर्षों एवं 1989 के प्रथम 5 महीनों के दौरान सांची की यात्रा करने वाले पर्यटकों की कुल संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है । तथापि, केन्द्र पर प्राथमिक रूप से उपयुक्त आवास सुविधाओं की कमी के कारण विदेशी पर्यटक यातायात में कुछ कमी आई है ।

(ख) पर्यटक आकर्षण के विकास हेतु सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों में आवास सुविधाओं को उन्नत करना, सड़कों का विस्तार एवं सतहीकरण, स्तूप से परे शौचालय का निर्माण एवं परिसर के निकट पेय जल सुविधाओं को शुरू करना एवं विदेशी बाजारों में केन्द्र का व्यापक प्रचार करना शामिल हैं।

इन्दौर-बम्बई और इन्दौर-दिल्ली मार्गों पर विभिन्न हवाई अड्डों से होकर जाने वाली उड़ानें आरम्भ करना

3075. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दौर-बम्बई और इन्दौर-दिल्ली मार्गों पर बहुत सारे लोग विमान यात्रा हेतु प्रतीक्षा सूची में रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इन मार्गों पर विभिन्न हवाई अड्डों से होकर जाने वाली उड़ानें आरम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जबकि इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों पर इंदौर-दिल्ली सैक्टर के लिए कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है, इंडियन एयरलाइंस और वायुदूत की सेवाएं इन्दौर-बम्बई सैक्टर पर उच्च लोड फैक्टर से परिचालन करती है।

(ख) और (ग) इंदौर-दिल्ली सैक्टर पर, जहां पर केवल इंडियन एयरलाइंस परिचालन करती हैं, दैनिक बोइंग 737 सेवा पर प्रदान की गई क्षमता मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी जा रही है। तथापि, इन्दौर-बम्बई सैक्टर पर, जबकि इंडियन एयरलाइंस की पर्याप्त संख्या में एयरबस ए-320 विमान अपने बेड़े में शामिल करने के बाद क्षमता में वृद्धि करने की योजना है, वायुदूत विमान क्षमता की कठिनाई के कारण क्षमता का विस्तार करने की स्थिति में नहीं है।

इंडियन एयरलाइन्स में आदानों की लागत में कमी लाने हेतु किफायती उपाय

3076. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स में आदानों की लागत में कमी लाने के लिए कोई किफायती उपाय कार्यान्वित करने का विचार है;

(ख) क्या इंडियन एयरलाइन्स के परिचालन लागत में वृद्धि इसके आदानों की लागत में हुई सामान्य वृद्धि के अनुपात से कहीं अधिक हुई है;

(ग) क्या विमान किरायों में मनमाने ढंग से वृद्धि करके इस स्थिति से निपटा जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो विमान किराया कम करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) इंडियन एयरलाइंस ने व्यय को नियंत्रण में लाने की दृष्टि से पहले ही कई किफायती उपाय किये हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। 9-7-89 से इंडियन एयरलाइंस के अंतर्देशीय किरायों में की गई वृद्धि से परिचालन लागत में हुई बढ़ोत्तरी केवल आंशिक रूप से ही प्रति संतुलित हो सकेगी। इंडियन एयरलाइंस द्वारा कमी की पूर्ति उच्चतर उत्पादकता और बेहतर लागत नियंत्रण के द्वारा की जाएगी।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की ताप विद्युत एककों का संयंत्र भार क्षमता

3077. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किन्हीं आयातित ताप विद्युत एककों का संयंत्र भार क्षमता भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित एककों की संयंत्र भार से बेहतर है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) सैट का डिजाइन तथा क्वालिटी अनेक गुणकों में से दो हैं जो कि प्लांट लोड फेक्टर का निर्णय करते हैं। बी० एच० ई० एल० द्वारा सप्लाई किए गए कुछ थर्मल सैट बहुत बढ़िया कार्य-निष्पादन करते रहे हैं। कुछ मामलों में बी० एच० ई० एल० का कार्य-निष्पादन तुलनीय आयातित सैटों की अपेक्षा बेहतर है, जैसा कि सिंघरोली, करबा, तूतिकोरिन तथा विजयवाड़ा।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के एकक

[हिन्दी]

3078. **श्री चन्द्र किशोर पाठक** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा देश में कितने और किस-किस स्थान पर अपने उद्योग स्थापित किये गये हैं और इन औद्योगिक एककों द्वारा उत्पादित की जा रही वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा कितने मूल्य का निर्यात किया गया;

(ग) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की किन-किन औद्योगिक एककों का आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव है;

(घ) प्रत्येक औद्योगिक एकक के आधुनिकीकरण पर कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है; और

(ङ) वर्ष 1988-89 के दौरान भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड औद्योगिक एककों द्वारा कितने मूल्य का उत्पादन किया गया और उन्होंने कितनी शुद्ध लाभ अर्जित किया ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (घ) बी० एच० ई० एल० की देश में 13 निर्माणकारी इकाइयां हैं। इन इकाइयों का स्थान, उनकी उत्पाद-श्रेणी, उनके आधुनिकीकरण पर होने वाले व्यय तथा बी० एच० ई० एल० के निर्मातों का मूल्य संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) बी० एच० ई० एल० को 1988-89 के दौरान कुल कारोबार तथा लाभ क्रमशः 2620 करोड़ रुपये तथा 201 करोड़ रुपये है। इसकी लेखा-परीक्षा की जानी है।

विवरण

(i) देश में बी० एच० ई० एल० के औद्योगिक एककों की स्थिति, उनकी उत्पाद-श्रेणी तथा 1989-90 में उनके आधुनिकीकरण पर होने वाला व्यय नीचे दिया गया है :

क्रमांक	औद्योगिक संयंत्र का नाम	स्थान	उत्पाद-श्रेणी	1989-90 के दौरान आधुनिकीकरण पर होने वाला व्यय (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5
1.	हेवी इलेक्ट्रिकल्स प्लांट	भोपाल, मध्य प्रदेश	थर्मल और हाइड्रो सेट, ट्रैक्शन तथा इण्डस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल मशीनें, ट्रांसफार्मर, स्विचगियर, कन्ट्रोल पेनल्स केपेस्टिर आदि ।	852
2.	ट्रांसफामर संयंत्र	झांसी, उत्तर प्रदेश	ट्रांसफार्मर, ए० सी० लोको, डीजल इलेक्ट्रिकल शंटिंग लोको, बस टक्ट्स आदि	24
3.	हेवी इलेक्ट्रिकल्स इक्विपमैंट प्लांट	हरिद्वार, उत्तर प्रदेश	थर्मल तथा हाइड्रो सेट, इलेक्ट्रिक मशीनें आदि	543
4.	सैन्ट्रल फाउन्ड्री फोर्ज प्लांट	हरिद्वार, उत्तर प्रदेश	कास्टिंग, फोर्जिंग	138
5.	हाई प्रेशर बायलर प्लांट	त्रिची, तमिलनाडु	बायलर, वाल्व, न्यूक्लियर स्टीम जनरेटिंग इक्विपमैंट	235

1	2	3	4	5
6.	सीमलैस स्टील ट्यूब प्लांट	त्रिची, तमिलनाडु	सीमलैस स्टील ट्यूब	130
7.	बायलर ऑग्जीलरीज प्लांट	रानीपेट, तमिलनाडु	बायलर आग्जीलरीज	282
8.	हेवी पावर इक्विपमैंट प्लांट	हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	थर्मल तथा इण्डस्ट्रियल पावर जैनरेटिंग सेट, आयल रिग्स, गैस टरबाइनें, पम्प, कम्प्रेसर, सर्किट ब्रेकर आदि।	346
9.	इलेक्ट्रानिक्स डिवीजन	बंगलौर, कर्नाटक	कन्ट्रोल इक्विपमैंट, इनर्जी मीटर, पावर डिवाइसें।	137
10.	इलेक्ट्रो पोर्सिलन डिवीजन	बंगलौर, कर्नाटक	इन्सुलेटर तथा बशिंग्स, सिरेमिक लाइनर आदि।	32
11.	इण्डस्ट्रियल वाल्ब्स प्लांट	गोइन्दवाल, पंजाब	इण्डस्ट्रियल वाल्ब्स	13
12.	इन्सुलेटर प्लांट	जगदीशपुर, उत्तर प्रदेश	डिस्क इन्सुलेटर	20
13.	कम्पोनैन्ट्स फेब्रीकेशन प्लांट	रूद्रपुर, उत्तर प्रदेश	विन्ड मिल्स, बायोगैस इंजन, सोलर पम्प्स आदि।	8
			योग	2760

(2) बी० एच० ई० एल० द्वारा वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 के दौरान, वास्तविक तथा माने गये कुल निर्यात का मूल्य 337.71 करोड़ रुपए तथा 281.88 करोड़ रुपए था। 1988-89 के आंकड़ों की लेखा-परीक्षा की जानी है।

बिहार में गैस पर आधारित उद्योगों की स्थापना

3079. **श्री चन्द्र किशोर पाठक** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में गैस पर आधारित उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) फिलहाल बिहार में प्राकृतिक गैस उपलब्ध नहीं है। इसलिए इस राज्य में गैस पर आधारित उद्योग स्थापित करने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि, यह निर्णय लिया गया है कि जब पाइप लाइन में पर्याप्त गैस उपलब्ध होगी, एच० बी० जे० पाइप लाइन के राज्य तक विस्तार हेतु, बिहार सरकार के अनुरोध पर विचार को प्राथमिकता दी जायेगी।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना

[अनुवाद]

3080. **श्री चन्द्र किशोर पाठक** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 और 1988 के दौरान पिछड़े क्षेत्रों में राज्यवार कुल कितने उद्योग स्थापित किए गए; और

(ख) इन उद्योगों में अनुमानतः कुल कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) उद्योगों में कार्यरत कुल व्यक्तियों की संख्या सम्बन्धी जानकारी केन्द्रीय रूप से उद्योग मंत्रालय में नहीं रखी जाती है। सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा इस बारे में निगरानी की जाती है।

विवरण

वर्ष 1987 और 1988 में जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों का राज्यवार ब्यौरा

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या	
	1987 में	1988 में
1	2	3
1. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	—	—
2. आन्ध्र प्रदेश	22	17
3. अरुणाचल प्रदेश	1	—

1	2	3
4. असम	3	—
5. बिहार	—	2
6. दादर और नगर हवेली	2	2
7. दमन और द्वीव	1	—
8. गोवा	7	4
9. गुजरात	26	15
10. हरियाणा	5	4
11. हिमाचल प्रदेश	3	2
12. जम्मू और कश्मीर	4	1
13. कर्नाटक	14	8
14. केरल	3	1
15. मध्य प्रदेश	12	15
16. महाराष्ट्र	20	25
17. मणिपुर	—	1
18. मेघालय	—	—
19. मिजोरम	—	—
20. नागालैण्ड	1	—
21. उड़ीसा	4	1
22. पाण्डिचेरी	1	4
23. पंजाब	2	4
24. राजस्थान	7	4
25. सिक्किम	1	—
26. तमिलनाडु	14	15
27. त्रिपुरा	—	1
28. उत्तर प्रदेश	23	20
29. पं० बंगाल	9	6
30. एकाधिक राज्य/राज्य का नाम नहीं बताया गया	7	1
योग	192	153

अखबारी कागज संबंधी नीति

3081. **श्री अब्दुल हमीद :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लघु और मध्यम समाचारपत्र संघ ने केन्द्रीय सरकार से लघु और मध्यम समाचारपत्रों से सम्बन्धित अखबारी कागज और प्रत्यायन नीतियों में कुछ छूट देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अनुरोध पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) जी हां।

(ख) संघ ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि छोटे और मझौले समाचार पत्रों और अखबारी कागज का आबंटन करने की प्रक्रिया सरल बनाई जानी चाहिए और चार्टिड अकाउंटेंट के प्रमाण पत्र तथा आयकर घोषणा की अपेक्षाओं को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। संघ के अनुरोध में यह इच्छा भी व्यक्त की गई है कि अखबारी कागज का आबंटन पूर्व आबंटन के आधार पर किया जाना चाहिए और यही प्रक्रिया बार-बार दोहराई जानी चाहिए। संघ ने यह भी सुझाव दिया है कि सरकार को छोटे तथा मझौले समाचारपत्रों को सीमित प्रत्यायन प्रदान करने की योजना चलानी चाहिए।

(ग) छोटे तथा मझौले समाचार पत्रों पर दिए गए संघ के सुझावों को नोट कर लिया गया है। वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है।

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

3082. **डा० पी० वल्लल पेरूमन :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तमिलनाडु में नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या तमिलनाडु में नेवेली स्थित लिग्नाइट कारपोरेशन में योजना को शुरू करने के सम्बन्ध में इच्छुक कर्मचारियों की राय ली जा रही है;

(ग) क्या सरकार का, इस योजना को शुरू करते समय, नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के कर्मचारियों के शिक्षित युवाओं को रोजगार देने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन ने आरम्भ में 6 माह की अवधि के लिए अपने कर्मचारियों के लिए एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू करने के लिए सरकार की स्वीकृति मांगी है।

(ग) जी, नहीं।

रामेश्वरम का पर्यटक स्थल के रूप में विकास

3083. **डा० वी० राजेश्वरन :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार से रामेश्वरम को पर्यटन के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या रामेश्वरम में पर्यटकों के लिए "यात्री निवास" का निर्माण करने का प्रस्ताव भी है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) जी, हां। पर्यटन विभाग ने रामेश्वरम में पर्यटक स्वागत केन्द्र के निर्माण के लिए 18.45 लाख रुपए मंजूर किए हैं। तथापि, रामेश्वरम में यात्री निवास के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

फ्लाइंग क्लबों आदि में अनुसूचित जातियों/
अनुसूचित जनजातियों के लोगों को प्रशिक्षण

3084. **श्री हरुभाई मेहता** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे कितने फ्लाइंग क्लब और संस्थाएं हैं जिन्हें सरकारी अनुदान और वित्तीय सहायता दी जाती है;

(ख) क्या ऐसे क्लबों अथवा संस्थाओं के लिए प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों का चयन करते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षण करना आवश्यक होता है;

(ग) यदि हां, तो कितने क्लब और संस्थाए इन लोगों के लिए आरक्षण रख रहे हैं;

(घ) इन फ्लाइंग क्लबों और संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने प्रशिक्षार्थी हैं; और

(ङ) इन क्लबों और संस्थाओं द्वारा आरक्षण लागू करने और इसका सख्ती से पालन करना सुनिश्चित कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कर्नाटक में गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र

3085. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री केरल में गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना के बारे में 18 जुलाई, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 226 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से ब्रह्मपुर, कोचीन में गैस पर आधारित प्रस्तावित विद्युत संयंत्र के लिए ईंधन की सप्लाई करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) चूंकि केरल में इस समय प्राकृतिक गैस उपलब्ध नहीं है इसलिए राज्य में बिजली के उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस की सप्लाई करने का प्रश्न नहीं उठता। इन ईंधनों की दीर्घावधिक सप्लाई और मांग की स्थिति को ध्यान में रखते हुए तरल ईंधनों की सप्लाई के लिए कोई भी वचन नहीं दिया जा सकता।

औरैया में गैस पर आधारित विद्युत एकक

3086. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1989 के अन्तिम सप्ताह में औरैया के 120 मेगावाट वाले गैस पर आधारित प्रथम विद्युत एकक में भारी खराबी आ जाने के कारण यह तब से बन्द पड़ा है;

(ख) क्या यह एकक चालू होने के एक महीने बाद ही भारी खराबी आ जाने से बन्द हो गया था;

(ग) क्या जापानी कम्पनी ने, जिसने टर्नकी आधार पर इस संयंत्र को स्थापित कर, इसे चालू किया था, दोषपूर्ण मशीनें और उपकरण सप्लाई किए थे;

(घ) जापानी फर्म से दोषपूर्ण मशीनें और उपकरण को बदलवाने तथा अपेक्षित मरम्मत करवाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) इस परियोजना का सुचारू रूप से चलना सुनिश्चित करने के लिए जापानी फर्म के साथ सम्पन्न ठेके में क्या सुरक्षात्मक उपबंधों की व्यवस्था की गई है ?

उर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) मार्च, 1989 में तुल्यकालित औरैया की पहली गैस टरबाइन यूनिट अप्रैल, 1989 में प्रचलित की गई थी। 22-5-1989 को खराबी आई थी जिसके ठीक-ठीक कारण का अभी तक पता नहीं चला है। क्षतिग्रस्त पुर्जों को बदल दिया गया है तथा 14-7-1989 से यूनिट चल रही है।

(ङ) करार में निम्नलिखित शर्तें रखी गई हैं—

(1) एक वर्ष के लिए वारंटी प्रावधान;

(2) गैस टरबाइन के क्रान्तिक पुर्जों के लिए 50,000 निश्चित घंटों अथवा 10 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए प्रचालनात्मक गारंटी;

(3) वारंटी अवधि के खत्म होने के पश्चात 90 दिन तक वैध करार कीमत के 10% के लिए बैंक गारंटी के रूप में करार कार्य-निष्पादन गारंटी।

सोवियत संघ साथ के इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि० का समझौता

3087. **श्री वाई० एस० महाजन** :
श्री के० प्रधानी :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी दुनिया के देशों में विपणन हेतु एंटीबायोटिक्स के विकास में सहयोग

स्थापित करने के लिए इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकस्स लि० सोवियत संघ के साथ कोई समझौता करने जा रहा है;

(ख) क्या सरकार ने अन्य देशों में उपलब्ध तकनीकी जानकारी का तथा सोवियत प्रौद्योगिकी का तुलनात्मक अध्ययन किया है और सोवियत प्रौद्योगिकी को सर्वोत्तम पाया है; और

(ग) क्या इस बात का अध्ययन करने के लिए कोई तकनीकी आर्थिक अध्ययन किया गया है कि क्या प्रस्तावित सहयोग कार्यक्षम होगा और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० नामग्याल) : (क) जी, नहीं। किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

कोट्टायम में स्थित हिन्दुस्तान न्यूजप्रिन्ट लिमिटेड के एकक में कच्चे माल की कमी

3088. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोट्टायम स्थित हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड के एकक में कच्चे माल की कमी है;

(ख) यदि हां, तो कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) इस एकक को कच्चे माल की सप्लाई करने के लिए ठेका देने सम्बन्धी क्या मानदण्ड हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग) केरल सरकार द्वारा कम्पनी को आबंटित क्षेत्रों से रीड की अनुबन्धित मात्रा सप्लाई नहीं की गई। तथापि, कच्चे माल की निरन्तर आधार पर दीर्घकालीन उपलब्धता तब तक सुनिश्चित नहीं की जा सकती जब तक कि नया पौध रोपण कार्य आरम्भ नहीं हो जाता है, जिसके लिए इस कम्पनी ने केरल सरकार से प्रस्ताव किया है। कच्चे माल का आवंटन केरल सरकार द्वारा स्वीकृत प्रबन्ध योजना के आधार पर किया जाता है।

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड को घाटा

3089. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड को 31 मार्च, 1989 तक कुल कितना घाटा हुआ है;

(ख) इस तिथि को कम्पनी द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की कुल लागत कितनी थी;

(ग) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड के बनने के बाद से इसने कुल कितने मूल्य की परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया है; और

(घ) कम्पनी में प्रबन्धकीय, प्रशासनिक और तकनीकी श्रेणियों में कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगलराव) : (क) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड में 31-3-1989 तक 238 करोड़ रुपये (अनन्तिम) का घाटा हुआ है। इसमें मुख्यतया विदेशी परियोजनाओं के सम्बन्ध में लिए गए उधार पर लगने वाला ब्याज, विनियम दर में उतार-चढ़ाव तथा मूल्यह्रास के कारण 212 करोड़ रुपये (लगभग) शामिल हैं।

(ख) 400 करोड़ रुपये (लगभग)।

(ग) 1050 करोड़ रुपये (लगभग)।

(घ) कम्पनी के नियमित स्टाफ की कुल संख्या 858 है। श्रेणीवार ब्यौरा इस प्रकार है —

(1) प्रबन्धकीय	27
(2) प्रशासन/सचिवालय	196
(3) तकनीकी	426
(4) वित्त	125
(5) सामान्य सेवाएं कर्मचारी, जिसमें स्टोर आदि शामिल हैं।	84
	858

दियासलाई का उत्पादन

3090. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान हाथों द्वारा तथा मशीनों द्वारा कितनी-कितनी दियासलाइयों का उत्पादन किया गया; और

(ख) मशीनों के कार्यक्षेत्र से हाथों के कार्यक्षेत्र के हितों की रक्षा करने के लिये उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) 1988-89 के दौरान मशीनों के क्षेत्र ने 284.47 लाख गुर्स डिबियों तथा हस्तनिर्मित क्षेत्र ने 1461.52 लाख गुर्स डिबियों का उत्पादन किया।

(ख) हस्तनिर्मित क्षेत्र के एककों को उत्पाद शुल्क में रियायतें दी गई हैं।

दक्षिणी राज्यों को प्राकृतिक गैस का आबंटन

3091. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी राज्यों के प्राकृतिक गैस का आबंटन पर्याप्त मात्रा में किया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दक्षिणी राज्यों की प्राकृतिक गैस की मांग और उन्हें की जा रही सप्लाई के बीच अंतर को कम करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) दक्षिणी क्षेत्र में इस समय उपलब्ध प्राकृतिक गैस के लिये विभिन्न उपभोक्ताओं को वचन दिये जा चुके हैं। अब भी इस क्षेत्र में और गैस उपलब्ध होगी तब सप्लाई के लिए और वचन दिये जा सकते हैं।

टुमकूर (कर्नाटक) में बल्क ड्रग संयंत्र की स्थापना

3092. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर** :

श्री एच० जी० रामुलु :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कर्नाटक में टुमकूर में एक बल्क ड्रग स्थापित करने का विचार है;

(ख) क्या यह संयन्त्र फ्रान्स की एक कम्पनी के तकनीकी सहयोग से स्थापित किया जाना था;

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कार्यरूप देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) यह संयंत्र किस तिथि तक स्थापित कर दिया जायेगा ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० नामग्याल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) आशय-पत्र हाल ही में जारी किया गया है और इसलिए परियोजना की स्थापना में कुछ समय लगने की संभावना है।

उड़ीसा के आदिवासी जिलों में वन-आधारित उद्योग

3093. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के क्योंझर और मयूरभंज जिलों में वन-आधारित उद्योग स्थापित करने की काफी गुंजाइश है; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा के इन दो जिलों में ऐसे उद्योग स्थापित करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) उड़ीसा राज्य में चार एकीकृत लुगदी तथा कागज मिलें हैं जिनकी मुख्यतया वन्य कच्चे माल पर आधारित वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता 1.73 लाख मी० टन है। उड़ीसा के क्योंझर तथा मयूरभंज जिलों में वन आधारित उद्योगों की स्थापना करने के लिए वन्य कच्चे माल की उपलब्धता की गुंजाइश का अनुमान लगाना उड़ीसा राज्य सरकार का कार्य है।

(ख) केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार पिछड़े जिलों में वन आधारित उद्योगों सहित उद्योग शुरू करने के लिए कई सुविधाएं तथा प्रोत्साहन देती हैं। उड़ीसा सरकार इन जिलों में स्थापित किए गए नये लघु एककों को बिक्री कर तथा स्टाम्प शुल्क में छूट, बिजली सम्बन्धी सबसीडी, ब्याज सबसीडी इत्यादि देती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन दो जिलों में स्थापित किये गये वन आधारित उद्योगों की संख्या इस प्रकार है :

	1985-86	1986-87	1987-88
मयूरभंज	1135	221	1390
क्योंझर	284	109	441

आठवीं योजना के दौरान खाड़ी और ग्रामोद्योगों का बढ़ावा देना

3094. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं योजना के दौरान खाड़ी और ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देकर अतिरिक्त रोजगार जुटाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये आठवीं योजना में क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(ग) आठवीं योजना में खाड़ी और ग्रामोद्योगों हेतु कितना पूंजी-निवेश किया जायेगा;

(घ) इसके लिए राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की जायेगी; और

(ङ) आठवीं योजना में खाड़ी और ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई विस्तार योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) लक्ष्य, निवेश आदि के ब्यौरों की जानकारी केवल तभी मिल सकेगी जब आठवीं योजना को अंतिम रूप दे दिया जायेगा।

जबलपुर हवाई अड्डे का दर्जा बढ़ाना

3095. **श्री अजय मुशरान** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोइंग विमानों के उड़ान भरने और उतरने हेतु जबलपुर हवाई अड्डे का दर्जा बढ़ाने का विचार स्थगित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) जबलपुर हवाई अड्डे का दर्जा शीघ्र बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और, पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) जबलपुर में अति विस्फोटक आयुध डिपो के निकटस्थ होने से रक्षा प्राधिकारियों द्वारा विमान के परिचालनों पर प्रतिबन्ध होने के कारण सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जबलपुर हवाई अड्डे का उन्नयन नहीं किया जा सका है। रक्षा प्राधिकारियों की आपत्ति बरकरार है और अन्य कोई समाधान निकालने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। यदि ये प्रतिबन्ध हटा दिए जाएं तो जबलपुर हवाई अड्डे के उन्नयन पर विचार किया जा सकता है।

जबलपुर में टी० वी० ट्रांसमीटर

3096. **श्री अजय मुशरान :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर में स्थापित किये जाने हेतु प्रस्तावित 10 किलोवाट क्षमता के टी० वी० ट्रांसमीटर के लिए उपकरण प्राप्त हो गया है, जिसे निर्माताओं द्वारा वर्ष 1989-90 के दौरान सप्लाई किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का निर्धारित तारीख तक कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) जबलपुर में ट्रांसमीटर भवन का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए वर्ष 1989-90 के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) इस परियोजना के लिए अधिकतर उपकरण, निर्माताओं से प्राप्त हो गए हैं।

(ख) और (ग) ट्रांसमीटर की इमारत का निर्माण कार्य चल रहा है। 220 मीटर ऊंचे आर० सी० सी० व इस्पात टावर के निर्माण का कार्य सौंप दिया गया है। आशा है यह परियोजना वर्ष 1991-92 के दौरान शुरू हो जाएगी।

(घ) वर्ष 1989-90 की दूरदर्शन की वार्षिक योजना में, अन्य कार्यों के साथ-साथ, जबलपुर में उच्च शक्ति ट्रांसमीटर की इमारत और टावर के सिविल निर्माण कार्यों के लिए 65 लाख रुपए रखे गए हैं।

जबलपुर आकाशवाणी केन्द्र के लिए भवन का निर्माण

3097. **श्री अजय मुशरान :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर आकाशवाणी केन्द्र के लिए भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ट्रांसमीटर लगाने का कार्य आरम्भ हो गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) वर्ष 1989-90 के दौरान वहां भवन और स्टूडियो का निर्माण और ट्रांसमीटर लगाने के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गयी है; और

(ङ) जबलपुर में आकाशवाणी केन्द्र किस तारीख से आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) जबलपुर ने 200 कि० वा० मी० वे० ट्रांसमीटर के लिए भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है।

(ख) और (ग) 200 कि० वा० मी० वे० ट्रांसमीटर लगाने का काम चल रहा है।

(घ) वर्ष 1989-90 के लिए बजट आबंटन इस प्रकार है :

भवन	स्थापना कार्य और उपकरण
टाइप-I स्टूडियो 22.00 लाख रुपये	14.00 लाख रुपये
200 कि० वा० —	29.00 लाख रुपये
मी०वे० ट्रांसमीटर	

(ङ) जबलपुर आकाशवाणी केन्द्र के 1989-90 में चालू हो जाने की परिकल्पना की गई है।

केरल में यात्री निवास

3098. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में यात्री निवासों के निर्माण संबंधी कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में यदि किसी यात्री निवास का निर्माण किया गया है अथवा चल रहा है तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रत्येक मामले में अनुमानित लागत और पूरा होने का लक्ष्य-तिथियां क्या हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केरल राज्य में पांच यात्री निवास निर्माणाधीन हैं, कोचीन, कन्नानौर, त्रिचूर, क्वीलान, त्रिवेन्द्रम प्रत्येक में एक-एक।

(घ) जैसा कि राज्य सरकार ने सूचित किया है स्वीकृत अनुमानित लागत और पूरा किए जाने की निर्धारित तिथियां प्रत्येक के सामने दी गई हैं :—

(लाख रुपए में)

यात्री निवासों के नाम	स्वीकृत राशि	पूरा किए जाने की निर्धारित तिथि
1. यात्री निवास, कोचीन	35.00	दिसम्बर, 1989
2. यात्री निवास, कन्नानौर	36.49	जून, 1990
3. यात्री निवास, त्रिचूर	29.95	मार्च, 1990
4. यात्री निवास, क्वीलान	35.35	मार्च, 1990
5. यात्री निवास, त्रिवेन्द्रम	26.43	दिसम्बर, 1990

बाईबल पर आधारित दूरदर्शन धारावाहिक

3099. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाईबल पर आधारित दूरदर्शन धारावाहिक प्रसारित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस धारावाहिक का दूरदर्शन प्रसारण कब आरम्भ किए जाने की आशा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) से (ग) कोचीन के मैसर्स नवोदय ने बाईबल की कहानियों पर आधारित हिन्दी में 39 कड़ियों के एक दूरदर्शन धारावाहिक का निर्माण करने का प्रस्ताव भेजा था। राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित करने के लिए प्रस्ताव का सिद्धांततः अनुमोदन किया जा चुका है।

इस धारावाहिक को दिखाए जाने के कार्यक्रम के बारे में निर्णय, निर्माताओं द्वारा "पायलट" कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाने के बाद और स्क्रीनिंग समिति द्वारा अनुमोदन कर दिए जाने के पश्चात् ही लिया जा सकता है।

इंडियन पेट्रो केमिकल्स कारपोरेशन लि० द्वारा वितरकों को मंजूरी

3100. **श्री गोपाल के० टन्डेल :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन पेट्रो केमिकल्स कारपोरेशन लि० ने दमन मे नये वितरकों के लिए मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या वितरकों के लिए मंजूरी देने की निर्धारित प्रक्रिया का अनुकरण किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इंडियन पेट्रो केमिकल्स कारपोरेशन लि० का संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव में प्लास्टिक के कच्चे माल के लिए नये वितरकों को मंजूरी देने का कोई प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० नामग्याल) : (क) जी, नहीं। तथापि इंडियन पेट्रो केमिकल्स कारपोरेशन लि० (आई० पी० सी० एल०) ने वलसाड स्थित अपने विद्यमान वितरक को दमन में एक स्टाक प्वाइंट खोलने की अनुमति दी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) दमन और दिव में प्लास्टिक उत्पादों के लिए अतिरिक्त वितरक नियुक्त करने का आई० पी० सी० एल० का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में दूरदर्शन ट्रांसमीटर केन्द्र और आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना

3101. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में दूरदर्शन ट्रांसमीटर और आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना में असाधारण विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ये परियोजनाऐं कब स्वीकृत की गई थीं, उन्हें चालू करने का क्या तारीखें निर्धारित की गई थीं, उनकी अनुमानित लागत क्या थी, और उनमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या हमीरपुर से इन केन्द्रों को किन्हीं अन्य स्थानों पर स्थापित करने अथवा उनक मूल स्थान बदलने के बारे में विचार किया गया था;

(घ) यदि हां, तो उन नये स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर इन्हें स्थापित किया जायेगा और परिवर्तन करने के लिए किन कारणों-वश विचार किया गया और उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए; और

(ङ) केन्द्र को अन्य स्थान पर स्थापित करने के लिए किन-किन विभिन्न स्तरों पर सुझाव दिया गया और क्या इस असाधारण विलम्ब के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो०के० के० तिवारी): (क) और (ख)टी० वी० ट्रांसमीटर : सरकार] द्वारा जनवरी, 1987 में हमीरपुर में 25.90 लाख रुपये की पूंजीगत लागत पर एक अति अल्प शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाने की मंजूरी दी गई थी । ट्रांसमीटर लगाने के स्थान के बारे में हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ विचार-विमर्श किया जाना था क्योंकि ऐसा देखा गया था कि यहां पर कसौली के दूरदर्शन ट्रांसमीटर से पर्याप्त सिगनल प्राप्त होते हैं। इस कारण इस परियोजना के कार्यान्वियन में कुछ देर हो गई।

आकाशवाणी

हमीरपुर में आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने में कोई असाधारण देरी नहीं हुई है। हमीरपुर में नये आकाशवाणी केन्द्र की परियोजना अगस्त, 1986 में मंजूर की गई थी और इस पर 178.60 लाख रुपये की लागत का अनुमान लगाया गया था और लक्ष्य है कि यह परियोजना वर्ष 1990-91 के दौरान चालू हो जाएगी।

(ग) से (ङ) जहां तक दूरदर्शन ट्रांसमीटर का संबंध है, अधिकतम कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य से, क्षेत्र का व्यापक सर्वेक्षण करने के बाद अब हमीरपुर शहर के कुछ किलोमीटर की दूरी पर कोट गांव में एक स्थल को अंतिम रूप से चुन लिया गया है, स्थापना कार्य चल रहा है और यह ट्रांसमीटर कुछ ही महीनों में चालू हो जाएगा।

जहां तक हमीरपुर के आकाशवाणी केन्द्र का संबंध है, केन्द्र के स्थल हमीरपुर से बदलकर किसी अन्य स्थान पर ले जाने पर विचार नहीं किया गया।

बेनामी खाना पकाने की गैस की एजेंसियां, पेट्रोल/डीजल की खुदरा दुकानें

3102. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में, विशेषकर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में, बड़ी संख्या में खाना पकाने की गैस की एजेंसियां तथा पेट्रोल/डीजल की खुदरा दुकान बेनामी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्रवाई की है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, नहीं। उड़ीसा में किसी भी एल० पी० जी० वितरण केन्द्र या खुदरा बिक्री केन्द्र की डीलरशिप (पेट्रोल/डीजल) को "बेनामी" चलाने से संबंधित किसी मामले का पता नहीं लगा है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

उड़ीसा के रुग्ण एककों को पुनः चालू करना

3103. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कितने बड़े और मझोले रुग्ण एककों को गत तीन वर्षों के दौरान पुनः चालू किया गया है; और

(ख) फूलबनी जिले में उन रुग्ण एककों के नाम क्या है जिन्हें इन वर्षों के दौरान पुनः चालू किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रिफेम्पिसिन उत्पादकों द्वारा अधिक मूल्य पर बिक्री करना

3104. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विटामिन बी 6 सहित और रहित रिफैम्पिसिन प्लस आई० एन० एच० के प्रमुख उत्पादक इन तैयार औषधियों की अधिक मूल्य पर बिक्री कर रहे हैं;

(ख) इन औषधियों के प्रत्येक पैक का पहले औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 तथा औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1987 के अन्तर्गत कितना मूल्य निर्धारित किया गया था और इससे प्रत्येक पैक की किस मूल्य पर बिक्री की जा रही है; और

(ग) इन उत्पादकों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० नागराजन) : (क) से (ग) उपलब्ध सीमा तक अपेक्षित ब्यौरे एकत्र किए जाएंगे और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए राजसहायता योजना शुरू किया जाना

3105. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक नई राज सहायता योजना प्रारंभ की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तेल की खोज के लिए सोवियत संघ से समझौता

3106. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल की खोज के क्षेत्र में सोवियत संघ के साथ कोई नया समझौता करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) कैम्बे (एन), कावेरी और पश्चिमी बंगाल बेसिनों की आपसी सहमति वाले क्षेत्रों में गहन एकीकृत खोज कार्य किया जा रहा है। कच्छ क्षेत्र में भूकम्पीय सर्वेक्षण करने के लिये बातचीत चल रही है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

3107. **श्री बनवारी लाल बेरवा :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड और (दो) भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड और ब्यास निर्माण बोर्ड में 31 दिसम्बर, 1988 को प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में कर्मचारियों की कुल कितनी संख्या थी और उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की कितनी संख्या थी;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न श्रेणियों में नियुक्त/पदोन्नत कर्मचारियों की कुल संख्या (उपक्रम-वार) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित रिक्तियों की संख्या, उन आरक्षित रिक्तियों की संख्या जिनका आरक्षण समाप्त किया गया है, क्रमगत आरक्षित रिक्तियों की संख्या और 31 दिसम्बर, 1988 को उक्त उपक्रमों में विभिन्न श्रेणियों/ग्रेडों में आरक्षित बकाया रिक्तियों की वर्तमान स्थिति क्या थी; और

(ग) सरकार ने अनारक्षण की प्रथा समाप्त करने और बकाया रिक्तियों को भरने के लिए क्या-क्या कदम उठाये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड के बीच

उत्तरदायित्व के क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करना

3108. **डा० बी० एल० शैलेश :**

श्री नरसिंह सूर्यवंशी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लवराज समिति की सिफारिशों के आधार पर तेल और प्राकृतिक

गैस आयोग और भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड के बीच उत्तरदायित्व के क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करने के संबंध में कोई निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इस बारे में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल) पर विभिन्न चरणों में प्राकृतिक गैस के प्रसंसरण, विभिन्न तथा परिवहन की जिम्मेदारी डालने का प्रस्ताव है। गेल पहले से ही एच० बी० जे० गैस पाइप लाइन परियोजना का क्रियान्वयन कर रही है और एच० बी० जे० पाइप लाइन के द्वारा विभिन्न उपभोक्ताओं को गैस की सप्लाई कर रही है।

गोवा में स्वीकृति प्राप्त होटल

3109. **श्री शान्ताराम नायक** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा में विदेशी पर्यटकों के उपयुक्त स्वीकृति प्राप्त होटलों की संख्या कितनी है; और

(ख) किन आधारों पर इन होटलों को स्वीकृति दी गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) गोआ में 19 अनुमोदित होटल कार्यरत हैं। ये होटल विदेशी पर्यटकों के लिए उपयुक्त हैं।

(ख) होटलों का अनुमोदन सुख-सुविधाओं और पर्यटन विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित मानदण्डों के आधार पर किया जाता है।

होटलों का वर्गीकरण

3110. **श्री शान्ताराम नायक** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होटलों के वर्गीकरण के लिए क्या मापदंड निर्धारित किये गये हैं;

(ख) होटलों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है;

(ग) क्या यह वर्गीकरण किसी कार्यकारी अनुदेशों के माध्यम से किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) पर्यटन विभाग द्वारा एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से स्थापित होटल और रेस्तरां अनुमोदन तथा वर्गीकरण समिति आवेदक होटलों का निरीक्षण करती है और 1 से 5 एवं 5 स्टार (डीलक्स) स्टार श्रेणियां प्रदान करने के लिए उनकी उपयुक्तता अथवा अनुपयुक्तता का मूल्यांकन करती है। भारतीय होटल और रेस्तरां एसोसिएशन की फेडरेशन, भारतीय यात्रा अभिकर्ता एसोसिएशन और अन्य यात्रा उद्योग के सदस्यों के परामर्श से प्रत्येक श्रेणी के लिये निर्धारित मानदंडों के आधार पर होटल और रेस्तरां अनुमोदन तथा वर्गीकरण समिति 3, 4, 5 तथा 5 स्टार

(डीलक्स) में वर्गीकरण करती है। 1 और 2 स्टार श्रेणियों में होटलों का वर्गीकरण करने की शक्तियां राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को प्रत्यायोजित कर दी गई हैं।

गौचर (उत्तर प्रदेश) हवाई अड्डे के लिए वित्तीय आवंटन

3111. **डा० दिग्विजय सिंह** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के चमोली जिले के गौचर हवाई अड्डा, बद्रीनाथ-केदारनाथ और औली स्थित शीतकालीन क्रीड़ा "स्कीइंग" केन्द्र जाने में सहायक होगा;

(ख) इसके लिये कितना वित्तीय आवंटन किया गया है; और

(ग) इस हवाई अड्डे की स्थापना में अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) गौचर हवाई अड्डे के विकास से बद्रीनाथ, केदारनाथ के तीर्थ मन्दिरों में तीर्थ-यात्रियों और उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में पर्यटकों को आसानी से वहाँ पहुंचने में सुविधा प्राप्त होगी।

(ख) और (ग) इस समय गौचर पर कोई हवाई पट्टी नहीं है। गौचर पर हवाई अड्डे के विकास के लिए राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की कोई योजना नहीं है। तथापि, उत्तर प्रदेश सरकार अपनी धनराशि में से गौचर स्थान पर एक हवाई पट्टी के निर्माण पर विचार कर रही है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना

3112. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना इस समय किस स्तर पर विचाराधीन है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) सरकार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में कार्यरत सभी कर्मचारियों के लिए समान रूप से लागू की जाने वाली पेंशन योजना को प्रारंभ करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

कम्प्यूटर चिप्सों की चोरी

3113. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के माल गोदाम से लाखों रुपये मूल्य के आयातित कम्प्यूटर चिप्स चोरी हो गए हैं;

(ख) चोरी का मामला विमानपत्तन प्राधिकरण के ध्यान में कब लाया गया;

(ग) इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किन-किन व्यक्तियों पर थी; और

(घ) ऐसी घटनाओं को पुनरावृत्ति रोकने की दृष्टि से इन माल गोदामों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1986 से मई, 1989 की अवधि में इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के कार्गो टर्मिनल से 20.63 लाख रुपए मूल्य के आयातित कम्प्यूटर चिप्स के सात खेपों के चोरी चले जाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई।

(ग) कार्गो टर्मिनल पर रखे हुए सामान की सुरक्षा के लिए भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण उत्तरदायी है।

(घ) कार्गो टर्मिनल की सुरक्षा विभिन्न उपायों द्वारा मजबूत की गई है, जैसे चौकसी कक्ष को मजबूत करना; क्लोज सर्किट टी० वी० के माध्यम से चौबीसों घंटे प्रभावी निगरानी रखना; हैंडलिंग कार्य-कलापों के लिए लोडरों को लगाने से पहले उनके पूर्ववृत्त की जांच करना; हवाई अड्डे की तरफ के गेटों की संख्या में कमी करना; संवेदनशील आयातित सामान के लिए तारों वाली बाड़ की व्यवस्था करना; सुरक्षा संबंधी कार्य-कलापों पर निगरानी रखने के लिए सुरक्षा कक्ष की स्थापना करना; हेरा-फेरी/चोरी के विरुद्ध चौकसी रखने के लिए हैंडलिंग एजेन्सियों के साथ करार करते समय दण्डात्मक उपबंध जोड़ना आदि।

पंजाब में मिट्टी के तेल की मांग

3114. **श्री कमल चौधरी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार की अप्रैल, मई और जून, 1989 में जिले-वार तथा माह-वार मिट्टी के तेल की मांग क्या थी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पंजाब को जिले-वार तथा माहवार कितना मिट्टी का तेल आबंटित किया गया;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान पंजाब सरकार की समूची मांग को पूरा किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और भविष्य में समूची मांग का पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (घ) पंजाब सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की मांग का अनुमान पिछले वर्ष की तद्नुरूपी अवधि में किए गए आबंटन में उचित वृद्धि दर जोड़कर लगाया जाता है और उसके अनुसार आबंटन किया जाता है। बाढ़, सूखा एल० पी० जी० की कमी आदि जैसी विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए नियमित आबंटन के अतिरिक्त तदर्थ आबंटन भी किया जाता है।

उपर्युक्त नीति के अनुसार अप्रैल, मई और जून, 1989 के महीनों के लिए पंजाब को मिट्टी के तेल का आबंटन किया गया है और उसे जारी की गई मात्रा इस प्रकार है—

(आंकड़े किलो लि० में)

महीना	आबंटित	सप्लाई/रिलीज
अप्रैल, 1989	30120	30172
मई, 1989	30120	30201
जून, 1989	30120	31123

उपर्युक्त आबंटन का जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है—वर्तमान नीति के अनुसार पंजाब को किये गये मिट्टी के तेल का आबंटन राज्य के जायज उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए आमतौर पर पर्याप्त समझा गया है। आबंटन के अनुरूप ही सप्लाई/मात्रा जारी की गई है।

उपर्युक्त नीति को 1989 में भी जारी रखने का प्रस्ताव है।

विवरण

अप्रैल, मई, जून, 1989 महीने के लिए पंजाब राज्य के जिला-वार महीना-वार मिट्टी के तेल के आबंटन का ब्यौरा

(आंकड़े किलो लि० में)

जिले का नाम	महीना	आबंटित
1	2	3
अमृतसर	अप्रैल	3882
	मई	3882
	जून	3912
गुरुदासपुर	अप्रैल	1589
	मई	1594
	जून	1584
फरीदकोट	अप्रैल	2425
	मई	2267
	जून	2279
फिरोजपुर	अप्रैल	1200
	मई	1212
	जून	1212
भटिंडा	अप्रैल	1700

1	2	3
	मई	1753
	जून	1743
लुधियाना	अप्रैल	4776
	मई	4672
	जून	4662
जालंधर	अप्रैल	3538
	मई	3575
	जून	3601
होशियारपुर	अप्रैल	1420
	मई	1420
	जून	1430
कपूरथला	अप्रैल	660
	मई	660
	जून	672
पटियाला	अप्रैल	3285
	मई	3255
	जून	3283
संगरूर	अप्रैल	2449
	मई	2646
	जून	2643
रोपड़	अप्रैल	1730
	मई	1730
	जून	1730

तंजावुर हवाई अड्डे पर नया एयर टर्मिनल

3115. **श्री एस० सिंगरावडीवेल :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तंजावुर हवाई अड्डे पर एक नया एयर टर्मिनल बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसका शीघ्र निर्माण करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तंजावुर हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल भवन बनाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गैस पीड़ितों के पुनर्वास हेतु कार्यवाही योजना

[हिन्दी]

3116. **श्री के० एन० प्रधान** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल के गैस पीड़ितों के पुनर्वास हेतु कोई कार्यवाही योजना केन्द्रीय सरकार के पास भेजी है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य योजना अनुमानतः कितनी धनराशि की है और यह योजना केन्द्रीय सरकार को कब प्राप्त हुई है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस योजना के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु कोई निर्णय किया है ?

उद्योग मंत्री (श्री बे० वेंगल राव) : (क) जी, हां।

(ख) भोपाल गैस पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास के लिए सप्तवर्षीय कार्य योजना सहायक दस्तावेजों सहित जून, 1988 में प्राप्त हुई थी जिसकी राशि 371.29 करोड़ रुपये है।

(ग) यह निर्णय लिया गया है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गई कार्य योजना 163.10 करोड़ रुपये की सीमा तक कार्यान्वित की जायेगी। जिस ढंग से राज्य सरकार इस कार्य योजना पर व्यय में हिस्सा लेगी उसके बारे में राज्य सरकार के परामर्श से निर्णय लिया जायेगा।

पंजाब में रसोई गैस के कनैक्शनों के लिए आवेदन पत्र

[अनुवाद]

3117. **श्री कमल चौधरी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में 31 मार्च, 1989 के अनुसार रसोई गैस के कनैक्शनों के लिए जिलेवार कितने आवेदन लंबित पड़े हैं; और

(ख) सभी आवेदकों को रसोई गैस के कनैक्शन उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) वांछित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) तेल उद्योग सहित संपूर्ण देश में नये एल० पी० जी० कनैक्शन, एल० पी० जी० की उपलब्धता में वृद्धि होने पर अपने ग्राहकों के वार्षिक नामांकन कार्यक्रम के अधीन चरणबद्ध रूप में देना है।

विवरण

क्र० सं०	जिला	प्रतीक्षा सूची
1.	अमृतसर	27,731
2.	लुधियाना	62,963
3.	भटिंडा	24,005
4.	फिरोजपुर	12,883
5.	गुरुदासपुर	9,784
6.	जालंधर	33,714
7.	पटियाला	39,770
8.	संगरूर	15,271
9.	फरीदकोट	29,098
10.	होशियारपुर	24,348
11.	कपूरथला	9,457
12.	रूप नगर	14,000
	जोड़	3,03,024

अगरबत्ती उद्योग

3118. **श्री एच० जी० रामुलु** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में "जिगात" की अत्यन्त कमी है जिसके कारण अगरबत्ती उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है; और

(ख) देश में विशेषकर कर्नाटक राज्य में, अगरबत्ती उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) अगरबत्ती उद्योग, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रदान की जाने वाली सामान्य सुविधाओं, निर्यात के लिए लघु क्षेत्र उद्योग (एस० एस० आई०) के लाभ तथा प्रोत्साहन पाने का पात्र है। "जिगात" पर लगे आयात शुल्क को घटा दिया गया है। कर्नाटक राज्य के अगरबत्ती एककों को पड़ौसी राज्यों से कच्चा माल मंगवाने की अनुमति दे दी गई है।

राजकोट-दिल्ली-राजकोट क्षेत्र में उड़ानों में विलम्ब

3119. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजकोट-दिल्ली-राजकोट क्षेत्र में विमानन उड़ानों का समय अनियमित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन महीनों के दौरान जिन उड़ानों में विलम्ब हुआ और वे अनियमित रहीं; उनकी संख्या तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विमान सेवा को नियमित बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) अप्रैल, 1989 से जून, 1989 की अवधि के दौरान 62 उड़ानों में से, दिल्ली से चलने वाली 17 उड़ानों और राजकोट से चलने वाली 20 उड़ानों में विलम्ब हुआ था। इसमें से केवल 2 उड़ानों में इंडियन एयरलाइन्स के कारणों से 2 उड़ानों में पर्याप्त विमान क्षेत्र सुविधाओं के कारण और 33 उड़ानों में परिणामी कारणों से विलम्ब हुआ था।

(घ) परिणामी कारणों से 80% से अधिक उड़ानों में विलम्ब हुआ था। 1989-90 के दौरान अतिरिक्त एयरबस ए-320 के क्रमिक रूप से शामिल होने पर इंडियन एयरलाइन्स आवश्यक अंतराल/वैकल्पिक क्षमता की व्यवस्था करने की स्थिति में हो जाएगी जो परिणामी कारणों से होने वाले विलम्बों को न्यूनतम करने में सहायता देगी और इसकी सेवा में "समय पर उड़ान" में सुधार करेगी। इसके अलावा विलम्बों को न्यूनतम करने के लिए विभिन्न स्तरों पर उड़ानों की समय पाबंदी पर लगातार नजर रखी जा रही है।

इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों पर नया अन्तर्देशीय यात्रा कर न लगाना

3120. **श्री कमल नाथ** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स वर्कमेन एसोसिएशन ने एयरलाइन्स के कार्यरत कर्मचारियों पर लगाये गये नये अन्तर्देशीय यात्रा कर समाप्त करने के लिए अभ्यावेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) इंडियन एयरलाइन्स कर्मचारियों के वायु निगम कर्मचारी संगठन और भारतीय विमान तकनीशियन संघ ने इंडियन एयरलाइन्स के प्रबन्धक मंडल को निगम के सेवा विनियमों के अन्तर्गत इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों को दी जाने वाली निःशुल्क और रियायती यात्रा पर अन्तर्देशीय यात्रा कर की अदायगी से छूट दिए जाने के लिए अभ्यावेदन किया है।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स ने यह मामला वित्त मंत्रालय के साथ उठाया है।

रसोई गैस एजेंसियों के पास उपभोक्ताओं का पंजीकरण

3121. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :**
श्री प्रकाश चन्द्र :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक विशेष क्षेत्र में रसोई गैस उपभोक्ता को अपने आपको रसोई गैस की सप्लाई के किए उसी क्षेत्र के एजेंट के पास पंजीकरण करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उपभोक्ताओं को एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी पर स्थानांतरित करने का मानदंड क्या है; और

(घ) क्या नई एजेंसी आबंटित करते समय कोई सर्वेक्षण किया जाता है अथवा उपभोक्ताओं की राय ली जाती है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) वर्तमान उपभोक्ता को एल० पी० जी० की सप्लाई के लिए एल० पी० जी० के वितरण विशेष के पास अपने को पंजीकृत कराना पड़ता है, जबकि भावी उपभोक्ता को अपने शहर के अपनी पसंद के वितरण के पास अपना नाम पंजीकृत करना पड़ता है। पंजीकरण के बाद उसके आवासीय क्षेत्र में कार्यरत किसी भी वितरक द्वारा कुछ समय पूरा होने के बाद कनैक्शन दिये जाते हैं।

(ख) और (ग) घर पर गैस को पहुंचाने या मैकेनिक की सेवा देने के लिए ग्राहकों की सुविधा और किफायती रूप से वितरण केन्द्र चलाने के ख्याल से वितरक के क्षेत्र को विनिर्दिष्ट करना होता है। निम्नलिखित कारणों से ग्राहकों का एक वितरक की जगह दूसरे के पास स्थानान्तरित किया जाता है :

(i) यदि नये/अतिरिक्त वितरण की नियुक्ति होती है तो मौजूदा वितरक के कार्य क्षेत्र के दुबारा सीमांकन के लिए क्षेत्र के एक भाग का अंतरण होता है और उपभोक्ताओं को नये वितरक के पास भेजा जाता है।

(ii) किसी विशेष बाजार में वर्तमान वितरक के क्षेत्रों की पुनर्रचना/परिसमाप्ति/त्यागपत्र देने की स्थिति में ग्राहकों का अंतरण आवश्यक हो जाता है।

(iii) चुनिंदे बाजारों में वर्तमान उपभोक्ताओं को उनके क्षेत्र में कार्यरत अपने मनपसंद के अन्य किसी वितरक के पास परिवर्तन की सुविधा दी गई है और यदि ग्राहक ऐसे परिवर्तन की इच्छा जाहिर करते हैं।

(घ) नयी एजेंसी के निर्माण के लिए जब सर्वेक्षण किया जाता है तब नये वितरक के पास उन्हें बदले जाने के लिए सिवाए उपर्युक्त उत्तर के (ख) और (ग) के भाग (iii) में उल्लिखित मामलों के उनका विचार नहीं लिया जाता है।

इंडियन एयरलाइन्स की एयरबस ए-320 की उड़ान

[हिन्दी]

3122. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स को प्रथम एयरबस ए-320 के मुख्य चालक के पास एयरबस को उड़ाने की आवश्यक योग्यता थी;

(ख) यदि नहीं, तो उसे एयरबस उड़ाने की अनुमति देने के क्या कारण हैं; और

(ग) एयरबस ए-320 उड़ाने के लिये एक चालक की आवश्यक निम्नतम योग्यताओं का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ए-320 विमान के परिचालन के लिए कमांडर के पास उस प्रकार के विमान के पायलट-इन-कमांड रेटिंग के साथ एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस होना चाहिए और सह-विमानचालक के पास कम से कम टाइप पृष्ठांकन के साथ वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंस होना चाहिए।

भारतीय तेल निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को वर्दी

[अनुवाद]

3123. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम लिमिटेड ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को ऊनी वर्दी/गर्मियों की वर्दी देनी की सुविधा समाप्त कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय तेल निगम लिमिटेड द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों और संगठन के कामगारों के लिए खरीदी गई सर्दियों और गर्मियों की वर्दी/कपड़ों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों तथा यूनियन से संबद्ध कर्मियों के लिए आई० ओ० सी० द्वारा सर्दी और गर्मी की वर्दियों/प्राप्त की गयी सामग्री का ब्यौरा इस प्रकार है :

	गर्मियों में		सर्दियों में	
	पुरुष	महिलाएं	पुरुष	महिलाएं
अधिकारी	67/33 टेरीकाट	पालिएस्टर (गार्डन सिल्क)	टेरी वूल	कार्डिगन
कामगार	67/33 टेरीकाट	पालिएस्टर	टेरी वूल	कार्डिगन

दिल्ली पर्यटन विकास निगम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित पदों का भरा जाना

3124. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पर्यटन विकास निगम में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रबंधक/उप-प्रबंधक संवर्ग के आरक्षित कितने पदों को नहीं भरा गया है और वे कब से रिक्त चले आ रहे हैं; और

(ख) वर्ष 1989 के दौरान प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित कितने पद अब तक भरे गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) दिल्ली पर्यटन विकास निगम में प्रबंधक/उप प्रबंधक संवर्ग में भर्ती के लिए खाली चले आ रहे पदों की अवधि निम्नलिखित हैं :—

प्रबन्धक—कोई पद खाली नहीं है ।

उप प्रबंधक—3 अनुसूचित जाति । एक 1981 से, एक 1982 से और एक 1985 से रिक्त है ।

1 अनुसूचित जनजाति 1981 से रिक्त है ।

(ख) वर्ष 1988 और 1989 में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से भरे गए पद-निम्नलिखित हैं :—

क्र० सं०	पद का नाम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदों की संख्या
1	2	3 4
1.	उप प्रबंधक (लेखा)	1 (अनुसूचित जनजाति)
2.	सहायक प्रबंधक (शाप)	2 (अनुसूचित जाति)
3.	सहायक प्रबंधक (लेखा)	1 (अनुसूचित जाति)
4.	सहायक प्रबंधक (सामान्य)	1 (अनुसूचित जाति)

1	2	3	4
5. लेखा सहायक		1 (अनुसूचित जाति)	
6. कनिष्ठ आशुलिपिक		1 (अनुसूचित जाति)	
7. सामान्य पत्राचार सहायक		1 (अनुसूचित जाति)	
8. स्टोर कीपर		1 (अनुसूचित जाति)	
9. कनिष्ठ सहायक		2 (अनुसूचित जाति)	
		1 (अनुसूचित जनजाति)	

इण्डियन एयरलाइन्स में बम रखे जाने की आशंका

3126. **श्री जी०एस० बसवराजु :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1989 में इंडियन एयरलाइन्स को बम रखे जाने की आशका के खतरे बने रहे;

(ख) यदि हां, तो क्या बमों के रखे जाने की आशंका से इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों में विलम्ब हुआ था; और

(ग) कितनी बार बम रखे जाने की आशंका निर्मूल सिद्ध हुई;

(घ) इस स्थिति से निपटने के लिए किस हद तक और सुरक्षा उपाय किए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) दिल्ली हवाई अड्डे से 28 जून, 1989 की प्रात: की अनुसूचित उड़ानों में बम होने की सामान्य घटना की सूचना मिली थी।

(ख) बम होने की खबर मिलने पर एक निर्धारित प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप उड़ान में देरी हो जाती है।

(ग) उपरोक्त घटनाएं निर्मूल सिद्ध हुई।

(घ) प्रत्येक हवाई अड्डे के लिए वहां पर बम रखे जाने की आशंका से निपटने के लिए एक अनिवार्य योजना है, जिसका अनुपालन ऐसी खबरों के प्राप्त होने पर किया जाता है। इस प्रकार की योजनाओं का लगातार पुनरीक्षण किया जाता है।

दूरदर्शन के विज्ञापन

3127. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर अनेक ऐसी वस्तुओं का विज्ञापन दिखाया जा रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और ऐसे विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी उपक्रमों में अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति

3128. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के किसी उपक्रम में अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों के लिये परीक्षा-पूर्व शिक्षण-पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) सरकारी उद्यम कार्यालय ने हाल ही में अर्थात् जून, 1989 में प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से यह अनुरोध किया है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को, जहां व्यवहार्य हो, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों के लिए अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के सहयोग से परीक्षा-पूर्व शिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने की सलाह दें।

दिल्ली में सप्लाई किए जाने वाले डीजल में गंधक की मात्रा

3129. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली को सप्लाई किये जाने वाले डीजल में गंधक की मात्रा को अंतर्राष्ट्रीय मानक 0.3 प्रतिशत तक सीमित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नाइलान के धागे का आयात

[हिन्दी]

3130. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाइलॉन के धागे के मूल्य में तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस वृद्धि को रोकने के लिए नाइलॉन धागे का आयात करने का है; और

(ग) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे यह आयात किए जाने की संभावना है और तथा कितनी मात्रा में और किन दरों पर यह आयात किया जाएगा ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० नामग्याल) : (क) जी, हां। बताया जाता है कि कुछ अंतर्वस्तुओं की लागत में वृद्धि के कारण नायलॉन फिलामेंट यार्न के मूल्यों में वृद्धि का रुख रहा है।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा नायलॉन फिलामेंट यार्न के आयात का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि वास्तविक उपयोगकर्ताओं (औद्योगिक) के लिये नायलॉन फिलामेंट यार्न का आयात ओ० जी० एल० के आधार पर है।

पेट्रो-रसायन क्षेत्र में चीन के साथ संयुक्त उद्यम

[अनुवाद]

3131. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पेट्रो-रसायन के क्षेत्र में चीन के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में दोनों देशों द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० नामग्याल) : (क) और (ख) चीन के सिनोपेक और इंडियन पेट्रो-केमिकल्स कार्पोरेशन लि० के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं, जिसमें पेट्रो-रसायनों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के अंतरण, अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण और व्यापार, आदि के क्षेत्रों में सहयोग की व्यवस्था है। पेट्रो-रसायनों के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग की संभावनाओं का आगे और पता लगाने के लिए चीनी शिष्टमंडल के शीघ्र ही भारत आने की आशा है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संयुक्त उद्यम

3132. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के चार वर्षों के दौरान सरकार ने निर्माण और सेवा क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम के लिए कितने प्रस्तावों की मंजूरी दी है।

(ख) उनमें से संयुक्त उद्यम की कितनी परियोजनाओं पर काम चल रहा है; और

(ग) शेष परियोजनाओं को स्थापित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) सरकार ने देश में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए 1985, 1986, 1987, 1988 तथा 1989 (जून, 89 तक) क्रमशः 238, 240, 242, 282 तथा 102 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। स्वीकृत किए गए विदेशी सहयोग प्रस्तावों के ब्यौरे अर्थात् भारतीय कम्पनी का नाम, विदेशी सहयोगकर्त्ता, विनिर्माण की वस्तु तथा सहयोग का प्रकार इत्यादि भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने मासिक न्यूज लैटर के परिशिष्ट के रूप में, मासिक आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां नियमित रूप से संसद पुस्तकालय में भेजी जाती हैं। सामान्यतया, संयुक्त उद्यम परियोजनाओं को उत्पादन की अवस्था में पहुंचने में लगभग 2 वर्ष का समय लगता है। विदेशी सहयोग अनुमोदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई तथा उनके कार्यान्वयन की निगरानी करना प्रशासनिक मंत्रालयों का दायित्व है तथा केन्द्र के पास स्थापित की गई संयुक्त उद्यम परियोजनाओं की संख्या के विषय में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

———

12.00 मध्याह्न

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब प्रधानमन्त्री ने लोगों को और अधिक शक्तियां देने के लिए इस सम्मान्य सभा में यह नगरपालिका विधेयक पुरःस्थापित किया तब पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने कांग्रेस द्वारा शासित एक नागरिक निकाय बरहामपुर नगरपालिका को भंग कर दिया। यह गैर-कानूनी है। सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करके लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा करनी चाहिए।

श्री अतीश चन्द्र सिन्हा (बरहामपुर) : यह पूर्णतया अलोकतांत्रिक है।

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है। मैं कुछ नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

मैं क्या कर सकता हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं यहां पर किसी मुख्यमन्त्री के विरुद्ध आरोप लगाने की अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : यह अत्यधिक गंभीर मामला है। आपको लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा करनी चाहिए। (व्यवधान)*

श्री शांताराम नायक (पणजी) : कुदाल आयोग के प्रतिवेदन ने सारे विपक्ष को बेनकाब कर दिया है।

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : आज के हिन्दी के हिन्दुस्तान में एक करोड़ों रुपये का घोटाला नामक समाचार छपा है, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जहां एक ओर हमारे प्रधानमन्त्री, राजीव जी चाहते हैं कि देश से सत्ता के दलालों को खत्म किया जाये वहीं दूसरी ओर* की खबर आयी है कि उन्होंने आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए करोड़ों रुपया इकट्ठा करके एक कोष बनाया है। उन्होंने दिल्ली और हरियाणा के जितने कॉलोनाइजर्स हैं, उनसे मिलकर एक स्कीम बनायी है। उन कालोनाइजर्स से रुपया इकट्ठा करके लगभग 200 करोड़ रुपये का कोष बनाया गया है और यह फैसला किया है कि 200 कैंडीडेट्स को एक-एक करोड़ रुपया चुनावों के वक्त देंगे।

[अनुवाद]

मंत्री महोदय एक वक्तव्य दें क्योंकि मामला अत्यन्त गंभीर है। इसकी जांच की जाए। (व्यवधान)

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

उन्होंने एक-एक कैंडीडेट को एक-एक करोड़ रुपया देने का फैसला किया है। मैं चाहता हूं कि यह मामला जांच के लिए सी० बी० आई० को सौंप दिया जाये। (व्यवधान)

यह सब ड्रामा लोकसभा के चुनावों के लिये पैसा इकट्ठा करने के लिये किया जा रहा है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अतीश चन्द्र सिन्हा : पश्चिम बंगाल में लोकतन्त्र खतरे में है···(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : यह अत्यन्त गंभीर मामला है; हम चाहते हैं कि प्रधानमन्त्री हस्तक्षेप करें···(व्यवधान)

श्री अतीश चन्द्र सिन्हा : पश्चिम बंगाल में लोकतन्त्र संकट में है। (व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : हम चाहते हैं कि प्रधानमन्त्री हस्तक्षेप करें। प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा करें। पश्चिम बंगाल सरकार पश्चिम बंगाल में कांग्रेस द्वारा शासित एक नागरिक निकाय को कैसे भंग कर सकती है। यह गैर कानूनी है; यह असंवैधानिक है। हम चाहते हैं कि प्रधानमन्त्री हस्तक्षेप करें। (व्यवधान)

श्री अतीश चन्द्र सिन्हा : हम प्रधानमन्त्री से यह आश्वासन चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में लोकतन्त्र को समाप्त नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष जी, सी० बी० आई० से इन्क्वायरी करवा लीजिए। 200 करोड़ रुपया इकट्ठा किया है। एक एम० पी० के कैंडीडेट को···*···एक करोड़ रुपया देना चाहते हैं। इस बात की आप कमीशन से इन्क्वायरी करवा लीजिए। वह दिल्ली और हरियाणा के सभी कालोनाइजरों को ठगता है और अब तो दिल्ली कोलोनाइजरों को चंडीगढ़ बुलाता है और कहता है कि अब मेरा दिल्ली में राज होने वाला है···(व्यवधान)

हमारे डायनैमिक प्राइम मिनिस्टर ने आज ही बयान दिया है कि हम सत्ता के दलालों का सफाया करेंगे और अगर सत्ता के दलाल इस ढंग से पैसा कमा कर मजबूत होते रहे, तो इस प्रकार से तो ये लोग ऊपर ही होंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इसकी सी० बी० आई० से इन्क्वायरी हो···(व्यवधान)

मैं गृह मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि यह बहुत गंभीर मामला है। इसकी सी० बी० आई० से इंक्वायरी होनी चाहिए। इन्होंने हजारों एकड़ जमीनों पर कब्जा करवा लिया है। हजारों एकड़ जमीन···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने खुद अपने आदमियों से हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा करवा लिया है···(व्यवधान)

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया अब। आप लोग बैठ जाइए। सारा काम हिसाब से होगा। मैं स्टेट के मामले में कुछ नहीं कर सकता। स्टेट के मामले में तो आप किसी और से शिकायत करें। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री शांताराम नायक : महोदय, कृपया हमें कुदाल आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा करने की अनुमति दें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं ? मैं तो आपकी बात सुनना चाहता हूं। आपको रोकता कौन है, आप करिए डिस्कशन। मैं आपको देता हूं। झगड़ा क्या है ?

[अनुवाद]

कोई समस्या नहीं है।

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : महोदय, माननीय प्रधान मन्त्री ने विपक्ष की मौजूदगी में कुछ कहा है। सभा में जो भी चर्चा होती है वह सभा की सम्पति है। प्रधानमंत्री ने पंचायती राज विधेयक प्रस्तुत करते समय विपक्ष की मौजूदगी में कहा है कि विधेयक प्रस्तुत करने से पहले मुख्य मन्त्रियों, विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं तथा जिला स्तर के नेताओं तथा अधिकारियों से परामर्श किया था। वहां प्रधानमन्त्री ने बताया था कि वह उसी तरह सभी दलों और राज्यों के सभी मुख्य मंत्रियों के साथ परामर्श करके बहुत शीघ्र ही नगर पालिका विधेयक ला रहे हैं। यह बात उन्होंने इस सभा में कही है। इसीलिए, यह सभा की सम्मति, सरकार की इच्छा और संसद की इच्छा बन गई है।

संसद की इच्छा पर आधारित, जब कटक में इसकी बैठक हुई थी तो उसमें सभी नगर प्रतिनिधियों को आमन्त्रित किया गया था, दल के शहरी विकास कक्ष के महा सचिव ने मुझे व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया था कि "संभवत: पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि वहां न जाएं, क्या आप चेयरमैन और प्रतिनिधियों को वहां जाने के लिए राजी करेंगे ?" मैंने इसके लिए पहल की। संसद की इच्छा के अनुसरण में सम्मेलन में भाग लेने के बाद, यदि पार्षद, जिन्होंने सम्मेलन में भाग लिया है, उन्हें भयंकर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई है और यदि वे आज एक नगरपालिका को भंग करते हैं और कल दूसरी नगर पालिका, को तो क्या यह संसद की इच्छा का अपमान नहीं है ? और यही बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल इतना कह सकता हूं कि हमारे पास अपने संवैधानिक अधिकार हैं—यदि संवैधानिक प्रक्रिया के विरुद्ध कोई बात होती है तो वहां पर राज्यपाल को कार्यवाही करनी चाहिए। वह सरकार को निर्देश देने और केन्द्र को रिपोर्ट देने के लिए पूरी तरह सक्षम है। अत: इसका केवल वही तरीका है। हम प्रत्यक्ष रूप से इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते और मैं समझता हूं कि आप भी मेरे साथ सहमत होंगे कि मैं नहीं चाहता कि हमें राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए और न ही राज्य को केन्द्र से सम्बन्धित प्रश्न उठाने चाहिए।

(**व्यवधान**)

अध्यक्षमहोदय : और इसी बात के लिए राज्यपाल वहां पर है। मैं इस बात का समर्थन नहीं

कर सकता कि जो कुछ आप कहते हैं वह सही है। केवल जो कुछ नियमों के अन्तर्गत किया गया है उस पर यहां चर्चा हो सकती है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त संवैधानिक प्रमुख अर्थात राज्यपाल वहां पर है। वह कार्यवाही कर सकता है और वह जो चाहे उसकी केन्द्र को सिफारिश कर सकता है और केन्द्र उस पर कार्यवाही कर सकता है लेकिन इस प्रकार नहीं। मैं इसके बारे में यही ठीक समझता हूं।

(व्यवधान)

श्री टी० बशीर (चिरायिंकिल) : मुद्दा यह है कि जब हम यहां पर इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं, वह सरकार वहां पर उस प्रकार की कार्यवाही कर रही है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर नीखरा (होशंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद के चुनाव में लठैतों को रखकर वहां पर वोटों का रेगिंग किया गया, जाली मतदान किया गया, 200 करोड़ रुपये इकट्ठा किया गया और उससे वोटों को खरीदने की साजिश की गई। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इलैक्शन कमीशन है इसके लिए, आप अपना काम कानूनी तरीके से कर सकते हैं,

[अनुवाद]

मैं इसे यहां नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

चौधरी राम प्रकाश (अंबाला) : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी यहां बैठे हैं, वह इनके खिलाफ कमीशन क्यों नहीं बैठाते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : कहां से बैठाया जा सकता है ? आपको प्रासेस का पता है, आपको पहले पता है,

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों नहीं सुनते हैं ?

[अनुवाद]

आप ठीक तरह से सुनते क्यों नहीं ?

[हिन्दी]

आगे कमीशन नहीं बैठाये क्या ? प्रैजीडैंट साहब के पास ले जाते हैं।

चौधरी राम प्रकाश : रोज इसके खिलाफ गड़बड़ होती है, इलजाम लगाये जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप जाकर दीजिये, यहां नहीं होता है यह, यह जगह नहीं है।

[अनुवाद]

आप, यहां नहीं सही अधिकारियों को शिकायत कर सकते हैं। यह सही जगह नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जनक राज गुप्त (जम्मू) : अध्यक्ष महोदय, कुदाल कमीशन की रिपोर्ट सदन में पेश हुई है, उस पर बहस करने की इजाजत दी जाये।

(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : स्पीकर साहब, मुझे भी सुनिये।

[جناب جی ایم بنات والا : اسپیکر صاحب مجھے بھی سنیئے۔]

अध्यक्ष महोदय : कोई सुनता नहीं है, क्या फायदा होगा ?

श्री जी० एम० बनातवाला : श्रीलंका के मामले में गवर्नमैंट का स्टेटमैंट आना चाहिये। कब तक यहां खामोशी रहेगी ? अब तो श्रीलंका की पार्लियामैंट भी इस पर डिस्कस करने वाली है। (व्यवधान)

[جناب [illegible] والا : سری لنکا کے معاملے میں گورنمینٹ کا اسٹیٹمینٹ آنا چاہیئے۔ کب تک یہاں خاموشی رہے گی۔ اب تو سری لنکا کی پارلیمینٹ بھی اس پر ڈسکس کرنے والی ہے۔ (مداخلت)

श्री जी० एम० बनातवाला : आखिर आप डायरेक्शन दीजिये कि गवर्नमैंट श्रीलंका के मामले पर स्टेटमैंट इस हाउस में करे।

[شری جی ایم بنات والا : آخر آپ ڈائریکشن دیجئے کہ گورنمینٹ سری لنکا کے معاملے پر اسٹیٹمینٹ اس ہاؤس میں کرے۔]

[अनुवाद]

आप सरकार को श्रीलंका के मामले पर वक्तव्य देने के लिए निर्देश दीजिए। श्रीलंका की संसद ने भी इस मामले पर चर्चा करना आरंभ किया है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

कौन जीता है, कहीं, जुल्फ के सर होने तक ? बात जबान पर आयेगी !

[کون جیتا ہے کہیں زلف کے سر ہونے تک ۔ بات زبان پر آئے گی ۔]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही इस मामले पर एक प्रस्ताव की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

12.14 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

मारुति वाहनों के मूल्यों के वृद्धि के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 129 के बारे में 18 जुलाई, 1989 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

उद्योग मंत्री (श्री जे० बेंगल राव) : मैं मारुति वाहनों के मूल्यों में वृद्धि के बारे में श्री महेन्द्र सिंह द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 129 के 18 जुलाई, 1989 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8140/89]

भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के उनतीसवें वार्षिक प्रतिवेदन का खंड I तथा II; विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के विज्ञापनों के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 4323 के लिए 22 मार्च, 1988 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार के उनतीसवें वार्षिक प्रतिवेदन—"प्रैस इन इण्डिया 1985" (खंड I तथा II) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8141/89]

(2) (एक) समाचारपत्रों के लिए विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के विज्ञापनों के बारे में श्रीमती विभा घोष गोस्वामी द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 4323 के 22 मार्च, 1988 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने तथा (दो) उत्तर में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8142/89]

उत्तर प्रदेश में खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों के आवंटन के लिए प्रतीक्षा सूची के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 1079 के लिए, 25 जुलाई, 1989 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) उत्तर प्रदेश में खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों के आवंटन के लिए प्रतीक्षा सूची के बारे में श्री जगदीश अवस्थी द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 1079 के 25 जुलाई, 1989 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने तथा (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8143/89]

राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (सामान्य प्रबन्ध, वायु-परिवहन सेवाओं के ग्राउण्ड हैंडलिंग के लिए प्रवेश) विनियम, 1989; एअर इण्डिया के वर्ष 1989-90 के आय और व्यय के बजट प्राक्कलनों का सारांश आदि

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 40 के अन्तर्गत राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (सामान्य प्रबन्ध, वायु-परिवहन सेवाओं के ग्राउण्ड हैंडलिंग के लिए प्रवेश) विनियम, 1989, जो 26 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 9.2.13 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 8144/89]**

(2) वायु निगम नियम, 1954 के नियम 3 के उपनियम (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) एअर इण्डिया के वर्ष 1989-90 के आय और व्यय के बजट प्राक्कलनों का सारांश । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8145/89]**

(दो) एअर इण्डिया के वर्ष 1987-88 के वास्तविक आंकड़े, 1988-89 के बजट प्राक्कलनों तथा पुनरीक्षित प्राक्कलनों और वर्ष 1989-90 के बजट प्राक्कलनों का सारांश ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8146/89]

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जी० एम० बनातवाला (पौन्नानी) : आज स्टेटमैंट आना चाहिए, सर। आप स्टेटमैंट दिलवा रहे हैं, आज ?

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को मजबूर नहीं कर सकता।

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : कल आपने प्रोसीडिंग्स से एक लफ्ज एक्सपंज किया था।

अध्यक्ष महोदय : किस बात का ?

श्री सैयद शाहबुद्दीन : वही है, जो आपने एक्सपंज किया था। अखबार वालों ने कहा है, बाद में आपने उसको रैस्टोर कर दिया। यह पार्लियामैंटरी तवारीख में पहली मर्तबा हुआ है। मैं चाहता हूं कि चेयर इसके बारे में सही इन्फार्मेशन दे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी नहीं निकालना था। इसमें कुछ भी असंसदीय नहीं था।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हमेशा रीकंसीडरेशन होता है, इसमें क्या है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमेशा रीकंसीडरेशन होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। दुनिया में हमेशा पहला टाइम होता है एक।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक) : एक मिनट मेरी बात सुनिये। मैं बहुत देर से चिल्ला रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : बहुत बार होता है।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : मैंने आपको नोटिस भी दिया है। परेशानी यह है कि दिल्ली में पावर आफ एटार्नी पर लाखों जायदाद बिकी हैं। मैं सरकार से चाहता हूं कि सरकार कोई कानून उसमें बनाये। मैं आपको नोटिस दिया है, आप उसमें जवाब दें। आप सरकार को कहें कि सरकार कोई कानून बनाये ताकि उन लोगों को राहत मिले।

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दीजिए।

श्री मानकूराम सोढी (बस्तर) : अध्यक्ष महोदय, बस्तर जिले के अबूझमाड़ की आदिवासी नवयुवती का एकदम नग्न फोटो यहां इण्डिया टुडे में उतारा गया है, जो कि गरीबी, आदिवासियों की बेइज्जती है, उनको अपमानित किया जाना है। उस क्षेत्र में जिला मजिस्ट्रेट ने फोटो खींचने पर प्रतिबन्ध लगा रखा है, फिर यह फोटोग्राफर कैसे गया ?

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए।

दामोदर घाटी निगम, कलकत्ता का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा आदि

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 45 की उपधारा (5) के अन्तर्गत दामोदर घाटी निगम, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) दामोदर घाटी निगम, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8147/89]

इलेक्ट्रानिकी सेवा तथा प्रशिक्षण केन्द्र, नैनीताल के वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा के बारे में विवरण

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : मैं एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के उपबन्धों के क्रियान्वयन से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 8148/89]

(2) (एक) इलैक्ट्रानिकी सेवा तथा प्रशिक्षण केन्द्र, नैनीताल के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) इलैक्ट्रानिकी सेवा तथा प्रशिक्षण केन्द्र, नैनीताल के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8149/89]

12-1/2.16½ म०प०

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :

"मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने आज, 7 अगस्त, 1989 को हुई अपनी बैठक में पोत परिवहन अभिकर्ता (अनुज्ञापन) विधेयक, 1987 के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने से संबंधित निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया :

"कि पोत परिवहन अभिकर्ता (अनुज्ञापन) विधेयक, 1987 के संबंध में सभा के संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय को राज्य सभा के 152वें सत्र के अंतिम दिन तक बढ़ा दिया जाए"।'

12.17 म० प०

लोक लेखा समिति

174वां, 175वां 176वां और 177वां प्रतिवेदन

श्री आर० एस० स्पैरो (जालंधर) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) चाय बोर्ड के सम्बन्ध में 107वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही के बारे में एक सौ चौहत्तरवां प्रतिवेदन।

(2) फिल्म सर्कल के कार्यकरण के सम्बन्ध में 71वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही के बारे में एक सौ पचहत्तरवां प्रतिवेदन।

(3) स्वर्ण वस्तुओं की सम्पूर्ण क्षति के सम्बन्ध में 50वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही के बारे में एक सौ छिहत्तरवां प्रतिवेदन।

(4) परिहार्य/अनावश्यक आयात के सम्बन्ध में 47वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही के बारे में एक सौ सतहत्तरवां प्रतिवेदन।

12.17-3/4 म० प०

लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति

नवां प्रतिवेदन

कुमारी कमला कुमारी (पलामू) : मैं लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति का नवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

12.18 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उत्तर प्रदेश सरकार को आगरा डिवीजन में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री गंगा राम (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में विशेषकर आगरा मण्डल में मानसून के धोखा देने के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है जबकि देश के अनेक भागों में बाढ़ आ रही है। आगरा मण्डल में तो खरीफ की फसल चौपट हो गई है, बाजरा जो इस क्षेत्र की विशेष फसल है, पानी के अभाव में सूख गई है। अन्य फसलों पर भी दुष्प्रभाव पड़ा है। यही नहीं, राजकीय नलकूपों तथा निजी नलकूपों और कुंओं का जलस्तर दिन प्रतिदिन नीचे गिरता जा रहा है। इससे सिंचाई के अतिरिक्त पीने के पानी की समस्या भी विकराल रूप धारण कर चुकी है। इससे क्षेत्रीय जनता में विशेष चिन्ता व्याप्त है। अतएव भारत सरकार से अनुरोध है कि वह उत्तर प्रदेश सरकार को वांछित वित्तीय सहायता प्रदान कर सूखे की स्थिति पर नियन्त्रण करने की कृपा करें।

(दो) तमिलनाडु से हथकरघा उत्पादों का निर्यात सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री आर० जीवरत्नम (आर्कोनम) : तमिलनाडु में करीब 9 करोड़ मूल्य का हथकरघा से बना माल अमरीकी प्राधिकारियों की स्वीकृति हेतु पड़ा है। यह समझा जाता है कि अमरीकी प्राधिकारियों ने भारत से अपने देश में हथकरघे से बनी वस्तुओं के आयात से पूर्व उन पर कुछ नए प्रतिबन्ध लगाए हैं।

इन वर्षों के दौरान हथकरघा से बनी सैंकड़ो करोड़ों रुपये के मूल्य की वस्तुएं उस देश को निर्यात की गई हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश, अमरीकी प्राधिकारियों में हथकरघे से बनी वस्तुओं की विशिष्टियों के संबंध में अकस्मात फिजूल सी छोटी-छोटी आपत्तियां उठानी शुरू कर दी हैं। हथकरघे पर बनी वस्तुओं के भंडार को भारत से न उठाने से बड़ी समस्याएं पैदा हो गई हैं। इससे लाखों लोग, विशेषकर समाज के कमजोर वर्ग, जो मुख्यतः इसी लघु उद्योग पर निर्भर हैं, प्रभावित हो चुके हैं और यदि यही स्थिति बनी रही तो बुनकर तथा इस लघु उद्योग पर निर्भर रहने वाले अन्य लोग बेरोजगार हो जाएंगे। साथ ही इन वस्तुओं का निर्यात न होने से सरकार को भी विदेशी मुद्रा की हानि होगी। वस्त्र उद्योग में व्याप्त रुग्णता के कारण हथकरघा उद्योग की इन नई समस्याओं से स्थिति और भी खराब हो जाएगी तथा इससे अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करे कि हथकरघा वस्तुओं का जो भंडार जमा हुआ पड़ा है, वह विदेशों को निर्यात किया जाए।

(तीन) बिहार में बरियाडीह में एक आयुध कारखाना स्थापित किए जाने के बारे में शीघ्र निर्णय लिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री तिलकधारी सिंह (कोडरमा) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में हजारीबाग जिले के मरकच्चो प्रखण्ड के बरियाडीह में एक आयुध कारखाना स्थापित करने हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा करीब दो वर्ष पूर्व सर्वेक्षण करवाया गया था। वह स्थान पूर्णतया उपयोगी पाया गया था तथा राज्य सरकार द्वारा भी सभी सुविधायें उपलब्ध कराने की स्वीकृति मिली थी, किन्तु अभी तक रक्षा मंत्रालय द्वारा कोई निर्णय नहीं हो पाया है।

सरकार से निवेदन है कि अविलम्ब इस विषय पर निर्णय लेकर उपर्युक्त स्थान में आयुध कारखाना जल्द से जल्द स्थापित किया जाए।

(चार) सोनीपत (हरियाणा) में रेल फाटकों पर ऊपरी पुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : हरियाणा राज्य का जिला मुख्यालय होने के अलावा सोनीपत एक बड़ा औद्योगिक शहर भी है, इसलिए वहां बहुत अधिक यातायात है। दिल्ली-अम्बाला रेल लाइन सोनीपत को बराबर भागों में बांटती है और बाहर से भी लोग यहां काफी संख्या में आते हैं। दिल्ली से पंजाब की ओर जाने वाला सारा यातायात सोनीपत के रास्ते ही होता है। यहां दो रेलवे फाटक हैं जो यात्री गाडियों व माल गाडियों के गुजरने से अक्सर बंद रहते हैं। ऐसी स्थिति में वहां भारी यातायात पर नियंत्रण करने और रेलवे फाटकों पर यातायात के सामान्य आवागमन के लिए वहां ऊपरी पुल का निर्माण करना जरूरी हो गया है। इसलिए, दोनों रेल फाटकों पर ऊपरी पुलों के निर्माण की स्वीकृति तुरन्त दी जाए और यथाशीघ्र उनका निर्माण किया जाए।

(पांच) 'सिनेरारिया मारीतिमा सकस' नामक आंख में डालने वाली होम्योपैथिक दवाई की प्रभावकारिता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि (राजकोट) : मैं सरकार का ध्यान 7-7-89 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में 'फ्लॉज इन ड्रग डिटेक्टिड आफ्टर 70 ईयर्स' शीर्षक से प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाना चाहती हूं। इस सम्बन्ध में, यह सच है कि 'सिनेरारिमा मारीतिमा सकस' आंख में डालने की होम्योपैथिक दवा है जो कि मोतियाबिन्द के लिए चिकित्सीय रूप से प्रभावी मानी गई है। ये रोग-नैदानिक प्रयोग 1970 में भारत में पश्चिम जर्मन की इस दवा पर किए गए थे। जब भारतीय होम्योपैथिक औषधि-विज्ञान, खंड 5 में सिनेरारिया मारितिमा सकस से सम्बन्धित लेख विश्व के किसी भी मान्यताप्राप्त होम्योपैथिक औषधि-विज्ञान पर आधारित नहीं है, तब सरकार ने यह कैसे मान लिया कि उस दवा में जो अल्कोहल का अंश है, वह कैंसर पैदा करने वाला और 'हाइपीटोक्सिक नहीं है तथा यदि इसे भारतीय होम्योपैथिक औषधि-विज्ञान के अनुसार तैयार किया जाता है तो उससे कैंसर नहीं होगा।

दूसरे, होम्योपैथिक औषध-विज्ञान प्रयोगशाला, जो कि केन्द्र सरकार का एक संगठन है, के निवेदन ने दिसंबर, 1988 में औषधि नियंत्रक, दिल्ली ने पश्चिम जर्मनी की सिनेरारिया मारी-

तिमा सकस दवा के नमूने लेने को लिखा था ताकि इस प्रयोगशाला में उसकी जांच की जा सके और इस दवा पर प्रतिबंध लगाया जा सके। मैं जानना चाहती हूं कि क्या यह विचार सभी आयातित सिनेरारिया के संबंध में व्यक्त किए गए थे अथवा कुछ गिने चुनों के संबंध में।

यह सुझाव दिया जाता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे कुछ अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की इस संबंध में राय लेनी चाहिए कि क्या दवा सुरक्षित और प्रभावी है।

(छह) उन बेरोजगार युवकों को, जिनके मामले जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा अनुशासित किए गए हैं, ऋण मंजूर किए जाने की आवश्यकता

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर): मैं सभा का ध्यान देश में शिक्षित युवाओं में तेजी से बढ़ती हुई बेरोजगारी की ओर दिलाना चाहता हूं। लाखों युवाओं ने नौकरी मिलने की आशा से देश के विभिन्न रोजगार केन्द्रों में अपना नाम पंजीकृत कराया हुआ है। सरकार सहित सभी को यह पता है कि उन सभी को नौकरी दिलाना लगभग असंभव है। इन युवकों को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्र में सर्वोच्च स्तर पर एक राष्ट्रव्यापी नीति बनाई गई थी कि इन युवाओं को अपने उद्यम या लघु इकाइयां स्थापित करनी चाहिए ताकि वे अपनी आजीविका कमा सकें। बैंकों को भी ये निदेश दिये गये थे कि वे जिला उद्योग केन्द्र की संस्तुति के बाद इन युवकों को ऋण उपलब्ध कराएं।

यद्यपि जिला उद्योग केन्द्र प्रस्ताव की सावधानीपूर्वक जांच के बाद ऋण देने के लिए बैंकों को उनके मामलों की सिफारिश करता है लेकिन यह देखा गया है कि इनमें से 50 प्रतिशत से अधिक मामले बैंकों ने अस्वीकृत कर दिए हैं। वहां भ्रष्टाचार और पक्षपात किए जाने के भी समाचार मिले हैं। ऐसे युवकों में भी बहुत असंतोष है जिन्हें जिला उद्योग केन्द्र की सिफारिश के बाद भी ऋण नहीं मिलता।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह तुरन्त इसमें हस्तक्षेप करे और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए आदेश जारी करे और ये निदेश भी जारी करे कि जिला उद्योग ने जिन युवकों के ऋण के मामलों की स्वीकृति दे दी है, उन युवकों को बैंकों से ऋण दिलाया जाय।

(सात) सरकारी कार्यालयों और सरकारी उपक्रमों में कार्यरत प्रादेशिक सेना कर्मियों को प्रशिक्षण और अभ्यास हेतु कार्य-मुक्त किए जाने की आवश्यकता

श्री उत्तम राठौड़ (हिंगोली) : रक्षा सेवा विनियम के अनुसार सेना में नियमित सेना और प्रादेशिक सेना शामिल है। श्रीलंका में सेना की भूमिका और बांगलादेश में स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद वहां रेलवे लाइन बिछाने में प्रादेशिक सेना द्वारा किए गए कार्यों पर हमें गर्व होता है। भारत-सरकार यह आशा करती है कि कई नागरिक इस सेना में शामिल होंगे।

यद्यपि हमारी प्रादेशिक सेना की संख्या सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से आज कहीं अधिक कम है। यह देखा गया है कि इस समय जो नागरिक प्रादेशिक सेना में भर्ती हैं, उन्हें सरकारी और गैर-सरकारी उपक्रमों द्वारा परेशान किया जा रहा है। नियम के अनुसार जो नागरिक प्रादेशिक सेना में कार्य कर रहे हैं, उन्हें साल में एक बार एक महीने के प्रशिक्षण पर जाना होता है परन्तु जब कभी भी प्रादेशिक सेना से उन्हें प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाता है, उन्हें व्यायाम और प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा जाता।

सरकार को चाहिए कि जब कभी भी ऐसे अन्यायपूर्ण मामले सरकार के नोटिस में लाए

जायें, तो सरकार उस पर सख्त कार्रवाई करे। मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि सरकारी विभाग और संगठन अपने कर्मचारियों को प्रादेशिक सेना में शामिल होने से हतोत्साहित नहीं करेंगे।

12.28 म० प०

संविधान (चौंसठवां संशोधन) विधेयक

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : मैं प्रस्ताव करता हूं*—

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

नियम 66 के परन्तुक के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : मैं प्रस्ताव करता हूं—

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 66 के परन्तुक का संविधान (पैंसठवां संशोधन) विधेयक, 1989, जहां तक यह संविधान (चौसठवां संशोधन) विधेयक, 1989 पर निर्भर है, पर विचार करने और उसे पारित करने के प्रस्ताव पर लागू होने के संबंध में निलम्बन करती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 66 के परन्तुक का संविधान (पैंसठवां संशोधन) विधेयक, 1989, जहां तक यह संविधान (चौसठवां संशोधन) विधेयक, 1989 पर निर्भर है, पर विचार करने और उसे पारित करने के प्रस्ताव पर लागू होने के संबंध में निलम्बन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.29 म० प०

संविधान (पैंसठवां संशोधन) विधेयक

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : मैं प्रस्ताव करता हूं*—

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : सभा मद सख्या 11 और 13 पर एक साथ विचार करेगी।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

संविधान (चौंसठवां संशोधन) विधेयक
और
संविधान (पैंसठवां संशोधन) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : मैं लोक-सभा और राज्य-सभा दोनों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्हें प्रधान मंत्री द्वारा पुरःस्थापित इन दो संशोधन विधेयकों पर विचार करने का अद्वितीय अवसर मिला है। अनेक विधेयक पुरःस्थापित किये गए हैं। इनमें से कुछ पर संविधान में संशोधन करने के लिए चर्चा भी की गई है। गैर-सरकारी सदस्यों के लिए आरक्षित समय के दौरान अधिकतर गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा ही इनका नोटिस दिया गया था। उनमें से बहुत कम पर विचार करके स्वीकृत किया गया है परन्तु 41 वर्षों के दौरान किसी भी विधेयक को सरकार द्वारा इतने जोर-शोर से प्रस्तुत नहीं किया गया और इतना महत्व नहीं दिया गया जितना कि इन दो विधेयकों को महत्व दिया गया है।

अतः आज संवैधानिक सभा का सदस्य होने के नाते इन विधेयकों को पारित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का जो मुझे अवसर मिला है उस पर मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं और मैं यह सिफारिश करता हूं कि इस सभा को इन दोनों विधेयकों को पारित करना चाहिए और इनका स्वागत करना चाहिये जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इन्हें ठीक ही क्रांतिकारी उपलब्धियां कहा है। मै संसदीय दल से भी पूरी तरह संतुष्ट हूं जिसने सेमीनार आयोजित करने की पहल की है और महोदय, मैं आपको भी बधाई देता हूं कि आपने योजना आयोग तथा विभिन्न राज्यों के अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों को आपकी अध्यक्षता में संसदीय सौध के मुख्य समिति कक्ष में एकत्रित होने का और इन विधेयकों पर अपने विस्तृत विचार-विमर्श प्रस्तुत करने का अवसर दिया। इसी प्रकार हमारी लोक सभा और लोक सभा नेताओं को भी कार्य करना चाहिए। मुझे अत्यन्त खेद है कि हमारे अधिकतर विपक्षी सदस्य आज अनुपस्थित हैं। मुझे इसका दुःख है और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग उनके व्यवहार की प्रशंसा नहीं करेंगे। जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने पहले ही इसकी आलोचना की है और मैं भी उनकी इस बात से सहमत हूं कि जो शपथ उन्होंने इस सदन में ली थी, और जिस लक्ष्य के लिए जनता में उन्हें यहां भेजा था, उन्होंने अपने उन पवित्र कर्त्तव्यों का पालन नहीं किया है। चालीस वर्षों से हमारे गांवों को मूलभूत रूप से हमारे संविधान के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा गया है। संवैधानिक सभा में एक संशोधन प्रस्तुत किया गया था और पारित हुआ था जिसके अन्तर्गत राज्य-सरकारों को गांवों में पंचायतें और पंचायती प्रशासन व्यवस्था करने सम्बन्धी आवश्यक विधान पारित करने का कार्यभार दिया गया। उन दिनों और उस समय हममें से कई व्यक्तियों ने संविधान सभा के नेताओं एवं विधि-विदों द्वारा

हमारी ग्राम-पंचायतों और हमारी नगरपालिकाओं को और प्रभावी अधिकार देने में असफल रहने पर अपना असंतोष व्यक्त किया था। हमारे देश में केन्द्र और राज्यों में संविधान का क्या रूप होना चाहिए। इस बात पर वह इतना अधिक व्यस्त थे कि उन्होंने इसकी तरफ पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। उस समय मैंने इस बात के खिलाफ अपनी आवाज बुलन्द की और महात्मा गांधी ने 1947-48 से पहले 30 वर्षों से भी अधिक समय तक विकेन्द्रीकरण के लिए प्रयत्न किया। उन्होंने कहा कि :

> "क्या यह आवश्यक नहीं है कि इन नीति निर्देशक तत्वों में से एक में हम यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दें कि प्रत्येक गांव में अथवा गांवों के प्रत्येक समूह में ग्राम-पंचायतों की स्थापना करना राज्य का कर्त्तव्य है, जिससे ग्रामवासियों को स्व-शासन में प्रशिक्षित करने और सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक मामलों में ग्रामीण जनता को स्वायत्तता प्राप्त करने में मदद मिल सके ताकि वे हमारे संविधान के सर्वोच्च स्वरूप की मजबूत आधार शिला बन सकें।"

महोदय, दुर्भाग्य से पिछले चालीस वर्षों से हमें अपने देश में इस आधारशिला के बिना हमें अपनी ही लोकतांत्रिक शासन-प्रणाली चलानी पड़ी। सौभाग्य से हमारे बीच मे हमारे युवा प्रधान-मंत्री जी हैं जो एक नयी विचार-शक्ति वाले हैं तथा वह कोई द्वेष-भाव नहीं रखते हैं तथा दो वर्षों से अधिक समय से भी वह एक गांव से दूसरे गांव, एक बस्ती से दूसरी बस्ती, और एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में स्वयं जाकर यह देख रहे हैं कि हम अपने देश में कैसे रह रहे हैं तथा अपने देश की शासन व्यवस्था को हम कैसे चला रहे हैं। हमारे अन्य दूसरे नेता ने भारत को पहचाना। हमारे प्रधानमंत्री जी ने गांवों और मुहल्लों के शासन को समझा और उन्होंने यह पाया है कि प्रजातन्त्र के लिए इस आधारशिला का विकास करने के अपने कर्तव्य में हम असफल रहे हैं। चालीस वर्षों से हमने अपने देश में लोकतन्त्र बनाये रखा है और विश्व के शेष देश हमें हमारे प्रजातान्त्रिक आदर्शों का इतनी ईमानदारी एवं निष्ठा से पालन करने के लिए बधाई दे रहे हैं। हमारे मित्र स्वयं कांग्रेस से भी ज्यादा प्रजातान्त्रिक होने का दावा करते हैं। उनमें से कुछ तो अभी हाल ही मे प्रजातन्त्र के प्रति उत्साही हुए हैं क्योंकि काफी समय से विश्व के विभिन्न देशों विशेषकर यूरेशियन देशों के मार्गदर्शक सिद्धान्तवादी और विद्वान ही उनके प्रेरणा स्रोत रहे हैं। परन्तु वे देश और वे व्यक्ति प्रजातन्त्र की तरफ से जा रहे हैं जबकि ये मित्र प्रजातन्त्र से भाग रहे हैं। कल और आने वाले भविष्य में वे हमारी जनता से क्या कहेंगे। वे नहीं चाहते हैं कि हमारे गांवों की अपनी पंचायतें हों तथा राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में उन्हें प्रभावी अधिकार दिये जायें। क्या वह इस बात का विश्वास दिलाएंगे कि जिस प्रकार से वह पिछले 40 वर्ष से लोकतन्त्र को नकार रहे हैं उससे हमारे नगरों और ग्रामों की दशा बेहतर हो जाएगी? मेरे माननीय मित्र प्रधान मंत्री ने हमें बताया है कि कितने नगरों में पिछले 15 या 16 वर्षों से नगर निगम या नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं हुए हैं। और कितने राज्यों में जिनमें कांग्रेस शासित राज्य भी शामिल हैं पिछले एक दशक से अधिक समय से चुनाव नहीं हुए है और इसलिए आप उन्हें अवसर देना चाहते हैं और वह उस अवसर का लाभ नहीं उठाना चाहते। मान लो हमारे गांवों में चुनाव न हो तो मुझे यह नहीं मालूम कि उन्हें उस स्थिति का क्या लाभ होगा। हां, यदि आपके ग्रामवासी अपने नागरिक कार्यक्रमों, नागरिक चुनावों के आदी नहीं हैं तो झूठे वायदों और झूठी आलोचना से उनके वोट प्राप्त करना आसान

होगा। किन्तु यह लोकतन्त्र नहीं है। यहां इन विधेयकों के माध्यम से हम न केवल अपने शहरों और गांवों में रहने वाले लोगों के लिए निर्वाचन संभव कर रहे हैं, बल्कि हम उन्हें यह आश्वासन भी देना चाहते हैं कि राज्य सरकारों भी, उन्हें निर्धारित अवधि पर अपना स्थानीय नेता चुनने, पंचायतें बनाने और पार्षद चुनने का अधिकार छीनने का अवसर नहीं दिया जाएगा और उन्हें स्वयं अपना प्रशासन चलाने की अनुमति दी जाएगी। हमें अपने लोगों को यह आश्वासन भी देना चाहिए कि यदि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में उनकी परिषदों का अतिक्रमण किया जाता है या उनके चुनाव मुल्तवी कराए जाते हैं तो ऐसा केवल अधिकतम 6 मास की अवधि के लिए किया जाएगा उससे अधिक नहीं।

अब यह आश्वासन बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इस संसद के लिए भी केवल दो बार ही चुनाव मुल्तवी कराए जा सकते हैं और वह भी केवल 12 मास की अवधि के लिए है। उसके पश्चात जहां तक संसदीय और विधान मण्डल के चुनावों का सम्बन्ध है। सरकार को दो बार चुनाव करने पड़ेंगे। अब गांवों और उनकी पंचायतों के लिए नगरपालिकाओं और शहर के लोगों के लिए उनके कार्यकाल को एक ही बार बढ़ाया जा सकता है और एक ही बार चुनाव स्थगित किया जा सकता है। उसके पश्चात चुनाव अवश्य कराए जाने चाहिए और हमारे गांवों में रहने वाले लाखों करोड़ों लोगों को यही आश्वासन दे रहे हैं। और मेरे माननीय मित्र जब लोगों केपास जाएंगे तो क्या वह इस आश्वासन का विरोध करेंगे? वह उन लोगों से यह कहेंगे कि वह किसान और मजदूर हैं तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य उपेक्षित लोगों में है जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और राज्य सरकारों द्वारा उन्हें वर्षों से उन्हें मताधिकार का इस्तेमाल करने से रोका जा रहा है। क्या वह लोगों तक यही सन्देश ले जाना चाहते हैं? वह ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह एक चुनावी हथकंडा है। ठीक है यह जनादेश है, हम सीधे लोगों के पास जा रहे हैं, मुझे इस बात का बिल्कुल खेद नहीं है कि इसमें विलम्ब हुआ है। मेरे माननीय मित्र ने संसद में इन विधेयकों को प्रस्तुत किए जाने में जानबूझकर देरी नहीं की है। पिछले तीन वर्षों से वह देश के प्रत्येक भाग में लोकतांत्रिक विचारधारा के लोगों के प्रत्येक ग्रुप के साथ वार्ता, बहस और सेमिनार कर रहे हैं और इन विधेयकों के साथ प्रस्तुत हुए हैं। आखिरकार उन्होंने यह प्रयत्न अकेले नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों के सहयोग से किए हैं जैसा कि उन्होंने अभी कल या परसों ही बताया है कि उनके अपने नगर निगम महापौर, नगर परिषदों, कार्यकारी अधिकारियों तथा उनके कुछ अपने मंत्रियों ने प्रधान मंत्री के साथ सहयोग किया है। इस विधेयक को सफल बनाने में तथा इस विधेयक की मांग में भारत भर में हुई बातचीत में प्रधान मंत्री को सहयोग दिया है। तो भी उन्होंने सदन से दूर रहने का यह निर्णय लिया है जो अत्यन्त असाधारण निर्णय है। महोदय, जिस भद्रपुरुष के कहने पर यह सब किया गया वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मुख्य मंत्री बनाने से पहले संसद के कार्यों का कोई अनुभव नहीं था। इस प्रकार से कार्य किया है उन्होंने। क्या राजनैतिक दलों को इस प्रकार का अलोकतांत्रिक व्यवहार करना चाहिए? उन्हें उनका यह रवैया मुबारक, किन्तु मैं जानता हूं कि लोग उन्हें सबक सिखाएंगे, मैं जानता हूं कि लोग इन विधेयकों तथा इन्हें लाने के लिए जिम्मेदार दल को पूरा सहयोग देंगे और इसके लिए हमारे प्रधान मंत्री के नेतृत्व की प्रशंसा करेंगे।

महोदय, हमारे गांवों की क्या स्थिति है ? पहले हमारे यहां पंचायतें हुआ करती थीं। किन्तु वह उच्च जातियों तक सीमित थीं, पिछड़ी जातियों का वहां कोई अधिक स्थान नहीं था, हरिजनों और आदिवासी लोगों को तो उनमें कोई स्थान प्राप्त नहीं है। अब हम उनके प्रतिनिधित्व की भी व्यवस्था करने जा रहे हैं। न केवल उन के लिए बल्कि हमारी महिलाओं, हमारी माताओं, हमारी बहनों और हमारी बेटियों के लिए भी व्यवस्था करने जा रहे हैं। क्या हमने उन्हें अवसर दिया। क्या यह बात सही नहीं है कि अपनी महिलाओं को घर की चारदिवारी के भीतर रखना ही सम्भ्रान्तता की निशानी माना गया और उन्होंने कभी भी अपनी सहमति या असहमति की आवाज नहीं उठाई जबकि पुरुष आपस में एक दूसरे से सलाह-मशवरा करते रहते हैं। हम इन सब बेड़ियों को तोड कर अपनी महिलाओं को आजाद करना चाहते हैं। जी हां, हम ऐसा करेंगे, हमने उन्हें मतदान का अधिकार दिया है। परन्तु महोदय केवल यही नहीं हमारे गावों में, हमारी पंचायतों में और परिषदों तथा जहां कहीं भी संभव हो, हम उन्हें आगे लाना चाहिए। यह बात सच है कि अपने लोकतंत्र में हमने इन्दिरा जी को सर्वोच्च आसन पर बिठाया। इसके अलावा और था भी क्या। हमने अपनी महिलाओं को आजाद नही किया। आज हम अपनी महिलाओं को आजाद करने जा रहे हैं। पहले भी उन्हें सती होने रोक कर हमने यह किया है। किन्तु यह अधिक सकारात्मक बात है। हम चाहते हैं कि वह हमारी पंचायतों में सभापति बन कर, सरपंच बन कर सम्मानजनक तरीके से जिएं, हमारे प्रजातन्त्र में एक सम्मानजनक और विशिष्ठ भूमिका निभाएं। यह एक अत्यंत महान सामाजिक क्रान्ति है जिसकी हम देश में शुरूआत कर रहे है। मैं प्रधान मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने नगर पालिकाओं और पंचायतों में महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत स्थान सुनिश्चित करके राजा राम मोहन राय, ईश्वर चन्द्र पंडित विद्या सागर, वीरसलिंगम, कर्वे, फुल्ले महात्मा गांधी तथा भूतपूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती नायडू की इच्छाओं को पूरा किया है। यह सच है कि ऐसा करने वाले वह पहले व्यक्ति नहीं हैं आन्ध्र प्रदेश में इस दिशा में हमने काफी काम किया है। किन्तु आन्ध्र प्रदेश के मौजूदा नेता हमारे प्रधान मंत्री को बधाई देने के बजाए इस सदन से बाहर चले गए। वह अपनी ही परम्परा को नकार रहे हैं।

महोदय, हमारे यहां आन्ध्र में पंचायती राज प्रणाली है। स्वर्गीय श्री अन्जैया ने चुनाव कराए और जब वह केवल ढाई वर्ष के लिए मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने अपने कीमती समय से 6 महीने का समय निकाला ताकि सभी गांवों और शहरों के चुनाव हो सकें। कुछ शहर हरिजनों के लिए आरक्षित किए गए और हरिजन पंचायतों के सभापति और सरपंच बन गए हैं। यह सब श्रम नेता और भूतपूर्व कांग्रेस मुख्य मंत्री श्री अन्जैया द्वारा किया गया और वर्तमान सरकार द्वारा उसी परम्परा को जारी रखा गया। यह हमारी उपलब्धियों का ही आगे विस्तार है और प्रधान मंत्री का समर्थन करने और उन्हें बधाई देने की अपेक्षा उन्होंने अनुपस्थित रह कर हमारा अपमान किया है। उन्होंने अनुपस्थित रह कर मतदाताओं का अपमान किया है। उन्होंने अपने दुर्व्यवहार से लोक तंत्र का अपमान किया है।

महोदय, विगत में हमारी ग्राम पंचायतें सफल नहीं हो सकीं। किन्तु हमारे यहां ग्राम पंचायतें थीं। मैंने स्वयं अपने गुन्टूर ज़िले के 960 गांवों में 700 पंचायतें संगठित की थीं। यह काफी समय पहले, 45 या 50 वर्ष पहले की बात है। उस समय हमारे यहां व्यस्क मताधिकार

का रिवाज नहीं था। लोकतंत्र का दिखावा नहीं था। अब हमारे यहां सब कुछ है। उस समय हमारे पास धन नहीं था। फिर भी हमने, महात्मा गांधी तथा सैंकड़ों गांधी वादियों, विशेष कर स्वामी सीताराम जैसे देश भक्त की प्रेरणा से लोगों से धन और श्रम का योगदान प्राप्त कर पाए तथा हमारे गांवों में सामाजिक तथा पंचायती सिद्धान्तों की स्थापना कर पाए। हमने तालाबों और कुओं की मरम्मत की तथा बांधों का निर्माण किया। हमने स्कूलों की इमारतों, पुस्तकालय भवनों तथा सड़कों का निर्माण किया। यह सब उस समय किया गया जब इसके लिए कोई धन नहीं होता था। अब यह कैसे हुआ कि हमारे ग्रामीण विकास और ग्रामीण सेवाओं के लिए इतना धन उपलब्ध होने के बावजूद हम नहीं कर पाते? इन्दिरा जी द्वारा देश के समक्ष रखे गए शानदार कार्यक्रम 'गरीबी हटाओ' के अन्तर्गत यह धन उपलब्ध कराया गया। किन्तु दुर्भाग्य से इसमें बहुत त्रुटियां हैं। पैसा गलत दिशा में व्यर्थ खर्च किया जा रहा है। उन बिचौलियों, एजेंटों के माध्यम से गलत लोग पैसे को हड़प रहे हैं। इस तरह के अपव्यय को रोकने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री गांवों की कायाकल्प करने और यह देखने के लिए आगे आये हैं कि प्रत्येक गांव में एक चुनी हुई पंचायत होगी, पंचायतों के पास पर्याप्त शक्तियां होंगी और इन 15 से 20 वर्षों से हो रही इन शरारतों को पंचायतें रोक पायेंगी।

महोदय, फिर पैसे की आवश्यकता है, यह कहां से आएगा? क्या पंचायतें खुद पर कर लगायेंगी? राज्य सरकारें क्या करेंगी? कल हमने कर्नाटक के बजट पर चर्चा की थी। उनका दिवाला निकल गया था। हम उनसे कोई भी आशा कैसे कर सकते हैं? वे दिवालिया कैसे हो गए थे? ऐसा भ्रष्टाचार के कारण हुआ। वहां इतना भ्रष्टाचार क्यों था? ऐसा कमजोर लोकतंत्र के कारण था। यदि निचले स्तर से ग्रामीण लोकतंत्र होगा तो ऐसे बहुत से लोग होंगे, विद्वान लोग, लोकतंत्र में विश्वास करने वाले तथा प्रशिक्षित लोग होंगे जो इन राज्यपालों को, चाहे वे सत्ता पक्ष के साथ हों या विपक्ष के साथ, जब कभी वे दुर्व्यवहार करेंगे, जब कभी वे जनता के पैसे से खिलवाड़ करेंगे तो उन्हें आड़े हाथों लेंगे।

हम गांवों में विकास चाहते हैं। महात्मा गांधी यह चाहते थे। ग्राम स्वराज आन्दोलन के कर्णधार स्वर्गीय श्री प्रकाशम ऐसा चाहते थे। बाद में सर्वश्री जय प्रकाश नारायण, लोहिया भी ऐसा चाहते थे। हम सभी चाहते थे। उनके पास पर्याप्त धनराशि होनी चाहिए—यह कहां से आए? यही कारण है कि माननीय प्रधान मंत्री ने सुझाव दिया है कि एक वित्त आयोग होना चाहिए। इसे निर्णय करना चाहिए कि केन्द्र राज्य और जिला स्तर पर प्राप्त कितने कर संसाधन गांवों को मिलने चाहिए। उन्हें हमें जानकारी देने दीजिए। यदि वर्तमान कर तन्त्र अधिक व्यापक नहीं है तो उन्हें विभिन्न तरीकों का सुझाव देना चाहिए जिनके द्वारा हम अधिक धनराशि एकत्र कर सकें।

एक समय था जब पंडित जवाहर लाल नेहरू, श्री गुलजारी लाल नन्दा, मैं तथा कई अन्य लोगों ने सामाजिक पुनर्निर्माण, सड़क पुनर्निर्माण और आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक संसाधनों में 50% तक सहयोग देने हेतु लोगों को राजी करने की बात सोची थी। हमें कुछ सफलता भी मिली थी। अब मेरे माननीय दोस्त सरदार ढिल्लों यहां हैं। उन्होंने भी हमें सहयोग दिया था। हमने देश भर में बड़े पैमाने पर विकास गतिविधियां शुरू की, जैसाकि मैंने कहा था कि भारत सेवक समाज के नेतृत्व में शुरू की थीं। परन्तु दुर्भाग्यवश राज्य सरकारों की सहायता न मिलने

के कारण यह सफल नहीं हुआ। ये स्काउट कुछ अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, एन० एस० एस० के लोग भी कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं, परन्तु उन्हें पर्याप्त सहायता नही दी गई है। एक नई व्यवस्था हम पर हावी हो गई है। गांधीवादी विचारधारा के अनुसार हम सादगी पसंद नहीं रह गए हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं तथा उनके परिवारों के लिए सभी सुविधायें चाहते हैं, इससे पहले कि हम उनसे सामाजिक कार्य करने की आशा करें और यही कारण है कि हम उस दिशा में सफल नहीं हो सके। हम इस प्रकार और दूसरी तरह भी सफल हो पायेंगे बशर्ते कि हम अपने देश में इस तरह के लोकतंत्र का विकास करें, और इसे बढ़ावा दें।

महोदय, चुनाव कैसे होंगे ? सेमिनार मे हमारे कुछ मित्रों ने भाषण दिए और कुछ पुस्तकें पेश कीं। ये दस्तावेज बहुत जानकारी देने वाले हैं जो आपके संसदीय ग्रुप ने परिचालित किए हैं। ये बहुत ही उपयोगी पुस्तकें हैं। वे सीधे लोकतन्त्र चाहते हैं। यदि हमारे यहां सीधा लोकतन्त्र होगा, अप्रत्यक्ष प्रजातन्त्र नहीं, पंचायतों का चुनाव करके, यह इतना ही बुरा होगा जितना कि संसद में यहां इस सभा तथा दूसरी सभा में शून्यकाल होता है। एक सदस्य बोल रहा है परन्तु वह यह नहीं जानते हैं कि उनका मित्र क्या बोल रहा है। दूसरे भी बोलते जाते हैं। प्रेस वाले नहीं जानते कि वे सभी क्या कह रहे हैं। आप स्वयं भी असहाय हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं संसद में हूं या एक तरह के बाजार में हूं। ऐसा होता है। शिक्षित लोग, अत्यधिक प्रशिक्षित लोग संसद में आते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं। कल्पना कीजिये कि एक गांव में क्या स्थिति होगी यदि वहां दो प्रत्यक्ष लोकतन्त्र हों। क्या हरिजन अपने विचार प्रकट कर पायेंगे ? क्या महिलाओं को कुछ भी कहने दिया जायेगा ? क्या एक युवक अपनी मां के खिलाफ यह कहने का हौसला नहीं दिखायेगा कि "आप चुप रहिये" ? इसलिये, प्रत्यक्ष लोकतन्त्र ठीक नहीं है। एक मात्र उपाय चुनाव है। परन्तु चुनावों में भी इन सभी ऊंची जाति वाले लोगों की उपस्थिति में, धनी लोगों, नियोक्ताओं तथा अन्य लोगों की उपस्थिति में, जिनकी दया पर साधारण किसान, साधारण खेत मजदूर तथा हरिजनों को गांवों में रहना पड़ता है, क्या यह उनके लिए सम्भव होगा ? इसलिए, चुनाव आयोग द्वारा निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराये जाने चाहिये। फिर भी एक कठिनाई है। आपको शून्य काल का अनुभव होगा। हरियाणा में हाल ही में उन्हें झांसा दिया जा रहा था और उन्हें पीटा जा रहा था। अब भी हम इस तरह का जोखिम उठा रहे हैं। परन्तु इस जोखिम के बावजूद हमें चुनाव कराना होता है और यह देखना केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार का काम है कि सुरक्षा बल और पुलिस वाले चुनाव आयोग की सहायता करें और सुचारू ढंग से चुनाव सुनिश्चित करें। हम इन सब भयंकर कठिनाइयों से गुजरे हुये हैं। आज चुनाव 10 या 20 वर्ष पूर्व होने वाले चुनावों से कहीं बेहतर हैं। इसलिए चुनाव आयोग की देख-रेख में चुनाव होने चाहिए। चुनाव आयोग से तात्पर्य दिल्ली वाले चुनाव आयोग से नहीं है बल्कि राज्य स्तर पर उन्हें चुनावों की देख-रेख के लिए लोगों को नियुक्त करना होगा। इसलिए, मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने चुनाव आयोग तथा वित्त आयोग का प्रावधान किया है। ये दोनों जो बूढ़े हथियार हैं जो हमारी ग्राम पंचायतों तथा शहरों के लिए कुछ शक्ति तथा सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। ऐसा करने के बाद पैसा कहां से आएगा ? इस विषय में मुझे एक बार कहना पड़ा था कि लार्ड लिनलिथगो द्वारा पुनर्निर्माण हेतु निर्धारित की गई एक करोड़ रुपए राशि अपर्याप्त थी। केवल एक करोड़ रुपए थे। यह महात्मा गांधी को प्रसन्न करने के लिए एक तरह की घूस थी क्योंकि वह ग्राम पुनर्निर्माण

इत्यादि कार्यों पर बल दे रहे थे। अब हमारे पास 100 करोड़ रुपये से भी अधिक हैं और वह रोजगार योजनाओं तथा गरीबी हटाओ योजनाओं के माध्यम से हजारों करोड़ रुपये देने के लिए तैयार हैं।

कुछ माननीय सदस्यगण : 2,500 करोड़ रुपये।

प्रो० एन० जी० रंगा : यह सारा पैसा आ रहा है परन्तु यह पर्याप्त नहीं है। हमें कई गुना अधिक पैसा चाहिए। यह पैसा जुटाना होगा। एक बार पंचायतों के अस्तित्व में आने के बाद यह धनराशि जुटाई जायेगी, फिलहाल क्योंकि किसान बेजुबान हैं, मजदूरों को अपने मत को प्रभावी तरीके से प्रयोग करने के अयोग्य बना दिया गया है, हम इससे छुटकारा पाने योग्य हुये हैं और जहां तक ग्रामीणों का सम्बन्ध है ये वित्त मंत्री महोदय सो जाते हैं। इसके बाद ऐसा सम्भव नहीं होगा। केन्द्र सरकार अपने पांव पर खड़ी हो गई है। राज्य सरकारों को अच्छा व्यवहार करना होगा। अन्यथा जब अगले चुनाव आयेंगे तो उन्हें उखाड़कर फेंक दिया जायेगा और यही कारण है कि प्रधान मंत्री को बधाई देता हूं। यही कारण है कि मैं अपने साथी सदस्यों को बधाई देता हूं। यही कारण है कि मैं लोगों को बधाई देता हूं।

विपक्ष के लिए मुझे बहुत खेद है।

अध्यक्ष महोदय : हमें अब मध्याह्न भोजन करना चाहिए और तरोताजा होकर 2 बजे आयेंगे।

12.59 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.03 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2.03 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पी० चिदम्बरम एक वक्तव्य देंगे।

गांधी शान्ति प्रतिष्ठान तथा संबद्ध संगठनों के कार्यकलापों की जांच करने के लिए गठित कुदाल जांच आयोग के चौथे, पांचवे, छठे अन्तरिम प्रतिवेदनों और अन्तिम प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : महोदय, लोक सभा ने 28 अगस्त, 1981 को एक संकल्प पारित किया, जिसमें यह सिफारिश की गई कि महात्मा गांधी के नाम पर धब्बा लगाने वाली किसी भी कार्रवाई को गम्भीरता से लिया जाना चाहिए और गांधी शांति प्रतिष्ठान, गांधी स्मारक निधि और अखिल

भारतीय सर्व सेवा संघ के प्रकाशनों, स्त्रोतों और धन के दुरुपयोग समेत इन संगठनों के कार्यों तथा गतिविधियों की जांच एक जांच आयोग द्वारा करायी जानी चाहिए। तदनुसार, जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन 17 फरवरी, 1982 को न्यायमूर्ति पी० डी० कुदाल के नेतृत्व में एक जांच आयोग गठित किया गया।

2. आयोग द्वारा अपनी जांच छः महीनों में पूरी करके एक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की जानी थी। किन्तु काम में आशा से अधिक समय लगा और समय-समय पर आयोग के कार्यकाल को इसका कार्य पूरा होने तक अर्थात् 31 जनवरी, 1987 तक बढ़ाया गया।

3. आयोग ने छः अन्तरिम रिपोर्टें तथा एक अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग की पहली, दूसरी और तीसरी अन्तरिम रिपोर्टें, प्रत्येक रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही के ज्ञापन समेत, लोक सभा के पटल पर क्रमशः 4 दिसम्बर, 1985 और 7 मई, 1986 को प्रस्तुत की जा चुकी है। आयोग की चौथी, पांचवीं, छठी रिपोर्टें तथा अंतिम रिपोर्ट, की गई कार्यवाही के ज्ञापन समेत, कल सदन के पटल पर रखी गई थी।

चौथी अन्तरिम रिपोर्ट :

कुदाल आयोग की चौथी अन्तरिम रिपोर्ट 16 दिसम्बर, 1985 को सरकार को प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में 25 मामले शामिल थे। 25 मामलों में से 12 मामले कार्यवाही करने योग्य नहीं हैं तथा 13 मामले कार्यवाही करने योग्य हैं। आयोग द्वारा जांच की जाने वाले गांधी शांति प्रतिष्ठान, गांधी स्मारक निधि, अवार्ड तथा अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ नामक चार मुख्य संगठन हैं। इस रिपोर्ट में लगभग 1.36 करोड़ रुपए तथा 2,50,000 अमरीकी डालर अन्तर्ग्रस्त हैं। उन मामलों में जिन्हें छोड़ दिया गया है, लगभग 10.38 लाख रुपए अन्तर्ग्रस्त हैं। कार्यवाही करने योग्य मामलों में लगभग 1.26 करोड़ रुपए की राशि अन्तर्ग्रस्त है। वे प्रतिष्ठित व्यक्ति जिनके विरुद्ध आयोग ने अपने निष्कर्ष दिए हैं, निम्नलिखित हैं:—श्री एल० सी० जैन, भूतपूर्व अध्यक्ष, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, श्री जार्ज फर्नांडिस, तत्कालीन उद्योग मंत्री, आयोग द्वारा जांच किए जा रहे संगठनों में से केरल गांधी स्मारक निधि नाम के एक संगठन ने केरल उच्च न्यायालय से इस मामले में आगे कार्रवाई करने के विरोध में स्थगनादेश प्राप्त कर लिया था। 4 अगस्त, 1987 को यह आदेश खारिज कराया गया। तत्पश्चात् ही अन्य मंत्रालयों के साथ परामर्श किया गया और की जाने वाली कार्यवाही का मूल्यांकन किया गया।

पांचवीं अन्तरिम रिपोर्ट :

आयोग की 5वीं अन्तरिम रिपोर्ट सरकार को 11 जून, 1986 को प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में आयोग ने 29 मामलों पर अपने निष्कर्ष दिए हैं। 29 मामलों में से 20 मामलों को कार्रवाई करने योग्य नहीं पाया गया और इसलिए उन्हें छोड़ दिए जाने की सिफारिश की गई। 9 मामलों को कार्रवाई करने योग्य पाया गया। इस रिपोर्ट में लगभग 21.70 लाख रुपए की राशि अन्तर्ग्रस्त है। कार्रवाई न करने योग्य मामलों में लगभग 12.91 लाख रुपए अन्तर्ग्रस्त हैं। कार्रवाई करने योग्य मामलों में लगभग 8.79 लाख रुपए की राशि अन्तर्ग्रस्त है। इन मामलों में शामिल चार प्रमुख संगठनों के नाम, गांधी शांति प्रतिष्ठान, अवार्ड, गांधी स्मारक निधि तथा

अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ हैं। आयोग ने जिन प्रतिष्ठित व्यक्तियों के विरुद्ध अपने निष्कर्ष दिए हैं, उनके नाम निम्नलिखित हैं :

स्वर्गीय श्री धनिक लाल मण्डल, अध्यक्ष, मधुबनी जिला, समग्र विकास संस्थान और गृह मंत्रालय में भूतपूर्व राज्य मंत्री।

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : वह तो जीवित हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : क्षमा करें, इस गलती के लिए मैं माफी चाहता हूं।

डा० रजिया अहमद, सचिव, गांधी स्मारक संग्रहालय समिति;

सर्वश्री सादिक अली, चेयरमैन और होल्डिंग ट्रस्टी;

सोम दत्त वेदालंकार, होल्डिंग ट्रस्टी;

आर० आर० दिवाकर, होल्डिंग ट्रस्टी,

के० एस० रामकृष्ण, कोषाध्यक्ष,

वी० आर० नन्दा, सदस्य, शासी निकाय;

एम० वी० देसाई, सदस्य, शासी निकाय;

डा० उषा मेहता, सदस्य, शासी निकाय;

डा० विमल प्रसाद, सदस्य, शासी निकाय;

देवी प्रसाद, सदस्य, शासी निकाय।

छठी अंतरिम रिपोर्ट :

आयोग की छठी अन्तरिम रिपोर्ट सरकार को 30 अक्तूबर, 1986 को प्रस्तुत की गई। आयोजन ने 33 मामलों में अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए। 33 मामलों में से 13 मामलों की कार्रवाई करने योग्य नहीं पाया गया और इसलिए उन्हें छोड़ दिए जाने की सिफारिश की गई। 20 मामले कार्रवाई करने योग्य पाए गए। इस रिपोर्ट में शामिल मामलों में लगभग 5.53 करोड़ रुपए की राशि अन्तर्ग्रस्त है। कार्रवाई न किय जाने वाले मामलों में लगभग 38.60 लाख रुपए अन्तर्ग्रस्त हैं। कार्रवाई किए जाने योग्य मामलों में लगभग 5.14 करोड़ रुपए अन्तर्ग्रस्त हैं। गांधी शांति प्रतिष्ठान, अवार्ड, गांधी स्मारक निधि और अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ जैसे बड़े स्थानों के मामले इस रिपोर्ट के अन्तर्गत आते हैं। जिन प्रतिष्ठित व्यक्तियों के खिलाफ इस आयोग ने अपना निष्कर्ष दिया है उनके नाम निम्नलिखित हैं :

श्री के० एस० राधाकृष्ण, सचिव, गांधी शांति प्रतिष्ठान;

श्री वी० जी० वर्गीज, (भूतपूर्व संपादक, इन्डियन एक्सप्रैस);

श्री ए० सी० सेन, उपाध्यक्ष, अवार्ड;

श्री प्रकाश सिंह बादल, अध्यक्ष, पाडी और भूतपूर्व कृषि मंत्री।

अंतिम रिपोर्ट :

आयोग की अन्तिम रिपोर्ट, जिसके अन्तर्गत 29 मामले आते हैं, 29 जनवरी, 1987 को सरकार को प्रस्तुत की गई थी। 29 मामलों में से, 13 मामलों को छोड़ देने की सिफारिश की गई तथा 16 मामले कार्रवाई किए जाने योग्य पाए गए। इस रिपोर्ट में लगभग 1.90 करोड़ रुपए की कुल राशि अन्तर्ग्रस्त है। कार्यवाही न करने योग्य मामलों में 61.67 लाख रुपए की राशि अन्तर्ग्रस्त हैं। कार्यवाही योग्य मामलों में 1.29 करोड़ रुपए की राशि अन्तर्ग्रस्त है। आयोग ने स्वयं सेवी एजेंसियों के कार्य करने की प्रणाली के बारे में आम सुझाव/टिप्पणियां तथा सुधारात्मक उपायों का उल्लेख अध्याय छः में किया है। किए जाने वाले सुधारात्मक उपायों को सलाह/टिप्पणियों के लिए विधि और न्याय मंत्रालय को भेज दिया गया है। इस रिपोर्ट में आयोग ने श्री के० एस० राधाकृष्ण नामक प्रतिष्ठित व्यक्ति के खिलाफ अपने निष्कर्ष दिए हैं।

रिपोर्टों से यह भी मालूम होगा कि आयोग ने वित्तीय दुराचार और अनियमितताओं के लिए चार मुख्य संगठनों को बार-बार दोषी ठहराया है। इस संगठनों के नाम गांधी शांति प्रतिष्ठान, अवार्ड, गांधी स्मारक निधि और अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ हैं। ये सभी संस्थान जो कि गांधी-वादी परम्परा से समाज की सेवा करने वाले सबसे उत्तम सार्वजनिक संस्थान थे, अकसर राष्ट्र हित के खिलाफ काम करने वाले राजनैतिक और वित्तीय लाभों के लिए अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने वाले माध्यम बन गए थे। "अखिल भारतीय सेवा संघ" इन तीन प्रमुख संगठनों, नामत: (i) गांधी स्मारक निधि, (जी० एस० एन०), (ii) ग्रामीण विकास के लिए स्वयं सेवी एजेंसियों की संस्था (अवार्ड) और (iii) गांधी शांति प्रतिष्ठान (जी० पी० एफ०) का शीर्षस्थ बन बैठा था। "अखिल भारतीय" शब्द को बाद में वर्ष 1949 में छोड़ दिया गया था और इसका नाम छोटा होकर सर्व सेवा संघ रह गया था। इसका कार्य करने का मुख्य स्थान महाराष्ट्र में सेवाग्राम में है।

आगे की कार्यवाही प्रस्तुत की गई कार्यवाही के ज्ञापन के मुताबिक की जाएगी। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसकी सूचना दीजिए। हम इसे बाद में लेंगे।

(व्यवधान)

आप उचित सूचना दीजिए, हम उस पर कार्यवाही करेंगे। मैं वक्तव्य के आधार पर किसी चर्चा अथवा टिप्पणी की अनुमति नहीं दे सकता। यदि आप इस पर चर्चा के इच्छुक हैं तो सूचना दीजिए, इस पर विचार किया जाएगा।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : जब दूसरे सदन में सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं तो हम यहां प्रश्न क्यों नहीं पूछ सकते ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम संविधान संशोधन विधेयकों पर आगे विचार करेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं होगा।

(व्यवधान)*

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था के बारे में आपका प्रश्न क्या है ?

श्री अजय मुशरान : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री ने सभापटल पर रखे गए आयोग के प्रतिवेदन से कुछ भाग उद्धृत किए हैं। ये गंभीर आरोप हैं। प्रथम दृष्टि में मामला विद्यमान है। मैं समझता हूं कि यदि स्वयं मंत्री महोदय यह प्रस्ताव करते कि सभा में चर्चा हो तो यह बहुत उचित होता। हम पहले ही इसकी सूचना दे चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय ऐसा नहीं कह सकते। आप ही ऐसी मांग कर सकते हैं। यदि आप मांग करते हैं और चर्चा करना चाहते हैं तो उचित सूचना दीजिए, उस पर कार्यवाही की जाएगी।

श्री अजय मुशरान : हमने सूचना दे दी है।

श्री शान्ताराम नायक : पहले, बोफोर्स के मामले में तत्काल समय निर्धारित कर दिया जाता था। आप अब भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप नहीं समझते कि इसकी अपेक्षा संविधान संशोधन अधिक महत्वपूर्ण हैं ? कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवधान मत डालिए।

श्री अजय मुशरान : आपको इतना अधिक अनुभव है कि इस बारे में चर्चा हो या न हो आपको इसका निर्णय करने में अधिक समय नहीं लगता।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बता चुका हूं कि आप सूचना दीजिए।

श्री अजय मुशरान : आप इसका निर्णय अभी कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आर० एस० स्पैरो संविधान संशोधन विधेयकों पर बोलेंगे।

(व्यवधान)

———

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

2.14 म० पे०

संविधान (चौंसठवां संशोधन) विधेयक

और

संविधान (पैंसठवां संशोधन) विधेयक —जारी

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब संविधान संशोधन विधेयकों पर आगे चर्चा करेगी। श्री आर० एस० स्पैरो बोलें।

श्री आर० एस० स्पैरो (जालंधर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री तथा भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत अत्यंत अच्छे इन दो विधेयकों पर कुछ कहने का सौभाग्य मिला है।

यह एक बडा मुद्दा है जिस पर भारत के लोग स्वयं को बधाई दे सकते हैं। मैं इसे यह कह कर और स्पष्ट करता हूं कि यह महात्मा गांधी के पुराने स्वप्न का वास्तविक रूप है जिसे अब काफी समय बाद सही रूप तथा स्वरूप दिया जा रहा है। भारत में 7,77,000 गांव हैं। 80% से अधिक लोग झोंपडियों, गांवों, नगरों तथा शहरों की उप नगरीय बस्तियों में रह रहे हैं। इससे उनके प्रदेश पर प्रभाव पड़ता है। इससे उनका उत्थान प्रभावित होता है। यदि यह सही दिशा नहीं है तो फिर कोई अन्य सही दिशा हो ही नहीं सकती जिस ओर भारत चल सके। संयोगवश, यह हमारे संविधान के भी मुताबिक है। संविधान के प्रथम पृष्ठ – प्रस्तावना में लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता के बारे में कहा गया है। यह वास्तविक आधार है और वास्तविक अंग है जिसके कारण जब ये दो विधेयक अधिनियम सही भावना और उद्देश्य से कार्यान्वित होंगे तो ये तीन बातें उचित रूप में विकसित होंगी। यह जन्ता में से उत्पन्न होगा। क्या हम ऐसा कभी नहीं सोचते कि ये लोग अब से नहीं बल्कि काफी पहले से यह नहीं समझते कि विश्व में क्या हो रहा है। ग्रामीण लोगों के पास संभवत: आप जितना धन नहीं है, लेकिन उनके पास सामान्य ज्ञान अत्यधिक है और इसके कारण वे अपने आप पर निर्भर रहते हैं। आप उन्हें अवसर दीजिए, विश्व में भारत को अत्यधिक विकसित शक्ति बनाने के लिए यह एक पक्का उपाय होगा। इसलिए, हमारे प्रधान मंत्री तथा सभा द्वारा की जा रही कार्यवाही तथा उन द्वारा दिया जा रहा निदेश पूर्णतया उच्चतम श्रेणी का है। हम लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं एक छोटे गांव से हूं। मैं जानता हूं कि लोग कैसे अपने मामले निपटा सकते हैं। मैं यह नहीं भुला सकता कि वे नगर परिषद में स्वयं प्राधिकारियों की चिन्ता किए बिना आपस में निपटारा कर लेते थे। उदाहरण के लिए, मैं बाबा ढुंडा को नहीं भुला सकता जो कि पिछडे वर्ग थे और जिनके पास कुल सम्पति केवल दो गधे थे जो अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर उनकी आजीविका का साधन उपलब्ध कराते थे। क्या आप इस पर विश्वास करेंगे ? उस गांव में बडे-बडे लोग, स्वतंत्र प्रकृति के अनेक लोग थे लेकिन जब भी कोई समस्या होती थी और गांव की छोटी परिषद बैठती तो बाबा ढुंडा वस्तुत: उसकी अध्यक्षता करते थे। वह किसी के डर के बिना सत्य कहते थे और न्याय करते थे और उनकी पालना होती थी। यदि वह कहते ठीक है मैं सब कुछ सुनूंगा, तो ऐसा होता था। यदि वह कहते कि अमुक व्यक्ति को दूसरे पक्ष को 10 रुपये जुर्माने के रूप में अदा करने होंगे तो ऐसा किया जाता था। उनके निर्णय सदैव अन्तिम होते थे और आप गौर करें कि वे सभी अशिक्षित तथा

आर्थिक तथा अन्य रूप में भी निचले वर्ग के कामकाजी व्यक्ति थे और वहां पर यह व्यवस्था कारगर थी। गांवों के लोग बुरे नहीं हैं। वे एक दूसरे को समझते हैं। वे एक दूसरे का साथ देते हैं। उनके पारिवारिक झगड़े हो सकते हैं। कोई भी ऐसा स्थान मुश्किल ही है जहां पर आपको इस प्रकार के झगड़े नहीं मिलेंगे। ये सब बातें होती हैं। फिर भी भारत के 80 करोड़ लोगों की प्रगति के लिए यह नया रास्ता है। इससे क्या उत्पन्न होगा? शक्ति। जीवन स्तर ऊपर उठ रहे हैं। गांव जागरूक हो रहे हैं। वे अपना जीवन स्तर उठाना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए एक तरीके की जरूरत है और उसे तैयार कर लिया गया है। मैं इस विषय से संबंधित विभिन्न कार्यशालाओं में बैठा हूं। मैं इस सभा के अध्यक्ष को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा सेमिनार आयोजित किया जिसमें हममें से अनेक को अपने विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर मिला। मैं यही कहूंगा कि जो भी योजना तैयार की गई है और इसकी प्रक्रिया तैयार की गई है, यह किसी प्रकार की योजना हो चाहे सेना की तरह की योजना हो, आप इसे कार्यान्वित कीजिए, इस कार्य में लीन हो जाइए। पहले आप सिलसिलेवार कार्य कीजिए, अपने सभी कार्य क्षेत्रवार कीजिए और उसके बाद एक योजना तैयार कीजिए तथा उसे कार्यरूप दीजिए। योजना को कार्यरूप देते समय कुछ कमियों का पता लगाया जा सकता है। कोई भी चीज अपने आप में कभी भी परिपूर्ण नहीं होती परन्तु उसके वास्तविक जांच तब होगी जब उसे कार्यान्वित करते हैं और यदि आप पाते हैं कि यदि किसी चीज में थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है तो वह किया जा सकता है परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि इस प्रक्रिया विशेष को शुरू ही नहीं किया जाना चाहिए। यह सही तरीके से तैयार की गई प्रक्रिया है और इसे पूरी लगन तथा उत्साह से लागू करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। आज मुझे खेद है। मेरे मित्र मुझे गलत न समझें। यह एक ऐसा अवसर है जब विपक्ष को भी यहां होना चाहिए। यह कुछ ऐसी बात है जो भारत से सम्बन्धित है। यह किसी भी तरह कुछ ही लोगों से सम्बन्धित नहीं है। यह किसी एक पार्टी से सम्बन्धित नहीं है परन्तु यह पूरे भारत से सम्बन्धित है। यह गांवों तथा जनता से सम्बन्धित है। विभिन्न आंकड़ों द्वारा हम जानते हैं कि काफी प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। हम जानते हैं कि प्रगति के बारे में तथ्य क्या है—सराहनीय हैं या सुधारनीय हैं—जो उनकी दशा सुधारने के लिए आवश्यक है। हम अपने लोगों के जीवन स्तर को भी जानते हैं। कुछ आंकड़े यह भी दिखाते हैं कि हमारे समाज के कुछ वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो रहा है। अतः ये समस्यायें हैं जिनका समाधान इस ढंग से किया जाना है और इस तरीके विशेष को ढूंढ़ निकालने के लिए मैं इस सभा को बधाई देता हूं। पिछले दो तीन वर्षों में इस पर काफी काम किया गया है और अब हम कुछ निष्कर्षों पर पहुंच गये हैं। ये कोई काल्पनिक निष्कर्ष नहीं हैं। इन निष्कर्षों पर काम करने के बाद ही पहुंचा गया है और हम उन्हें अपने भविष्य का आधार बनाना चाहते हैं। भविष्य महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि यदि कोई भूलें रह गई हैं तो उन्हें ठीक कर दिया जायेगा। मुझे खेद है कि विपक्ष इसका समर्थन कर रहा है। मैं इस बात का आरोप उन पर लगाता हूं। किसी को मैदान छोड़कर नहीं भागना चाहिए। यदि आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो यहां लड़िये। यदि कोई संशोधन किए जाने की आवश्यकता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको चर्चा में हो भाग नहीं लेना चाहिए। यह एक ऐसा अवसर था जब आप इस प्रावधान में कमियों की ओर इंगित कर सकते थे। यह वास्तविक प्रजातन्त्र है। यह मंच इसी

उद्देश्य के लिए है। इसलिए, मुझे इस बात का खेद है। उनमें से कुछ लोग योग्य हैं। मैं उनका अपमान करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। यह एक युक्तिसंगत प्रश्न है और हमें हर चीज पर तार्किकतापूर्वक ही देखना चाहिए, धक्कमबाजी से नहीं। हमें अपनी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखना चाहिए और इस महान सभा के सदस्य होने के नाते अपने ऊंचे स्थान को ध्यान में रखना चाहिए। हमारा प्रजातन्त्र विश्व के बड़े प्रजातन्त्रों में से है और उसके अनुरूप ही हमें दरियादिल बनना होगा, इधर उधर घूमने वाले खुशामदी टट्टू नहीं। इसके लिए मैं यह सिफारिश करना चाहता हूं कि जो कुछ हो चुका है, हो चुका है परन्तु अब विपक्षी सदस्यों को पूरे उत्साह तथा मन से वास्तव में इस धारणा को बढ़ावा देना चाहिए कि ये दोनों विधेयक परखने तथा क्रियान्वित करने लायक हैं। उन्हें इनके कार्यान्वियन में सहायता करनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि यदि इन प्रावधानों को लागू करते समय कोई गलतियां या कमियां पाई जाती हैं तो उन्हें दूर किया जा सकता है।

महोदय, अब मैं आरक्षण के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। मैं थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं। महिलाओं के सम्बन्ध में यह बहुत अच्छी बात है। मैं अपनी महिलाओं—मेरी माता, बहन इत्यादि के आगे नतमस्तक हूं। मैं सोद्देश्य नतमस्तक हूं। जब कभी हमारे ऊपर विपत्ति आई है, सदियों से महिलाओं ने हमारी माताओं ने हमें बचाया है। हमारे हितों की रक्षा करते समय उन्होंने अपनी कुर्बानियां भी दी हैं। आज हमारी सभ्यता तथा हिरासत की दृष्टि से भारतीय नारीत्व विश्व में पहले स्थान पर है। मैंने बार-बार परखा है। मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को नहीं भूल सकता। सभी शेखी बघारने वाले राजकुमारों को अपना मस्तक नत करके युद्ध के मैदान से भागना पड़ा था। यह बहुत आश्चर्यजनक बात है। किस तरह की खोज और किस तरह के ऐतिहासिक तथ्य हैं। ये इसलिए वह झांसी लक्ष्मी बाई हो, हमारी अन्य माताएं हों, भाई भागो हो, बहुत सी अन्य महिलाएं हों। ये वे महिलायें हैं जिन्होंने आपका पालन-पोषण किया है। संयोगवश ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने 7, 11 वर्ष तक हमें शिक्षा प्रदान की है। आपके सही मार्गदर्शन के लिए मां हमेशा आपके साथ थी—चोरी मत करो, यह मत करो, वह मत करो। इस प्रकार के सभी गुण हमें माताओं ने ही दिए हैं।

इस संदर्भ में, अब मैं अपनी अन्तिम बात पर आता हूं कि आप उस पर विचार करें। कृपया मंत्री महोदय इस पर ध्यान दें। चाहे आरक्षण का कोई भी प्रश्न हो, किसी भी तरह, भूतपूर्व सैनिकों को गांव से ऊपर तक इसमें लाया जाना चाहिये। आपको उन्हें इस योजना में शामिल करना चाहिए। अच्छी बात का हमेशा स्वागत् होता है। उनमें अनुशासन की भावना है, उत्तरदायित्व की भावना है, प्रशिक्षण की भावना है। ये सभी बातें उनमें हैं। जब मैं युद्ध के मैदान में गया—आप मेरी बात का विश्वास कीजिए—हिन्दू, सिख, इसाई, हरिजन, बौध, मुसलमान सभी वहां थे। उनमें से एक भी युद्ध के मैदान से नहीं भागा। इसलिए मैं आपको इसकी विशेष सिफारिश करता हूं। मुझे गलत मत समझिये। आज सबसे बेहतर व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक तथा सेना में सेवारत जवान हैं। वे आपकी सेवा में हैं। वे आपके अपने हैं। इस बारे में कोई सन्देह नहीं है। उनका पूरा लाभ उठाइये। यदि मंत्री गण और बेशक हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस सम्बन्ध में हमारे में से कुछ सदस्यों के विचार जानना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। जितना सम्भव हो सके उन्हें सेवा में लाने की कोशिश कीजिए।

*श्री पी० सेलवेन्द्रन (पेरियाकुलम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत पंचायती राज तथा नगरपालिका विधेयकों पर चर्चा में भाग लेते हुये बहुत खुशी हो रही है। एक ऐतिहासिक क्षण में ये जो संविधान संशोधन विधेयक हमारे सामने हैं। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, आने वाली पीढ़ियों के फायदे हेतु ये दो ऐतिहासिक कानून बनाये जाते समय मैं इस सभा का सदस्य होने के नाते बहुत अधिक गौरव का अनुभव कर रहा हूं। मैं इस चर्चा में भाग लेने के इस दुर्लभ अवसर पर भी बहुत खुश हूं।

यद्यपि इस महान सभा ने स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक बहुत अधिक संविधान संशोधन देखे हैं, हमारे माननीय प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत वर्तमान विधेयक अपने आप में अलग हैं क्योंकि ये मूलभूत रूप से क्रान्तिकारी हैं।

क्रान्ति क्या है ? यह विचारों में परिवर्तन, चिन्तन में सुधार, अभिव्यक्ति में ललकार तथा कार्यवाही में सदा नई है। ये क्रान्ति के स्पष्ट लक्षण और मूलभूत अंग हैं। मैं इसे ऐसे ही परिभाषित करना चाहता हूं। मै अपने माननीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी में ये सारे लक्षण एक साथ देखता हूं। इस बात पर जोर देना मेरा कर्त्तव्य है कि ये दोनों विधेयक लाने से प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी इन सभी क्रान्तिकारी अच्छाइयों के प्रतीक बन गये हैं।

हम लोगों की ताकत से यहां हैं और इन विधेयकों द्वारा वही ताकत हम लोगों को लौटाते हैं जो उनके पास होनी चाहिए। महात्मा गांधी ने बहुत सही कहा था कि इस देश का जीवन इसके गांवों में है। इसलिए मैं बहुत खुशी के साथ यह कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी हैं जिन्होंने गांवों को जीवन दिया है यह देखने के लिए कि राष्ट्र का जीवन चहक उठे।

समस्या यह नहीं है कि इन विधेयकों का समर्थन कौन करता है। समस्या यह भी नहीं है कि कौन-सी पार्टियां इन विधेयकों का विरोध करती हैं जो इतिहास का पुनः सृजन करते हैं। आज विपक्षी सदस्य जिन्हें इन विधेयकों पर चर्चा करनी चाहिए थी वे सड़कों पर उस प्रत्येक अच्छे विधेयक के बारे में दुष्प्रचार करते फिर रहे हैं जिसे यह सरकार लाने के लिए वचनबद्ध है। वे उन गरीब ग्रामीणों के प्रति अपने कर्त्तव्यों और दायित्वों से विमुख हो गये हैं जिनके समर्थन से वे इस सभा के लिए चुने गये थे। उन्होंने अपने स्थानों से त्याग पत्र देकर और ऐसे समय सभा से अनुपस्थित रह कर निर्धन ग्रामीणों का विश्वास खो दिया है जबकि निर्धन ग्रामीणों को आधारभूत प्रजातांत्रिक अधिकार देने वाले दो महत्वपूर्ण संवैधानिक विधेयकों पर यहां चर्चा की जा रही है। विपक्षी सदस्यों ने ऐसे समय पर जबकि विधेयक उनके भाग्य को बदलना चाहते हैं, जो निर्धन ग्रामीणों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं जो उनकी प्रजातांन्त्रिक पोषण की इच्छा पूरी करते हैं, ऐसे विधेयकों पर चर्चा के समय अनुपस्थित रह कर गरीब ग्रामीणों का विश्वास खो दिया है। इसलिए विपक्षी सदस्यों ने अपने मतदाताओं को निराश कर दिया है। वे अपने कर्त्तव्य पूरे करने में पूर्णतया असफल हो गये हैं चाहे कितने भी विरोधी हों, कितने भी आलोचक हों, मैं माननीय प्रधान मंत्री को निश्चित रूप से बता देना चाहता हूं कि इस देश के 70 करोड़ लोग उनके पीछे हैं, इन विधेयकों के पीछे हैं।

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

हो सकता है कि दूसरे लोग यह कह कर इसकी निन्दा करें कि ये उपाय चुनाव को देखते हुये किए जा रहे हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि एक राजनीतिज्ञ केवल चुनावों के बारे में ही सोचता है जबकि एक राष्ट्रीय नेता भावी पीढ़ियों की प्रगति के बारे में सोचता है। हमारे माननीय प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी भावी पीढ़ियों की खातिर एक राष्ट्रीय नेता होने के नाते राष्ट्र का भाग्य बदलने हेतु ये विधेयक लाये हैं। मैं प्रधानमन्त्री का इन विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक की ओर से बड़ा आभारी हूं।

जब "पुराची थालैवर" (क्रान्तिकारी नेता) तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे तब इन विधेयकों की अनेक मुख्य बातों को कार्यान्वित करने के प्रयास किये गये। उनकी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण देने की इच्छा थी। उनकी हरिजनों को भी आरक्षण देने की अभिलाषा थी। वह स्थानीय निकायों के चुनावों में उन लोगों को भी मताधिकार देना चाहते थे जिनकी आयु 18 वर्ष थी। जैसे प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत इन विधेयकों के उपबन्धों का कुछ विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं वैसे ही उन्होंने राज्य में एम० जी० आर० के ऐसे ही प्रस्तावों का विरोध किया था। उन्होंने महिलाओं तथा हरिजनों के लिए आरक्षण और मतदान की आयु में कमी की नीति को राजनैतिक नजरिये से देखा तथा न्यायिक रोक द्वारा इन प्रगतिशील कार्यों में बाधा डाली। उन्होंने लोकतंत्र के विस्तार कार्य में एम० जी० आर० के मार्ग में रुकावट डाली। आज एम० जी० आर० हमारे बीच नहीं हैं। जब हम समझते हैं कि इन विधेयकों से एम० जी० आर० के सपनों को साकार किया जा रहा है और उनके आदर्शों को मजबूत बनाया जा रहा है तो हमारा दल माननीय प्रधानमंत्री की अत्यन्त प्रशंसा करता है। इस सरकार ने मरणोपरान्त एम० जी० आर० को 'भारत रत्न' की उपाधि दी। मैं पूरे संतोष के साथ यह बताना चाहता हूं कि स्थानीय निकाओं में महिलाओं और हरिजनों के लिए आरक्षण हेतु इन दोनों विधेयकों को प्रस्तुत करने का अकेला कार्य एम० जी० आर० को सौ भारत रत्नों की उपाधियों से भी अधिक है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री का बड़ा आभारी हूं।

इस विधेयक में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। माता समाज का संचालन करती है। वह परिवार की मुखिया होती है। वह एक अवतार है। इसलिए महिलाओं के लिए आरक्षण के इस उपबन्ध का विश्वव्यापी स्वागत हुआ है। श्रीमती गांधी ने इस पृथ्वी पर एक प्रसिद्ध पुत्र श्री राजीव गांधी को जन्म दिया जो विश्व के महिला समुदाय के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। माननीय प्रधान मंत्री ने महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देकर अपनी माता को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस प्रकार उन्होंने विश्व महिला समुदाय में भारतीय महिलाओं को उनका उचित सम्मान, गौरव और प्रतिष्ठा प्रदान की है।

जहां तक महिलाओं का सम्बन्ध है, उन्हें सामान्यतः घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। जैसे एक क्रिकेट के खिलाड़ी को रन बनाने के लिए बैटिंग छोर से बोलिंग छोर की ओर दौड़ना पड़ता है वैसे ही पारिवारिक जीवन में महिलाओं को रसोईघर से शयनकक्ष तक दौड़ना पड़ता है और परिवार की प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इस प्रकार यह आरक्षण एक अच्छा विचार है। इस आरक्षण के कारण सार्वजनिक जीवन में महिलायें महान कार्य कर सकती हैं इसलिए मैं इस उपबन्ध का स्वागत करता हूं। इन विधेयकों में हरिजनों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण की भी व्यवस्था है। हरिजनों ने भी सदैव कठिनाइयों का सामना किया है। इन लोगों के लिए इतिहास के कष्ट अभी भी बने हुए हैं। वे अल्पतंत्र के अत्याचारों के

शिकार थे। वे सामंतवाद के शिकार हुए। एक तमिल कवि ने निम्नलिखित शब्दों में उनकी स्थिति का सही चित्रण किया है।

पत्नी जंगलों में लकड़ी लेने जाती है तथा मोची जूट तैयार करता है जब पत्नी पैर में कांटे के दर्द से विलाप करती है तो वह उसकी परवाह किए बिना दो समय की रोटी पर ध्यान केन्द्रित किए काम करता रहता है।

यद्यपि पत्नी के पैर में कांटे के घाव से खून बह रहा है, फिर भी मोची अपनी पत्नी की चिंता किये बिना अपने व्यवसाय में लगा हुआ है क्योंकि उसे जमींदार के लिये जूता बनाना है। हरिजनों की यह कठिनाइयां हैं। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में हरिजनों को उचित और पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का सम्मान हमारे प्रधान मंत्री को मिला है। मैं इस उपबन्ध का हार्दिक स्वागत करता हूं।

इस विधेयक में स्थानीय निकायों के पंचवर्षीय चुनावों की भी व्यवस्था है। यदि उन्हें भंग कर दिया जाता है तो छः महीनों में चुनाव अवश्य कराये जायेंगे। चुनाव आयोग स्थानीय निकायों के चुनाव कराने, अधीक्षण करने तथा निर्देश देने के लिए उत्तरदायी होगा।

इन विधेयकों से पहले राज्यों में स्थानीय निकायों की बरखास्तगी, चुनावों में विलम्ब और असहाय ग्रामीणों के अधिकारों के दुरुपयोग का इतिहास भरा पड़ा है। चुनाव आयोग की भूमिका का उनके चुनावों के समय पर आयोजन पर वांछनीय प्रभाव पड़ेगा। कुछ राज्यों में स्थानीय निकायों के चुनाव वर्षों से नहीं हुए हैं। जब परिस्थितियां सत्तारूढ़ दल के अनुकूल नहीं होती हैं तो यह स्थानीय निकायों के चुनाव में अपनी सामर्थ्य की परख के लिए मना कर देता है। अब वे शक्तियां राज्य सरकारों के पास नहीं हैं। स्थानीय निकायों के चुनाव का निर्णय अब चुनाव आयोग करेगा। इसलिए इस संशोधन से मुझे खुशी है।

अनेक विपक्षी राज्य सरकारों का आरोप है कि इन विधेयकों से राज्य सरकारों की शक्तियों का अतिक्रमण होगा वे अपने अधिकारों से वंचित हो जायेंगी तथा केन्द्र स्थानीय प्रशासन में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करेगा। तमिलनाडु के सत्तारूढ़ दल द्रमुक ने भी ऐसा आरोप लगाया है। उस दल के दोनों सदस्यों ने भी अपने कर्तव्यों का पालन किए बिना सभा छोड़ दी है। मैं इस सम्मानित सभा को बताना चाहता हूं कि जो लोग राज्यों के लिए अधिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं तथा नारे लगाते हैं कि वे मंत्री स्थापित करने के इच्छुक हैं और अपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज उठाते हैं वे ही आज जनता को सत्ता नहीं सौंपना चाहते। वे जनता को सत्ता क्यों नहीं देना चाहते ? वे इससे भयभीत क्यों हैं ? वे इन विधेयकों के उपबन्धों से क्यों घबरा रहे हैं ? इसमें लोकतन्त्र विरोधी क्या है ? फिर राज्यों के लिए अधिकाधिक अधिकारों की मांग का क्या औचित्य है। यह बात जड़ों के बजाए शाखाओं में पानी देने के विचार की तरह आश्चर्यजनक और उपहासपूर्ण है। गांवों, कस्बों और जिलों के लोग जड़ें हैं। जब उन्हें सत्ता दी जा रही है तो राजनैतिक दलों को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

विधेयक के उपबंधों का समर्थन करते हुए मैं चुनावों के सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। त्रि-स्तरीय पंचायतों के लिए चुनाव कराये जा रहे हैं। विधेयक में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक राज्य म कानूनों के उपबन्धों के अनुसार पंचायत अध्यक्षों का चुनाव किया जाएगा। यदि हम यह

उपबन्ध करें कि संघ सभापतियों और जिला बोर्डों के सभापतियों का चुनाव प्रत्यक्ष होगा तो यह स्वागत योग्य उपबन्ध होगा। अन्यथा ग्राम पंचायत अध्यक्षों द्वारा संघ सभापति के चुनाव में भ्रष्टाचार की काफी गुंजाइश रहेगी। उम्मीदवार के पक्ष में पंचायत अध्यक्षो का समर्थन प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार का भ्रष्टाचार होगा। इसके समर्थन में अनेक उदाहरण हैं। जब ये क्रांतिकारी उपाय किये जा रहे हैं तो मुझे आशा है कि माननीय प्रधान मंत्री इस विधेयक में इस प्रयोजन के लिए आवश्यक संशोधन करेंगे कि सभी स्तरों पर पंचायत अध्यक्षों का प्रत्यक्ष चुनाव किया जाए।

इन विधेयकों के माध्यम से बुनियादी सामाजिक परिवर्तन के कारण माननीय प्रधान मंत्री को इतिहास में सम्मान मिलेगा और इनका विरोध करने वालों को बदनामी मिलेगी।

[हिन्दी]

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए हमारे प्रधान मंत्री और नेता श्री राजीव गांधी ने जो चौसठवां और पैंसठवां संविधान संशोधन रखा है, उसके लिए उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं।

यह स्वप्न महात्मा गांधी ने तब देखा था जब उनके सामने लोकतन्त्र की कल्पना सामने आई तो उसमें उन्होंने एक ही पक्ष रखा कि लोकतन्त्र के मायने सिर्फ इतने नहीं होते हैं कि उसके लिए सिर्फ लोक सभा हो, केवल असेम्बली हो, उनका मंत्र था, उनका तंत्र था कि देश की गरीब से गरीब जनता के पास लोकतन्त्र की सत्ता और सत्ता की पूरी शक्ति देश के निवासियों के मूल तक पहुंचे, यह कल्पना महात्मा गांधी की थी। यह काम पहली बार हमारे देश के नेता प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने इस संशोधन को प्रस्तुत करके यहां पर देश को बहुत ही ज्यादा उपकृत किया है, मैं उन्हें बार-बार बधाई देते हुए, जैसा कि आज हमारे आदरणीय श्री रंगा जी ने अपने भाषण में कहा कि यह पहला मौका है, यह तो संविधान परिषद के सदस्य थे और निश्चित रूप से संविधान परिषद में भी इस प्रकार की कल्पना हुई थी और चर्चा हुई थी कि हमारे देश का लोकतन्त्र किस तरह से गांव के निवासी तक पहुंचे। हमारे संविधान के लागू होने के बाद, 26 जनवरी, 1950 के बाद आज 39 साल बीत गए और 39 वर्षों में देश की सत्ता जिस रूप में देश की आम जनता के पास पहुंचनी चाहिए थी, वह अभी तक किन्हीं कारणों से पहुंचा नहीं पाये। आज यह देश को पहला अवसर मिल रहा है कि देश की सत्ता उस देश के निवासी के पास जा रही है, सच बात यह है कि स्वराज्य की गंगा आज देश की आम जनता तक देश के आम गांव के किसान, गरीब, दलित लोगों के पास उस गंगा की धारा पहुंच रही है।

इसके लिए हम फिर अपने प्रधान मंत्री जी को बधाई देते हैं। इस संविधान संशोधन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू महिलाओं को 30 प्रतिशत का आरक्षण देकर देश में एक नई क्रान्ति का आह्वान करना है। यह पहला मौका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस देश में पहले नारियों का सम्मान नहीं होता रहा है। हजारों साल पहले तक यहां पर यह कल्पना की जाती रही है और ऋषियों ने यह मन्त्र भी दिया—'यत्रः नार्यन्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्रः देवताः।"—जहां नारियों की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। इस देश की यह कल्पना थी और जिसको हमारे राजीव गांधी जी ने साकार किया है। आज आम गांव की जनता जहां पर हमारी पंचायतें होंगी, जहां पर

हमारी नगर पंचायतें होंगी और जहां पर हमारी ग्राम पंचायतें होंगी, वहां पर हमारी मातायें और बहनें आकर नेतृत्व करेंगी। तो निश्चित रूप से देश का कैसा वह स्वर्णिम भविष्य बनेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि कल जब प्रधान मन्त्री जी ने अपने भाषण में इसकी सम्पूर्ण व्याख्या करते हुए कई चीजों की ओर ध्यान दिलाया था। उन्होंने इस खतरे की ओर भी ध्यान दिलाया था, जिसकी चर्चा अक्सर कुछ विरोधी और कुछ ज्यादा प्रबुद्ध कहे जाने वाले लोग किया करते हैं कि ऐसा भी सम्भव है, ग्राम पंचायतों में, नगरपालिकाओं में, महापालिकाओं और नगर पालिकाओं में इस तरह के लोगों का चुनाव हो जाता है, जिन्हें कोई-कोई अवांछित भी कहते हैं, तो अवांछित व्यक्तियों से भयभीत होकर अगर देश का इतना अधिक भाग लोकतन्त्र की सत्ता को आम जनता तक पहुंचाने में हिचकिचाने लगे तो मैं समझता हूं कि यह नेतृत्व की सफलता नहीं होती है। आज नेतृत्व की सफलता इसी बात में है कि हम देश की जनता का पूर्णतः विश्वास करें और इसीलिए राजीव गांधी जी ने इस विश्वास की धरोहर को पूरे देश की जनता के सामने रख दिया है। मैं यह मानता हूं कि 18 वर्ष की उम्र का अधिकार देकर के, ग्राम पंचायतों को अधिकार देकर के; नगर-पालिकाओं और महापालिकाओं को अधिकार दे कर के इस देश की स्वायत्तशासी संस्थाओं को बलशाली बनाकर के देश के लोकतन्त्र को एक नया मोड़ देने का प्रयत्न किया गया है और निश्चित रूप से जिस बात की ओर हमारे नेता ने कई वर्षों से ध्यान दिया था, खास कर कांग्रेस शताब्दी वर्ष में कि सत्ता के दलालों को सत्ता के उन पदों से हटाइए। सत्ता की उन शक्तियों से अलग करो, जो लोग देश के शोषण और दोहन के जिम्मेदार बन जाते हैं। आज उन शोषण और दोहन करने वालों के विरुद्ध इस प्रकार की कार्यवाही तभी सार्थक होगी जब देश की जनता उस स्वतन्त्रता की भागीदार होगी। इसलिए मैं मानता हूं कि महिलाओं के आरक्षण का संशोधन बहुत ही महत्पूर्ण संशोधन है।

इस बिल में एक बात और भी बहुत अच्छी कही गई है। यह माना जाता है और कई वर्षों से चीज चली आ रही है कि आर्थिक साधनों का दुरुपयोग हम अकसर देखा करते हैं। आज श्री चिदम्बरम जी द्वारा कुदाल कमीशन पर दिए गए व्याख्यान को सुनकर मुझे बहुत दुःख हुआ। जिन महात्मा गांधी का नाम लेकर हम सब लोगों ने राष्ट्र की पराधीनता से संघर्ष किया, राष्ट्र की स्वाधीनता को प्राप्त किया, राष्ट्र के पिता के नाम पर, जिसकी श्रद्धा और जिसके आदर के लिए हम सब लोग, लोग ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व, जिस पिता के नाम पर संस्थान बनाकर के, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार, जिस प्रकार की बेईमानी, जिस प्रकार अन्धेर तथा जिस प्रकार का विदेशी शक्तिओं के साथ तालमेल, हमारे देश के उन संस्थानों से जुड़े हुए लोगों ने किया, जिनके नाम आज सदन में हमारे सामने आए, उनसे मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। आखिरकार कहां गांधी जी, कहां गांधी जी के नाम पर बनी हुई महान संस्थायें और कहां पर ये काम—इसको क्या इस देश का दुर्भाग्य कहा जाए। आज हमारे राष्ट्रपिता को मरे हुए कुल 42 वर्ष ही हुए हैं और उसमें ऐसे-ऐसे लोग भी पैदा हो गए। इन चीजों को कौन रोकेगा? इन चीजों को देश की आम जनता ही रोकेगी। 82 करोड़ का यह देश और इस देश में कहीं 82 लोग अन्धेर करने वाले इकट्ठे होते हैं तो उनका मुकाबला 82 करोड़ लोग ही करेंगे। उसका मुकाबला थोड़े से लोग नहीं कर सकते हैं। मैं संशोधन का स्वागत करते हुए एक दूसरी बात कहना चाहता हूं। जो वित्त आयोग की इसमें संकल्पना की गई है उससे आर्थिक दुरुपयोग रुकेगा। यह इस संशोधन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अगर वित्त आयोग बना रहेगा तो कहीं पर कुछ लोग ऐसे भी चुन कर आ जाते हैं तो वे भी आर्थिक साधनों का दुरुपयोग नहीं कर पायेंगे क्योंकि वित्त आयोग द्वारा

आर्थिक साधनों पर नियन्त्रण रखा जाएगा। इससे देश के आर्थिक साधनों का दुरुपयोग रोका जा सकेगा। यह इसका एक बहुत बड़ा पक्ष है।

इसका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि इनके चुनाव हर पांच वर्ष में अनिवार्य कर दिये गये हैं। पिछले वर्षों का हमको ज्ञान है कि दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह और बीस-बीस वर्षों तक नगर-पालिकाओं और जिला परिषदों के चुनाव नहीं होते रहे हैं। वर्षों नगरपालिकाएं और जिला परिषदें भंग रहती हैं और नौकरशाहों के हाथों में बनी रहती हैं और लोक तंत्र जनता के हाथों में नहीं रहता था। इससे जनता का शोषण होता आ रहा था। इससे आम जनता को दिक्कतें हो रही थीं और लोगों ने जिस तरह से वे अपनी जमींदारी चलाते हैं उसी तरह से सेवा के क्षेत्र को भी अपनी जमींदारी की तरह चलाना शुरू कर दिया था। अब तक जो लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे थे इससे वह समाप्त होगा और इस संविधान संशोधन विधेयक के बाद हर पांच वर्ष में इन संस्थाओं के चुनाव हुआ करेंगे। अब नगरपालिकाएं, जिला परिषदें और ग्राम पंचायतें निरन्तर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होंगी। इससे देश की आम जनता को लोकतंत्र में और शक्ति और बढ़ावा मिलेगा, ऐसा मेरा पूरा-पूरा विश्वास है।

इस बारे में मुझे अपने विरोध पक्ष के रवैये से बड़ा ताज्जुब होता है। मैं नहीं जानता कि उसका नेता कौन है। महात्मा गांधी तो सबके नेता थे। अगर वे लोग महात्मा जी को अपना नेता मानते हैं तब तो उन्हें इस क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेना चाहिए था। लेकिन जब इसका वक्त आया तो वे यहां से बाहर चले गये। देश की जनता ने, देश के जिस क्षेत्र ने उन लोगों को चुना वह इसलिए चुना कि वे देश के लोकतन्त्र के माध्यम से, देश के सर्वोच्च आसन पर जाकरके वे लोक सत्ता के संचालन में अपना योगदान करेंगे और जब लोकतन्त्र के माध्यम से स्वराज्य की गंगा आम जनता तक जा रही है तो उसको उस तक ले जाने में भी भाग लेंगे।

आज क्या हुआ? वही कांग्रेस के लोग यहां पर बैठे हुए हैं जिन्होंने पिछले 105 वर्ष देश में लोकतन्त्र लाने और देश की जनता को लोकतन्त्र की शक्ति प्रदान करने के लिए लड़ाई लड़ी। आज उसी संस्था के लोग, उस संस्था के माध्यम से चुन कर आये सदस्यगण इस संविधान संशोधन विधेयक को भी पारित कर रहे हैं। आज यहां विरोधी दल के कितने लोग बैठे हैं?

मुझे आश्चर्य होता है जब मैं इन्हें साइकिलों से यात्रा करता हुआ देखता हूं। आप साइकिलों से यात्रा कर देश की आम जनता तक कैसे पहुंचेंगे। क्या आप इस तरह से गांधी जी की तरह गरीब समाज के नेता हो जाएंगे? अगर कोई सिर पर रूमाल बांध ले तो क्या वह जय प्रकाश हो जाएगा? अगर कोई घुंटने तक धोती पहन ले तो क्या वह महात्मा गांधी हो जाएगा? अगर कोई सिर पर पगड़ी बांध ले तो क्या वह लोकमान्य तिलक या मौलाना आजाद हो जाएगा? यह तो अपने कर्मों से होता है। अगर आप पूरी शक्ति के साथ देश की सेवा करें और देश के प्रति समर्पित हों तभी आप उत्तरदायी माने जाएंगे। खाली दिखावा करने से आपको कोई स्थान नहीं मिलेगा। मुझे दुःख है कि जो लोग आज यहां नहीं हैं उन्होंने इस प्रकार की कल्पना नहीं की कि देश की आम जनता कितने द्रवित नेत्रों से उसकी ओर देख रही है। जब देश की शक्ति, समाज की शक्ति आम जनता में पहुंच रही है तब उसमें उनका योगदान होना चाहिए था। लेकिन वे लोग अपना योगदान करने से पहले यहां से बाहर चले गये। खैर यह उनकी राजनीतिक समझ है और इसके लिए

जब चुनाव आयेंगे तो उन्हें इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। क्योंकि वे लोग देश के ऐसे क्रांतिकारी कदम पर देश की जनता का प्रतिनिधित्व न करते हुए यहां से भाग खड़े हुए। देश की जनता उनको अगली बार कभी इस प्रकार का अवसर प्रदान नहीं करेगी ताकि देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस में भाग लेने का जब समय आए तो बजाये उसमें भाग लेने के वे स्वयं यहां से भाग खड़े हों। आगे जनता ऐसी स्थिति आने नहीं देगी।

मेरा निवेदन है कि हम इस संविधान संशोधन विधेयक को सर्वोत्तम ढंग से पास करें। कल शहाबुद्दीन जी ने जो एक प्रश्न उठाया जो एक संवैधानिक प्रश्न था। अगर संविधान की किसी भी धारा, किसी भी खण्ड के मुताबिक कोई ऐसी बात मालूम पड़ती हो कि इससे देश की जनता तक राजनीतिक शक्ति पहुंचने में व्याघात पड़ेगा, बाधा आयेगी, परेशानी होगी, तो इस संविधान संशोधन विधेयक से ऐसी धारा, ऐसे खण्ड विशेष से उस बात को दूर किया जाना चाहिए। राष्ट्र-शक्ति की सत्ता, स्वराज गंगा, स्वराज की सत्ता देश की आम जनता तक पहुंचाना हमारा संकल्प होना चाहिए। इसमें होने वाली सभी बाधाओं को हटाकर दूर कर देना चाहिए, चूर-चूर कर देना चाहिए, ताकि कल के भारत में वह "स्वर्णिम देहात" जिसकी कल्पना महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना आजाद ने और सुभाष बोस जैसे नेताओं ने की, वह बन सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री भोलानाथ सेन (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मैं सबसे पहले कल श्री शाहबुद्दीन द्वारा उठाये गये मुद्दे पर विचार व्यक्त करना चाहता हूं। संविधान भारत में लोगों ने बनाया था मैं अभी इसकी एक या दो पंक्तियां पढ़ता हूं :

> "हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न समाजवादी पंथ-निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय..."

अब, इसके द्वारा भारत के लोगों ने एक व्यवस्था बनायी और कुछ व्यवस्थापकों की नियुक्ति की। अर्थात उनके मामलों की देखरेख के लिए मंत्री, प्रधान मंत्री, मुख्यमंत्री और न्यायाधीश सभी व्यवस्थापक हैं। इसलिए अनुच्छेद 368 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अनेक कारणों से इस संविधान में संशोधन किया जा सकता है। यहां तक कि सातवीं अनुसूची की सूचियों में भी संशोधन किया जा सकता है। इसके कुछ तरीके हैं। इसलिए भारत के लोगों ने, जिन्होंने संविधान बनाया, उस समय भी सोचा कि यह संविधान कोई जड़ वस्तु नहीं है तथा समाज भी जड़ नहीं रहेगा इसलिए समाज को अपना काम चलाने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी।

अनेक वर्ष बीत जाने के बावजूद भी अनेक नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी नहीं बनाया गया है और अनुच्छेद 40 उन्हीं में से एक है। अनुच्छेद 40 बिल्कुल स्पष्ट है और संविधान के अन्तर्गत यह आज्ञा भी है। यह इस प्रकार है :

> "राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों।"

अब अच्छी सरकार स्वायत्त शासन का स्थान नहीं ले सकती। दूसरी और तीसरी सदी से लोग यह सोचते आ रहे हैं कि स्वायत्त शासन का स्थान अच्छी सरकार नहीं ले सकती। यहां विशेष रूप से कहा गया है "स्वायत्त शासन" ?

श्री शाहबुद्दीन ने आधारभूत सिद्धान्तों के उल्लंघन की बात की थी। मैं 'मिनर्वा मिल्स' के मामले में उच्चतम न्यायालय के बहुमत के निर्णय को पढ़ता हूं :

> "सभ्य समाजों में मौलिक अधिकारी का अपना अनूठा स्थान होता है और उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में इन्हें काल्पनिक अहस्तान्तरणीय और मौलिक बताया गया है। हमारे लिये ये संविधान का निचोड़ है। भाग 3 में दी गई गारंटी को भाग 4 के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नष्ट करना स्पष्ट रूप में संविधान को, उसके आधारभूत ढांचे को नष्ट करके विध्वंस करना है। भारतीय संविधान भाग 3 और भाग 4 के सन्तुलन पर कायम है। एक को दूसरे से अधिक तरजीह देना संविधान की एकरूपता को हानि पहुंचाना है। मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच यह तालमेल और संतुलन संविधान के आधारभूत ढांचे की एक आवश्यक विशेषता है। भाग 4 में निर्धारित लक्ष्यों अर्थात नीति निदेशक तत्वों को, भाग 3 द्वारा उपबन्धित साधनों को रद्द किए बिना ही प्राप्त करना होता है। यही आशा है, भाग 3 और 4 का जो मिलकर संविधान बनाते हैं और जिनके मिलने से संविधान का मूल स्वरूप सामने आता है। इन दोनों भागों के सन्तुलन के नष्ट होने से संविधान का आधारभूत ढांचा ही नष्ट हो जाता है।"

3.00 म० प०

इन दोनों विधेयकों ने क्या किया है ? मुख्यतया इन पंचायतों और नगरपालिकाओं को संविधान के अनुच्छेद 40 में मान्यता दी हुई है। यह क्या है ? उनके पास धन होगा, उनके पास योजना होगी, उनके चुनाव नियमित अंतराल पर होंगे। संविधान में ऐसा उपदेश दिया गया है या दिया जा रहा है। लेकिन जब आप शक्तियों के बारे में सोचते हैं, आप देखेंगे कि राज्य सरकार शक्तियां देंगी कुछ अनुसूचियां बनायी गई हैं उदाहरण के लिए 11वीं और 12वीं, जिनके अन्तर्गत राज्य सरकारों के निर्णय के अधीन इन संस्थाओं को अधिकार प्रदान किये जाएंगे। मुझे विश्वास है कि इसे किसी भी स्थिति में संविधान का उल्लंघन नहीं समझा जा सकता। यह संविधान की भावना के अनुरूप है। उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा इसे खारिज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

यह तो एक शुरूआत है। मैं तो कहूंगा कि यह एक नये सफर की शुरूआत है क्योंकि धन राज्य सरकारों को उपलब्ध कराना होगा। हालांकि केन्द्र सरकार द्वारा कानूनी निकाय या संवैधानिक निकाय को धन दिए जाने की गुंजाइश होगी तथापि जैसे वित्त आयोग ठीक समझेगा योजना सारे राज्य के लिए उस तरह बनानी होगी। राज्य और इन संस्थानों के बीच धन का वितरण किया जायेगा।

विधेयकों को पढ़ते समय मुझे एक बात ध्यान में आई। एक बार उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बीच एक पुल के निर्माण का सवाल उठा था। इसके लिए दोनों राजी थे। उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने लिखा कि वे लोग एक पुल का निर्माण करना चाहते हैं और पश्चिम बंगाल के मुख्य

मंत्री ने इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की और उस पर जो खर्च आया वह दोनों ने वहन कर लिया। मैं नहीं जानता कि जब तक अन्तर्राजिक समस्याओं को सुलझाया नहीं जाता योजना को कैसे पूरा किया जा सकता है। फिर भी एक शुरूआत की गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि गांव और शहर के लोगों को मिलकर समाज का इस तरह से निर्माण करना चाहिए कि आर्थिक विकास के साथ सामाजिक न्याय को भी प्राप्त किया जा सके, जो हमारे समाज का लक्ष्य है।

दार्जिलिंग में क्या हो रहा है? इस तथ्य के बावजूद कि पश्चिम बंगाल एक राज्य है, दार्जिलिंग के लोगों ने यह महसूस किया कि उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और उनका कोई विकास नहीं हुआ है। अब दार्जिलिंग को कुछ अधिकार प्राप्त हुये हैं। किसी ने न्यायालय में इसे चुनौती नहीं दी है। झारग्राम आन्दोलन चल रहा है। क्यों? क्योंकि वे महसूस करते हैं कि उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और राज्यों का ध्यान उनकी तरफ नहीं है और उन्हें आर्थिक और सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है। हमने प्रबन्धक नियुक्त किये लेकिन प्रबन्धक स्वामी बन गये। यही कमी है। ये मुख्य मंत्री और मंत्री निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। उनका धन पर नियंत्रण होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। उनका लोगों के जीवन पर नियंत्रण होता है। इन विधेयकों के विरोध के पीछे मुख्य उद्देश्य यह होता है कि कहीं धन के ऊपर से और राज्य के लोगों के जीवन के ऊपर से नियंत्रण न समाप्त हो जाए।

3.04 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

रायगंज उत्तर बंगाल की एक नगरपालिका है। जब बर्खास्तगी के लिए कारण-बताओ नोटिस दिये गये तो नगरपालिका को उसमें सफलता मिली। परन्तु अन्ततोगत्वा उसे नोटिस दिए बिना ही बर्खास्त कर दिया गया। बेरहामपुर नगरपालिका का एक और मामला है जिसमें कांग्रेस (आई) के 19 और सी० पी० आई० (एम) के 11 कमिश्नर थे। कारण-बताओ नोटिस दिए बिना ही इस नगरपालिका को बर्खास्त कर दिया गया और एक अधिकारी को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया। मै इसे वास्तव में देखना चाहता था। प्रावधान बनाये गये थे। जैसा कि महाअभियोग में होता है यहां भी कुछ सीमायें हैं। अतः आप एक निर्वाचित अध्यक्ष को, आवश्यक बहुमत के बिना या जब तक निर्धारित संख्या में लोग विरोध न करें तब तक हटा नहीं सकते। अन्यथा पांच वर्ष के लिए आप उन्हें नहीं हटा सकते। यह उन्हें अधिकार देकर अपने भाग्य का फैसला स्वयं करने का एक तरीका है। यहां एक और समस्या है। हम संसद सदस्य अपने चुनाव क्षेत्रों के 10-12 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसका मतलब यह है कि हम 20-25 लाख लोगों के जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन इंग्लैंड, जिसे लोकतन्त्र का जन्मदाता कहा जाता है, एक संसद सदस्य 50,000 से 60,000 तक लोगों का ही प्रतिनिधित्व करता है। इग्लैंड में, भारत से ज्यादा संख्या में संसद सदस्य है। हमारे यहां 543 संसद सदस्य हैं जबकि वहां 700 से भी अधिक हैं। अतः वे 50,000 से 60,000 लोगों पर अधिक ध्यान दे सकते हैं। श्री शाहबुद्दीन जी आप कितने परिवारों का ध्यान रख सकते हैं। आप ध्यान नहीं रख सकते। यह असंभव है। वह रोयेंगे या खुश होंगे, हंसेंगे या तकलीफ में रहेंगे, आप उनके साथ नहीं होंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि जिन लोगों के पास अधिकार हो वही आम लोगों के पास रहे, उनके दुख सुख

में शरीक हों और उनकी दशा सुधार सकें। इस तरह से न्याय को लोगों के पास लाया जा सकता है। हमारा दृष्टिकोण यह है। मै पहले केवल यह देखना चाहता था कि धन उन लोगों तक पहुंचे जिन पर यह खर्च किया जाता है। लेकिन यह उनको नहीं मिलता है। जो 100 रुपये एक व्यक्ति को भेजे जाते हैं उनमें से 80 रुपए तो भिन्न-भिन्न स्थानों पर चले जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए ही उसे मिल पाते हैं। यदि पंचायत हो और यदि जवाहर रोजगार योजना और अन्य योजनाओं के कार्यक्रम उसे सौंप दिये जायें तो वह अपने भाग्य का निर्णय स्वयं करेंगे और अन्याय नहीं कर सकेंगे क्योंकि वे एक ही गांव में रहते हैं। मैं दिल्ली हूं। कलकत्ता में जो कुछ होता है, मैं नहीं जान पाऊंगा। मैंने कलकत्ता में लोगों को गन्दी बस्तियों में रहते देखा है। लगभग 40 प्रतिशत लोग वहां गन्दी बस्तियों में रहते हैं। आप बम्बई जाइये। वहां पर वर्ष 1989 में भी गन्दी बस्तियों में अमानवीय स्थितियां हैं। कौन-सा ऐसा आदमी है जिसने यहां आकर उनके बारे में कुछ कहा हो और उनके लिए कुछ काम करवाया हो? यदि आप यहां बात भी करें तो यह कहा जायेगा कि यह राज्य का विषय है। इसलिए यहां कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि कोई व्यक्ति वहां हो, यदि वहां पंचायत हो या नगरपालिका संस्थान का उचित स्थान हो तो मुझे विश्वास है कि लोगों की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। क्या किया जा रहा है? भारत एक गणराज्य है साम्राज्य नहीं। हमारे यहां कोई राजा नहीं है। हमारा संविधान, हमारे देश के नागरिक, देश के लोग सर्वोपरि हैं। हमारे देश के नागरिकों ने उन्हें कुछ अधिकार दिये हैं जिन्हें मै संविधान का निर्माता कहता हूं। अब वे अपने लिए कुछ और अधिक शक्तियां लेना चाहते हैं, उसमें क्या गलत है? संविधान में यह भी संकेत मिलता है कि स्वशासन होना चाहिए। संविधान निर्माता मूर्ख नहीं हैं। इन सब बातों और व्यापक कानून तथा 1935 के अधिनियम के अनुभव के बावजूद उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। महात्मा जी ने गांवों में पंचायतों के बारे में क्यों कहा और कार्ल मार्क्स ने ग्राम संगठनों के बारे में क्यों कहा था? क्योंकि हम एक छोर से दूसरे छोर तक नहीं जा पाते और आजकल यह असंभव हो गया है। कलकत्ता से दिल्ली तक का हवाई जहाज का किराया 1500 रुपये हो गया है। नागरिकों को न्याय आसानी से मिलना चाहिए। लोगों के हाथ में शक्ति दी जानी चाहिए जिससे वे अपनी समस्याओं का हल खुद ढूंढ सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि इस तरह बहुत सी कठिनाइयों का हल निकल जाएगा। अनुसूचित जाति के लोगों के बीच विवाद है। आज भी अगर आप गांवों में जाएं तो आप पाएंगे कि एक ही गांव में मुस्लिम इलाका है, अनुसूचित जाति का इलाका है तथा गैर अनुसूचित जाति का इलाका है। इस तरह की बातें 1989 में भी हो रही हैं जब तक आप उन पर दबाव नहीं डालते, उनके लिए आरक्षण नहीं करते, उनके साथ मिल बैठकर बातचीत नहीं करते तब तक वे पिछली बातों को कैसे भूल पायेंगे। वे नये विश्व में कैसे प्रवेश करेंगे जिसकी ओर भारत अग्रसर है या हम जिस पथ पर अग्रसर होना चाहते हैं।

पिछले पांच वर्षों से मैं प्रतिदिन की कार्यवाही देख रहा हूं। मैं मजबूर होकर यह कह रहा हूं कि हर बार मैंने प्रधानमंत्री के भाषणों और कार्यों पर ध्यान दिया है और मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है और मैंने अपने विचार नहीं बदले हैं कि यहां एक व्यक्ति है, जो आज भारत का शासन चला रहा है और वह वास्तव में लोकतन्त्र में विश्वास रखता है। इसी के साथ-साथ कुछ लोग पश्चिम बंगाल में या उन राज्यों में जहां विपक्ष सत्ता में हैं कहते हैं कि वह एक तानाशाह है। मैं इस बात को समझ नहीं पाया। यह वह भद्र पुरुष है जिसने पंजाब में चुनाव कराने का

प्रयास किया है, यह जानते हुए भी कि कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकती उनकी सरकार वहां नहीं आ सकती कोई और सत्ता में आ सकता है। फिर भी लोगों की राय को महत्व दिया गया है। अब हमारे यहां कार्य प्रणाली के विद्यमान होने के बावजूद हम लोगों की राय को महत्व देने में समर्थ नहीं रहे हैं। इसके विपरीत बहुत सा धन विभिन्न तरीकों से नष्ट किया जा रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब तक आप सत्ता पक्ष से नहीं हैं, आपकी आवाज कभी नहीं सुनी जाएगी चाहे यह पंचायत के लिए ही क्यों न हो। पश्चिम बंगाल में अगर पंचायत सी० पी० आई० (एम) से संबंधित है तो उन्हें धन प्राप्त होगा, लेकिन अगर पंचायत सी० पी० आई० (एम) से संबंधित नहीं है, तो उन्हें धन नहीं मिलेगा। इस प्रकार की बातें अब नहीं होने देंगे। अब यह आधार बनने जा रहा है। चाहे इसे क्रान्ति कहें या कुछ और नाम दें, इससे काफी बड़ा परिवर्तन होगा, भविष्य में प्रगति होगी। महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री श्रीपति मिश्र (मछलीशहर) : सभापति महोदय, आज प्रजातंत्र की किताब में एक नया अध्याय जुड़ गया है और यह ऐसा बुनियादी अध्याय है जिसके बिना हमारा प्रजातंत्र अपनी असली स्थिति में में नहीं आ पाता। सदन में संविधान के चौंसठवें और पैंसठवें संशोधन विधेयकों को प्रस्तुत करके सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो हम करने जा रहे हैं, वह है प्रजातंत्र की उन इकाइयों को स्थायित्व प्रदान करना जो हमारी बुनियादी इकाइयां हैं, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतें हैं, उसी तरह से शहरी क्षेत्रों में नागरिक परिषदें, नगरपालिकाएं और नगर निगम हैं, इन दोनों विधेयकों के माध्यम से हम इन इकाइयों को सशक्त बनाने जा रहे हैं। मैं समझता था कि इस बहस में पूरा सदन भाग लेगा परन्तु हमारे प्रतिपक्ष के लोगों ने इस बहस में भाग लेने से अपने आप को दूर रखा। उन्होंने एक मुद्दा बनाकर, सदन से इस्तीफा दे दिया, इतनी महत्वपूर्ण बहस में भाग नहीं लिया, लेकिन उन्होंने किस मुद्दे को आधार बनाकर इस्तीफा दिया, जो पिछले ढ़ाई सालों से हाउस में अनेकों बार उठाया गया, जिसका सरकार की ओर से हमेशा स्पष्टीकरण दिया गया, फिर भी विपक्ष के लोगों ने उसी मुद्दे को लेकर सदन से इस्तीफा दे दिया। और जिस तरह से प्रधान मंत्री थे, जो उन पर आरोप था, वे आरोप ढाई वर्ष से लगातार चल रहे थे, उसमें कुछ घटा नहीं, उसमें कुछ बढ़ा नहीं, जैसा का तैसा था, वही आरोप दोहराए जाते रहे, पता नहीं क्या हुआ, जैसे ढ़ाई वर्ष तक संभाले हुए थे, तो ढ़ाई महीने के लिए इस्तीफा देकर चले गए, इसका क्या फायदा हुआ। जैसे ढाई वर्ष तक बोझ ढोया, ढ़ाई महीने और बोझ ढोते, उसके बाद चुनाव हो जाता, तो पता लग जाता कि क्या है। मगर गए। कई बार यह सवाल मन में आया कि यह क्यों हुआ। किसी तरह से एक होने की बात करते हैं और ये पंचायतें, नगरपालिकाओं एवं पंचायतीराज का प्रधान मंत्री ने जो बिल यहां पेश किया और जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का, गांवों का सम्पर्क केन्द्र से और बिल से सम्बन्ध स्थापित हो गया, तो उस बिल को यहां लाने पर, उसको देखने में उनको परेशानी नजर आई। इसका विरोध करें, तो जनता में खड़े नहीं हो सकते, इसका विरोध न करें, तो यह जो खिचड़ी पकाई है, यह पके कैसे ? यहां भारत देशम तो कोई है नहीं। यहां तो कोई तेलुगुदेशम है तेलुगु के लिए, कोई द्रमुक मुनेत्र कषगम है, तो वह मद्रास के लिए, कोई असम गण परिषद् है, तो वह असम के लिए है। मद्रास के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए है। बम्बई में शिव-सेना है। इस तरह से अलग-अलग जगहों पर ये लोग बैठे हैं। उनको एक डर लग रहा है, हमारे यहां अगर इस तरह से जो बढ़ की चीज है, पंचायतें, नगरपालिकाएं अगर ये मजबूत हो गईं, ये

अच्छी तरह से बन गई, तो हो सकता है कि जो अलगाववादी चीज हम चला रहे हैं, कभी भाषा के नाम पर, कभी जाति के नाम पर; इस प्रकार के जो संगठन हम चला रहे हैं, हो सकता है कि वे इससे कमजोर पड़ें और ये जो लोग लीडर बने हुए बैठे हैं उनके पास अपना तो कुछ है नहीं, अलग-अलग प्रदेशों में ताकत है, ताकत है छोटे-छोटे क्षेत्रीय कारणों से, उस ताकत का बड़े नाम पर, बड़े काम पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। इनके पास सामान नहीं है, सिर्फ एक ढांचा इन्होंने खड़ा किया है, उसी ढांचे में ये रंग भर रहे हैं। उसी ढांचे में ये कहीं मध्य प्रदेश का, कहीं असम गण परिषद् का, तो कहीं तमिलनाडु का, कहीं तेलुगु देशम का कहीं, शिवसेना का, कहीं अकाली दल का और कहीं किसी और का ये उस ढांचे में रंग भर रहे हैं।

सभापति महोदय, डर इनको यह था कि वे लोग नाराज हो जाते क्योंकि इससे सीधे हमारे राज्य के अधिकार कम कर रहे हैं और कम करने में ये लोग हिस्सा ले रहे हैं, इससे जनता नाराज हो जाती और इनका साथ नहीं देती, तो इनको परेशानी होती। इसलिए ये लोग उसका यहां समर्थन नहीं करते और यदि विरोध करते, तो भी जनता प्रसन्न नहीं होती, क्योंकि इनकी विरोध करने की हैसियत नहीं थी। ऐसी स्थिति में इन्होंने पलायनवादी नीति अपनाई और पलायन किया। मान्यवर, यह जनता की जागृति का बिल था। एक तरफ उस प्रधान मंत्री ने इस बिल को पेश किया था, जब से वह गद्दी पर बैठा, तब से आरोप प्रत्यारोप की बौछार को सहते हुए, अपने काम को आगे बढ़ाते हुए चला जा रहा है और दूसरी तरफ जो लीडरशीप हुई, आप मुझे क्षमा करेंगे, बहुत से लोग यहां बैठते हैं, जो जानते हैं कि 77 से 80 में एक जमाना आया, उस समय कुछ कार्यभार सौंपा जा रहा था, तो भागे और पलायनवादी नीति अपनाई, उसके बाद एक जमाना आया 80 में·····

ऊर्जा विभाग में विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : वे कौन थे ?

श्री श्रीपति मिश्र : अभी, पहुचते-पहुंचते अपने आप पता लग जाएगा। जब 80 में सौंपा गया तो कुछ डाकुओं ने और कुछ दूसरों ने खदेड़ा और इस्तीफा देकर भागे। उसके बाद जब यहां जांच पड़ताल शुरू होने लगी, उस जांच को भी इन्होंने जारी किया, हालांकि यह केस, यह जांच वहां तक नहीं पहुंची जहां तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन जारी कर दी, जब यहां से जाच जारी हुई, तो यह भी पता चला कि शायद अपने आप आए, इधर आए, उधर आए, यहां से भी भागे, तो भागने की आदत थी और भागने का फैसला किया, यहां से भागे।

श्री कल्पनाथ राय : वहां से कब आयेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र : राय साहब, पूछ रहे हैं वहां से कब भागेंगे, कोई आपत्ति वाला टाइम आएगा, अखबार साथ देना बन्द कर देंगे, यह सही-सही न्याय की बात करने लगेगा, जब यह बात आ जायेगी और दस दिन तक अखबारों में लगातार छप जाय, उनके खिलाफ, तो ग्यारहवें दिन वह नहीं टिक सकते, उनको छोड़ जायेंगे। जिस तरह से विरोधी राजनीति कोमलांगियों की राजनीति नहीं है, विरोधी राजनीति बड़ी कंकड़ों पत्थरों पर चलने वाली राजनीति है। वह राजघराने से निकले, वहां से आराम से आये और किस्मतवार हैं कि कांग्रेस में आये तो यहां राजा हो गये, आते-आते। राजा-राजा, राजा-राजा, सब राजा होते चले गये, अब वहां प्रजा की जगह पर पहुंच कर वहां संकट में होंगे, संकट पड़ेगा, भाग आयेंगे और हम आप ऐसे उदार भी हैं कि भाग आयेंगे तो हम स्वागत करके फिर गोदी में बिठा लेंगे···

श्री कल्पनाथ राय : फिर ले लेंगे तो हम लोग विरोध करेंगे, नहीं आने देंगे।

श्री श्रीपति मिश्र : और यही कारण है कि सिद्धान्तविहीन होकर जब देखो तब इधर से उधर, उधर से इधर करता रहता है और हम इसको गोद में बिठाते रहते हैं, इसीलिए इनकी हिम्मत बढ़ती है, हमको आपको छोड़कर भागने की नहीं तो यह कभी छोड़कर भाग नहीं सकते और अगर भागेंगे तो हमेशा के लिए समझ लेंगे कि पोलिटिक्स इन्होंने बन्द कर दी।

बहरहाल, मैं इस पूछताछ की बात में चला गया। मै यह कहना चाहता था कि एक स्थायित्व, सबसे बड़ा काम शक्ति देंगे। तीन बातें मुख्य हैं, संस्था को स्थायित्व मिले, दूसरी बात कि उसको वित्तीय आधार मिले और तीसरी बात कि उसको कार्य करने का अवसर मिले। संस्था को स्थायित्व देने का जो विचार हुआ है और जिससे कि अब पंचायतें बनेंगे, पांच वर्ष बाद चुनाव होंगे, नगरपालिकाएँ बनेंगी, हर पांच वर्ष बाद चुनाव होगे, जिस तरह से विधान सभा का होगा, जिस तरह से लोक सभा का होगा। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा यह होगा कि उनका अस्तित्व स्थाई हो जायेगा और उनके मन में यह भावना भी जागृत होगी कि कोई काम ढ़ंग से कर सकें, कोई काम करने के लिए कदम अगे बढ़ायें। नहीं तो सन् 1970 की बात है, सब जिला परिषदें कांग्रेस की बनी हुई थीं और मैं भी उस वक्त अपोजीशन में था और एक मिनट में यह फैसला हो गया कि सब भंग कर दी जायें और 1970 में सब जिला परिषदें, जबकि 54 जिलों में से 47 में कांग्रेस की जिला परिषदें थीं, सब भंग हो गईं तो हम लोग जो अपने-अपने मन से, अपनी-अपनी तबियत से जब जी चाहा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दूसरी पार्टी हो, जब जी चाहा, अंग-भंग करते रहे, उस अंग-भंग करने की प्रक्रिया को समाप्त करके एक बहुत बुनियादी काम प्रधान मंत्री जी ने किया है, जो इसको इस तरह से कर दिया है और उत्तर प्रदेश में तो इसके बाद ही एक और वित्तीय आधार में वृद्धि की गई, जवाहर रोजगार योजना में दिया गया, वह तो सीधे दिया गया लेकिन उन्होंने मालगुजारी की वसूली भी, मालगुजारी वसूल करने का अधिकार भी उनको दिया और यह अधिकार जब उनको प्राप्त हुआ, तो वह भी समझते हैं कि क्या नाटक है और क्या वास्तविकता है। देहात के लोग यह कहते हैं कि यह अधिकार राजा टोडरमल के जमाने से, उसके पहले से कभी आज तक नहीं मिला था। मांड के लोग राजा टोडरमल के टाइम से सिर्फ यह चला आ रहा था कि सरकार वसूल करती थी। पहली बार यह अधिकार वहां दिया गया है और यही नहीं कि दिया गया है, सब उनके खाते में जमा होगा। तो इस तरह से जो परिवर्तन, इस तरह का चेंज लाने की जो कोशिश की गई है, उससे एक बात और होगी और वह जो बात होगी वह हम सब लोगों के लिए कल्याणकारी होगी। वह कल्याणकारी यह होगी कि कभी दिल्ली में, लखनऊ या प्रदेश की राजधानियों में ऐसे-ऐसे लोग आकर सामने आते हैं जो कि सही तरह से राजनीति में आने लायक नहीं होते हैं, वह नहीं आ सकेंगे। हम लोगों का चुनाव नहीं है, लोक सभा का चुनाव नहीं है कि पांच आपके एम० एल० ए० क्षेत्र हैं, एक क्षेत्र में गड़बड़ है तो बच जाइये, चार में घूम आइये। यह गांव के सभासद, यह नगरपालिका के लोग जो चुने जायेंगे, इनका वही मोहल्ला है, उनका घर वहीं रहना है, चौबीसों घण्टे। एक दो बार बदमाश या पैसे से कोई चुनाव भले ही लड़े लेकिन स्थाई रूप से इस परिवर्तन से वही लोग आयेंगे जो वास्तव में इस काय को करने लायक होंगे, जिनकी जन सेवा में दिलचस्पी होगी और जो जन सेवा करना चाहेंगे। एक दो बार का धोखा हो सकता है क्योंकि वहां भागने की गुंजाइश नहीं है, चौबीसों घण्टे विरोध

होगा और चौबीसों घण्टे उनकी आलोचना करने का मौका होगा इसलिए अच्छा एलीमैंट, सही आदमी, सही जनसेवक इस परिवर्तन से मैदान में आयेगा। एक बात और होगी हमारे नेताओं को भ्रम में डालने वाले लोग जो वहां से चले आते हैं और यहां कनाट प्लेस में सज-धज के हाजिर हो जाते हैं, जैसे कि बहुत बड़े लीडर हैं, इनकी भी छुट्टी हो जाएगी। ये भी नहीं आ पायेंगे। यह परिवर्तन राजनीति में शुद्धता लाएगा, प्रजातन्त्र को बल मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में चुने हुए लोगों को कार्य करने का अवसर देगा।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। सन् 1949 में पहले पहल उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत कायम हुई है। उस वक्त पंत जी भी इस बात को चाहते थे, उस वक्त भी यह कोशिश की गई थी कि यह हो। मैं संजोग से उसका पार्टिसिपेंट था और 1949 में अपने ग्राम से प्रधान चुना गया था। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस वक्त नौकरशाली यह नहीं चाहती थी कि यह अधिकार गांवों में जायें। इसलिए वे मामूली से मामूली गलती को भी बढ़ा-चढ़ा कर दिखाते थे। मैं अपने अधिकारी वर्ग से केवल आज यह कहना चाहता हूं कि आज जिन हाथों में यह ताकत जा रही है, वे भूल कर सकते हैं, लेकिन उनकी भूल खोजने के लिए उनको मत देखो, बल्कि एक गार्जियन की तरह से उनकी भूल को मिटा कर, भूल को दूर करके उनको सुधारने की प्रक्रिया में देखो। यह मत तलाश करो कि कहां उनकी गलती हुई है बल्कि जैसे आप अपने लड़के को देखते हैं और गलती करता है, तो उसको सुधारना चाहते हैं, उसी तरह से देखने की और सुधारने की कोशिश कीजिए। यह प्रयोग सफल होगा और देश इससे मजबूत होगा तथा देश आगे बढ़ेगा व देश में अच्छे ढंग के लोग सामने आयेंगे।

[अनुवाद]

श्री हुसैन दलवाई (रत्नागिरि) : सभापति महोदय, आज वह दिन है जब हम लोगों को अधिकार सौंप रहे हैं। मुझे वह रात याद है, जब आधी रात को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था, 'आज जब सारा विश्व सो रहा है, हम अपनी स्वतन्त्रता का स्वागत कर रहे हैं। स्वतन्त्रता के 42 वर्षों के पश्चात् हम महात्मा गांधी और पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा लोगों को दिये गये वचन को पूरा कर रहे हैं। अर्थात स्वतन्त्रता जो हमने प्राप्त की है, वह तब तक पूरी नहीं होगी जब तक भारत के लोगों को अधिकार नहीं सौंपे जायेंगे। मुझे खेद है कि जबकि लोगों के प्रतिनिधियों को गर्व होना चाहिए और समूचे सदन को भारत के लोगों को अधिकार देने पर गर्व महसूस करना चाहिए, विपक्ष में लोगों के प्रतिनिधि सदन छोड़कर चले गये हैं और वे इस वाद-विवाद में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री बधाई के पात्र हैं क्योंकि यही वे व्यक्ति हैं, जिन्होंने हमारे गुरुजनों द्वारा दिये गये वचन को संविधान में संशोधन करने के लिए दो विधेयक लाकर पूरा किया है, पहला पंचायतीराज विधेयक और दूसरा नगर पालिका विधेयक। हम विकास के लिए स्थानीय निकायों को मजबूत बना रहे हैं। पहले महाराष्ट्र सरकार ने बहुत वर्ष पूर्व, अधिकारों का विकेन्द्रीकरण करने के लिए कदम उठाये थे। लेकिन कमी यह थी कि हम एक हद तक सफलता प्राप्त नहीं कर सके और इस कमी को, इन दो विधेयकों से दूर किया गया है, क्योंकि लोगों को स्वतः धन उपार्जन के अधिकार दिये जायेंगे। उन्हें अपनी योजना स्वयं बनाने के लिए अधिकार दिये गये हैं और उन्हें अधिकारों को क्रियान्वित करने के लिए अधिकार दिये जायेंगे। इन दो विधेयकों में मुख्य विशेषता यह है कि उन्होंने चुनाव आयोग

को संपूर्ण चुनाव प्रणाली पर निगरानी रखने के लिए कहा है । हमने इन निकायों के कार्यकरण की निगरानी करने के लिए एक वित्त आयोग नियुक्त करने का निर्णय लिया है । केवल यही नहीं, बल्कि नियमित रूप से चुनाव कराये जायेंगे और इन दोनों विधेयकों का समूचा ढांचा, लोगों को अधिकार देने में देश की सहायता करेगा, जो वास्तव में इस देश की भलाई के लिए कार्य करते हैं । मैं यह बताना चाहूंगा कि इस देश में, जहां हम पिछले 42 वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों और पिछड़े वर्गों के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, हमारे पास काफी संसाधन हैं । मुझे गर्व है कि अगर आप समूचे विश्व को देखें तो भारत सबसे बड़े राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहा है । एक दिन ऐसा आयेगा जब विश्व में हमारा प्रथम स्थान होगा । हमें संगठित रहना चाहिए और हमारे देश में एकता और अखण्डता होनी चाहिए । मैंने एक गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया है जिसमें मैंने यह सुझाव दिया है कि ऐसी पार्टी जिसका राष्ट्रीय एकता और धर्म निरपेक्षता में विश्वास नहीं हो, उस पार्टी को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाना चाहिए । सौभाग्य से, हमारी सरकार यह संशोधन ला रही है और अब सभी पार्टियों को इस सिद्धान्त को स्वीकार करने के लिए अपने संविधान में संशोधन करना होगा कि उनका धर्मनिरपेक्षता में विश्वास है और उन्हें भविष्य में भी उस नीति को स्वीकार करना होगा ।

जब हम इन दोनों कानूनों को लागू करेंगे, तो कुछ कठिनाइयां आयेंगी, जैसा कि श्रीपति मिश्र ने ठीक ही कहा है । इन संस्थाओं को सफलतापूर्वक चलाने के लिए नौकरशाही की भूमिका आवश्यक है । मैं नौकरशाही से अनुरोध करूंगा कि उन्हें केवल यह नहीं देखना चाहिए यह केवल प्रशासनिक कार्य है और हम केवल सरकारी कर्मचारी हैं, बल्कि उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि इस देश के नागरिक होने के नाते इन संस्थाओं की सहायता करना उनका कर्तव्य है । उन्हें अपने गुरुजनों द्वारा रखे गये उद्देश्यों को पूरा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी ।

इन शब्दों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : माननीय सभापति महोदय, आरम्भ में, मैं कहना चाहूंगा कि अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने के बारे में संसद की शक्ति और उसके लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में है । इस सम्बन्ध में, कल भी मैंने सभा में इस मुद्दे को उठाया था, जब प्रधान मन्त्री जी ने संविधान का (पैंसठवां) संशोधन विधेयक पुरःस्थापित किया था। संविधान में अनुच्छेद 370 के अधीन कश्मीर के लोगों को विशेष दर्जा देने की गारन्टी दी गई है और मैं भारत के संविधान पर बसु की व्याख्या को उद्धृत करना चाहूंगा । पृष्ठ 843 पर इसका उल्लेख किया गया है :

> "अनुच्छेद 368, अतिरिक्त परन्तुक के अध्यधीन लागू किया जायेगा, परन्तु यह और भी कि कोई संशोधन जम्मू कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि वह अनुच्छेद 370 की धारा (1) के अधीन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा लागू न किया गया हो ।"

जब इस विधेयक को सभा में पुरःस्थापित किया गया था, उस समय विधेयक में इसका उल्लेख किया जाना चाहिए था और इसे समाविष्ट करना चाहिए था ।

इस तथ्य से कोई इन्कार नहीं कर रहा है कि अनुच्छेद 370 के बारे में जम्मू तथा कश्मीर

के लोग बहुत संवेदनशील हैं, क्योंकि दिल्ली और कश्मीर के बीच हुए समझौते के फलस्वरूप, जिसे दिल्ली समझौता कहा जाता है, उन्होंने बहुत से विशेषाधिकारों को खो दिया है। इससे लोकतान्त्रिक प्रक्रिया में विश्वास में कमी हुई है और 1953 और उसके बाद के कार्यों के फलस्वरूप, युवाओं की भावनाओं में तनाव उत्पन्न हुआ है। जबकि चुनाव नजदीक हैं, भारतीय जनता पार्टी और अन्य साम्प्रदायिक दल संविधान से अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए राग आलाप रहे हैं। इस सम्बन्ध में भारतीय जनता पार्टी ने भी यह मुद्दा उठाया है और अपने घोषणा-पत्र में भी यह कहा है कि जब भी वह सत्ता में आएगी, संविधान में से अनुच्छेद 370 को हटा देगी। महोदय, मैं समझता हूं कि अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर को देश के अन्य भागों से जोड़ने में एक पुल का काम करता है, अतः इस दिशा में हमें अत्यन्त सावधान रहना होगा और ऐसा कुछ भी नहीं करना होगा जिससे इन सम्बन्धों में बाधा उत्पन्न हो। अतः मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधान मंत्री जी इस बहस का उत्तर देते हुए मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दे पर जवाब देंगे, जैसा कि पंचायती राज विधेयक के संबंध में उन्होंने मुझे इस सभा में आश्वासन दिया था कि यह विधेयक जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि नगरपालिका के सम्बन्ध में लाया जाने वाला विधेयक भी जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। यह जम्मू और कश्मीर के लोगों तथा उनके द्वारा चुनी हुई राज्य की विधान सभा का अधिकार है कि वह संसद के इस कानून पर गौर करे कि इसे वहां लागू किया जाये या नहीं। अतः अच्छे सम्बन्धों तथा लोकतंत्र के हित में अनुच्छेद 370 को जारी रखा जाना चाहिए और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, चेतन और अचेतन रूप से ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि वे सम्बन्ध कमजोर हों। सीमा से जुड़े इस संवेदनशील राज्य के लोग बहुत ज्यादा भावुक हैं और वे हर कीमत पर इस अनुच्छेद को इसकी मूल स्थिति 1953 के आधार पर कायम रखना चाहते हैं।

जहां तक इस विधेयक के सम्बन्ध में मेरा विचार है, तो कुछ लोग इस विधेयक के समर्थन और विराध में चर्चा कर रहे थे। यहां तक कि माननीय सदस्य श्री शाहबुद्दीन ने भी कहा है कि यह विधेयक राज्यों को इसके अधिकारों से वंचित करेगी। यह चर्चा का विषय है। मैं इस संबंध में चर्चा करने और अपने विचार व्यक्त करने नहीं जा रहा हूं। लेकिन जहां तक इस विधेयक के बारे में मेरा मत है तो यह स्पष्ट है कि हम प्रजातन्त्र को निचले स्तर तक ले जाएंगे। भारत के लोगों में पंचायत और शहरी निकायों में सम्मिलित होने के लिए तथा उनमें भागीदारी की भावना जागृत करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि ऐसे अनेक लोग हैं जो कि किसी व्यावहारिक कठिनाइयों से इसमें सम्मिलित नहीं हो पाते हैं। उदाहरण के लिए, कमजोर वर्ग के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। मैं विधेयक का इस भावना से समर्थन करता हूं कि इसमें महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों में भागीदारी की भावना जागृत करने की क्षमता है। यहां वित्तीय संसाधनों का अभाव है अतः जहां तक शहरी निकायों का सम्बन्ध है, सत्ता का विकेन्द्रीकरण और उत्तरदायित्व नगर पालिका जैसे निर्वाचित निकायों को सौंपना चाहिए। यह मेरा व्यक्तिगत विचार है कि धन के अभाव में नगरपालिका समितियां या निगम कोई उन्नति नहीं कर पातीं जिसके कारण विकास नहीं होता है और ज्यादा से ज्यादा झुग्गी झोपड़ी और गंदी बस्तियों का निर्माण होता है जिससे अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं और हम देखते हैं कि केन्द्र द्वारा वित्तीय सहायता न दिए जाने के कारण शहर गंदी बस्तियों में परिवर्तित हो रहे हैं। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है क्योंकि जहां तक मेरे चुनाव क्षेत्र श्रीनगर का सम्बन्ध है तो इसका ठीक दिशा में विकास नहीं हो

रहा है क्योंकि यहां अधिकांशत: अधिक्रमण होता रहता है। इसमें प्रतिनिधित्व का अभाव होता है, सरकार जब चाहे, चुनाव करा सकती है। अन्तत: अधिक्रमण होता है और उसके बाद नौकरशाही का शासन और भ्रष्टाचार। इससे लोगों को कष्ट उठाना पड़ता है।

मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। भारत के निर्वाचन आयोग के अंतर्गत चुनाव की आज आवश्यकता है जिससे कि लोग प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भाग ले सकें। यह एक बहुत ही उत्तम विचार है।

अनुभव के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि लोग शहरों के अनेक भागों में गंदी नालियों और बस्तियों में रहते हैं जो कि अवांछित असामाजिक तत्व होते हैं और जिसके फलस्वरूप हिंसा का उदय होता है। इसलिए, सरकार इस विधेयक के माध्यम से हमारे समाज की इन त्रुटियों को दूर करना चाहती है। यह मात्र कागजी नहीं होना चाहिए। भारत सरकार को इस सम्बन्ध में व्यावहारिक कदम उठाने चाहिए क्योंकि पहले हमें इस दिशा में कटु अनुभव रहा है। हम इस गरिमापूर्ण सभा में कई विधेयक पारित करते हैं पर क्रियान्वयन के अभाव में वे प्रभावहीन रहे हैं। अत: यह मात्र एक चुनावी हथकंड़ा नहीं होना चाहिए। यदि सरकार इस कार्य के प्रति ईमानदार है, तो ज्यों ही इस विधेयक को पारित किया जाता है, त्यों ही आपको इस विधेयक के उपबंधों को लागू कर अपनी ईमानदारी का परिचय देना चाहिए।

अन्त में मैं केवल एक बात और कहना चाहूंगा। जहां तक पंचायतों, नगरपालिकाओं और वार्ड समितियों के चुनाव का प्रश्न है, मेरे विचार से दलों के आधार पर चुनाव नहीं कराया जाना चाहिए क्योंकि यह लोगों को भ्रष्ट करने का तरीका है और इससे अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अत:, पंचायतों, नगरपालिकाओं और वार्ड समितियों का चुनाव गैर-दलीय आधार पर किया जाना चाहिए, जिससे कि ईमानदार, समर्पित लोग आगे आकर चुनावी प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकें। दलों के समर्थन के कारण ही चुनाव में हेराफेरी होती है। पहले इससे अनेक समस्यायें उत्पन्न हो चुकी हैं। यह एक सही सुझाव है और मुझे विश्वास है कि सरकार इसे स्वीकार करेगी।

[हिन्दी]

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : सभापति महोदय, आज 64वें और 65वें संविधान संशोधन विधेयक पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक विधेयक को प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी स्वयं ही लाए हैं। महात्मा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक का भारत का इतिहास इस बात का साक्षी होगा कि महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था, राजीव गांधी ने उसको पूरा किया। राजीव गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने केवल अपने मन से नहीं बल्कि गांवों और शहरों में घूमने के बाद इस बात का निर्णय किया और उन्हें इस संवेदनशीलता का अनुभव हुआ कि देश की जनता क्या चाह रही है और सत्ता का हस्तान्तरण किसके पास होना चाहिए। सत्ता के केन्द्रीकरण में जो लोग विश्वास करते हैं, उससे हटकर सत्ता के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठने वाले राजीव गांधी ने इस बात का फैसला किया कि राजीव गांधी या अन्य लोगों का कुछ भी हो, लेकिन सत्ता का हस्तान्तरण उन लोगों के पास किया जायेगा जो सत्ता के असली मालिक हैं अर्थात जनता को सत्ता देन का फैसला यह सदन करेगा और इस सदन के माध्यम से मैं प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी को बधाई देना चाहता हूं। मेरी समझ में चार-साढ़े चार साल में जितने भी

इस संबंध में अध्ययन हुए हैं, उन अध्ययन से पहले भी कुछ अध्ययन हुए हैं। जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट कहती है :

[अनुवाद]

"सरकार कुछ कर्तव्यों और दायित्वों से स्वयं को पूर्ण रूप से अलग कर ले और उन्हें एक निकाय के सुपुर्द कर दे जो अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सभी प्रकार के विकास कार्यों का प्रभारी होगा और सरकार के पास सिर्फ मार्ग-निदेशन, निरीक्षण तथा उच्च योजनाएं बनाने के कार्य रहेंगे।"

[हिन्दी]

श्री बलवंत राय मेहता ने कोई कांग्रेस के सदस्य की हैसियत से या संसद सदस्य की हैसियत से रिपोर्ट तैयार नहीं की थी, निष्पक्ष रूप से राजनेता की हैसियत से अनुभव किया और लिखा। उसके बाद अशोक मेहता जी आए। वे सोशलिस्ट मूवमेंट के आदमी थे। उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण नहीं की। लेकिन देश के जाने माने एक अच्छे समाजवादी नेता और अर्थशास्त्री कहलाते थे। उन्होंने कहा है :

[अनुवाद]

"पंचायती राज संस्थाओं को सामान्यतः विस्थित नहीं किया जाना चाहिए लेकिन यदि इसका विस्थापन अनिवार्य हो, तो छः महीनों के अन्दर चुनाव कराये जाने चाहिए..."

[हिन्दी]

और इसकी बहुत सारी रिकेमन्डेशन्स हैं जो मिला जुलाकर आप देखेंगे कि हमारा जो 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक आया है, उसके अनुरूप है। श्री जी० वी० के० आर० वी० राव एडमिनिस्ट्रेटर, इंजीनियर, प्लानिंग कमीशन के मैम्बर व मंत्रालय में सचिव भी रहे हैं। उन्होंने अध्ययन करने के बाद कहा कि वैसी चीज जो गांव के लोग खुद कर सकते हैं, वह होनी चाहिए। न्यायविद श्री एल० एम० सिंघवी भी कोई कांग्रेस दल के आदमी नहीं हैं। उन्होंने भी कहा कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण करो और जनता के पास में पावर दो। फिर यह सरकारिया साहब ने भी यही कहा, वे जज कांग्रेस दल के आदमी नहीं हैं। इन तमाम लोगों के रिकमडेशंस का निचोड़ यह आया उसका नाम पंचायती राज और नगर पालिका बिल है जिसको श्री राजीव गांधी ने इस सदन में प्रस्तुत किया। मैं कोई कैम्ब्रिज या हार्ड विश्वविद्यालय में रिसर्च करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, न मैंने वहां से पी० एच० डी० की डिग्री ली है, मैं तो गांव वालों की बात करता हूं। उनकी बातों को संगठित करके उसकी अध्ययन रिपोर्ट मैंने तैयार किया है और उसके आधार पर मैं मंत्री जी को बताऊं कि एक बार 1986 में मैंने अपने लोक-सभाई क्षेत्र के 1100 गांवों का निरीक्षण किया था और मैंने 23 पाइंट का क्वेश्चनर उनको दिया और उनके जवाबों का मैंने संकलन किया था। वह रिपोर्ट आपके मंत्रालय में भी अध्ययन की जा रही है। अभी 12 जून, 1989 को अपने जिले मुंगेर में 2400 ग्रामों के प्रधान इकट्ठे हुऐ थे और मैंने कहा कि आप बतायें कि आपके ख्याल से आपकी प्रथम आवश्यकता क्या है, दूसरी क्या है, इस तरह से मैंने उनसे उनकी पांच आवश्यकतायें पूछीं। सबसे ज्यादा आवश्यकता के बारे में लोगों ने कहा कि

उनको गांव में सड़क चाहिए, दूसरी आवश्यकता के बारे में उन्होंने बताया कि छोटे बांध, छोटे-छोटे सिंचाई के कूप चाहिए। तीसरी आवश्यकता उन्होंने कही कि चापाकल के लिए कुंए चाहिए। इस प्रकार से देखा जाये तो उनकी आवश्यकतायें बहुत अधिक नहीं हैं, उनकी आवश्यकतायें सीमित हैं। 80 करोड़ की आबादी में से 70 करोड़ लोगों की आबादी जो गांवों में बसती है और 10 करोड़ जो लोग शहरों में रहते हैं, इनकी मौलिक आवश्यकताएं वैसी ही चीजें हैं जो साधारण ज्ञान से प्राप्त की जा सकती हैं। लेकिन इस साधारण ज्ञान से बनाई जाने वाली और प्राप्त की जाने वाली चीजों को हमने नौकरशाही सेटअप में कुछ इस तरह का मायाजाल बनाकर रख दिया कि चालीस-ब्यालीस साल की स्वतन्त्रता के बाद भी हमने सत्ता का हस्तांतरण नहीं किया। यह मेरा लिखा हुआ है, मंत्रीजी, एक ब्लाक के 150 गांव हैं उसमें पेयजल के बारे में मैंने पूछा था, मैं आपको देना चाहता हूं, इसको आप देखें तो आप पायेंगे कि उनकी मांग रिग बोरिंग, चापाकल, कुएं आदि की ही है। गांवों वालों की मांगें बहुत सीमित हैं। पीने के पानी की छोटी सी मांग है, लेकिन इस मांग की पूर्ति के लिए क्या हो रहा है। एक जिले का अध्ययन किया गया था और दूसरे किसी आदमी ने नहीं, भारत के प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने एक उच्च संस्था जो दिल्ली में अवस्थित है इंस्टीट्यूट आफ एप्लाइड मेन पावर रिसर्च, उनको आदेश दिया गया, जो प्लानिंग कमिशन के नीचे है कि दो-तीन जिलों का अध्ययन करो और उसमें टेक्नीकल मेन पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव मैन पावर को इम्पैक्ट डिवलपमेंट पर कितना है इसका अध्ययन करके बताओ कि उसकी स्थिति क्या है। उसकी रिपोर्ट भी मेरे सामने है उसके अनुसार एक जिला मुंगेर जिसमें कुल 20 ब्लाक हैं. आपको आश्चर्य होगा यह देखकर कि केवल कृषि, एनिमल हसबेंडरी, हैल्थ, एजुकेशन, इंडस्ट्रीज, रूरल डिवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, रेवेन्यू, सामान्य प्रशासन आदि 11-12 प्रशासनिक विभाग हैं। इन 11-12 प्रशासनिक विभागों में शासन चलाने के लिए 90 क्लास वन आफिसर हैं, 903 क्लास टू आफिसर हैं, 7178 क्लास थ्री और 7932 क्लास फोर हैं, कुल 16232 के करीब हैं और इन पर 33-34 करोड़ रुपये से ज्यादा हम खर्च कर रहे हैं। चालीस साल की आजादी के बाद भी इतनी तनख्वाह लेने वाले लोग गांव में पीने का पानी नहीं पहुंचा सके। गांव की सड़क नहीं बना सके। ऐसी स्थिति में जबकि एक मशीनरी फेल हो रही हो, ब्यूरोक्रेटिक या टैक्निकल सैट-अप फेल हो रहे हों उस समय डैमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन्स को स्ट्रैंग्थन करना हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा कर्तव्य है। इसी कारण आज हम सदन में प्रस्तुत इन दोनों विधेयकों का स्वागत करते हैं। यदि किसी गांव में कुआं बनना है तो टैक्निकल सैंकशन के लिए पहले फाइल इंजीनियर इन्चीफ के यहां जायेगी, टैक्निकल सेंकशन के बाद, वही फाइल एडमिनिस्ट्रेटिव एपवल के लिए कमिश्नर के यहां जायेगी ! 40-40 परसैंट पैसा घूस लेने वाले लोग समाज को बनाने की बात करते हैं। वे समाज को बना नहीं सकते। इसलिए भजन लाल जी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस विधेयक के जरिये सीधे गांव वालों को पैसा भेजने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आज हम नौकरशाहों पर कितना खर्च कर रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट दिखायी देता है, मैं ऐसा नहीं कहता कि सारे के सारे नौकर खराब हैं, मेरे पास यहां एक ईमानदार नौकर की चिट्ठी है, जिसे मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं। यह किसी दूसरे नौकरशाह की चिट्ठी नहीं गुजरात के मुख्य सचिव की चिट्ठी है जो आई. ए. एस. कैडर में 35 साल नौकरी कर चुके हैं। जिस समय हम लोग यहां इस बिल को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने इस अध्ययन रिपोर्ट को सभी मुख्य मन्त्रियों को भिजवाया था। उस पर गुजरात के मुख्य सचिव क्या

कहते हैं, वह सुनने लायक है ···(व्यवधान)··· रणवीर सिंह जी कहते हैं कि क्या मेरे हैण्ड राइटिंग में है, लेकिन उस चिट्ठी में गुजरात के मुख्य सचिव, श्री एच० आर० पाटनकर लिखते हैं :—

[अनुवाद]

"श्री यादव जी,

मुंगेर जिले में विभिन्न विभागों द्वारा प्रतिवर्ष वेतन संबंधी भुगतान पर 28.80 करोड़ रुपये खर्च करने के बारे में आपकी टिप्पणी तथा दिलचस्प आंकड़ों के लिए धन्यवाद। मैं समझता हूं कि देश के सामने आज सबसे बड़ी समस्या जिला प्रशासन के बाहुल्य की है और जब तक इस संबंध में अभी कड़े कदम नहीं उठाये जाएंगे तब तक हमारे यहां नौकर-शाही बढ़ती ही जाएगी, जो कि देश के सारे संसाधनों को खत्म कर देगी और जिससे गरीब लोगों या परियोजनाओं के विकास के लिए कुछ भी नहीं बच पाएगा।"

[हिन्दी]

गुजरात के मुख्य सचिव का रिएक्शन ध्यान देने योग्य है। पैंतीस साल के अनुभव के आधार पर उनकी मान्यता है कि इसे रोका जाना चाहिए और ये समस्त शक्तियां गांवों को और कस्बों को हस्तांतरित कर देनी चाहिए। कौन सी शक्तियां हस्तांतरित किये जाने की उन्होंने बात कही, जिनसे ग्राम विकास को बल मिले। आज कुछ लोग इस बात को हवा दे रहे हैं कि यदि पंचायती राज बिल पास हो गया तो राज्य सरकारों की पावर कम हो जायेगी, शायद उन लोगों को पावर की चिन्ता है, जबकि दूसरी ओर लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। यदि पीने का पानी उपलब्ध कराने की बात और राज्य सरकारों की पावर्स कम हो जाने की बात का कम्पैरिजन किया जाये तो निश्चित रूप से पीने के पानी की व्यवस्था को हर कोई ज्यादा अहमियत देना चाहेगा। पंचायती राज बिल में 29 आइटम्स की व्यवस्था की गयी है जिन्हें ग्यारहवें शैडयूल में जोड़ा जाना है और ये सारे के सारे आइटम्स ऐसे हैं जिन्हें कौमनसैन्स से, एक ओवरसियर और एक गांव का राजमिस्त्री मिलकर निष्पादित कर सकते हैं। उनके लिए अब हमें चीफ इंजीनियर और इंजीनियर इन्चीफ या बड़े टेक्नीक्रेट जैसे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं रहेगी। उसी तरह 37 आइटम्स आपने नगर पालिका से सम्बन्धित बिल में रखे हैं, जिनके लिए आप बधाई के पात्र हैं। लोक स्वास्थ्य से लेकर तीर्थ यात्रायें तक सभी अपने आप में महत्वपूर्ण हैं।

[अनुवाद]

आत्म-निर्भरता और आत्म विश्वास जनता द्वारा जनता के लिए और जनता का होना चाहिए।

[हिन्दी]

मैं समझता हूं कि यह अब तक का सबसे ऐतिहासिक मसौदा है, जिसके लिए हम आपको बधाई देना चाहते हैं। भजन लाल जी और मोहसिना जी आप दोनों के संयुक्त प्रयासों से, जो बिल हमारे सामने आया है, भारत में एक नये युग का आरम्भ होगा, भारत तेजी से विकास की ओर कदम बढ़ायेगा। यहां डिवोल्यूशन आफ पावर की बात रह गयी। मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आप नौकरशाहों की संख्या और ज्यादा मत बढ़ाइये, जैसे हमारे जिला मुंगेर में इस समय 16 हजार सरकारी कर्मचारी हैं उनमें से 10 हजार लोगों को तो आप जिला मुख्यालय और ब्लाक मुख्यालयों पर छोड़ दीजिए और शेष 6 हजार लोगों का मुखिया के नीचे, सरपंच के नीचे, ग्राम

प्रधानों के नीचे ट्रांसफर कर दीजिये, सारा काम करने के लिए यही पर्याप्त है। आपको नई भर्ती करने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे कुछ विशेष मुद्दे हैं। जिनकी तरफ आपको ध्यान देना होगा क्योंकि जब इस बिल का इम्पलीमैंटेशन होगा तो कुछ कुख्यात लोग इसकी खिलाफत करने से बाज नहीं आयेंगे। कुछ लोग इसके विरुद्ध बात करेंगे, इसके खिलाफ बात करेंगे। ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग हैं, टैक्नीकल एक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल वाले लोग हैं, उनके खिलाफ शुरू-शुरू में लड़ाई होगी, लेकिन सत्य की विजय होगी और असत्य हार जाएगा। काम करने वाला जीतेगा, गांव का विकास होगा, कस्बे का विकास होगा। यही इस बिल का और इस मसौदे का सार है। हम इसके लिए प्रधान मंत्री महोदय को बधाई देते हैं और इस बिल का स्वागत करते हैं।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी और इसके पूर्व हमारे रंगा साहेब तथा दो-तीन साथियों ने इस पर अपने विचार प्रकट किए हैं मैं उनके साथ अपने को सम्बद्ध करते हुए इन दोनों संशोधन विधेयकों को प्रधानमन्त्री द्वारा प्रस्तुत करने पर उनको तथा उनके दोनों आगे बैठने वाले सहयोगियों और दोनों पीछे बैठने वाले सहयोगियों श्री भजन लाल जी, मोहसिना जी, दलबीर सिंह जी और शास्त्री जी को बहुत-बहुत मुबारकबाद देता हूं।

मान्यवर, इसमें कोई शक नहीं कि ये दोनों विधेयक क्रांतिकारी हैं ऐतिहासिक हैं और वे पूज्य महात्मा गांधी के स्वप्नों को साकार करने वाले हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है जब यह बिल सदन में प्रस्तुत हुआ था, तो विरोधी दल के तथाकथित एक नेता ने पहले तो पत्रकारों के बीच में इसका स्वागत किया और जब उसको ख्याल आया कि मैं तो विरोधी दल का नेता हूं, तो तुरन्त उसने ड्राफ्ट कमेटी बना दी, लेकिन दुख इस बात का है कि देश के विरोधी पक्ष की एक परम्परा हो गई है, जब वह कोई विषय सदन में उठाता है, तो परम्परा के अनुसार, पलायनवादी होने के कारण, यहां से भाग जाता है। यहां तक कि जब सी० ए० जी० रिपोर्ट पर उन्होंने बहस करने की मांग की और हमारे प्रधान मन्त्री जी ने मानी, यद्यपि वह नियमों में नहीं था, लेकिन जब अध्यक्ष महोदय ने उस पर सदन में बहस करने की अनुमति दे दी, तो विपक्ष इस्तीफा देकर भाग गया। हमेशा से विपक्ष की यह आदत हो गई है जब भी किसी विषय पर बहस का करने का अवसर आया, तो वह यहां से भाग खड़ा हुआ।

मान्यवर, इस अवसर पर मैं यह कहना चाहता हूं कि देश में बापूजी के स्वप्नों को साकार करने के आधार पर, सत्ता का विकेन्द्रीकरण, गांव के आखिरी व्यक्ति तक सत्ता को ले जाने का जो कार्यक्रम था, इसमें विरोधी को भाग लेना चाहिए था; लेकिन अफसोस है कि उसको ड्राफ्ट बिल को यहां प्रस्तुत करने का अवसर ही नहीं मिला, यह दुखद स्थिति है।

मान्यवर, विरोधी पक्ष के लोग भाग खड़े हुए हैं वे कतई नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र की जड़ें गहराई में जाएं और फाउंडेशन में पहुंच जाएं और एकदम, शुरूआत का जो व्यक्ति है, उस तक नहीं पहुंचे। आवश्यकता इस बात की थी कि हम सब इसका समर्थन करते, लेकिन समर्थन करने के बजाय हम इसके कुप्रचार में लगे हुए हैं। यह राज्य सरकारों की सत्ता का हस्तान्तरण नहीं. उनका छीना जाना नहीं है। हमारी समझ में नहीं आता है, वे संविधान पढ़ते हैं या नहीं, हमने पांचवीं अनुसूची को जिसमें राज्य सरकार का विषय है, उनको छुआ भी नहीं है। यह तो एक नए किस्म का संशोधन हम संविधान में लाए हैं जिसके अनुसार गांवों के लोगों तक सत्ता

पहुंचाना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह लड़ाई आज की नहीं है. कुछ लोग कहते हैं कि यह चुनावी स्टंट मात्र है।

4.00 म० प०

मैं आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस संसदीय दल का महामंत्री होने के कारण मुझे गौरव है इस बात का कि इस पर सेमीनार करने की शुरूआत कांग्रेस पार्लियामैण्टरी पार्टी ने की थी और उसके संयोजक यादव जी हैं। मैं यादव को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी गहराई से इस विषय पर अध्ययन किया था। आपने देखा कभी अशोक मेहता और अन्य लोगों ने पंचायती राज पर रिसर्च किया था, रिपोर्ट दी थी, उनकी उन्होंने चर्चा की, चाहे राव साहब की हो, चाहे सिंघवी की हो, तमाम लोगों ने, जिन्होंने इस पर गहराई से अध्ययन किया, इसकी चर्चा की, यही नहीं, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि रिसर्च इस कारण नहीं हुई कि आपने खोजा नहीं होगा। आपने तो उनका गहराई से अध्ययन किया ही, इन्होंने अपना जो एक अध्ययन प्रस्तुत किया, मूल रूप से उसपर विचार करने की जरूरत है कि किस प्रकार देश में आज सत्ता के विकेन्द्रीकरण का जो प्रस्ताव लाये हैं, इसके अभाव में देश के ब्यूरोक्रेट्स किस प्रकार धन का दुरुपयोग कर रहे थे उसका उन्होंने एक उदाहरण दिया, मुंगेर जिले का, वह चौंकाने वाला है, हमें आज उसके आधार पर देश के बारे में सोचना पड़ेगा इसीलिए तो हमारे नेता और देश के प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने खुले रूप से अपनी सरकार की जो कमियां थीं, उनको स्वीकार किया और यह कहा कि हम सौ रुपये देते हैं तो उनमें से 85 गायब हो जाते हैं और बाकी 15 में भी छीजन चली जाती है तो बचता क्या है। आज खुशी की बात है कि पंचायती राज के माध्यम से हमने जो जवाहर रोजगार योजना शुरू की, वह अब गांव-गांव तक पहुंच रही है। एक बात इस सदन में और बाहर भी आती थी कि आज संतुलित विकास राष्ट्रीय एकीकरण के लिए जरूरी है, संतुलित विकास की कल्पना करना चाहते थे, हम लोग गांव में दौड़ा करते थे तो लोग यह कहते थे कि आज हमारे गांव में 40 वर्ष के बाद भी कुछ नहीं हो सका लेकिन आज राजीव जी को, हमारे प्रधान मंत्री को यह श्रेय जाता है कि गांव का, दूर अंचल का निवासी भी यह नहीं कह सकता कि मेरे गांव में विकास के लिए कुछ नहीं आया। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप विकास होना चाहिए, उनकी आकांक्षाओं के अनुसार कार्यक्रम बनना चाहिए, उनकी आकांक्षाओं के अनुसार हमारे विचार आने चाहिए। आज खुशी है कि जो दोनों संविधान संशोधन विधेयक आये हैं इनमें पंचायती राज में ग्यारहवीं सूची दी गई है और नगरपालिका में बारहवीं सूची दी गई है, दोनों में जो विषय दिये गये हैं, एक में 37 और दूसरे में 29, वह ऐसे सबजैक्टस हैं, जो जनता को आन्दोलित करते रहते हैं, जिनके बारे में यादव जी ने कहा है और आज इन सब कामों के लिए जनता को दूर नहीं जाना पड़ेगा, डी० एम० का दरवाजा खटखटाने नहीं जाना पड़ेगा और सरकार तक नहीं जाना पड़ेगा।

जब यह बिल प्रस्तुत कर रहे थे तो माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि शहरों की नालियों तक का मामला उन तक आता था, यह कितनी विडम्बना थी कि देश में जब लोकतंत्र हो, डैमोक्रेसी हो तो हम डैमोक्रेसी को निचले स्तर तक न पहुंच सकें तो यह खुद की बात है। मैं कहना चाहता हूं कि आज नया इतिहास लिखा जा रहा है। पिछले 41-42 वर्षों में देश के नौजवान प्रधान

मंत्री ने साढ़े चार वर्ष तक गहन अध्ययन कराकर नीचे गांव के लेविल से लेकर दिल्ली लेविल तक जहां गैर सरकारी क्षेत्रों में बहस कराई, वहीं पर संवेदनशील शासन में बैठे प्रशासकों से विचार-विमर्श किया और एक राय बनकर, छनकर आई और उस राय के बारे में देश का विरोधी दल कहता है कि चुनावी स्टण्ट मात्र है तो उसमें कोई सत्यता नहीं है, वह निराधार है इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सब लोग मिलकर इसको सर्वसम्मति से पास करें। मैं कहना चाहता हूं कि यदि वह चुनावी स्टण्ट कहते हैं तो जैसा कि रंगा जी ने कहा कि हम इसी आधार पर जनता में जाना चाहते हैं, क्यों न चुनाव इसी आधार पर हो जायें। आखिरकार लोकतंत्र में जनता सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और भविष्य में आने वाली चीजों के बारे में राय बनाकर मत देती है तो आज सीधे-सीधे विरोध पक्ष और सत्ता पक्ष में फर्क यह है कि एक तरफ तो हम जनता को सत्ता देना चाहते हैं और दूसरी तरफ वह जनता की सत्ता को अपनी पाकेट में रखने का कार्यक्रम बना रहे हैं। यह दोनों में महत्वपूर्ण, फण्डौमेण्टल भेद हो रहा है तो मैं आज यह कहना चाहता हूं कि जैसा मैंने पहले कहा, पंचायती राज का यह कदम एक ऐतिहासिक कदम है। जो कार्यक्रम इसमें आए हैं, उनसे निश्चित तौर से गांव के करोड़ों-करोड़ों लोगों के सपने पूरे होने जा रहे हैं, उन गांवों की शक्ति बढ़ने जा रही है, जो डैमोक्रेसी के लिए बहुत ही जरूरी है। श्री रंगा जी सवेरे कह रहे थे, यह बात सही है कि शुरू में प्रजातंत्र की ट्रेनिंग जरूरी था। आज सही मायने में डैमोक्रेसी फार दि पीपल, टू दि पीपल और बाई दि पीपल, आज पहली बार पंचायती राज में नीचे के स्तर पर दिखाई देगा। गांव के लोग गौरवान्वित होंगे कि हमारी सत्ता है, हमारा शासन है और अपनी इच्छा व अपने सपनों के अनुसार देश का निर्माण कर सकेंगे और गांव का कल्याण कर सकेंगे।

हमें खुशी है कि इस बिल में महिलाओं को उचित स्थान दिया गया है। हरिजनों और आदिवासियों के लिए आपने एक ऐतिहासिक काम किया है, उनको उचित स्थान देकर। बहुत से राज्यों में जहां सदस्यों के लिए रिजर्वेशन है, मैं इसमें पढ़ रहा था कि यह आपने राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। मैं चाहता हूं कि इस बारे में यहां से डायरैक्शन जाय। कुछ प्रदेशों में जहां कांग्रेस की सरकार है. जैसे मध्य प्रदेश में, वहां सरपंचों के लिए, प्रमुखों के लिए, जिला अध्यक्षों के लिए सीटें रिवर्ज हैं और आन्ध्र प्रदेश में भी ऐसा ही है, वैसा ही स्थिति और जगहों पर भी होनी चाहिए। मैं आपको अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश के बारे बताना चाहता हूं, जहां 22.5 प्रतिशत हरिजन और आदिवासी हैं, वहां एक भी प्रमुख इनमें से नहीं है। प्रधानों के लिए रिजर्वेशन न होने के कारण वे प्रधान नहीं हो पाते हैं। अभी जो हकीकत है, सत्ता में जो धनी लोग हैं, जो डंडे वाले हैं, वे स्थान प्राप्त कर लेते हैं। हमारे यहां जिला परिषद् के चुनाव हुए, मोहसिना किदवई जी आप जानती हैं कि वहां किस तरह से पैसा चला है। आज आवश्यकता इस बात की है कि पूर्ण रूप से सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व इसमें होना चाहिए। हरिजनों और आदिवासियों के लिए कुछ सीटें, उनकी आबादी के अनुसार, जैसे कि आपने एसेम्बली और सदस्यों के लिए तय की हैं, वैसे निश्चित तौर से अध्यक्षों के लिए, जैसे कि कुछ राज्यों में हैं, इसकी भी आपको व्यवस्था इसमें करनी पड़ेगी।

आज देश में पंचायतों के चुनाव नहीं होते हैं, नगर-पालिकाओं के चुनाव नहीं होते हैं। कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं पदाधिकारी। क्यों? क्योंकि एसेम्बलियों में, लोकसभा में और

अन्य जगहों पर सदस्यों और अधिकारियों और पदाधिकारियों को टीए, डीए और वेतन वगैरह की व्यवस्था है। जब आप पूर्ण रूप से यह काम सौंप रहे हैं तो आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी कि ग्राम पंचायतों में तो सरपंच हैं, उनके जो सदस्य हैं, उनको कार्य के संपादन के लिए कुछ न कुछ सहायता इसमें आपको करनी पड़ेगी। इस बिल में व्यवस्था करें, राज्यों को कहें कि ऐसे कानून बनायें अन्यथा जो धनराशि आप उनको दे रहे हैं, उसके दुरुपयोग होने की संभावना हो सकती है। यह मेरा मौलिक सुझाव है।

इन शब्दों के साथ मैं तहेदिल से इस बिल का समर्थन करता हूं। जो आरोप विरोधी दल का है कि यह चुनावी स्टंट मात्र है, मैं उसकी घोर निन्दा करता हूं और उनकी पलायनवादी नीति की भी आलोचना करता हूं कि देश के सामने जब कभी भी गम्भीर विषय चर्चा के लिए आया, जब भी उनको अवसर आया, तो उन्होंने इस पर कभी भी चर्चा नहीं की और इस सदन से भाग कर चले गए।

[अनुवाद]

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : सभापति महोदय, जहां तक इस विधेयक का संबंध है, मैं इसमें ऐसा कुछ भी नहीं पाता जो भारतीत संविधान की मूल संरचना को प्रभावित करे। श्री सैयद शाहबुद्दीन ने यह मुद्दा कल उठाया था। जब सदन के समक्ष 64वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया था तब भी उन्होंने यही मुद्दा उठाया था कि इससे संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन होगा, यह न्यायालय में टिक नहीं सकेगा, इसलिए इसको नहीं लाया जाना चाहिए। मेरा निवेदन यह है कि ऐसी स्थिति में विपक्षी सदस्यों को मिलकर यह निर्णय करना चाहिए कि वे इसका समर्थन करना चाहते हैं या विरोध। उन्होंने मत विभाजन की मांग की। जब मत-विभाजन हुआ, तो उन्होंने पूछा कि अध्यक्ष ने क्यों मत-विभाजन करने को कहा। अब भी वे अपने आप में निश्चय नहीं कर पाए हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि विधेयक का कौन-सा उपबंध संविधान की मूल संरचना को प्रभावित करेगा ?

4.11 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

जहां तक प्रस्तावित अनुच्छेद 243 (क) का संबंध है, उसमें यह आवश्यक होगा कि सारे राष्ट्र में तीन स्तरीय पद्धति लागू हो। इससे सब जगह समरूपता आयेगी। फिर प्रस्तावित अनुच्छेद 243 (ग) सीटों के आरक्षण से संबंधित है। इसे भी समरूपता के उद्देश्य से राज्यों के लिए आवश्यक बना दिया है। उच्चतम न्यायालय ने यह कभी नहीं कहा है कि आरक्षण संविधान के नियमों के विपरीत है। प्रस्तावित अनुच्छेद 243 (घ) पंचायतों की अवधि के बारे में बताता है इसमें कहा गया है कि चुनाव के पश्चात् प्रत्येक पंचायत की अवधि पांच वर्ष होगी। इसमें असंवैधानिक क्या है ? प्रस्तावित अनुच्छेद 243 (ज) पंचायतों का लेखा रखने और उनकी लेखा परीक्षा से संबंधित है। ऐसे प्रावधान पर आपत्ति उठाने का प्रश्न ही नहीं होता।

संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध राज्यों के नीति निदेशक तत्वों से है। इसमें बताया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना की ओर कदम उठायेंगे और जो भी आवश्यक हो

वह अधिकार देंगे जिससे वह स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य कर सकें। उन्हें कुछ और शक्तियों और धन की आवश्यकता है। इसीलिए वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है, जिससे पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की जा सके। केन्द्र और राज्यों के बीच धन के वितरण के लिए जैसे वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है उसी तरह राज्यों और पंचायतों के मध्य धन के वितरण के लिए वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है। इसे अनिवार्य कर दिया गया है।

फिर चुनाव आयोग पंचायतों का चुनाव यह सुनिश्चित करने के लिए करायेंगे कि उसमें कुछ गड़बड़ न हो।

सारे राष्ट्र में समानता सुनिश्चित करने के लिए यह सभी प्रावधान आवश्यक हैं।

मुख्य बात यह है कि इसे राज्यों की मर्जी पर छोड़ दिया जाना चाहिए बशर्ते वह पंचायत के अधिकारों, शक्तियों, उत्तरदायित्वों के संबंध में संविधान के प्रावधानों के अध्यधीन हो। राज्यों की विधानसभा पंचायतों के चुनाव के संबंध में प्रावधान बनायेगी लेकिन जैसा कि मैंने कहा बशर्ते वह संविधान के प्रावधानों के अध्यधीन हो।

इन सबसे संविधान के अनुच्छेद 246 पर कोई असर नहीं होगा जैसा कि श्री शाहबुद्दीन को आशंका थी। यह मात्र समर्थकारी प्रावधान है। पंचायतों की शक्तियों आदि से संबंधित प्रावधानों के बारे में राज्य की विधान सभाएं निर्णय लेंगी। यह उनकी मर्जी पर है। प्रस्तावित अनुच्छेद 243 (अ), जो पंचायतों के चुनाव के संबंध में है, राज्य विधानसभाओं को स्वःविवेक की शक्तियां प्रदान करता है। यह सब उनके ऊपर छोड़ दिया गया है।

अब मैं दूसरी बात पर आता हूं। जब संविधान बनाया गया था उस समय कुछ सदस्यों को शंकायें थीं गांधी जी की कुछ शंकायें थीं, श्री जयप्रकाश नारायण की कुछ शंकाएं थीं। कुछ विचार विमर्श भी हुआ था। प्रारूप समिति से कुछ सदस्यों ने त्यागपत्र भी दे दिया था। अतः उस समय सम्पूर्ण प्रारूप समिति वहां नहीं थी। इसीलिए इन बातों का उस समय ध्यान नहीं रखा जा सका।

हम संविधान के अनुच्छेद 40 को लागू करने जा रहे हैं जिसका संबंध नीति निर्देशक तत्वों से है। संविधान के अध्याय 3 में दिये गये मौलिक अधिकारों का यह उल्लंघन नहीं करता है। यह संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। जहां तक मूलभूत विशेषताओं का संबंध है, तो यह एक धुंधली सी तस्वीर ही बनाती है। कुछ लोग कहते हैं यह आधारभूत विशेषतायें हैं, दूसरे पक्ष के लोगों के विचार भिन्न हैं। इसलिए स्थिति अभी भी अस्पष्ट है। अब न्यायिक समीक्षा को भी आधारभूत विशेषताओं के अन्तर्गत लाया गया है। अब समय आ गया है जब संसद को जान लेना चाहिए कि उसकी शक्तियां क्या हैं। कार्यपालिका को जान लेना चाहिए कि उसकी शक्तियां क्या हैं। जैसा कि केशवानन्द भारती मामले में वह कहते हैं कि यह आधारभूत विशेषतायें हैं। इसलिए इन्हें संहिताबद्ध किया जाना चाहिए और इस बात का पता लगा लेना चाहिए कि यह संविधान की आधारभूत विशेषतायें हैं जिनका संसद को भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं किया गया है। अतः एक अनिश्चितता सी बनी हुई है। कार्यपालिका और संसद के लिए ऐसी स्थिति में कार्य करना बहुत मुश्किल है। या तो संसद या कार्यपालिका को यह मालूम नहीं होता कि उसकी क्या स्थिति है। मैंने पहले भी

इस सदन के समक्ष यह निवेदन किया था कि अब समय आ गया है कि जब हमें केशवानंद भारती मामले की समीक्षा करके पुनर्विचार की ओर कदम उठाना चाहिए। मुझे पता चला है कि इस दिशा में कार्यवाही शुरू की गई है और मामला विचाराधीन है। विधि मंत्री इस मुद्दे को स्पष्ट करेंगे और मुझे आशा है कि इसकी समीक्षा की जाएगी।

दूसरी बात यह है कि आधारभूत विशेषताओं के नाम पर सामाजिक बदलाव और सामाजिक प्रगति में बाधा पहुंचती है। हाऊस आफ कॉमन्स के बारे में लोकप्रिय बात यह है कि पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने के अलावा हाऊस आफ कॉमन्स सभी कार्य कर सकती है। अब उन्होंने यह स्वीकार कर लिया है कि वह युरापियन परिषद के द्वारा पारित कानून या लिए गए निर्णयों का पालन करेंगे। उन्होंने इसे एक जनादेश के अन्तर्गत स्वीकार किया है। इस पर बहुत विवाद था। और जहां तक पश्चिम जर्मनी के संविधान का संबध है वहां मौलिक कानून की न्यायिक जांच नहीं की जा सकती। मेरा अनुरोध है कि राष्ट्र को इस पर विचार करना होगा कि क्या यह अनिश्चितता बनी रहेगी या फिर हमें कुछ सकारात्मक और ठोस उपाय करने होंगे जिससे संसद की सर्वोच्चता को कायम रखा जा सके। संविधान निर्माण के बाद 17 वर्षों तक संसद सर्वोच्च थी। सभी कानून इसके द्वारा पारित किए जाते थे और न्यायपालिका द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। शाहबुद्दीन जी जानते हैं कि जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, न्यायलयों ने संसद और कार्यपालिका के अधिकार सीमित कर दिये थे। जब तक सम्पत्ति को नहीं छेड़ा गया था, सब कुछ ठीक-ठाक था। उच्चतम न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों के निहित स्वार्थ थे इसलिए उन्होंने सम्पत्ति के अधिकार का इस्तेमाल किया। सम्पत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था और जनता सरकार के शासन में इसे समाप्त कर दिया गया। अभी तक इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। तथापि अब समय आ गया है, जब संसद की सर्वोच्चता को या तो पुनर्विचार या जनादेश से पुनः कायम करना होगा। राष्ट्र को इस पर विचार करना होगा। मैं यह नही कहता कि यह मेरे दल का या किसी दल विशेष का कार्यक्रम होना चाहिए। इसके बजाए यह राष्ट्रीय कार्यक्रम होना चाहिए।

अब मैं विधेयक के दूसरे पहलुओं की चर्चा करता हूं। सवाल यह है कि पंचायतों या नगर पालिकाओं को अधिकार देने के प्रश्न पर कौन आपत्ति कर रहा है। यह आपत्तियां विधायकों द्वारा की जा रही हैं। मैं खुद 14 विधान सभाओं में गया हूं मेरे वहां जाने से पहले प्रत्येक ने मुझे सलाह दी कि मुझे वहां नहीं जाना चाहिए और यदि मैं वहां जाता भी हूं तो मुझे जरा होशियार रहना चाहिए क्योंकि ग्रामवासी कभी सहमत नहीं हो पायेंगे, वहां झगड़े होंगे, सिर फूटेंगे। मैंने कहा मुझे वहां जाने दीजिए और स्वयं देखने दीजिए। मैं वहां गया और इसमें भाग लिया। मैंने देखा कि सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए थे। अतः ऐसा नहीं सोचिए कि भारत के लोगों की एकता या इसके प्रति दृष्टिकोण में कोई कमी है। जब पहले पंचायत विधेयक श्री जवाहर लाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था उस समय अनेक नेताओं ने यह कहकर विरोध किया था कि आम नागरिक जो अनपढ़ है उसे अधिकार नहीं दिये जाने चाहिए जिससे वह देश के भाग्य का फैसला कर सकें। लेकिन पंडितजी ने कहा था, अनुभव से वह सब कुछ सीख जायेंगे। अतः मैं यह कहूंगा कि यह एक महत्वपूर्ण सुधारवादी उपाय है जिसे हम उठाने जा रहे हैं। अनुभवों से लोग सीख जायेंगे और

वह इसे सफल बना देंगे। यदि इस महान देश के लोग लोकतांत्रिक प्रयोग को सफल बना सकते हैं तो वह पंचायती राज प्रयोग को सफल क्यों नहीं बना सकते?

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को संविधान संशोधन विधेयक पुरःस्थापित करने के लिए बधाई दूंगा। यह एक सुधारवादी और क्रान्तिकारी कदम है। अतः हम सबको इसका समर्थन करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री काली प्रसाद पांडेय (गोपालगंज) : सभापति महोदय, एक जमाना था जब मानव की हरकतें, पेड़ों के फल, निर्झर के जल और समुद्र की कन्दराओं तक सीमित रहती थीं। लेकिन समय के साथ-साथ परिवर्तन हुआ और हिन्दुस्तान दिन-प्रति-दिन प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हुआ। गांधी जी ने यह सोचा था कि गांवों का विकास होगा तो कभी इस देश का विकास होगा। यह गांधी का सपना था और दूसरे गांधी के रूप में राजीव गांधी ने यह संशोधन विधेयक लाकर कम से कम गांधी के सपने को साकार किया इसलिए मैं राजीव जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने गांवों की स्थिति का आकलन किया। चार सालों में हम लोगों ने देखा कि प्रधान मंत्री जी ने गांवों का दौरा किया और गांवों की हैसियत का आकलन करने के पश्चात जवाहर रोजगार योजना की घोषणा पंचायतों के विकास हेतु की। प्रधान मंत्री जी ने जो ऐतिहासिक कदम उठाया है, वह आज का दिन इतिहास के लिए गौरव का दिन है। कभी हम लोगों ने सोचा था कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण होगा और सत्ता के दलालों को खत्म किया जायेगा तो वह सपना सच होने जा रहा है। पंचायतों को अधिकार देने का साहस अगर किसी ने किया तो प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने किया। इसी तरह पूर्व में अनेक निर्णय को देखें तो जो मतदान की आयु थी उसे घटाकर उन्होंने 18 वर्ष की। इस तरह हिन्दुस्तान की जनता मूल समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयत्न किया। लेकिन एक छोटे से मुद्दे को लेकर विरोध पक्ष द्वारा इस सदन से त्याग पत्र देने का औचित्य मेरी समझ में नहीं आता। बोफोर्स का मुद्दा तो तीन साल से चल रहा था, उस समय भी त्याग पत्र की प्रतिक्रिया हो सकती थी। उन्होंने सोचा कि चुनाव करीब हैं तो अपना त्याग-पत्र देने का नाटक रचा। राजीव जी की इस घोषणा से यह साबित हुआ कि हम देश हित के लिए पैदा हुए हैं, देश हित के लिए मर जायेंगे और मरते-मरते इस हिन्दुस्तान का नाम विश्व में रोशन कर जायेंगे। "तेरी क्या हस्ती, ऐ विरोधियों तुम किया हमसे लड़ पाओगे, और वह दिन दूर नहीं जब अपने कुकर्म से तुम सदा के लिए मिट जाओगे।" कहने का मतलब यह है कि इस संविधान संशोधन के माध्यम से जनता की समस्या हल होगी। हिन्दुस्तान की एक लोकप्रिय नेता थीं श्रीमती इंदिरा गांधी। जो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुई और उन्होंने यह साबित कर दिया कि महिलाओं में भी राज करने की उतनी क्षमता है जितनी पुरुषों में है। यह काबिले तारीफ है कि हमने 30 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रखने की व्यवस्था इस विधेयक में की है। उसी प्रकार आदिवासियों और हरिजनों के लिए भी हमने आरक्षण की व्यवस्था की है। सबसे मुख्य बात यह है कि बिहार प्रदेश में जहां नगर पालिकाओं के चुनाव हुए दस-बारह बरस हो गये प्रजातंत्र का जो मौलिक अधिकार था, जनता जिस प्रतिनिधि से चाहती थी मुक्त होना, उसको हटाने का अधिकार नहीं था। लेकिन इस संविधान संशोधन से यह प्रावधान निश्चित रूप से उत्पन्न

होगा कि कम से कम पंचायतों का चुनाव टाउन एरिया का चुनाव, जिला परिषद का चुनाव समय पर हो। इससे हर जन प्रतिनिधि अपने दायित्वों के प्रति सजग रहेगा और सही कार्य करेगा। हमारे डी० पी० यादव जी ने ठीक ही कहा कि पहले पंचायतों को यहां से फण्ड जाता था कि अमुक पंचायत को इतना धन आवंटित किया गया है, लेकिन होता क्या था कि राज्य सरकार में ही कम से कम उसका 25% वहीं खत्म हो जाती था, अगर मुख्यालय में पहुंचे तो 50% से अधिक की राशि जिला मुख्यालय में खत्म हो जाती थी और पंचायतों के विकास के नाम पर केवल पांच-दस प्रतिशत राशि ही मिलती थी। हमारी व्यवस्थाओं में पूर्व के संविधान के अन्तर्गत उसमें इतना कानूनी प्रावधान था जिसके चलते टेक्नीकल सेक्शन, जूनियर इंजीनियर एस्टीमेट बनायेगा, फिर कलेक्टर के सामने जायेगा और फिर चीफ इंजीनियर के सामने जायेगा तो पहुंचते-पहुंचते जितनी राशि हमें एक निश्चित समायावधि में खर्च करनी होती थी उस राशि का कम से कम हिस्सा सिर्फ कानूनी प्रावधान पूरा करने में वर्षों लग जाते थे। सरकार की जो नीति थी वह पूरी न होकर केवल साल भर कानूनी प्रक्रियायें ही पूरी हो पाती थीं जिससे वह कार्य जो उस साल मान लो एक हजार रुपये में पूरा हो जाना चाहिए था, वह अगले साल पूरा होता था और उस पर दुगुना खर्च होता था। पहले ऐसी प्रक्रिया बन चुनी थी कि जो कुएं थे पीने के पानी के साधन थे, चापाकल के माध्यम से वे बन्द हो जा रहे थे। मैंने जवाहर रोजगार योजना के तहत गांवों का दौरा किया तो पाया कि जवाहर रोजगार योजना के तहत जो सरकार ने राशि आवंटित की है, हर लोग उससे खुश हैं कि जब जो गांवों में कुओं का जल स्तर नीचे चला गया है वह ठीक हो जायेगा, कहीं आग लगती थी तो चापाकल से उसकी व्यवस्था नहीं हो पाती थी, लेकिन अब हो जाएगी, इससे गांवों का नवीनीकरण होगा और गांवों की व्यवस्था सुधार की ओर जायेगी। यह एक कारगर कदम है। आज मैं यह बताते हुए सदन में आपने आपको गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि कभी ऐसा सोचा नहीं था। यह लोग कहा करते थे कि पूर्व में जब राजीव जी ने मतदान देने की आयु सीमा 18 साल करने की घोषणा की तो विरोधी पक्ष के लोगों ने कहा कि यह तो हम पूर्व से ही मांग कर रहे थे। अब जो-जो सरकार घोषणायें करे तो आप कहते हैं कि हम इनकी मांग पूर्व से ही कर रहे थे। अगर श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके यह सोचा कि गांवों का विकास हो और ग्रामीण बैंकों के माध्यम से उन गरीबों का विकास हो तो राजीव गांधी के पंचायतों को अधिकार देकर पंचायतों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए, बीच में बिचौलियों को खत्म करने के लिए यह एक कारगर कदम उठाया तो चन्द लोगों के विरोध करने से कुछ नहीं हो सकता। आज यदि राजीव गांधी ने पंचायतों को अधिकार देने का निश्चय किया, पंचायतों का स्तर सुधारने का प्रयत्न किया, और यह व्यवस्था की कि बीच में कोई बिचौलिया न हो तो उनके इस कारगर कदम की तो प्रशंसा की जानी चाहिए। चन्द लोगों के विरोध का मेरे विचार में कोई महत्व नहीं है। जवाहर रोजगार योजना और पंचायती राज बिल ऐसे कदम हैं जिनसे हिन्दुस्तान का अवाम बहुत प्रसन्न है। गांव में बैठा व्यक्ति पहले नहीं सोचता था कि ऐसी योजनाएं बनेंगी जिनसे हमें नये अधिकार मिलेंगे। आज संविधान संशोधन विधेयकों के माध्यम से सरकार जो व्यवस्था करने जा रही है, हिन्दुस्तान के सभी लोग राजीव जी को धन्यवाद दे रहे हैं। इन शब्दों के साथ, मैं समय देने के लिए आपको धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी० ए० एन्टनी (त्रिचूर) : 14 अगस्त, 1947 की मध्यरात्रि को पंडित जवाहर लाल नेहरू ने राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए भारत के भाग्य-निर्माण की बात कही थी। स्वतन्त्रता के 42 वर्षों बाद हम पुनः इसके भाग्य-निर्माण की बात कर रहे हैं। यहां एक ऐसी महत्वपूर्ण और युगप्रवर्तक घटना होने जा रही है जो कि इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन ला देगी। 1882 में स्थानीय स्वायत्त शासन के बारे में लार्ड रिपन द्वारा लाया गया प्रस्ताव, जो कि इस देश में स्वायत्त शासन के इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, के पश्चात् यह विधेयक लोकतांत्रिक विकेन्द्रीयकरण लाने के लिये उठाया गया अत्यधिक महत्वपूर्ण कदम है। इस उपाय का सारा श्रेय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (ई) दल को जाता है क्योंकि सत्ता के अधिकार को जनता के हाथों तक ले जाने की उनकी वचनबद्धता और भारी उत्साह के बिना यह बात यथार्थ नहीं हो पाती। प्रत्येक व्यक्ति यह बात जानता है कि काफी विचार-विमर्श करने के पश्चात और प्रायः लोगों से चर्चा और बहस आदि करने के बाद इस विधेयक का निर्माण किया गया है। इस विधेयक के प्रारूप प्रस्तावों के सम्बन्ध में लोगों के विचार जानने के लिये देश के विभिन्न भागों में पंचायत स्तर पर लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ अनेक सम्मेलनों और बैठकों का आयोजन किया गया था। मुझे यह कहना चाहिए कि इस विधेयक में निहित प्रस्ताव इन विभिन्न सम्मेलनों में व्यक्त आम सहमति पर आधारित हैं। इसका आशय यह है कि देश ने इन प्रस्तावों का समर्थन किया है। इस अवसर पर जब मैं विपक्षी सीटों की ओर देखता हूं तो मुझे बहुत दुःख होता है। एक लोकतांत्रिक समाज में विपक्ष को एक महत्वपूर्ण दायित्व निभाना पड़ता है अर्थात वे अपने विचार लोगों के समक्ष खुल कर और स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। एसा सिर्फ चर्चाओं और वाद-विवाद में भाग लेकर ही किया जा सकता है न कि यहां से पलायन करके। यह उनका एक कर्तव्य है कि वे लोगों को बतायें कि इस सम्बन्ध में उनके विचार क्या हैं। इस सभा में अपनी सीटों से त्यागपत्र देकर और इन चर्चाओं में भाग न लेकर वे अपने पवित्र कर्तव्य की अवहेलना कर रहे हैं। वास्तव में विपक्ष से क्या अपेक्षा की जाती है? क्या यह निम्न स्तर पर लोगों को अधिक अधिकार प्रदान कर लोकतंत्र को मजबूत बनाने का विरोधी है? क्या यह पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत एक समन्वित दृष्टिकोण द्वारा हमारे गांवों के विकास की अधिक संभावना का विरोधी है? क्या यह हमारी निर्धन पचायतों को कुछ अधिक धनराशि दिये जाने का विरोधी है? इस विधेयक के किस सिद्धान्त के वे विरोधी है? यह बात ध्यान देने योग्य है कि विपक्ष के नेतागण और वे मुख्य मंत्रीगण् जो कि आज इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं उन्होंने इस बात पर विचार होते समय प्रत्येक स्तर पर इसके प्रस्तावों का समर्थन किया था। इसके अतिरिक्त उन विपक्षी नेताओं ने जो इस विधेयक को राज्य सरकारों के अधिकारों को कम करने का एक प्रयास मानते हैं, 1978 में जब जनता सरकार ऐसे प्रस्ताव लेकर आयी तो उन्होंने निर्वाचित पंचायतों को भंग करने के राज्यपालों के अधिकारों का समर्थन किया था। यह स्पष्ट है कि इस विधेयक के प्रति विपक्ष की प्रतिक्रिया सिर्फ उनका भय दर्शाती है कि श्री राजीव गांधी द्वारा किये गये लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और अन्य प्रगतिशील और क्रांतिकारी उपाय उन्हें भारतीय राजनीति में नगण्य बना देंगे। जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा है कि इस विषय पर केन्द्र और राज्यों में कोई टकराव नहीं है। टकराव सिर्फ जनता और सत्ता लोलुप व्यक्तियों के बीच है। यदि वि.क्ष स्वयं सत्ता लोलुप बनना चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं?

भारत के स्थानीय स्वायत्त शासन का इतिहास बहुत लम्बा है। ऋग्वेद में ग्रामीण स्तर के संगठनों का उद्धरण मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्थानीय स्वायत्त शासन की चर्चा विस्तृत रूप में की गयी है। स्वायत्त शासन की व्यवस्था करने वाले ग्रामीण गणतन्त्रों के रूप में भारत के पुनर्निर्माण का स्वप्न महात्मा गांधी ने देखा था। ग्रामीण पंचायत के संबंध में यह गांधी जी की ही विचारधारा थी कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धान्तों के संवैधानिक सिद्धान्त के अन्तर्गत पचासवें दशक के आरंभ में पचायती राज व्यवस्था लागू की गयी।

पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य निम्न स्तर पर लोकतन्त्र लाना और विकास करना है। यही इस विधेयक का प्रयोजन है। यह बात स्वतः सच है कि भारत का विकास सिर्फ तब हो सकता है जब गांवों का विकास हो। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने एक बार कहा था:

> "हमारे देश की प्रगति हमारे गांवों की प्रगति के साथ जुड़ी है। यदि हमारे गांवों की प्रगति होती है तो भारत एक मजबूत राष्ट्र बनेगा और कोई भी इसकी प्रगति को आगे नहीं रोक सकता है।"

पंचायती राज व्यवस्था से सम्बन्धित समस्याओं के अध्ययन के लिये अनेक समितियों का गठन किया गया था। सर्वप्रथम 1957 में बलवन्त राय मेहता समिति, 1978 में अशोक मेहता समिति, 1985 में जी० वी० के० राव समिति और यहां तक कि सरकारिया आयोग ने भी देश में पंचायती राज व्यवस्था मजबूत किये जाने के प्रश्न पर विचार किया है। इन सभी समितियों और आयोगों का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि गांवों में लोकतान्त्रिक व्यवस्था बहुत ही कमजोर है और संसाधन के आधार भी कमजोर है। मैं समझता हूं कि ये दो मूल निष्कर्ष हैं जिनके कारण प्रधान मंत्री महोदय ने वर्तमान विधेयक में इन दो मुद्दों पर विशेष बल दिया है। जब हम मौलिक रूप में लोकतन्त्र की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय जनता के प्रतिनिधियों के निर्वाचन से होता है। लेकिन इस बारे में हमारे पंचायतों की स्थिति बहुत ही निराशाजनक है। 32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जहां कि पंचायतों की स्थापना से संबंधित विधान स्वीकृत हुआ है, उनमें से अनेक जगह ऐसे हैं जहां कि चुनाव नहीं हुए हैं। कुछ राज्यों में तो जब से पंचायतों का निर्माण हुआ है कभी चुनाव नहीं हुए हैं। इस स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने का प्रावधान इस विधेयक में किया गया है।

पांच वर्ष की अवधि और प्रत्येक पांच वर्ष पर चुनाव कराये जाने का अनिवार्य प्रावधान इस विधेयक की अत्यधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। इस प्रावधान द्वारा लोकतान्त्रिक ढांचे में विभिन्न स्तरों पर एकरूपता आ जाएगी और साथ ही निर्वाचन सम्बन्धी राज्यों के अधिकार भी समाप्त हो जायेंगे। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा कि जी०वी० के० राव समिति ने उल्लेख किया कि पंचायती राज संस्थाओं के महत्व और अधिकारों में कमी आने का कारण जिला स्तर पर अपने अधिकारों का बंटवारा करने में राज्य स्तर के राजनीतिक नेताओं द्वारा प्रतिरोध उत्पन्न किया जाना हो सकता है।

यह आश्चर्य की बात है कि विपक्ष द्वारा सत्तारूढ़ राज्यों ने हमेशा अपने लिये अधिक अधिकारों की मांग की है लेकिन उन्होंने कभी भी अपने अधिकारों को स्थानीय निकायों के साथ बांटना पसन्द नहीं किया है। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव का निरीक्षण किया जाना निश्चित रूप से पंचायत के चुनावों के महत्व को बढ़ायेगा।

जब तक लोगों को वित्तीय अधिकार नहीं दिया जाता है उनके अधिकारों का कोई अर्थ नहीं होता है। एक अध्ययन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं द्वारा वसूल किया गया कुल कर राजस्व सम्पूर्ण राज्य के कर राजस्व के एक प्रतिशत से भी कम होता है।

यह विधेयक पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए राज्य को कानून बनाने हेतु समर्थ बनाता है। जहां तक पंचायतों की वित्तीय स्थिति का सम्बन्ध है और अनुदान सहायता आदि दिये जाने की सिफारिशों का सम्बन्ध है तो राज्य वित्तीय आयोग की स्थापना का प्रावधान महत्व-पूर्ण है। इस योजना के अन्तर्गत अपने कृत्यों के लिए पंचायतों के पास पर्याप्त धनराशि आ जायेगी।

वास्तव में अशोक मेहता समिति ने यह सुझाव दिया था कि प्रत्येक राज्य में पंचायतों को ऋण उपलब्ध कराने और विभिन्न प्रकार के लाभप्रद उद्यमों को शुरू करने और लाभप्रद आस्तियां बनाने हेतु एक पंचायती राज निगम स्थापित करना चाहिए।

महोदय, केरल में शहरी विकास निगम और ग्रामीण विकास बोर्ड हैं जो कि नगर पालि-काओं और पंचायतों को बीस वर्ष पहले से ही वित्त घोषित करते रहे हैं। यद्यपि शहरी विकास निगम और ग्रामीण विकास बोर्ड द्वारा किया गया वित्त पोषण अपर्याप्त है, फिर भी इस सहायता से नगरपालिकाओं और पंचायतों की लाभप्रद कार्य की परियोजनाओं में सुधार हुआ है। केरल में ऐसे अन्य स्थानीय निकाय हैं जो इस वित्त पोषण के कारण लाभ में चल रहे हैं। मैं इस विधेयक का समर्थन कर बहुत खुश हूं।

महोदय, यहां निर्वाचित होने से पूर्व मैं एक विधायक था और उसके पहले मैं त्रिचूर नगर पालिका में नगर पार्षद था जहां कि 1981 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता है। नगर पार्षद अनेक अच्छे मामलों को पारित कर सकता है और उनके कार्य निष्पादन के लिये आयुक्त से कह सकता है लेकिन इन परियोजनाओं के कार्य निष्पादन का अधिकार आयुक्त को ही है और यदि आयुक्त ने इन प्रस्तावों को कार्यान्वित नहीं किया है तो नगर पार्षद या पंचायत सदस्य को काउंसिल से त्यागपत्र देने का अधिकार प्राप्त है।

महोदय, हमारे स्वतन्त्रता के बयालीस वर्षों बाद यह निर्णय करने का अधिकार कि उनके स्थानीय निकाय में क्या करना चाहिए अन्तिम रूप से जनता के हाथों में आया है। मैं व्यक्तिगत रूप से प्रधान मंत्री जी को इसके लिये बधाई देता हूं और मैं जनता के हाथों में प्रत्यक्ष रूप से अधिकार हस्तांतरित किये जाने पर इस देश में अत्यन्त खुश होने वाले लोगों में से एक हूं। इसके लिये मैं सच्चे रूप से अपने प्रधान मंत्री और कांग्रेस दल को बधाई देता हूं।

श्री हरूभाई मेहता (अहमदाबाद) : महोदय, मैं इन दोनों युगान्तरकारी संवैधानिक संशोधन विधेयकों का स्वागत करता हूं। इनसे ग्रामीण स्तर तथा निचले स्तर से महानगरों तक स्थानीय स्वायत्तशासी सरकार को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होगा।

इन्हें प्रस्तुत करते समय अनेक आपत्तियां उठायी गयी थीं और दलील दी गई कि इनसे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन या गड़बड़ी होगी। मैं अपने विद्वान साथी श्री महन्ता से सहमत हूं जिन्होंने कहा है कि संसद जनता की सर्वोच्च इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है और संसद अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकार से संविधान में संशोधन कर सकती है। इसकी न्यायालयों में

चुनौती नहीं दी जा सकती। गोलकनाथ मामले में उच्चतर न्यायालय ने एतिहासिक मूल के कारण निर्णय दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई कानून पारित नहीं कर सकती। सौभाग्य की बात है कि उस मूल में संशोधन किया गया। परन्तु उच्चतम न्यायालय ने केशवानन्द भारती के मामले में दूसरी बड़ी भूल की। उसने संशोधन की जांच के पश्चात निर्णय दिया था कि संसद को संविधान में ऐसे संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है जिससे संविधान की बुनियादी व्यवस्था में कोई गड़बड़ी हो। विश्व में सम्भवत: हमारा देश ही एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहां संसद जैसी संवैधानिक निकायों द्वारा पारित संशोधन की जांच न्यायालयों द्वारा की जाती है। तत्पश्चात 42वें संशोधन के माध्यम से संसद ने यह स्पष्ट कर दिया कि संसद को संविधान में संशोधन करने का पूरा अधिकार है। इसके साथ ही केशवानन्द भारती का मामला वास्तव में कोई कानून नहीं रह जाता जहां तक संशोधन अधिकार अर्थात अनुच्छेद 368 का सम्बन्ध है, मेरे विचार से हमारे यह कहने का समय आ गया है कि संसद किसी बाह्य प्राधिकारी के प्रति जवाबदेह नहीं है। इसलिए बुनियादी व्यवस्था के उल्लंघन के आधार पर उठाई गई सभी आपत्तियां प्रासंगिक नहीं हैं। फिर भी साधारण दृष्टि के अनुसार केशवानन्द भारती के मामले को संचालक कानून समझें तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इन विधेयकों में ऐसी कोई बात नहीं है जिसका किसी भी प्रकार संविधान के बुनियादी ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी बधाई के पात्र हैं क्योंकि उन्होने दल-बदल विरोधी कानून से शुरू करके अनेक महत्वपूर्ण उपायों द्वारा जनता के विचारों को समझा है और अब जब यह संसद का अन्तिम सत्र है स्थानीय स्वायत्तशासी सरकार संबन्धी विधेयकों अर्थात 64वें और 65वें संशोधन विधेयक को प्रस्तुत किया है।

कुछ लोग यह कहना चाहते हैं कि इन विधेयकों द्वारा केन्द्र राज्य के अधिकारों को छीन रहा है। ऐसी बात नहीं है। राज्यों के अधिकार यथावत रहेंगे। केन्द्र के जैसे अधिकार हैं वैसे ही रहेंगे। इन विधेयकों में से किसी के द्वारा राज्य के किसी अधिकार को केन्द्र को नहीं दिया जा रहा है। जहां तक स्थानीय स्वायत्तशासी सरकार के बुनियादी सिद्धान्तों की एकरूपता का सम्बन्ध है, वह संसद द्वारा इन दो विधेयकों के माध्यम से बनाई जाने वाली राष्ट्रीय नीति के समान है। इन दोनों विधेयकों से संविधान की संघीय विशेषता और राज्य के अधिकारों का कोई नुकसान नहीं है।

पंचायतों और नगरपालिकाओं के बारे में अनेक बातें कही गई हैं। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि इनसे स्थानीय स्वायत्तशासी सरकार की संवैधानिक दर्जा मिलेगा और वे बुनियादी जरूरतें पूरी होंगी जो हमारे जैसे विकासशील देश में होनी चाहिए। आरक्षण के उपबन्ध अत्यधिक स्वागत योग्य हैं। अनुच्छेद 243 (ग) में, जिसे संविधान में पुरःस्थापित किया गया है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की व्यवस्था है। अनेक राज्यों ने कुल मिलाकर इन आरक्षण उपबन्धों को लागू किया है। परन्तु सामान्य जनसंख्या में इनकी जनसंख्या के अनुपात की दृष्टि से ये आरक्षण उपबन्ध पर्याप्त नहीं हैं। इसलिये इस विधेयक में यह व्यवस्था है कि यह कुल जनसंख्या में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के अनुपात के अनुरूप होना चाहिए। यदि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, जिनका अन्य विधेयकों में ध्यान नहीं रखा गया है, आरक्षण हेतु उपबन्ध बताया जाए तो मुझे खुशी होगी। इस सम्बन्ध में मण्डल आयोग ने निस्संदेह नौकरियों में आरक्षण का सुझाव दिया है। यह बहुत अच्छी रिपोर्ट है। मेरे विचार से

अब समय आ गया है कि सरकार मण्डल आयोग की रिपोर्ट की स्वीकृति तथा सम्पूर्ण भारत में इसके तेजी से कार्यान्वियन के प्रश्न पर विचार करे। स्थानीय स्वायत्तशासी निकायों जैसे पंचायतों और नगर निगमों में आरक्षणों के बारे में भी विचार करना चाहिए।

जहां तक महिलाओं के आरक्षण का सम्बन्ध है, यह बहुत अच्छी बात है। पुरुष प्रधान और सामंतशाही समाज में—आर्थिक दृष्टि से सामंतशाही नहीं है बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से—महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुसार स्थान नहीं मिला है। इसलिए इन आरक्षण सम्बन्धी उपबन्धों की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि केवल इस देश की महिलायें ही नहीं बल्कि सही सोच विचार के व्यक्ति भी इस कदम की प्रशंसा करेंगे।

जहां तक निगमों का सम्बन्ध है, इनके लिए अनेक अच्छे कार्य किए गए हैं अर्थात राज्यों को निगमों तथा अन्य स्वायत्तशासी निकायों को अधिकार देने के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में यह शहरी आवास-मद संख्या 27 बहुत ही महत्वपूर्ण मद है। गन्दी बस्तियों का सुधार निगम का कार्य समझा जाता है। परन्तु जहां तक शहरी आवास का सम्बन्ध है, इसके लिए अनेक निगमों को कोई अधिकार नहीं है। जहां तक शहरी आवास का संबंध है, मेरे राज्य गुजरात में नगर निगमों को कोई अधिकार नहीं है। इस संशोधन से निगमों और नगरपालिकाओं को कमजोर वर्गों के लिए मकान निर्माण करने के अधिकार मिलेंगे और आवास सम्बन्धी गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। आवास सम्बन्धी गतिविधियों के प्रोत्साहन से मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि हमें निजी आवास गतिविधियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। निजी निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के हितों को नुकसान पहुंचाते हुए धन कमाने के लिए बहुत-सी सरकारी जमीन हड़प ली है। हमें आशा है कि शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्तशासी सरकार शहरी आवास की व्यवस्था करेगी और वित्तीय प्रावधान से उन्हें आवश्यक वित्त भी मिलेगा। दुर्भाग्य की बात है कि नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के अन्तर्गत अनेक राज्य सरकारों ने निहित स्वार्थी तत्वों को बहुत अधिक छूट दी है। इस सम्बन्ध में गुजरात सबसे ऊपर है। बहुत सी शहरी जमीन जिसको फालतू घोषित करके कमजोर वर्गों के लिए मकान निर्माण में उपयोग किया जाना चाहिए परन्तु उसे निहित स्वार्थी तत्वों ने राज्य सरकार से छूट में खरीद कर घेर लिया है। इसे रोका जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार को नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम की धारा 20, 21 या 22 के अन्तर्गत दी गई छूटों की निगरानी के लिए संसद से अधिकार प्राप्त होने चाहिएं। आज केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों को यह निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है कि अमुक विशेष छूट दी जाए अथवा नहीं। कुछ नीतिगत निर्देश दिए जाते हैं परन्तु केन्द्रीय सरकार के पास राज्य सरकार के सम्बन्ध में यथार्थ रूप से कोई अधिकार नहीं है। मैं चाहता हूं केन्द्रीय सरकार को निर्देश देने और छूट के अधिकारों पर निगरानी और नियन्त्रण रखने हेतु अधिकार प्राप्त करने के लिए इस सभा के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए जिससे नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के उद्देश्यों का ध्यान न रखते हुए राज्य सरकारों द्वारा की जा रही लापरवाही को रोका जा सके। यद्यपि नगर भूमि अधिकतम सीमा आज चर्चा का मामला नहीं है परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि जब तक नगर भूमि अधिकतम सीमा कानून को उचित ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जायेगा, तब तक निगम और नगर निकायें मद संख्या 27 अर्थात शहरी आवास के अन्तर्गत उचित रूप से कार्य नहीं कर पायेंगी। इसलिये सम्बन्धित विषय के रूप में सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए।

मद संख्या 30 से उचित रूप में सुधार कुछ हुआ है। मैंने सुझाव दिया है कि मद संख्या 31 अर्थात शहरी वन खण्ड में पर्यावरण भी सम्मिलित कर लिया जाए।

नगर निकायों को राहत और पुनर्वास समेत प्राकृतिक आपदाओं के प्रबन्ध का भी अधिकार दिया जाना चाहिए, यह एक महत्वपूर्ण अधिकार है। इस संबन्ध में नगर निकायें अत्यन्त उपयोगी हो सकती हैं। आज ये कार्य राज्य सरकारों को करने पड़ते हैं। हम नगर निकायों की क्षमता, प्रतिभा और संसाधनों का उपयोग क्यों नहीं करते ? वे अन्य किसी स्वैच्छिक एजेंसियों से, जिनके कभी-कभी विदेशी एजेंसियों से संदेहपूर्ण सम्बन्ध हो सकते हैं, जैसा कि हाल ही में पता चला है, अधिक उपयोगी हो सकती हैं। इसलिए स्थानीय स्वायत्तशासी निकायों जैसे नगरपालिकाओं और पंचायतों को, प्राकृतिक आपदाओं जैसे—बाढ़, अकाल, आग और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंध के मामले में कार्य करने के लिए अधिकार दिए जाने चाहिएं। उन्हें विशिष्ट अधिकार दिये जाने चाहिएं।

मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि सरकार को नगर निकायों के गठन पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। इस समय जहां तक नगर निगमों का संबंध है, पीठासीन महोदय को महाराष्ट्र और गुजरात में इनकी स्थिति का पता है। नगर निगमों के निर्वाचित अंग के पास कार्यकारी अधिकार नहीं हैं। कार्यकारी शक्तियां प्रशासनिक अंग में निहित हैं। नगर आयुक्त अधीनस्थ स्टाफ के द्वारा कार्यकारी शक्तियों का संचालन करता है। निर्वाचित खंड केवल संकल्पों को पारित करता है। कार्यान्वयन तथा निष्पादन का पूरा काम निगम आयुक्त पर छोड़ दिया जाता है। निगम आयुक्त सरकार के अधीन है, जिसके परिणामस्वरूप निर्वाचित खंड के लोग निगम पार्षदों और मेयरों को निष्पादन शक्ति देने हेतु उनका निर्वाचन करते हैं। किंतु, वास्तव में कानून के अनुसार उन्हें कोई निष्पादन शक्ति प्राप्त नहीं होती है। परिणाम यह होता है कि जनता द्वारा निर्वाचित निगम पार्षदों को स्थानीय स्वशासन हेतु दिए गए अधिकारों का प्रयोग वस्तुतः प्रशासनिक अनुभाग द्वारा किया जाता है, जो केवल राज्य सरकार के आदेशों के अधीन है। अतः मैं यह सुझाव देता हूं कि सरकार इस मामले की ओर ध्यान दे कि प्रत्येक नगर निगम में एक 'मेयर-इन-काउंसिल' होनी चाहिए। निगम की कार्यकारी शक्ति मेयर-इन-काउंसिल को दी जानी चाहिए और मेयर को उनके द्वारा नियुक्त परिषद के सदस्यों द्वारा सलाह और सहायता दी जानी चाहिए। इसमें यह व्यवस्था होगी कि निगमों के निर्वाचित विभाग को वास्तविक कार्यकारी अधिकार प्राप्त होगा, अन्यथा नगर निगम का जिम्मेदार वर्ग निगम के कानूनों में फंस कर कुछ नहीं कर पाता है। वास्तव में वे शक्तिहीन बन जाते हैं। हो सकता है कि सभी राज्य 'मेयर-इन-काउंसिल' के प्रस्ताव से सहमत न हों, क्योंकि वे समझते हैं चूंकि नगर आयुक्त सीधे तौर पर उन्हें उत्तरदायी होता है, अतः आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग करके निर्वाचित खण्ड को निष्क्रिय रखना है।

अतः कृपया इस विधेयक के प्रस्तावित संशोधन के द्वारा एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की जाए, अर्थात नगर निगम की कार्यकारी शक्ति 'मेयर-इन-काउंसिल' को दी जाएगी। परिषद मेयर में भी इसकी मांग की गई थी। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

महोदय, एक और पहलू है। आखिरकार स्थानीय स्वशासन संसदीय लोकतन्त्र का उद्गम है। नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य और पंचायत-सदस्य संसदीय लोकतन्त्र का प्रारंभिक प्रशिक्षण नहीं

लेते हैं। अतः हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि निगम पार्षद संसदीय लोकतन्त्र के आधार पर काम करें। अतः महोदय, 'मेयर इन काउन्सिल' से इसको क्रियान्वित किया जा सकता है और वे मंत्रिमण्डल के स्तर पर एक लघु मंत्रिमण्डल की भांति और निगम के सदस्यों के प्रति उत्तरदायी मंत्री परिषद के रूप के काम कर सकते हैं। यही मुद्दे हैं जिन पर सरकार को इस विधेयक को अधिक प्रभावशाली और अधिक जिम्मेदार बनाने के लिए विचार करना है। मैं पुनः एक बार प्रधान मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने स्थानीय स्वशासन को शक्तिशाली बनाकर राष्ट्र की महान सेवा की है। मुझे खेद सिर्फ इस बात का है कि विपक्ष के अनेक सदस्यों ने साथ नहीं दिया है। मेरा विचार था कि वे जनता के प्रति अपना दायित्व भूलकर निर्वाचकों द्वारा उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों का त्याग करना नहीं चाहेंगे। उन्होंने हमें छोड़ दिया है। मैं आशा करता हूं कि आखिर वे समझ जाएंगे और समझदारी से काम लेंगे। प्रतिष्ठा की खातिर वे अपने कदम वापस नहीं लेंगे। किन्तु उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि इस सदन को छोड़कर उन्होंने उन कर्तव्यों को पूरा करने से मुंह मोड़ा है जो उन्हें निर्वाचकों द्वारा सौंपे गए थे। महोदय, इन निवेदनों के साथ मैं इन विधेयकों का स्वागत तथा समर्थन करता हूं।

***श्री के० कुन्जम्बु** (अडूर) : सभापति महोदय, मैं पूरे मन से इन विधेयकों का समर्थन करता हूं। यह हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। इस अवसर पर राष्ट्रपिता का सपना पूरा होने जा रहा है। गांधी जी का विश्वास था कि भारत की आत्मा गांवों में रहती है और राष्ट्र केवल तभी प्रगति कर सकता है जब ग्राम आत्म-निर्भर होंगे। यह उनके ग्राम स्वराज का आधार था। यदि ग्रामों को आत्म निर्भर होना है तो उन्हें विकास के लिए राजनीतिक और आर्थिक अवसर मिलने चाहिए। इन विधेयकों में यह उपाय किए गए हैं। मैं प्रधान मंत्री को यह ऐतिहासिक कदम उठाने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं।

हमारे देश में पंचायतों का इतिहास काफी उतार-चढ़ाव वाला रहा है। सच तो यह है कि पंचायत इसलिए प्रभावशाली ढंग से काम नहीं कर पाई क्योंकि राज्यों ने इनके प्रति कोई रुचि नहीं दिखलाई। कुछ पंचायतें ऐसी हैं जहां 15 से 20 वर्ष तक कोई चुनाव नहीं हुआ है। इसी प्रकार, राज्य सरकारों ने इन पंचायतों को कभी भी अधिक शक्तियां नहीं दीं। इन कारणों से पंचायतों ने ग्रामीण विकास के लिए कोई अधिक योगदान नहीं दिया। इस समस्या को समझने के लिए अनेक समितियों तथा आयोगों को गठित किया गया था। वर्तमान विधेयक उन आयोगों तथा समितियों के निष्कर्ष के आधार पर बनाए गए हैं।

इन विधेयकों का सबसे महत्वपूर्ण तत्व यह है कि पंचायतों को राजनीतिक और वित्तीय शक्तियां दी गई हैं और इस प्रकार इनके महत्व को बढ़ा दिया गया है। हर पांच वर्ष के पश्चात चुनाव कराना तथा वह भी चुनाव आयोग की निगरानी में और महिलाओं तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण ऐसे उपबन्ध हैं जो संसद और राज्य विधान सभाओं की पद्धति पर हमारे पंचायतों के पुनर्गठन के लिए बनाए गए हैं, समय पर चुनाव कराना और 5 वर्ष की निर्धारित अवधि निश्चित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन उपबन्धों से पंचायतों में स्थिरता उत्पन्न होगी और राज्य सरकार की निरंकुशता का भी अन्त होगा।

* मूलतः मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

जहां तक पंचायतों का संबंध है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इनके पास वित्तीय शक्तियां अवश्य होनी चाहिए। जब इन विधेयकों के उपबन्ध लागू किए जायेंगे तो पंचायतों को आय के पर्याप्त स्रोत मिल जायेंगे। सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि पंचायतों को शक्तिशाली बनाया जाए ताकि वे प्रत्येक इलाके का विकास कार्य आरम्भ कर सकें। इस दृष्टि से विधेयक की समीक्षा करते हुए मैं समझता हूं कि इस विधेयक में इस संबंध में उपबंध काफी स्वागत योग्य हैं। इसे सुनिश्चित करना भी इतना ही महत्वपूर्ण है कि पंचायतों को जो पैसा मिलता है उसका उचित उपयोग किया जाय। इस संदर्भ में नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा लेखाओं की जांच-पड़ताल का उपबन्ध अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस उपबन्ध से यह निश्चित होता है कि धन स्पष्ट रूप से उल्लिखित मापदण्डों के आधार पर खर्च किए जायेंगे। मैं प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार वित्त आयोग नियुक्त करने के उपबन्ध का भी स्वागत करता हूं। केन्द्रीय वित्त आयोग की भांति यह आयोग पंचायतों की आय के स्रोतों का अध्ययन करेगा और उचित सिफारिशें करेगा। अतः इन विधेयकों में पंचायतों को आर्थिक स्थिरता उपलब्ध कराने के उपबन्ध है। मुझे विश्वास है कि जब यह उपाय लागू हो जायेंगे तो ग्रामीण भारत का स्वरूप ही बदल जाएगा।

5.00 म० प०

अब, जबकि इन विधेयकों द्वारा ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के प्रयास किए जा रहे हैं तो विपक्ष कहां है? उनके द्वारा त्याग पत्र देने से व्यक्त होता है कि उन्हें पंचायतों को सुदृढ़ बनाने में कोई रुचि नहीं है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि वे पंचायतों को शक्ति देने के विरुद्ध हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत की जनता उन्हें यह नकारात्मक व्यवहार अपनाने पर अस्वीकार करेगी। भारत की जनता पूर्ण रूप से श्री राजीव गांधी के साथ है क्योंकि वह अच्छी तरह जानती है कि केवल श्री राजीव गांधी ही बेरोजगारी की समस्या तथा देश की अन्य ज्वलन्त समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।

मैं और एक मुद्दे के साथ अपना भाषण समाप्त करूंगा। यह सच है कि ग्रामीण भारत में सामन्तवादी शक्तियां पूरी तरह संस्थापित हैं। यह स्वाभाविक है कि यह शक्तियां पंचायतों को अधिक आर्थिक तथा राजनीतिक शक्तियां मिलने पर अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास करेंगी। यदि ऐसा होता है तो हम अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पायेंगे। यदि जवाहर रोजगार योजना और अन्य विकास कार्यक्रमों के लाभ गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को दिलाने हैं तो हमें इन समान्तवादी शक्तियों पर नियंत्रण करना होगा। जब हम ग्रामीण भारत में क्रान्ति ला रहे हैं तो हमें इन शक्तियों को नियंत्रण में रखना होगा। मैं इस अवसर पर सरकार से निवेदन करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन सामन्तवादी शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए सभी प्रभावी उपाय करें। मैं फिर एक बार इन विधेयकों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री कमला प्रसाद सिंह (जौनपुर) : माननीय सभापति जी, 64वां और 65वां संशोधन विधेयक जो हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने रखा है, उसका हृदय से समर्थन करता हूं। हमारे बहुत से साथियों ने इस चर्चा में अपनी बात को कहा है, मैं भी आपके समक्ष पंचायती राज और नगर परिषद का जो बिल प्रस्तुत किया गया है, उससे क्या लाभ जनता को होंगे, उसके बारे में

कुछ कहना चाहता हूं। पंचायती राज बिल एक ऐसा बिल है जिससे निश्चित रूप से देश की जनता के दिलों में यह बात होगी कि इसके आ जाने से हमारा लाभ अवश्य होगा। वही कार्य, आज हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने जन मानस की भावनाओं को समझते हुए इस बिल का प्रस्तुत करके किया है। जन मानस की भावनाओं के ही नहीं, उन्होंने निश्चित रूप से महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए इस बिल को प्रस्तुत किया है। पंचायती राज के माध्यम से वे लोग अपने सारे विकास के कार्य कर सकेंगे, जैसे सड़कों का कार्य हो, पेयजल की व्यवस्था की बात हो या स्वास्थ्य की बात हो, छोटे-छोटे लघु उद्योगों की बात हो वे इससे सुगमतापूर्वक कर सकेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश के साथी अपने गांवों में और शहरों में दौरा करके आये हैं और वहां उन्होंने इसके सम्बन्ध में सभायें की हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंचायती राज और नगर परिषद का बिल प्रस्तुत किया गया है उसकी सर्वत्र सराहना हो रही है। लेकिन मैं दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि इस तरह का बिल आज सदन में प्रस्तुत है, जो जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप है, आज विरोधी पक्ष की सीटें खाली हैं, वे त्याग पत्र देकर चले गये है। मैं कहना चाहता हूं कि दो कार्य होते हैं विकास का या विनाश का। विकास का कार्य तो हमारे प्रधान मंत्री जी कर रहे हैं, लेकिन विनाश के कार्य करने के लिए विरोधी पक्ष के लोग तुले हुए हैं और जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, जनता उनकी बातों को थोड़ा सा भी सुनने को तैयार नहीं है, वह उनकी बातों को ठुकरा रही है। 18 वर्ष की उम्र के लोगों को मतदान देने का जो अधिकार दिया गया है उसकी हर जगह प्रशंसा हो रही है। स्वायत्त शासन संस्थायें, नगर परिषद के लोग हैं, अभी यहां शहरी विकास मंत्री जी बैठी हुई है, पिछले दिनों उन्होंने एक बात कही थी कि टाउन एरिया में पालिकाओं के कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे पाते थे, उनकी हालत बड़ी खस्ता थी, सड़कों की हालत बहुत खराब थी, ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से वहां के लोगों को तकलीफ हुआ करती थी, लेकिन आज जो यह बिल आया है और जो कार्यक्रम इसमें निर्धारित किये गये हैं उससे उनकी सारी समस्यायें दूर हो जायेंगी और जनता को न पीने के पानी की समस्या होगी, न नालियों की समस्या होगी, न रोशनी की समस्या होगी, निश्चित रूप से वहां के कार्य पूरे होंगे। पंचायती राज के अन्तर्गत भी बहुत से ऐसे विभाग जो आज सरकारी तंत्र में चल रहे हैं, सरकार के अधिकारियों की देखरेख में चल रहे हैं वह पंचायतीराज के माध्यम से चलेंगे उससे निश्चित रूप से उनके कार्यों में सुधार आयेगा। अभी तक जो सड़कें बनती थीं उनमें अधिकतर पैसा इंजीनियर, ठेकेदार आदि लोग ही खा जाते थे। लेकिन अब जो सड़कें बनेंगी उनमें एक ग्राम सभा से लेकर दूसरी ग्राम सभा तक और नई पंचायतों को जोड़ कर वहां मुख्य सड़क से उस सड़क को जोड़ा जाएगा तो निश्चित रूप से जो धन मिलेगा वह उस पर खर्च होगा। जो छोटे-छोटे लघु उद्योग वहां स्थापित किए जायेंगे तो जो हमारे नौजवान साथी बेरोजगार हैं उनको रोजगार भी प्राप्त होगा। आज जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत जो धन दिया जा रहा है वह उससे अपने हिसाब से योजना बनाकर कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। वहां पर बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है, जो दबे हुए गरीब लोग हैं उनको भी आर्थिक दृष्टि से लाभ मिल रहा है, इतना अच्छा कार्य जो इन संविधान के चौंसठवें और पैंसठवें संशोधन विधेयकों के माध्यम से होने जा रहा है, पता नही हमारे विपक्ष को क्या हो गया है कि वह दूसरी

ओर सोचने लगा है। आज देश की करोड़ों करोड़ जनता इन बिलों का स्वागत कर रही है. इंतजार कर रही है कि कब यह बिल सदन में आए और यहां से पास होने के बाद उस पर इम्पलीमेंटेशन हो और जनता को उससे ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। हमारे विपक्ष के लोग इस पावन कार्य में क्यों शरीक होना नहीं चाहते और सदन से त्यागपत्र देकर बाहर चले गये हैं। क्या उन्हें केवल चरित्रहत्या जैसी बातें करना ही आता है, जनता को गुमराह करना ही आता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप देश में कहीं भी चल कर देख लीजिये, सभाओं में, गलियों में, कूंचों में, मोटर-बसों में, रेलगाड़ियों में, जहां भी 4-6 या 10 लोग आपस में मिल बैठकर बातें करते है, सब की जुबान पर एक ही बात है कि हमारे विपक्ष ने जो रास्ता अख्तयार किया है वह देश के हित में नहीं है। विपक्ष इस देश को तोड़ना चाहता है, देश की एकता को समाप्त करना चाहता है जबकि हमारे देश का प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी देश की एकता और अखण्डता को बनाये रखना चाहते हैं, देश का विकास करना चाहते हैं और हर जाति, बिरादरी, धर्म, सम्प्रदाय के लोगों को एक सूत्र में बांधकर आगे ले चलना चाहते हैं। जनता को इस बात का अहसास है। मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले चुनावों में जनता विपक्ष का साथ नहीं देगी। विरोध पक्ष के लोग आज इस ताक में लगे हैं कि जैसा भी हो जाति, धर्म या भाषा के नाम पर उन्हें किसी राज्य में सफलता मिल जाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में उनकी बातों से गुमराह नहीं होगी। वे जिस तरह की राज्यों में वर्चस्व की बातें करते हैं, ऐसे समय हमारे विरोधी दल के साथी जिस नीति को अपना रहे हैं, जिस तरह के कार्य कर रहे हैं, वह बहुत ही निन्दनीय है। शायद चरित्र-हत्या जैसे कार्यों के लिए ही वे इस माननीय सदन से इस्तीफा देकर गये हैं। जिस मुद्दे को उन्होंने आधार मानकर इस्तीफा दिया, वह कोई नया विषय नहीं है। अनेकों बार उस पर इस सदन में चर्चा की जा चुकी है, हमारी सरकार की ओर से हर बार स्थिति स्पष्ट की जाती रही है, कई वर्षों से यह मामला सदन में उठता रहा है, हम लोग उस मसले को जनमानस तक लेकर गए हैं। अब जनता को पता चल गया है कि विरोधी दल के लोग मात्र झूठा प्रचार कर रहे हैं, मिथ्या प्रचार कर रहे हैं। जनता ने उनकी बातों को नकारा है। जनता समझ गई है कि उसके पास कोई कार्यक्रम नहीं। यही कारण है कि आज कहीं कोई उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी 6 तारीख को मैंने अपने जनपद जौनपुर में शहरी रैली आयोजित की थी, देहात की रैली आयोजित की थी, जिसमें लाखों लोग एकत्रित हुए थे। वहां हमारे मुख्यमंत्री जी भी गए थे। जनता ने दोनों हाथ उठाकर अपने प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास व्यक्त किया और विपक्ष की बातों को ठुकरा दिया। इसलिए आज मैं अपने प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहता हूं, शहरी विकास मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, अन्य मन्त्रीगण को बधाई देना चाहता हूं कि आपने देश के हित में इतना अच्छा पंचायती राज और नगर परिषदों को सशक्त बनाये जाने सम्बन्धी जो विधेयक प्रस्तुत किया है, वह स्वागत-योग्य है और मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं और आपको समय देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : जनाब चेयरमैन साहब, ऐवान के सामने जो कान्सटीट्यूशन अमैंडमैंट बिल पेश किया गया है, उसके मुताल्लिक दो तरह की रायें हैं : एक

तो यह कि लोगों के लिए, रियासतों में मदाखलत होगी और दूसरे यह कि इससे अवाम को राहत या फायदा पहुंचेगा। मैं इन बहसों में उलझे बगैर सिर्फ इस चीज के ऊपर जाना चाहता हूं कि हमारे सामने 40 वर्ष के अर्से में जो तल्ख-हकायक आए, उसकी बुनियाद पर अगर हम गौर करें तो फिर हमारे सामने इस बिल का खैरमकदम करने के सिवाय और कोई चारा नजर नहीं आता क्योंकि खुद हैदराबाद में 22 वर्ष बाद म्युनिसिपल कार्पोरेशन के इलैक्शन्स हुए हैं। अब आप अन्दाजा कीजिए कि 22 वर्ष बाद अगर किसी म्युनिसिपल कार्पोरेशन के इलैक्शन होते हैं तो क्या मैं इस बिल का खैरमकदम न करूं। मैं सियासी बाबस्तगियों और दोस्तियों को बलाये-ताक पर रखते हुए सिर्फ हकायत की रोशनी में आपको कह रहा हूं और यह बात फिर आपके सामने रखना चाहता हूं, वाकई अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो इस बिल को पूरे जामे अंदाज में पेश कीजिए और ये जो इलैक्शन हो वह पूरा का पूरा पीपुल्स रिप्रजेंटेशन एक्ट के तहत हो, जैसे असेम्बली और पार्लियामेंट के इलैक्शन्स होते हैं, उसी तरीके से होने चाहिए और डी-लिमिटेशन भी इलैक्शन कमीशन करे क्योंकि मैं जो कुछ कह रहा हूं वह सिर्फ हकायक और तजुर्बे की बुनियाद पर मोहतरमा कह रहा हूं। मैं आपको हैदराबाद की म्युनिसिपल कार्पोरेशन की बात बताऊं कि वहां तेलुगु देशम, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि वे यहां नहीं हैं, अच्छा नहीं कि मैं किसी की गैर-मौजूदगी में उसको बुरा कहूं, लेकिन मैं मजबूर हूं। तेलुगुदेशम ने अपनी जो कांस्टीट्यूएंसी बनाई वह 5 हजार और 7 हजार के ऊपर बनाई और हमारी जो कांस्टीट्यूएंसी बनाई वह 35 हजार और 37 हजार के ऊपर बनाई। आप बताइए क्या यह इंसाफ है। अगर मैं यह कह रहा हूं कि डीलिमिटेशन भी इलैक्शन कमीशन के जरिए कराया जाए और आप बताइए मैं हक पर हूं या नहीं, यह आपके सामने आता है। फिर इसी के साथ-साथ मैं यह चाहूंगा कि जहां मर्कज पैसा दे रहा है, वहीं रियासती, हुकूमतों को यह कहा जाए कि वे भी पैसा दें। इसलिए कि जब शहरे हैदराबाद से 1200 करोड़ रुपया वसूल होता है, तो सवाल यह पैदा होता है कि वहां की म्युनिसिपल कार्पोरेशन को आप क्या दे रहे हैं? एक पैसा आप देना नहीं चाहते हैं, तो मेरा यह मुतालिबा है कि इन्कम टैक्स के अन्दर भी वहां की कार्पोरेशन का हिस्सा होना चाहिए, एक्साइज ड्यूटी के अन्दर भी और सेल्स टैक्स के अन्दर भी हिस्सा होना चाहिए। वरना आप जानते हैं कि गलत किस्म की जो पॉलिसी चली थीं उससे शहरी आबादी में इजाफा हुआ, लेकिन अब जबकि आप देहातों को तरक्की दे रहे हैं, तो जाहिर है कि शहरों को कुछ राहत मिलेगी। आप इसके लिए भी तवज्जुह करें कि यहां भी हमको पैसा मिले।

जनाब चेयरमैन साहब, म्युनिसिपल कार्पोरेशन के जितने एक्ट हैं, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ एक्ट हैं। तो आप सारे हिन्दुस्तान के लिए एक ही कानून बनाकर पेश कीजिए। वरना आप अन्दाजा कीजिए कि हमारे ऊपर जुल्मोसितम होता है। ये जो खाकरोब होते हैं, जो झाड़ू देते हैं, वे मर गए, बाज वजीफे पर हो गए, तो उनकी तादाद 1200 से ऊपर हो चुकी है, लेकिन ...**...का हुक्म आता है कि इन 1200 जायदादों के ऊपर नए तकुर्रुर्रात न किए जाएं,

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

हालांकि और ज्यादा तकरुर्रात की जरूरत होती है। आप बताइए यह जुल्म है या नहीं। अगर आप जम्हूरियत को मानने वाले हैं, तो फिर इसमें आवाम को आप क्यों सजा दे रहे हैं। आपने इनको वोट दिया लिहाजा हम आपको सजा देना चाहते हैं! तो अब आप अन्दाजा कर सकते हैं इसीलिए हम चाहते हैं कि आप उनको मुकम्मल अख्तियारात दें, म्युनिसिपल कार्पोरेशन को मुकम्मल अख्तियारात मिलने चाहिएं। इसी तरह से अब आप अन्दाजा कीजिए कि जो अख्तियारात हैं, उनको खींच लिया गया। म्युनिसिपल कार्पोरेशन हैदराबाद से ड्रेनेज से लिया गया, म्युनिसिपल कार्पोरेशन हैदराबाद से जो टैक्स हमको मिलता था वह ले लिया गया, म्युनिसिपल कार्पोरेशन हैदराबाद से जो लायब्रेरी सेस हमको मिलता था वह भी ले लिया गया और पूरा पैसा कर दिया गया। अब आप बताइए कि झाड़ू खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है। तनख्वाहें देने के लिए पैसा नहीं है। ऐसे में, मैं अगर इस बिल की ताईद न करूं, तो आप बताइए क्या मैं हक बजानिब हो सकता हूं? यकीनन मैं इसकी ताईद करता हूं और उसकी वजुहात हैं। आप अंदाजा कीजिए कि बर्तानिया सरकार से ओ० डी० ए० का पैसा आता है, तो वह पैसा भी···**···एक नाकिस-उल-अकल किस्म का चीफ मिनिस्टर, वह पैसा भी लेना चाहता है। वह पैसा भी ले लिया गया जिसके लिए मुझे हाई कोर्ट में रिट करनी पड़ी और हाई कोर्ट ने कहा कि आपको कोई अख्तियार हासिल नहीं है, फिर वे फण्ड हमको मिले।

5.20 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अब एक कानून हो तो अवाम को राहत मिल सकेगी। अगर फिर उसे अख्तियारात दे दिए जाएं तो आप बताइए कि इसका फायदा किसको पहुंचेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि सारे हिन्दुस्तान के कार्पोरेशन के लिए एक ही कानून हो। आपकी वो आबादी भी जम्हूरियात से पूरी-पूरी तरीके से इस्तफादा कर सकें वर्ना हम जम्हूरियात से इस्तफादा नहीं कर सकेंगे। इस कानून की ताइद और जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। वो लोग जो इसकी मुखाल्फत कर रहे हैं वो जरा गहरी नजर से देखें जिनके नाम पर इलैक्ट होते हैं। उनकी आबादियां शहरों के अन्दर हैं और उनको फायदा नहीं पहुंचाने के बजाय कभी इस तरफ कभी उस तरफ झक्कम-झक्का खेल से यह हासिल नहीं होगा बल्कि एक वाजे पालिसी लाइए। मैंने बिल्कुल हुज्जत और दलील के साथ आपके सामने ये चीजें रखी हैं और मैं चाहता हूं कि आप इस पर गौर करें यह भी कि जहां पर कार्पोरेशन है वहां अखितयारात का सवाल भी होना चाहिए। पहले दस हजार रुपए खर्च करने का कमीश्नर को अख्तियार था लेकिन इलैक्शन हारने के बाद···**···ने असैम्बली में कानून बनाया और कानून बनाकर कहा कि दो लाख तक बगैर कार्पोरेशन की मंजूरी के कमीश्नर को खर्च करने का अख्तियार है। अब आप बताइए कि दो-दो लाख बिड बनाते हैं। एक रोड अगर बीस लाख का बनाना है

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

तो दो-दो लाख के दो बना देते हैं और कारपोरेशन का बजट खत्म कर देते हैं। इस तरह से पूरे अख्तियारात कमीश्नर के ही हो गए हैं और वह गवर्नमेंट का नुमाइंदा हो गया है। तो यह बताइए कि किस तरीके से यह होगा और फिर अब जबकि मेयर हमारा हो गया तो···**···ने दुनिया की अजीबोगरीब तारीख बनाई। हैदराबाद की तीस लाख की आबादी है और इलैक्शन डायरैक्ट होगा। तीस लाख वोटर एक को चुनेंगे। अब आप अन्दाजा कीजिए कि मैंने जो कहा कि नाकिस-उल-अक्ल है तो आप लोग हंसे थे। अब मैं जो कह रहा हूं, मैं हक पर हूं या नहीं हूं। मैं यही चीज कह रहा हूं कि एक साथ तमाम चीजें बनें। बहुत शुक्रिया आपने मुझे समय दिया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मुख्य मंत्री का नाम मत लीजिए। कोई आरोप कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं होगा। आप "एक मुख्य मंत्री" कह सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : ऐलिगेटरी नहीं साहब, मैंने हाई कोर्ट का फैसला बताया। हाई कोर्ट में जो हुआ है, वह मैंने बताया है। मै अपनी तरफ से चीफ मिनिस्टर को कुछ नहीं कह रहा हूं। अगर वह हाई कोर्ट भी नहीं है तो बड़ा मुश्किल है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृतान्त देख लूंगा। कोई आरोप कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं होगा।

(व्यवधान)

[شری صلاح الدین اُویسی (حیدرآباد) : جناب چیئرمین صاحب ۔ ایوان کے سامنے جو کانسٹی ٹیوشن امینڈمینٹ بل پیش کیا گیا ہے اس کے متعلق دو طرح کی رائیں ہیں ۔ ایک تو یہ کہ لوگوں کے لئے ریاستوں میں مداخلت ہوگی اور دوسرے یہ کہ اس سے عوام کو راحت یا فائدہ پہونچے گا ۔ میں ان بحثوں میں اُلجھے بغیر صرف اس چیز کے اوپر جانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے چالیس سال کے عرصے میں جو تلخ حقائق آئے ہیں

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

اس کی بنیاد پر اگر ہم غور کریں تو پھر ہمارے سامنے اس بل کا [illegible] کے سوائے اور کوئی چارہ نظر نہیں آتا کیوں کہ خود حیدرآباد میں بائیس سال بعد میونسپل کارپوریشن کے الیکشن ہوئے ہیں۔ اب آپ اندازہ یہ کیجئے کہ ۲۲ سال بعد اگر کسی میونسپل کارپوریشن کے الیکشن ہوتے ہیں تو کیا میں اس بل کا خیر مقدم نہ کروں۔ میں سیاسی وابستگیوں اور دوستوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے صرف حقائق کی روشنی میں آپکو کہہ رہا ہوں۔ اور یہ بات پھر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ واقعی اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس بل کو پورے جامع انداز میں پیش کیجئے اور یہ جو الیکشن ہو وہ پورا کا پورا پیوپلز ریپریزنٹیشن ایکٹ کے تحت ہو جیسے اسمبلی اور پارلیمینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہونے چاہئیں اور ڈی لیمیٹیشن بھی الیکشن کمیشن کرے۔ کیونکہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ صرف حقائق اور تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ میں آپ کو حیدرآباد کی میونسپل کارپوریشن کی بات بتاؤں کہ وہاں تیلگو دیشم، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں کیونکہ وہ یہاں ہیں ہیں۔ اچھا نہیں ہے کہ میں کسی کی غیر موجودگی میں اسکو برا کہوں لیکن میں مجبور ہوں تیلگو دیشم نے اپنی جو کانسٹی چیوینسی بنائی وہ پانچ ہزار اور سات ہزار کے اوپر بنائی اور ہماری جو کانسٹی چیونسی جو بنائی وہ پینتیس ہزار اور ۴۰ ہزار کے اوپر بنائی۔ آپ بتائیے کیا یہ انصاف ہے۔ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈی لیمیٹیشن بھی الیکشن کمیشن

کے ذریعہ کرایا جائے اور آپ بتائیے کہ میں حق پر ہوں یا نہیں۔ یہ آپ کے سامنے آتا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاؤں گا کہ جہاں مرکز پیسہ دے رہا ہے وہیں سے ریاستی حکومتوں کو یہ کہا جائے کہ وہ بھی پیسہ دے۔ اس لئے کہ جب شہر حیدرآباد سے بارہ سو کروڑ روپیہ وصول ہوتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں کی میونسپل کارپوریشن کو آپ کیا دے رہے ہیں۔ ایک پیسہ آپ دیہاتیں جانتے ہیں تو میرا یہ مطالبہ ہے کہ انکم ٹیکس کے اندر بھی وہاں کی کارپوریشن کا حصہ ہونا چاہئیے ایکسائز ڈیوٹی کے اندر بھی اور سیلز ٹیکس کے اندر بھی حصہ ہونا چاہئیے۔ ورنہ آپ جانتے ہیں کہ غلط قسم کی جو پالیسی چلی تھی اس سے شہری آبادی میں اضافہ ہوا۔ لیکن اب جبکہ آپ دیہاتوں کو ترقی دے رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ شہریوں کو کچھ راحت ملے گی۔ آپ اسکی طرف بھی توجہ کریں کہ یہاں بھی ہم کو پیسہ ملے

جناب چیئرمین صاحب۔ میونسپل کارپوریشن کے جتنے ایکٹ ہیں، مختلف جگہوں پر مختلف ایکٹ ہیں۔ تو آپ سارے ہندوستان کیلئے ایک ہی قانون بنا کر پیش کیجئے۔ ورنہ آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے اوپر ظلم و ستم ہوتا ہے۔ یہ جو خاکروب ہوتے ہیں۔ جو جھاڑو دیتے ہیں وہ مر گئے۔ بعض دفتر پر ہو گئے تو انکی تعداد بارہ سو سے اوپر ہو چکی ہے لیکن ** کا حکم آتا ہے کہ ان بارہ سو جائداد کے اوپر نئے تقررات نہ کئے جائیں۔ حالانکہ اور زیادہ تقررات کی ضرورت ہی ہوتی ہے۔

**Not recorded.

آپ بتلائیے یہ ظلم ہے یا نہیں ۔ اگر آپ جمہوریت کو ماننے والے ہیں تو پھر اسمیں عوام کو آپ سزا دے رہے ہیں ۔ آپ نے انکو ووٹ دیا لہٰذا ہم آپ کو سزا دینا چاہتے ہیں ۔ تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں ۔ اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ آپ انکو مکمل اختیارات دیں ۔ میونسپل کارپوریشن کو مکمل اختیارات ملنے چاہئیے ۔ اسطرح سے اب آپ اندازہ کیجئے کہ جو اختیارات ہیں انکو کھینچ لیا گیا ہے ۔ میونسپل کارپوریشن حیدرآباد سے ڈرینیج لے لیا گیا ۔ میونسپل کارپوریشن سے جو ٹیکس ہم کو ملنا تھا وہ لے لیا گیا ۔ میونسپل کارپوریشن سے جو لائبریری سیس ہم کو ملنا تھا وہ بھی لے لیا گیا ۔ اور پورا پیسہ کر دیا گیا اب آپ بتائیے کہ جھاڑو خریدنے کے لئے بھی پیسہ نہیں ہے، تنخواہیں لینے کیلئے بھی پیسہ نہیں ہے ۔ ایسے میں اگر اس بل کی تائید نہ کروں تو آپ بتائیے کیا میں حق بجانب ہو سکتا ہوں ۔ یقیناً میں اس کی تائید کرتا ہوں اور اس کی وجوہات ہیں ۔ آپ اندازہ کیجئے کہ برطانیہ سرکار سے او ۔ ڈی ۔ اے کا پیسہ آتا ہے تو وہ پیسہ بھی ــــ

** ــــ ایک ناقص العقل قسم کا چیف منسٹر وہ پیسہ بھی لے لینا چاہتا ہے ۔ وہ پیسہ بھی لے لیا گیا جس کیلئے مجھے ہائی کورٹ میں رٹ کرنی پڑی اور ہائی کورٹ نے کہا کہ آپکو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے پھر وہ فنڈ ہم کو ملے ۔ اب ایک قانون ہو تو عوام کو راحت مل سکے گی ۔ اگر پھر سے انکو اختیارات دے دئے جائیں تو آپ بتائیے کہ اسکا فائدہ کسکو پہنچے گا ۔ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ سارے ہندوستان کے کارپوریشن کیلئے ایک

**Not recorded.

ہی قانون ہو ۔ آپکی وہ آبادی بھی جمہوریت سے پوری پوری طریقے سے استفادہ کر سکے ورنہ ہم جمہوریت سے استفادہ نہیں کر سکیں گے ۔ اس قانون کی تائید اور ذمہ داری ہمارے اوپر ہے ۔ وہ لوگ جو ان کی مخالفت کر رہے ہیں وہ ذرا گہری نظر سے دیکھیں جنکے نام پر الیکٹ ہوتے ہیں انکی آبادیاں شہروں کے اندر ہیں اور انکو فائدہ پہنچانے کے بجائے کبھی اِسطرف کبھی اُسطرف دھکّم دھکّا کھیل سے یہ حاصل نہیں ہوگا بلکہ ایک واضح پالیسی لائیے ۔ میں نے بالکل حُجّت اور دلیل کے ساتھ آپکے سامنے یہ چیزیں رکھی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اِسپر غور کریں ۔ یہ بھی کہ جہاں پر کارپوریشن ہے وہاں اختیارات کا سوال بھی ہونا چاہیئے ۔ پہلے دس ہزار روپے صرف کا کمشنر کو اختیار تھا لیکن الیکشن ہارنے کے بعد ــــ ** ــــ نے اسمبلی میں قانون بنایا اور قانون بنا کر کہا کہ دو دو لاکھ کے روڈ بنانے ہیں ۔ ایک روڈ اگر بیس لاکھ کا بنانا ہے تو دو دو لاکھ کے دو بنا دیتے ہیں اور کارپوریشن کا بجٹ ختم کر دیتے ہیں ۔ اسطرح سے پورے اختیارات کمشنر کے ہو گئے ہیں اور وہ گورنمینٹ کا نمائندہ ہو گیا ہے ۔

تو یہ بتائیے کہ کس طریقے سے یہ ہوگا اور پھر جبکہ میئر ہمارا ہو گیا تو ــــ ** ــــ نے دنیا کو عجیب و غریب تاریخ بتائی ۔ حیدرآباد کی تیس لاکھ کی آبادی ہے اور الیکشن ڈائریکٹ ہوگا ۔ تیس لاکھ دو ٹرایک کو چنیں گے ۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ میں نے جو کہا کہ ناقصُ العقل ہیں تو آپ لوگ ہنسے تھے ۔ اب میں جو کہہ رہا ہوں میں حق

**Not recorded.

پر ہوں یا نہیں ہوں ۔ میں یہی چیز کہہ رہا ہوں کہ ایک ساتھ تمام چیزیں بنیں ۔
بہت شکریہ آپ نے مجھے وقت دیا۔

Mr. Deputy Speaker : Don't mention the name of the Chief Minister. No allegation will go on record. You can mention as 'a Chief Minister'

(Interruptions) شری سلطان صلاح الدین اویسی :

ایلیگیٹری نہیں صاحب میں نے ہائی کورٹ کا فیصلہ بتایا ہے ۔ ہائی کورٹ
میں جو ہرا ہے وہ میں نے بتایا ہے ۔ میں اپنی طرف سے چیف منسٹر کو کچھ نہیں کہہ
رہا ہوں ۔ اگر وہ ہائی کورٹ بھی نہیں تو بڑا مشکل ہے ۔

Mr. Deputy Speaker : I will go through the records. No allegation will go on record.

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव (मछलीपटनम) : उपाध्यक्ष महोदय, संसद में इन विधेयकों के पुरःस्थापन की चर्चा से ही विपक्षी सदस्यों के मन में जो हलचल पैदा हो गई है, उसी से इन विधेयकों का प्रभाव स्पष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति आन्ध्र प्रदेश से बाहर रहते हैं, वे इसे नहीं जानते हैं परन्तु वे व्यक्ति, जो आन्ध्र प्रदेश में रह रहे हैं, जानते हैं कि स्थानीय सरकार क्या सोचती है और क्या कहती है। मैंने इन विधेयकों का एक-एक खंड पढ़ा है। मैं इन विधेयकों के उद्देश्यों से भी अवगत हूं। इन विधेयकों के पुरःस्थापन से पहले भी मैं आन्ध्रप्रदेश में विभिन्न सार्वजनिक सभाओं में इन उद्देश्यों को स्पष्ट कर चुका था। मुझे विपक्ष के भय और उसके द्वारा इनके खिलाफ आवाज उठाने के कारणों का पता नहीं लग सका है। मैं अपने कुछ अनुभवों के बारे में बताऊंगा जैसे कि मेरे साथियों ने पहले ही इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये हैं। महोदय, कुछ व्यक्तियों का दावा है कि वे अपने-अपने राज्यों में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और वे झोंपड़ियों, गांवों और एक-एक घर-घर को अधिकार दिलाना चाहते हैं। वे बहुत ही नाटकीय ढंग से बढ़िया भाषण दे रहे हैं और जनता को इस तरीके से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं जितना कि अन्य कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। परन्तु वास्तव में वे कर क्या रहे हैं, इसके बारे में मैं ब्यौरेवार बताऊंगा। जिस समय आन्ध्र प्रदेश में तेलगु देशम पार्टी की सरकार सत्ता में आयी, तथा जिला परिषदों, पंचायतों, मंडलों अथवा ब्लाक स्तर पर विजय प्राप्त नहीं कर सकी, तब जैसा कि इस पंचायती राज व्यवस्था के लिए आवश्यक है, यदि वास्तव में उनकी रुचि इस पंचायत व्यवस्था को अधिक लाभकारी बनाने में और जनता की आशाओं के अनुकूल बनाने में होती तो उन्होंने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया होता। पहली बात, जिसके बारे में उन्होंने सोचा था वह यह थी कि इस

व्यवस्था में कैसे हस्तक्षेप किया जाये। जब उन्होंने देखा कि 22 जिलों में से, जो कांग्रेस(आई)के पास हैं, उनमें से किसी भी जिला परिषद के अध्यक्ष को उनके तंत्र द्वारा निकाला नहीं जा सकता है तब वह विधानसभा में जिला परिषद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रकट करने संबंधी नियमों में परिवर्तन करते हुए अपने सभी साधनों, धन, प्रभाव और सरकारी तंत्र इत्यादि का प्रयोग करके एक आदेश लाये और उनमें दो-तिहाई बहुमत के स्थान पर साधारण बहुमत का प्रावधान कर दिया। पहला जिला, जिसमें उन्होंने यह किया, वह उनका अपना जिला है और जो मेरा जिला भी है अर्थात् कृष्णा जिला, जिसकी पंचायती राज व्यवस्था को उन्होंने बिगाड़ा है, जिसके लिए वह बहुत प्रसिद्ध था। छः महीने पश्चात जब उन्हें लगा कि इस साधारण बहुमत के कारण उन्हें अपने उस आदमी को खोना पड़ेगा जिसे वह अपने तंत्र द्वारा लाये थे, तब उन्होंने जिला परिषद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव करवा कर एक बार फिर सारी व्यवस्था को बदल दिया। चलो मान लिया। तथापि यदि राज्य सरकारों के इरादे नेक होते तब भी पंचायत व्यवस्था ठीक से चली होती। परन्तु उन्होंने किसी भी जिला परिषद अध्यक्ष को अनुमति नहीं दी चाहे वह कांग्रेस पार्टी का हो अथवा उनकी अपनी पार्टी का और जो एक जिले में 16 से 17 लाख मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। उन्होंने जिला परिषद अध्यक्ष से ऊपर एक और अन्य निकाय अर्थात् जिला विकास बोर्ड बैठा दिया तथा जिला परिषद अध्यक्ष से उसके सारे अधिकार ले लिये। इस बोर्ड के अध्यक्ष एक मंत्री हैं जो पूर्ण रूप से उनके कहने में हैं और इसके माध्यम से वह अपनी इच्छानुसार अपने जिले पर शासन करना चाहते हैं। इतने पर भी वह संतुष्ट नहीं हैं। जब वहां मंडल प्रजा परिषद अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष, जिनका चुनाव सीधे हुआ है तथा जो उस क्षेत्र के निर्धन व्यक्तिओं और कमजोर वर्ग के व्यक्तियों की जरूरतों के प्रति उनसे सीधे सम्पर्क में हैं और 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी सुविधायें जिनमें आवास सुविधा भी शामिल है, तथा जिनके लिए आप करोड़ों रुपये दे रहे हैं उसको लेने के लिए कौन अधिक सही व्यक्ति हैं इसका जो अधिक ठीक तरह से निर्धारण कर सकते हैं उन कमजोर वर्गों के लिए आपके निर्देशों के अनुसार अथवा भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार पैसा नहीं दिया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत स्थायी आवास लेने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का निर्धारण करने का अधिकार न तो पंचायत अध्यक्ष को प्राप्त हैं और न ही यह मंडल प्रजा परिषद अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाता है बल्कि यह कार्य विधायक द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार किया जाता है। यह बहुत दयनीय स्थिति है। सत्ता हथियाने के लालच में वह सम्पूर्ण पंचायती राज व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं। यहां तक कि जिन व्यक्तियों को बोर्ड चलाना है, उनका चुनाव भी वही कर रहे हैं। इससे पहले राजस्व मंडल अधिकारी द्वारा ही उचित दर दुकान चलाने के लिए कमजोर वर्ग और हरिजन अथवा अनुसूचित जाति अथवा अन्य जातियों में से सही और उपयुक्त व्यक्तियों का निर्धारण किया जाता था। उस समय राजस्व मंडल अधिकारी को ही अन्तिम निर्णय देना होता था और कलक्टर अपीलीय प्राधिकारी था। परन्तु क्या आपको इस समय किये गये परिवर्तन के बारे में पता है? अब मंत्री को विकास बोर्ड का प्रभारी बनाया गया है और वही अब व्यक्तियों को उचित दर-दुकानें आबंटित करते हैं। परन्तु अपीलीय प्राधिकारी कौन है? वह आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यदि गांव के किसी उचित दर दुकानदार को यह अपील करनी है कि कुछ अन्याय हुआ है तो अपीलीय प्राधिकारी मुख्य मंत्री जी हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन व्यक्ति जनता को अधिकार दिये जाने में रुचि रखता है और कौन नहीं रखता है। इससे उनके कार्यों, सोच-समझ और उनकी बातों में अन्तर भी स्पष्ट हो जाता है।

यही स्थिति उन संसद सदस्यों की है, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यदि वे वास्तव में यहां पर पुरःस्थापित किये गये विधेयकों में कोई संशोधन करने के इच्छुक होते तो वे यहां उपस्थित रहे होते और कुछ सुझाव देते। वे अच्छी तरह से जानते हैं जैसा कि उनके नेताओं ने सुझाव दिया है अथवा जैसा कि उन्होंने जनता के सामने अथवा समाचार पत्र में कहीं कहा है, यदि वे संसद में इस विधेयक का विरोध करते हैं तो वे जनता के सामने अपनी छवि को खो देंगे, उन्हें जनता का समर्थन नहीं मिलेगा और वे चुनाव हार जायेंगे। उनके इस्तीफे देने का एक मुख्य कारण यही है, न कि वे आरोप जिनका वे हर समय बखान करते रहते हैं। यह उन्होंने मनगढ़न्त बनाये हुए हैं जिनके आधार पर वे अपनी रणनीति आगे चलाना चाहते थे।

चार वर्ष के अनुभव से यह स्पष्ट हो गया है कि इनमें से एक भी विपक्षी सदस्य जो बाहर इतना अधिक बोलते हैं, आम आदमी के कल्याण में उनको कोई रुचि नहीं है। उन्होंने कभी भी कोई ठोस सुझाव नहीं दिये। आम जनता के हित में जो कोई भी कार्यक्रम अथवा नीति स्वीकार किया गया है। वह सरकार द्वारा ही किया गया है। अधिकतर समय उन्होंने व्यर्थ गंवा दिया। उन्होंने झूठे अथवा काल्पनिक आरोप लगाने में न केवल अपना समय व्यर्थ गंवाया है बल्कि सत्तारूढ़ दल के सदस्यों का एवं देश का और देश की जनता का भी समय नष्ट किया है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें भी इन विपक्षी सदस्यों के कारण, जिन्होंने हमारा कीमती समय बर्बाद किया है, नुकसान उठाना पड़ा है।

जैसा कि मेरे मित्र ने कहा है, मुझे वित्तीय संसाधनों के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुबह 3.00 बजे से रात 8.00 बजे सोने के लिए जाने तक मुख्यमंत्री का एक ही नारा है कि सरकार किस प्रकार राज्य को पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं दे रही है, कैसे सरकार ने किसी परियोजना को स्वीकृति नहीं दी है, तथा प्रधानमंत्री ने किस प्रकार किसी परियोजना को स्वीकृति नहीं दी है अथवा किस प्रकार वित्त आयोग की रिपोर्ट अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य कार्य को स्वीकार नहीं किया है। ठीक है। मैं मुख्यमंत्री के इस नारे की भी प्रशंसा करता यदि वे ईमानदारी से सोचते और राज्य के लिए संसाधनों की बात करते। चलो मान लिया। यदि मुख्यमंत्री को यह महसूस हुआ कि वह भारत सरकार से और संसाधनों को प्राप्त कर सकते थे, तो क्या उन्हें जिला परिषद, मंडल और पंचायत को पर्याप्त संसाधन देने की दिशा में नहीं सोचना चाहिए? इसके विपरीत क्या वे ग्राम पंचायतों और मंडलों को प्राप्त संसाधनों को छीनने की दिशा में सोचते?

कुछेक गांवों में दयनीय स्थिति यह है कि पंचायत-अध्यक्षों को चैक देने के अधिकार नहीं दिये गए हैं। मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में कुछेक गांव हैं जहां जब किसी गांव में पेयजल आपूर्ति करने वाली पम्प मोटरें काम नहीं करतीं तब पंचायत अध्यक्ष के पास चैक तक देने के अधिकार नहीं थे कि वह उसे ठीक करवा सकें। इसके कारण सारे गांव के व्यक्तियों को कई-कई दिनों तक पीने का पानी नहीं मिल सका था। क्या ये लोग जनता को शक्ति देने में रुचि रखते हैं? क्या ये नेता अपने भाषणों के प्रति ईमानदार हैं? जनता को इसकी जानकारी है।

इस विधेयक में, कोई भी आलोचक अपनी किसी भी तरीके से आगे आये और कहे कि यह

गलती है और राज्यों से, जिला परिषदों से अथवा मण्डलों से उनके अमुक अधिकार छीने जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है।

इसके विपरीत, जब यह पाया गया कि इस पंचायती राज व्यवस्था को अनेक राज्य के नेताओं, स्थानीय ताकतों अथवा स्थानीय समृद्ध व्यक्तियों अथवा कई शताब्दियों से सत्ताधारी व्यक्तियों की सनक और झूठी कल्पनाओं से कमजोर किया जा रहा है तब उन उत्वों के चंगुल से उस व्यवस्था को बचाने के लिए जब भारत सरकार ने इसे कानूनी रूप देने की कार्रवाई का प्रयास किया अथवा जनता को शक्ति देने के लिए संशोधन करने की दिशा में प्रयत्न किया तब हर व्यक्ति को प्रसन्न होना चाहिए था और इसका पूरी तरह से समर्थन करना चाहिए था। इसके विपरीत कोई व्यक्ति कोई न कोई मुद्दा ढूंढ कर आलोचना करना चाहता है। लेकिन वे लोगों के सम्मुख नहीं ठहर सकते।

महोदय, मैं इस विधेयक का पूर्णतया समर्थन करता हूं, विशेषकर इसलिए कि यह ग्रामीणों को अपनी योजनाएं बनाने की शक्तियां देता है। एक गांव की आवश्यकताओं के विस्तृत ब्यौरे को जाने बिना प्रधान मंत्री अथवा श्री भजनलाल जी योजना नहीं बना सकते। ग्रामीण ही जानते हैं कि वे अपने संसाधन कैसे बढ़ाएं; कर किस प्रकार लगाए जा सकते हैं; उनके संसाधन किस तरीके से बढ़ाए जा सकते हैं और इसका उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाना है। यह हर गांव या मंडल अथवा जिले या राज्य के लिए एक जैसा नहीं हो सकता। हर गांव अथवा जिले या क्षेत्र की अपनी विशेषताएं और जरूरतें होती हैं। आज जरूरत इस बात की है कि ग्रामीणों को अपनी जरूरतों के लिए योजना बनाने, अपने संसाधनों के लिए योजना बनाने हेतु शक्तियां दी जाएं, उन्हें अधिकार तथा शक्ति दी जाए तथा उत्तरदायी बनाया जाए। यदि प्रधान मंत्री द्वारा ऐसा किया जाता है तो उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, आलोचना नही। दुर्भाग्य से विपक्ष रचनात्मक की बजाय विध्वंसकारी तथा उचित की बजाय प्रेरित आलोचनाएं करता रहा। यह लोगों या देश के लिए हितकारी नहीं हो सकता। इसी प्रकार हम अच्छी तरह से यह जानते हैं कि देश के अनेक भागों में चुनाव नियमित रूप से नहीं हो रहे हैं। चाहे कांग्रेस की सरकार हो या गैर कांग्रेस की सरकार हो सभी के लिए प्रत्येक राज्य, जिले पर नियमित रूप से चुनाव करवाने के लिए जोर देना गलत नहीं है। यह सभी के हित में है। यह एकतरफा निर्णय नहीं है। इसी प्रकार लोगों को संदेह है कि क्या एक पंचायत अध्यक्ष को दिये गये इस अधिकार का उचित रूप से उपयोग किया जाएगा या नहीं, और क्या इससे ग्राम स्तर पर गड़बड़ी अथवा भ्रष्टाचार में वृद्धि होगी। इस बारे में मैं एक बात कह सकता हूं। यदि एक पंचायत अध्यक्ष भ्रष्ट होगा और इस शक्ति का दुरुपयोग करेगा और ग्रामीणों के प्रति उत्तरदायी सिद्ध नहीं होगा तो वह अपने ग्रामीणों का सामना नहीं कर सकता। हर व्यक्ति उसे घृणा करेगा। हर व्यक्ति उसके सामने उसे गाली देगा। वह जनता में अपमानित होगा। कम से कम इस डर से कि लोग परोक्ष रूप से यह जान जायेंगे और वह समाज में अपमानित होगा और उसका बहिष्कार होगा, वह अगले दिन लोगों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूरा करेगा। मेरा दृढ़ मत है कि गांवों में रहने वाले लोगों के प्रति कोई लगाव या सम्बन्ध न रखने वाले एक अजनबी व्यक्ति को शक्तियां देने के बजाय यह अधिक कारगर होगा। इस पर विचार करते हुए भी ग्राम पंचायतों, ग्राम मंडलों को परोक्ष रूप से अधिकार देना बहुत अच्छा होगा बजाय इसके कि एक ऐसे व्यक्ति को शक्ति दी जाए जो वहां से कोई लगाव या संबंध नहीं रखता और जो उनके प्रति उत्तरदायी नहीं है और लोगों की नजरों में अपमानित होने पर शर्म महसूस नहीं करेगा।

इसी प्रकार लेखाओं की जांच के लिए महालेखा परीक्षक को शक्ति देने का प्रस्ताव निश्चित रूप से लोगों में यह डर उत्पन्न करता है कि कहीं अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करें।

मुझे केवल एक सुझाव देना है। मैं कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और विशेषकर महिलाओं के लिए आरक्षण करने के लिए सरकार की प्रशंसा करता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार को पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के लिए भी आरक्षण करने की कुछ व्यवस्था करनी चाहिए थी। मैं यह नहीं कहता कि उनके लिए इतने प्रतिशत स्थान आरक्षित किए जाएं; लेकिन जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बारे में विचार किया गया जोकि कई पीढ़ियों से उपेक्षित हैं, उसी प्रकार कुछ हद तक अल्पसंख्यक तथा पिछड़े वर्गों के बारे में भी विचार किया जाना चाहिए था। मैं चाहता हूं कि इस विधेयक के इस सभा में पारित होने से पहले माननीय प्रधान मंत्री, श्री भजनलाल जी तथा अन्य मंत्री कुछ पहल करें और एक संशोधन लाएं जिसके अनुसार पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों लिए कुछ आरक्षण किया जाए।

[हिन्दी]

श्री बापूलाल मालवीय (शाजापुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे देश के प्रधान मंत्री आदरणीय श्री राजीव गांधी जी ने संविधान संशोधन विधेयक आज जो पेश किया गया है, उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष जी, वैसे हर प्रदेश में पंचायतें जरूर थीं, मगर उनमें एकरूपता नहीं थी। आज हमारे देश के प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी ने ये जो नगरपालिका और पंचायती राज बिल पेश किये हैं, ये पेश करके उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इससे आज जो संवैधानिक अधिकार पंचायतों को, नगर-पालिकाओं को मिलने चाहिए थे, वे नहीं मिले हुए थे, लेकिन इस बिल के जरिए देश की ग्राम-पंचायतों को और नगर-पालिकाओं को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। यह बात जरूर है कि अधिकार और पैसा होता है तो काम होता है। आज अगर ग्राम पंचायतों को और नगर पालिकाओं को संवैधानिक अधिकार मिलते हैं तो निश्चित रूप से उत्साह बढ़ेगा, काम होगा और हमारे नगर तथा गांव आगे बढ़ेंगे। हमारे प्रधान मंत्री महोदय ने बताया है कि ग्राम पंचायतों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, जब पंचायतों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो निश्चित रूप से गांवों का बहुत अच्छा विकास होगा और तरक्की होगी।

जहां तक मैं समझता हूं कि पंचायतों के कार्य में सबसे बड़े बाधक अधिकारी लोग थे, क्यों थे, इसका बहुत बड़ा कारण है। मुझे मालूम है, क्योंकि मेरा दूसरे नम्बर का लड़का सरपंच है ग्राम पंचायत का, उसको स्कूल भवन बनाने के लिए टैक्नीकल सेंक्शन चाहिए थी जो कि आर० ई० एस० के इंजीनियर नहीं दे रहे थे, उनसे 500 रुपए मांगे गए। उनको पता नहीं था कि वह एक संसद सदस्य का बेटा है। वह बहुत दिनों तक परेशान रहा, आखिर में उसने मुझे बताया तो मैंने उनसे जाकर पूछा कि आप जो 500 रुपए ले रहे हैं, उसकी रसीद दीजिए ताकि यह पंचायत के हिसाब में दिखा सके, लेकिन उन्होंने इससे इन्कार किया। इस तरह से अधिकारियों की हर काम के लिए कमीशन बनी हुई है और लोगों को परेशान करते हैं, पंचायत का काम नहीं होने देते। प्रधान मन्त्री महोदय ने यह सारी बातें सोच कर एक बहुत अच्छा कदम उठाया है और इस

समस्याओं को हल कर दिया है, जिस तरह से वे पंचायतों को अधिकार देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने हर जगह जाकर देखा है कि क्या वहां की समस्याएं हैं, आदिवासियों की क्या समस्याएं हैं, गरीबों की क्या समस्याएं हैं, उन सबको देखकर यह पंचायती राज बिल लाया गया है, नगरीय क्षेत्र बिल लाया गया है। आज शहरों में देखिए इंजीनियर्स की क्या हालत है। जो सड़क बनानी चाहिए, उसको वे लोग नहीं बनाते हैं और जिस सड़क को बनाने की आवश्यकता नहीं है, उसको खोद-खोदकर दोबारा बनाया जाता है, क्योंकि उसमें उनको कमीशन मिलता है। जो काम वास्तव में शहरों में होने चाहिए, वे नहीं होते हैं। आज नगरपालिकाओं और नगर निगमों की आर्थिक स्थिति की यह हालत है कि बिजली की रोशनी के लिए पैसा उनके पास नहीं है, बिजली विभाग को वे पैसा नहीं दे सकते। लेकिन आज यह बात निश्चित मानिए कि प्रधान मंत्री जी जो यह बिल लाए हैं इसके जरिए नगर पालिकाओं और पंचायतों दोनों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पंचायतों के लिए 1 लाख 50 या 80 हजार रुपया दिया गया है और पंचायतों को सक्षम बनाया गया है, यह बहुत अच्छी बात है। इससे हमको लगता है कि वंचित तबके हैं, हरिजन, आदिवासी और महिलाएं, उन सबको इससे राहत मिलेगी। तुलसीदास जी ने तो अपनी चौपाई में कह दिया—"ढोल गंवार शूद्र पशु-नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी," यह ठीक नहीं है, मुझे इससे प्रसन्नता नहीं है, लेकिन आज हमारे प्रधान मंत्री जी उनको उस केटेगरी से निकाल लाए हैं। महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत रिजरवेशन दिया गया है, यह बहुत बड़ी बात है। आप यह निश्चित मानिए कि जितना अच्छा काम महिलाएं करती हैं, पुरुष बहुत कम करते हैं। यह मैंने देखा है। वहां कोई महिला अधिकारी आती है तो बहुत अच्छा काम करती है, कोई उनका एजेन्ट नहीं होता है। जब कोई पुरुष आता है तो दस एजेन्ट उनके साथ होते हैं और गलत काम भी उनके द्वारा किया जाता है। महिलाएं जितनी लगन और परिश्रम से काम करती हैं, उतनी लगन और परिश्रम से पुरुष नहीं करते हैं। हमारा ऐसा विश्वास है कि पुरुष महिलाओं के मुकाबले में कम ईमानदार होते हैं। हरिजन और आदिवासियों को भी समानता का अधिकार नहीं है। जब वे सरपंच या वार्ड मैम्बर बनेंगे तो निश्चित रूप से उनको समानता का अधिकार प्राप्त होगा। इस बिल से निश्चित रूप से हमारे गांवों और शहरों का विकास होगा। मुझे दुःख है कि हमारे विरोधी लोग लड़ाई के मैदान से भाग गए। जो युद्ध के क्षेत्र से भागता है उसको गलत मानते हैं। यहां पर बौद्धिक लड़ाई होती है। पहले जमाने में लाठी और तलवार से लड़ा करते थे लेकिन अब बुद्धि की लड़ाई होती है। मेरा सुझाव है कि हमारे विरोधियों को रणछोड़ कहना ज्यादा उचित होगा। यह उनकी बहुत बड़ी कमजोरी है। उन्होंने सोचा होगा कि यहां रहेंगे तो समर्थन करने में भी दिक्कत आयेगी इसलिए पहले ही रण छोड़ कर भाग गए हैं। पंचायती राज से गांवों में लोगों में बहुत उत्साह है। पंचायती राज लाने के लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। यह एक ऐतिहासिक कदम है। जब तक यह देश रहेगा, दुनिया में उसका नाम अमर रहेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रधान मंत्री जी द्वारा दोनों संविधान संशोधन विधेयक जो प्रस्तुत किए गए हैं, उनका हृदय से समर्थन करता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वाकई में मैंने पंचायती राज व्यवस्थाओं को देखा है। सन् 1948 में मैं अपने गांव का सरपंच बना था। उस वक्त तो हाथ खड़ा करके सरपंच बना दिया

जाता था। जो सरपंच बनना चाहता था, उसको हाथ खड़ा करके बना देते थे। आज उसमें कितना बड़ा अन्तर राजीव जी लाए हैं, शायद संसार के और किसी कानून में इतना बड़ा अन्तर नहीं आया होगा। कांस्टीच्युएनल पावर्स इसमें दी जा रही हैं। हर पांच साल के बाद पचों और सरपंचों का चुनाव होगा। बहुत बड़ा अधिकार इसके अन्दर दिया गया है। दूसरी जो इन्टरमीडिएट श्रेणी है उसको हमारे यहां पंचायत समिति का अर्थ दिया जाता है। हमारे राजस्थान के अन्दर सन् 59 में पं० जवाहर लाल नेहरू के कर कमलों द्वारा पंचाततती राज शुरू हुआ था। उस वक्त से पंचायत समितियां जो बीच की श्रेणी हैं हमने शुरू की थीं। तृतीय श्रेणी जिला परिषद की है जो जिला स्तर की है। इन तीन श्रेणियों को पंचायती राज में तीन कड़ियां या तीन इकाइयां माना जाता है और उसी आधार पर आज इस बिल के अन्दर भी इसी प्रकार की व्यवस्थायें करने की बात कही गई है। राजस्थान में पंचायती राज पर एक कमीशन बैठा था जिसका चेयरमैन मैं था। उसमें हमने रिपोर्ट दी थी कि पंचाततती राज की व्यवस्थायें जितनी स्टेट लेजिस्लेचर के जो विभाग हैं उनके पास थीं जो फण्ड जिला स्तर पर देते हैं उसको निश्चित तरीके से राज्य सरकारों के अधिकारी खर्च करते हैं और अपने मन मुताबिक खर्च करते हैं इसलिए सारे फण्ड जिला स्तरों पर दिये जायें। उसी आधार पर चाहे वह कोई भी महकमा हो चाहे सड़क का हो, सिंचाई का हो, पानी हो, खेती-बाड़ी का हो तो निश्चित रूप से जिले का विकास बहुत अच्छा होगा। माननीय राजीव जी की भावनायें भी इसी तरीके की हैं कि हम पैसे के लिए रात-दिन मारे-मारे फिरते हैं, फण्ड मिलता नहीं है जिसकी वजह से जिले के स्तर पर, पंचायत समिति के स्तर पर विकास के कामों को पूरा नहीं कर पाते और फण्ड के लिए बराबर राज्य सरकार की ओर देखते रहते हैं। राज्य सरकार भारत सरकार की ओर देखती रहती है कि यहां से फण्ड मिले तो जिला स्तर पर और जिला स्तर से पंचायत समिति के स्तर पर उसे अवेलेबल करायेंगे। इन अधिकारों का जब विकेन्द्रीकरण करने की बात आई तो इससे ज्यादा विकेन्द्रीकरण और कोई नहीं हो सकता जिसके अन्दर भारत सरकार की व्यवस्था अलग है, राज्यों की अलग व्यवस्था और उसी तरह से पंचायत समिति के स्तर पर, जिला स्तर पर एक अलग इकाई स्थापित करने की कोशिश की है जिससे गांव के लोगों को न्याय मिलेगा और वह उन व्यवस्थाओं को ज्यादा मजबूती के साथ लागू करेंगे। इसलिए इन व्यवस्थाओं को कानून के द्वारा लाई गई है, जिनको माकूल बनाया गया है इस संविधान संशोधन के द्वारा जो अधिकार दिये गये हैं इससे बहुत अच्छी व्यवस्थायें हमारे यहां पर होंगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं इसमें जो प्रावधान किया गया है फाइनेंस कमीशन का। आज जो वित्त आयोग मुकर्रर होता है भारत सरकार की तरफ से और राज्यों में जाकर देखता है कि कहां क्या आवश्यकता है, किस प्रकार की व्यवस्था है, कितना धन मिलना चाहिए। तो जो वित्त आयोग है जिला स्तर पर बनाया जायेगा, पंचायत में व्यवस्थाओं के बारे में इसके द्वारा उनका एस्टीमेट तैयार किया जायेगा, उनका प्लान बनाया जायेगा और उनके खर्चे को इस कमीशन के द्वारा मुकर्रर किया जायेगा जिसके जरिये से टैक्सेज और कंसोलिडेटेड फण्ड में उससे नये प्रकार से पैसा मिलेगा और आज जो गांवों का विकास हो रहा है उससे भी बड़े पैमाने पर विकास हो सकेगा आज जो पंचायतों के अन्दर धन की कमी रहती है, वह भी आने वाले समय में इस कानून के बन जाने के बाद समाप्त हो जायेगी। उससे हम उन लोगों का विकास तेजी से कर सकेंगे जो विकास से वंचित हैं, जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है, जो गरीब हैं, उन सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति तभी कर सकते

हैं जब फण्ड पंचायत स्तर पर ज्यादा से ज्यादा दें और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। खास तौर से हाऊसिंग का प्रश्न है, आज शहरों में या देहात में आप देख लीजिये मकान की सबसे बड़ी समस्या है। गांवों में गरीब लोग रहते हैं और पैसे के अभाव में एक घर में 20-20 लोग रहते हैं। वह नया मकान बना नहीं सकते। हमारे यहां पर इन्दिरा आवास योजना के माध्यम से गरीब लोगों के लिए मकान बनाने की व्यवस्था की है मगर बड़ी थोड़ी मात्रा में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो पायी है। एक-एक पंचायत में मुश्किल से 10 या 15 घर बनाये गये हैं और सब लोगों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पायी है। जब फण्ड्स हमें अवैलेबल होंगे तो हम अधिक से अधिक लोगों की जरूरतों को पूरा करने में समर्थ हो सकते हैं, प्लान के जरिये से उन योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे कि कितने अनुसूचित जाति के लोगों के लिये मकान बनाने हैं, कितने अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए मकान बनाने हैं, कितने माइनौरिटीज या बैकवर्ड लोगों के लिये मकान बनाने हैं या अन्य व्यवस्थाएं करनी हैं। फिर हमारे सामने पूरा नक्शा होगा कि मिडिल इन्कम ग्रुप के लोगों और हायर इन्कम ग्रुप के लोगो कितनी जमीन की आवश्यकता है ताकि उन्हें जमीनें दी जा सकें और सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। जब ये सारी व्यवस्थाएं होंगी तो पंचायतों का, जिला परिषदों और पंचायत समितियों का निश्चित रूप से डेवलपमेंट होगा, वे विकास कर पायेंगी और यह कदम निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। आपके इस बिल में कुछ रिजर्वेशन देने की बात भी की है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाये, कम है। अब तक महिलाओं को कहीं भी रिजर्वेशन नहीं मिलता था। पहले पंचायतों में जिस तरह के कानून थे, उनमें कह दिया जाता था कि कोन्कौक्शन के जरिये से महिलाओं को ले लिया जायेगा। किसी पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद में महिलाओं को स्थान नहीं था। अब हमने 30 परसेंट स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित कर दिये हैं। अब हर पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समितियों में 30 प्रतिशत महिलायें जीत कर आयेंगी। यहां मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहूंगा कि इतने ही परसेंट आप चेयर-परसन, पंचायत समितियों के प्रधान, जिला प्रमुख आदि के स्थान भी महिलाओं के लिए आरक्षित कर दीजिये। यदि महिलाओं को शीर्ष पदों पर स्थान मिलेगा तो हमारी सारी व्यवस्थाएं माकूल चलेंगी। जैसा अभी माननीय मालवीय जी महिलाओं की तारीफ कर रहे थे कि पुरुषों की तुलना में महिलायें ज्यादा अच्छा काम कर सकती हैं, इस दृष्टि से भी, महिलाओं को उच्च पदों पर आसीन करना होगा ताकि हर स्तर पर देश का विकास हो और विकास में वे भी हिस्सेदार बन सकें। इस बिल को लाने के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि गांवों और शहरों की स्थानीय निकायों को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाया जाए, गांवों और शहरों का विकास हो, इसलिए महिलाओं को आवश्यक संरक्षण देने की बहुत आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह मैं चाहता हूं कि अनुसूचित जाति के लिए भी रिजर्वेशन की व्यवस्था इसमें की जाये। यद्यपि आपने पौपूलेशन के आधार पर उन लोगों को रिजर्वेशन देने की व्यवस्था की है; मगर उसके आगे कोई बात नहीं कही गयी है। सरपंच, ग्राम प्रधान या जिला प्रमुख के निर्वाचन में भी अनुसूचित जाति के लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिये क्योंकि हमारे देश में शैडयूल्ड कास्ट्स एण्ड ट्राइब्स के लोग सरकार की आरक्षण नीति के प्रति असंतोष व्यक्त करते रहे हैं। यदि सरपंच, जिला प्रमुख आदि के चुनावों में भी उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था हो जाये तो उन्हें काफी राहत मिलेगी। इस व्यवस्था से हमारा काम भी सुचारू रूप से चलेगा, अतः इसकी नितांत आवश्यकता है। आपने 11वें शैडयूल में आर्टिकल 243 ई के तहत जिन 29 महकमों को पंचायत

लेवल पर देने की बात कही है, उससे वाकई लोगों को बहुत राहत मिले, लाभ होगा। हमारे सामने ड्रिंकिंग वाटर की सबसे बड़ी प्रौब्लम है। राजस्थान में कुल 35 हजार गांव हैं, जिनमें से 30 हजार गांवों में हमारी सरकार ने पीने के पानी की व्यवस्था कर दी है, मगर हालत में कोई विशेष सुधार आया नजर नहीं आता। उसका कारण यह है कि राजस्थान में पिछले 4-5 साल लगातार अकाल पड़ा जिससे अण्डरग्राउण्ड पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया। यद्यपि हमने 30 हजार गांवों में पीने के पानी व्यवस्था कर दी, मगर उसके बाद फिर 10-15 हजार गांव उस हालत में पहुंच गये। अब आपने ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी पंचायत लेवल पर सौंपने का निश्चय किया है, मैं समझता हूं कि अब गांव के लोगों को ठीक प्रकार से पीने का पानी मिलने लगेगा। यहां हमारे बुद्धि चन्द्र जैन जी बैठे हुये हैं, यह जानते हैं कि राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर जैसे स्थानों पर पीने का पानी लाने के लिये लोगों को दो-दो और चार-चार किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, चूरू को भी उसमें शामिल किया जा सकता है, मगर ऐसे अनेक स्थान है, कई डैजर्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहां पीने के पानी का हमेशा अभाव बना रहता है। उन पंचायतों को इस प्रकार का अधिकार देने से निश्चित तरीके से किसानों को गरीब आदमियों को लाभ मिलेगा और पीने के पानी की बहुत बड़ी व्यवस्थाएं पूरी होंगी।

6.00 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं खासतौर से एम्पलॉयमेंट के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। आपने जो इस शेड्यूल में इन्डस्ट्रीज तथा खादी और विलेज इन्डस्ट्रीज को इसके अन्दर दिया है, उससे भी निश्चित तरीके से गांव के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और इस व्यवस्था को माकूल तरीके से लागू करेंगे। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

6.01/2 म० प०

सदस्य द्वारा त्यागपत्र

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचित करता हूं कि अध्यक्ष महोदय को श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया का दिनांक 23 जुलाई, 1989 का पत्र आज प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने लोक सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय ने उनका त्यागपत्र 8 अगस्त, 1989 से स्वीकार कर लिया है।

अब सभा कल 11.00 म० पू० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6.01 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 9 अगस्त, 1989/18 श्रावण, 1911 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, श्री राम मार्ग, दक्षिणी मौजपुर, दिल्ली 53